दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अगस्त भाग-2
2020

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज 7
- PURA पहल' 8
- स्वतंत्रता दिवस पर नवीन डिजिटल घोषणाएँ 9
- असम समझौते के खंड 6 पर रिपोर्ट 11
- अरुणाचल प्रदेश: 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग 12
- पीएम-केयर्स फंड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष 13
- भारत और कैंसर 15
- धन्वंतरि रथ: आयुर्वेद संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ 17
- जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण 18
- रोज़गार संबंधी आंकड़े:CMIE 19
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी 20
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 21
- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति 23
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम 24
- न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 26
- बीआईएस द्वारा पेयजल मानक का मसौदा 28
- मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के क्षमता विस्तार पर समझौता 30
- चुनावी बॉण्ड की बिक्री 31
- स्थानीय स्वशासन और महिलाएँ 32
- विमान-वाहक पोत 'विराट 34
- ई-पीपीओ' का 'डिजी-लॉकर' के साथ एकीकरण 35
- 50% कोटा सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता 36
- स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा 38
- वोल्बाचिया बैक्टीरिया के माध्यम से डेंगू प्रसार पर नियंत्रण 39
- आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा 41
- एक समान मतदाता सूची: अवधारणा और महत्त्व 43

नोट :

- जम्मू और कश्मीर के लिये नियमों की अधिसूचना 44
- COVID-19 के दौरान परीक्षा अनिवार्यता उच्चतम न्यायलय का निर्णय 46
- कृषि अध्यादेश का विरोध 47
- पोषण माह 49
- भारत में छात्रवृत्ति योजनाएँ Post Matric Scholarship Scheme scam 50

आर्थिक घटनाक्रम **52**

- भादभूत परियोजना 52
- हवाई अड्डों को लीज़ पर देने का प्रस्ताव 53
- न्यूनतम मज़दूरी से संबंधित मुद्दे 54
- भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियाँ: TIFAC 55
- पी-नोट्स के माध्यम से निवेश में वृद्धि 56
- संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम 57
- भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 58
- निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 60
- आर्थिक वृद्धि के लिये आवश्यक सुधार 62
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 वर्ष 63
- जीएसटी मुआवज़े की कमी और ऋण का विकल्प 65
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में विनिवेश 66

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **69**

- ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक 69
- विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन: आईएसए 70
- तीस्ता नदी जल विवाद और भारत-बांग्लादेश संबंध 71
- नेपाल द्वारा बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक का प्रस्ताव 73
- आसियान-भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक 75
- तुर्की द्वारा गैस भंडार की खोज और चोरा चर्च विवाद 76
- सऊदी अरब-पाकिस्तान मतभेद 78
- श्रीलंका: नए संविधान का मसौदा 80
- तालिबान प्रतिनिधि मंडल का पाकिस्तान दौरा 81
- चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध और भारत 82
- लीबियाई संकट और संघर्षविराम की घोषणा 84
- भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक 85
- माली में सैन्य तख्तापलट 87

नोट :

- ब्रिक्स इनोवेशन बेस 89
- तुर्की-ग्रीस गतिरोध 90
- सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव 91
- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक 93
- कवकाज़/काकेशस- 2020 सैन्य अभ्यास 95

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 97

- बायोएथेनॉल सम्मिश्रण: चुनौतियाँ और समाधान 97
- डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020: सर्फशर्क 98
- विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण एवं अदृश्य शील्ड 100
- विमानों में ब्लैक बॉक्स 101
- सुपर एप 102
- डीएनए बिल का दुरुपयोग संभव: संसदीय समिति 104

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी 107

- मॉरीशस में तेल रिसाव 107
- अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण 109
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एशिया 110
- दक्षिण भारत में तितलियों का प्रवास 111

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 113

- पर्सियड्स उल्का बौछार 113
- कैलिफोर्निया में दावानल 114

सामाजिक न्याय 116

- विवाह की न्यूनतम आयु: इतिहास और वर्तमान 116
- बाल श्रम कन्वेंशन को सार्वभौमिक अनुसमर्थन 118
- अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाएँ 119
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 122
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद 123
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिये खाद्य सुरक्षा 125
- एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 127
- एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिल्ली के दंगे 128
- अल्पसंख्यकों का निर्धारण 130

नोट :

- दिव्यांगजन और न्याय प्रणाली तक आसान पहुँच 131
- ब्लैक लाइव्स मैटर 133

कला एवं संस्कृति **135**

- मारथोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च 135
- लिंगराज मंदिर 136

आंतरिक सुरक्षा **137**

- राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का विस्तार 137
- बैंक धोखाधड़ी में ई-सिम का दुरुपयोग 138

चर्चा में **140**

- फिट इंडिया यूथ क्लब 140
- फ्लाई ऐश 140
- औरोरल बीड्स 141
- ब्लैक ड्वार्फ सुपरनोवा 142
- जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल- 'स्वास्थ्य' 142
- आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 143
- डेथ वैली 143
- ग्रीन कॉरिडोर 144
- स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज 145
- थैलीसीमिया स्क्रीनिंग एवं परामर्श केंद्र 146
- एआरआईआईए-2020 147
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 147
- ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स 148
- प्रकाश पर्व 149
- पीएम स्वनिधि योजना 150
- सतलज यमुना लिंक नहर 150
- मिलेनियम एलायंस 151
- फ्लेवोनॉइड अणु 152
- टैटू सेंसर 152
- नमथ बसई कार्यक्रम 153
- हरित पथ 154
- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2020 154

नोट :

- भारतीय गौर 155
- ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल 155
- नुआखाई जुहार 156
- ओपन एपीआई सर्विस 156
- बहरूपिया 157
- इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स का एक नया आणविक संरक्षक 157
- बोंडा जनजाति 158
- रोपवे 159
- सूक्ष्म शैवाल से कम लागत वाला बायोडीज़ल 160
- एयूडीएफएस01 160
- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 161
- क्षुद्रग्रह 2018VP1 162
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 162
- वारली पेंटिंग 163
- रागोत्सव II 164
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 165
- एएसआई के सात नए प्रशासनिक सर्कल 165
- पुलिक्कली 166
- विश्व उर्दू सम्मेलन 167
- हरिकेन लौरा 167
- ग्रेट अंडमानी जनजाति 168
- उड़ान 4.0 169
- जारवा जनजाति 169
- कोरल ऑस्टियोपोरोसिस 171
- एंड्रोमेडा आकाशगंगा 172
- अफ्रीकन बाओबाब 173
- राष्ट्रीय खेल दिवस-2020 174
- ओणम 175
- शेतुरुंजी और भादर बांध 176

विविध **177**

The Vision

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

भारत का राष्ट्रीय ध्वज

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2020 में अपना 74वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है तथा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त के दिन लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय राष्ट्र तिरंगे का डिज़ाइन: भारतीय राष्ट्र तिरंगे के डिज़ाइन का श्रेय काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया (Pingali Venkayya) को दिया जाता है।
  - उन्होंने दो प्रमुख समुदायों, हिंदू और मुस्लिमों के प्रतीक के रूप में दो रंग की पट्टियों/बैंड (लाल और हरे रंग) को मिलाकर झंडे की एक मूल संरचना प्रस्तुत की।
- महात्मा गांधी द्वारा शांति एवं भारत में रहने वाले बाकी समुदायों तथा देश की प्रगति के प्रतीक के रूप में चरखा का प्रतिनिधित्व करने के लिये इस ध्वज़ में एक सफेद बैंड को जोड़ने का सुझाव दिया गया।
- वर्ष 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिये वर्ष 2009 में मरणोपरांत उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। वर्ष 2014 में, उनका नाम भारत रत्न के लिये भी प्रस्तावित किया गया था।

राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास:

- वर्ष 1906: भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवत: 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था।
  - इस ध्वज में लाल, पीले एवं हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ शामिल थीं, जिनके मध्य में 'वंदे मातरम' लिखा हुआ था। झंडे पर लाल रंग की पट्टी में सूर्य और अर्द्धचंद्र का प्रतीक था और हरे रंग की पट्टी में आठ आधे खुले कमल थे।
- वर्ष 1907: मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा वर्ष 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था।
- वर्ष 1917: डॉ. एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक नए झंडे को अपनाया गया। यह पाँच वैकल्पिक लाल रंग एवं चार हरी क्षैतिज पट्टियों में मिलकर बना था जिसमें सप्तऋषि विन्यास में सात सितारे थे। इस संयुक्त ध्वज में एक सफेद एवं अर्द्धचंद्राकार तारा ध्वज़ के शीर्ष कोने पर विद्यमान था।
- वर्ष 1931: कॉन्ग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे को (पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित) भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया एवं रंगों का क्रम बदला गया। इस ध्वज की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं की गई थी।
  - ध्वज के शीर्ष पर स्थित केसरी रंग 'ताकत और साहस' का प्रतीक है, मध्य में सफेद रंग 'शांति और सच्चाई' का प्रतिनिधित्व करता है एवं ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग 'भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता' का प्रतीक है।
  - ध्वज में विद्यमान चरखे को 24 तीलियों से युक्त अशोक चक्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि ' गति में जीवन है और स्थायित्त्व में मृत्यु है'।.
  - राष्ट्रीय ध्वज आयताकार आकर में होना चाहिये जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमश 3:2 के अनुपात में हो।

नोट :

संवैधानिक एवं कानूनी पक्ष:

- संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया ।
  - इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 'भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया (केसरी), समान अनुपात में सफेद और गहरा हरे रंग का तिरंगा होगा' सफेद पट्टी में गहरे नील रंग का चक्र (चरखे द्वारा प्रतिस्थापित) है , जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है।
- संविधान सभा की समितियों में से एक, राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
- संविधान का भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) ग्यारह मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51 ए (ए) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- एक व्यक्ति जो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत वर्णित निम्नलिखित अपराधों के लिये दोषी पाया जाता है, उसे 6 वर्ष तक के लिये संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनावों में लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है। इन अपराधों में शामिल है-
  - राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना।
  - भारत के संविधान का अपमान करना।
  - राष्ट्रगान गाने से रोकना।

PURA पहल'

चर्चा में क्यों ?

पुणे ग्रामीण प्रशासन COVID-19 महामारी के मध्य 'प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमेनिटीज़ इन रूलर एरिया' (Provision of Urban Amenities in Rural Areas-PURA) के प्रावधान/पहलों को लागू करने में सक्षम है।

प्रमुख बिंदु:

- PURA को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिये प्रस्तुत किया गया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development-MoRD) ने PURA योजना को तीन वर्षों (2004- 05 से 2006-07) की अवधि के लिये सात समूहों (Seven Clusters) में पायलट आधार पर लागू किया।
- PURA 2.0 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्ष 2012 में संभावित विकास केंद्रों जैसे-शहरी जनगणना के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किया गया था।

उद्देश्य:

- ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership- PPP) के माध्यम से एक ग्राम पंचायत (या ग्राम पंचायतों के एक समूह) में एक संभावित विकास केंद्र के आसपास सुगठित क्षेत्रों का समग्र और त्वरित विकास करना।
- PURA के तहत दी जाने वाली सुविधाओं तथा आर्थिक गतिविधियों में जल एवं मल निकासी, गांव की सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्किल डेवलपमेंट, गांव की स्ट्रीट लाइटिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन, गांव से जुड़े पर्यटन आदि को शामिल किया जाता है।
- वर्ष 2014-15 में, सरकार ने PURA योजना के तहत कोई राशि आवंटित नहीं की बल्कि इसके स्थान पर 100 करोड़ रुपए की शुरुआती आवंटन राशि के साथ रुर्बन मिशन (Rurban Mission) की शुरुआत की।
- रुर्बन मिशन का उद्देश्य पूरे देश में 300 ग्रामीण विकास समूहों का निर्माण करना है।

नोट :

स्वतंत्रता दिवस पर नवीन डिजिटल घोषणाएँ

चर्चा में क्यों ?

74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 'डिजिटल इंडिया' पहल से जुड़ी तीन बड़ी परियोजनाओं; 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन', 'साइबर सुरक्षा नीति'-2020, और 1,000 दिनों में सभी छह लाख ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु:

ऑप्टिकल-फाइबर कनेक्टिविटी:

- 'भारत-नेट परियोजना' की शुरुआत अक्तूबर 2011 में की गई थी, जिसे मूल रूप से 'नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क' (NOFN) नाम से जाना जाता था।
- देशभर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिये केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम 'भारत-नेट प्रोजेक्ट' की शुरुआत की गई थी।
- परियोजना को 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (Universal Service Obligation Fund - USOF) द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य, राज्य की राजधानी, ज़िला मुख्यालय और ब्लॉकों में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का प्रत्येक ग्राम पंचायत तक विस्तार करना है।
- परियोजना के माध्यम से भारत की 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान की जाएगी।
- परियोजना को विभिन्न चरणों के तहत लागू किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 42,068 करोड़ रुपए है।
- प्रथम चरण:
  - भारतनेट परियोजना के प्रथम चरण को जून 2014 में प्रारंभ किया गया था जिसके लक्ष्य को दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया गया।
  - इस चरण में 1 लाख पंचायतों के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लक्ष्य की तुलना में 1,22,908 पंचायतों की कनेक्टिविटी की गई जिसकी कुल लागत 11,200 करोड़ रुपए थी।
- द्वितीय चरण:
  - दूसरे चरण में, शेष 1,29,827 ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक कवर किया जाना था। जिसकी समय सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर अगस्त 2021 तक कर दिया गया है।
  - इस चरण में जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अधिक दुर्गम स्थानों को कवर किया जाएगा।
  - इनके लिये न केवल भूमिगत फाइबर केबल अपितु इसमें हवाई फाइबर, रेडियो और उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:

- पृष्ठभूमि:
  - भारत में 'डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना' का प्रारंभ वर्ष 2017 की 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति' के तहत 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण' (National Digital Health Authority) की स्थापना के प्रस्ताव से माना जाता है।
  - 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' (UIDAI) के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा जुलाई 2019 में 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' का ब्लूप्रिंट जारी किया गया।
  - 7 अगस्त, 2020 को 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' (NDHM) की दिशा में नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज़ जारी किये गए।
- नवीन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन:
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission- NDHM) एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसके तहत चार प्रमुख डिजिटल पहलों; हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्यसुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा।

नोट :

- नवीन NDHM रणनीतिक दस्तावेज में डॉक्टरों, अस्पतालों, फार्मेसियों, और बीमा कंपनियों द्वारा डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करने, 'डिजिटल व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने 'डिजिटल नैदानिक निर्णय प्रणालियों' की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली' की भी चर्चा की गई है जिससे रोगी अपने डेटा को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच डिजिटल रूप से साझा कर सकते हैं

'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली' (National Health ID System):

- 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी' निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को भविष्य में उपयोग हेतु संगृहीत करना है।
- प्रत्येक रोगी, जो अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना चाहता है, उसे प्रारंभ में एक हेल्थ आईडी बनानी होगी।
- प्रत्येक हेल्थ आईडी को रोगी की सहमति से 'व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड मॉड्यूल' से जोड़ा जाएगा।
- हेल्थ आईडी निर्माण के लिये व्यक्ति से सबंधित मूलभूत जानकारी और मोबाइल नंबर या आधार संख्या को आवश्यकता होगी।

साइबर सुरक्षा नीति- 2020:

- वर्तमान 'साइबर सुरक्षा नीति'-2013 के स्थान पर नवीन 'साइबर सुरक्षा नीति'-2020 लागू की जाएगी।
- 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति' (National Cyber Security Strategy- NCSS), 2020 के तहत जनवरी, 2020 तक सार्वजनिक टिप्पणियाँ मांगी गई थी।
- नवीन साइबर नीति, संसदीय संयुक्त समिति के तहत विचाराधीन 'डेटा संरक्षण कानून'; जो डेटा स्थानीयकरण को अनिवार्य करता है, के प्रावधानों को भी प्रभावित कर सकती है।

नवीन साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता:

- नवीन चुनौतियाँ:
  - साइबर सुरक्षा के समक्ष नवीन चुनौतियों में डेटा गोपनीयता, कानूनी प्रवर्तन, विदेशों में संग्रहीत डेटा तक पहूँच का अभाव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव आदि शामिल हैं।
- डेटा सुरक्षा:
  - राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर साइबर खतरों का बढ़ना; संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा पर साइबर घुसपैठ और हमलों के दायरे और प्रकार में वृद्धि होना;'महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना' (critical Information Infrastructure) की सुरक्षा आदि डेटा सुरक्षा की नवीन चुनौतियाँ पेश कर रही है।
- तीव्र तकनीकी विकास:
  - साइबर परिदृश्य में तेज़ी से तकनीकी विकास जैसे- क्लाउड कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G प्रौद्योगिकी आदि के कारण नवीन सुरक्षा चुनौतियाँ पेश हुई है।
- साइबर युद्ध:
  - वर्तमान में 'संगठित साइबर अपराध', तकनीकी शीत युद्ध और बढ़ते 'राज्य प्रायोजित साइबर हमलों' के खतरे सामने आए हैं, जिनसे सुरक्षा के लिये मौजूदा साइबर अवसंरचनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- चीन के साथ तनाव के बाद स्वतंत्रता दिवस पर घोषित ये परियोजनाएँ 'डिजिटल इंडिया' पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने, दीर्घकालिक डिजिटल सुरक्षा को मज़बूत बनाने तथा देश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी।

नोट :

असम समझौते के खंड 6 पर रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

असमिया व्यक्ति/लोग कौन हैं ?' यह प्रश्न हमेशा से विवादास्पद रहा है। किंतु हाल ही में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति ने इस संदर्भ में एक परिभाषा सार्वजनिक की है।

प्रमुख बिंदु

- इस 14 सदस्यीय समिति का गठन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिप्लब कुमार सरमा की अध्यक्षता में वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद किया गया था।
- गौरतलब है कि इस समिति ने फरवरी 2020 में असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिये अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं जिसे अब समिति के कुछ सदस्यों द्वारा सार्वजनिक किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि असम समझौते का खंड 6 एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान है जो दशकों से विवादास्पद रहा है। यह खंड असम समझौते की जटिलताओं को उजागर करता है।
- प्रस्तावित परिभाषा वर्ष 1985 के असम समझौते के प्रावधान को लागू करने तक सीमित है।

बहस का विषय क्यों ?

- बांग्लादेश से आ रहे अवैध प्रवासियों के विरोध में छह साल के आंदोलन (1979-85) के अंत में असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते के खंड 6 की भाषा से असमिया कौन है, इस पर प्रश्न उठता है। इस खंड के अनुसार, असम के लोगों को उनकी विरासत, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान की रक्षा और संरक्षण के लिये 'संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक सुरक्षा, जो भी उपयुक्त हो प्रदान की जायेगी।'
- इससे दो प्रश्न उठते हैं, पहला ये कि 'सुरक्षा उपाय क्या होंगे' और दूसरा 'असमिया लोग' कौन हैं ?
- प्रवासन की राजनीति से परिभाषित इस राज्य में हर कोई शामिल नहीं है। यद्यपि 'असमिया' की परिभाषा इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती है कि इसका अभिप्राय सिर्फ उन लोगों से हो जिनकी प्रथम भाषा असमिया है।
- असम में कई स्थानीय जनजातीय और जातीय समुदाय हैं जिनकी अपनी अलग भाषाएँ हैं। खण्ड 6 में असमिया भाषा से परे 'असमिया' की परिभाषा का विस्तार करना आवश्यक था।
- जो लोग खंड 6 के तहत सुरक्षा उपायों के लिये पात्र नहीं हैं, वे स्पष्ट रूप से प्रवासी वर्ग से होंगे लेकिन क्या समस्त प्रवासी लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा अथवा उनमें से कुछ खंड 6 के तहत लाभ के पात्र होंगे ? इस प्रकार यह एक बहस का विषय बन जाता है।

प्रवासी कौन हैं ?

- लोक चर्चाओं में 'स्थानीय' का अर्थ उन समुदायों से है जिनका संबंध वर्ष 1826 से पहले असम से रहा हैं। वर्ष 1826 में ही भूतपूर्व असम राज्य ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वी बंगाल से बड़े पैमाने पर असम में प्रवासन हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् बड़ी संख्या में बंगाल से असम में प्रवासन हुआ।
- बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू प्रवासी एक दिन स्थानीय आबादी से अधिक हो जाएंगे और राज्य के संसाधनों तथा राजनीति पर हावी हो जाएंगे, की आशंकाओं ने वर्ष 1979-85 के असम आंदोलन को जन्म दिया।
- इस आंदोलन के दौरान वर्ष 1951 के पश्चात् पलायन करने वालों का पता लगाने और उनके निर्वासन की माँग की गई थी।
- असम समझौते में वर्ष 1951 की जगह 24 मार्च, 1971 की तिथि तय की गई, जो कोई भी इस तिथि से पहले असम में आया, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यह तिथि वर्ष 2019 में जारी 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स' (NRC) का आधार भी थी।
- चूँकि इस समझौते ने वर्ष 1951 की मूल माँग के बजाय अतिरिक्त प्रवासियों (1951-71) को भी वैध कर दिया इसलिये समझौते के खंड 6 को स्थानीय लोगों हेतु एक सुरक्षा कवच के रूप में शामिल किया गया था।

नोट :

खण्ड 6 की स्थिति क्या रही है ?

- खण्ड 6 में शामिल जटिलताओं की वजह से एक रूपरेखा तैयार करने के पिछले प्रयासों में बहुत कम बढ़त हासिल हुई है।
- पिछले वर्ष असमिया लोगों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक (जो कि अब एक अधिनियम है) के विरोध में इस मामले पर तत्काल प्रभाव पड़ा, जिससे कुछ श्रेणियों के प्रवासियों के लिये भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाता है- बांग्लादेश के हिंदू इनमें मुख्य हैं।
- इसलिये गृह मंत्रालय ने एक नई समिति गठित की जिसने फरवरी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। हालाँकि सरकार ने महीनों तक इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया जिसके कारण समिति के 14 सदस्यों में से चार ने स्वयं के पास उपलब्ध जानकरी सार्वजनिक कर दी।

मुख्य सिफारिशें

- खण्ड 6 के कार्यान्वयन के उद्देश्य से प्रस्तावित परिभाषा में स्थानीय आदिवासी, अन्य स्थानीय समुदाय तथा भारत के सभी अन्य ऐसे नागरिक शामिल हैं जो 1 जनवरी, 1951 या उससे पहले से असम में रह रहे हैं अथवा जो स्थानीय असमियाओं के वंशज हैं।
- संक्षेप में कहें तो यह परिभाषा ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल करती है जो वर्ष 1951 से पहले असम में अपनी उपस्थिति (या अपने पूर्वजों की) साबित कर सकता है।
- सुरक्षा उपायों में 'असमिया लोगों' के लिये विधायिका और नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश के साथ ही 'भूमि अधिकार असमिया लोगों लिये सीमित हैं' जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- वर्ष 1951 के पश्चात लेकिन 24 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले प्रवासी असमिया नहीं हैं लेकिन वे भारतीय नागरिक हैं। उदाहरण के लिये, वे असम की 80-100% सीटों पर चुनाव लड़ने के लिये पात्र नहीं होंगे (यदि यह समिति कि सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं) हालाँकि वे मतदान कर सकते हैं।
- सिर्फ स्थानीय समूह ही नहीं, बल्कि 1951 से पहले असम में प्रवेश करने वाले पूर्वी बंगाल के प्रवासियों को भी असमिया माना जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश: 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दो स्वायत्त परिषदों (Autonomous Councils) द्वारा पूरे अरुणाचल प्रदेश को संविधान की 6 वीं अनुसूची (6th Schedule) या अनुच्छेद 371 (ए) (Article 371 (A) के दायरे में लाने की मांग की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश न तो 5 वीं अनुसूची में शामिल है और न ही 6 वीं अनुसूची के अंतर्गत है। यह इनर लाइन परमिट (Inner Line Permit- ILP) प्रणाली के अंतर्गत है।
- 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में लागू है।
- 5वीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के क्षेत्र शामिल हैं।
  - दूसरी ओर, नगालैंड में अनुच्छेद 371 ए लागू होता है जो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है।
- 6 वीं अनुसूची: संविधान की 6 वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान करती है।
  - यह विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 (1) के तहत प्रदान किया गया है।
  - उपर्युक्त राज्यों में जनजातियों द्वारा राज्यों के अन्य लोगों की जीवन शैली को बहुत अधिक आत्मसात नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में अभी भी नृवैज्ञानिक प्रतिरूपों (Anthropological Specimens) की उपस्थिति है।
- संविधान सभा द्वारा गठित बोरदोलोई समिति (Bordoloi Committee) की रिपोर्टों के आधार पर, 6वीं अनुसूची को पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्रों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिये तैयार किया गया था।
  - समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये एक प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है।

नोट :

- इस रिपोर्ट में मैदानी इलाकों के लोगों के शोषण से इन आदिवासी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये तथा उनके विशिष्ट सामाजिक रीति-रिवाज़ों के संरक्षण का आह्वान किया गया।

6 वीं अनुसूची में प्रशासन:

- 6 वीं अनुसूची क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। स्वायत्त ज़िलों को राज्य विधान मंडल के भीतर स्वायत्तता का अलग दर्ज़ा प्रदान किया जाता है।
  - 10 स्वायत्त ज़िले हैं, जिनमें असम, मेघालय और मिज़ोरम प्रत्येक में तीन-तीन एवं एक त्रिपुरा में है।
  - प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक अलग क्षेत्रीय परिषद भी हो सकती है।
- आदिवासियों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद (Autonomous Regional Council) एवं स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs) के माध्यम से विधायी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।
  - ADCs को नागरिक और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वे राज्यपाल से उचित अनुमोदन प्राप्त होने पर भूमि, वन, मत्स्य, सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे विषयों पर भी कानून बना सकती हैं।
- संसद एवं राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित अधिनियमों को इन क्षेत्रों में तब तक लागू नहीं किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के लिये कानूनों में संशोधन के साथ या इसके बिना उसे अनुमोदित नहीं कर दे।
- राज्यपाल का नियंत्रण: विभिन्न स्वायत्तता के बावजूद, 6 वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं है।
  - राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों का निर्माण करने एवं उन्हें पुन: व्यवस्थित करने का अधिकार प्राप्त है। वह स्वायत्त ज़िलों के क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या उनके नाम परिवर्तित कर सकता है या उनकी सीमाओं को परिभाषित कर सकता है।
  - यदि एक स्वायत्त ज़िले में विभिन्न जनजातियाँ विद्यमान हैं, तो राज्यपाल ज़िले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में भी विभाजित कर सकता है।

स्वायत्त परिषदों की संरचना:

- प्रत्येक स्वायत्त ज़िला एवं क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें चार को राज्यपाल द्वारा एवं अन्य सदस्यों को चुनाव के माध्यम से नामित किया जाता है। ये सभी पाँच वर्ष के लिये सत्ता में बने रहते हैं।
- हालाँकि, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय परिषद 46 सदस्यों से मिलकर बनी है।

अनुच्छेद 371 ए:

- जब तक कि राज्य विधानसभा द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नगालैंड पर लागू नहीं होंगे:
  - नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथा।
  - नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया।
  - नाग प्रथा कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन।
  - ज़मीन एवं उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण।

पीएम-केयर्स फंड और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में हस्तांतरित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया कि 'ये दोनों फंड उद्देश्य तथा अन्य सभी मामलों में एक-दूसरे से पूर्णत: अलग हैं।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) का ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।

नोट :

- जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की खंडपीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) नाम के NGO द्वारा इस संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया।
- खंडपीठ ने कहा कि 'पीएम-केयर्स फंड में देश के सभी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किये गए कुल योगदान को ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा करने हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये जारी किया जाना है और इस ट्रस्ट को कोई भी बजटीय सहायता या कोई सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है, इसलिये याचिकाकर्त्ताओं द्वारा ट्रस्ट के निर्माण के उद्देश्य पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।
- विवाद
  - सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि न्यायालय सरकार को कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत एक नई राष्ट्रीय योजना बनाने का दिशा-निर्देश दे।
  - साथ ही याचिकाकर्त्ता ने मांग की थी कि पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) के तहत एकत्र की गई संपूर्ण राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत हस्तांतरित कर दिया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
  - खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2019 की राष्ट्रीय योजना में महामारी (Epidemic) के सभी पहलुओं, जिसमें महामारी से निपटने संबंधी सभी उपाय और प्रतिक्रिया आदि, को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।
    - ध्यातव्य है कि यह राष्ट्रीय योजना वर्ष 2016 में बनाई गई थी और नवंबर 2019 में इसे संशोधित तथा अनुमोदित किया गया था।
  - इस लिहाज़ से याचिकाकर्त्ता का तर्क सही नहीं है कि देश में महामारी से निपटने के लिये कोई विस्तृत योजना मौजूद नहीं है।
  - खंडपीठ ने कहा कि COVID-19 एक जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी महामारी है और राष्ट्रीय योजना 2019 में इसे विशेष रूप से कवर किया गया है, संबंधित राष्ट्रीय योजना में इस तहत की महामारी से निपटने के लिये विभिन्न प्रकार की
  - योजनाएँ, दिशा-निर्देश और उपाय सुझाए गए हैं, इस प्रकार देश में COVID-19 से निपटने के लिये योजनाओं और प्रक्रियाओं की कोई कमी नहीं है।
- याचिकाकर्त्ता का तर्क
  - याचिकाकर्त्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि सरकार द्वारा पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) बनाए जाने से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है।
  - याचिकाकर्त्ता ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का ऑडिट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाता है, जबकि पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) का ऑडिट CAG द्वारा नहीं बल्कि किसी निजी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा किया जाता है, जो कि इस फंड की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund)

- इसी वर्ष मार्च माह में केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (Prime Minister's Citizen
- Assistance and Relief in Emergency Situations Fund)' अर्थात् पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) की स्थापना की है।
- पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।
- कोष में राशि की सीमा निर्धारित नही की गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम होंगे।
- यह कोष, आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा।
- पीएम-केयर्स फंड और सूचना का अधिकार
  - हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यकाल (PMO) ने पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) के संबंध में RTI अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना को अधिनियम की ही धारा 7(9) के तहत देने से इनकार कर दिया है।

नोट :

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अनुसार, 'किसी भी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनानुपति (Disproportionately) रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।
- कई विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के इस कदम को RTI अधिनियम की धारा 7(9) के अनुचित उपयोग के रूप में परिभाषित किया है।
- ध्यातव्य है कि 2010 में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, धारा 7 (9) किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का खुलासा करने से छूट नहीं देती है, बल्कि यह किसी अन्य प्रारूप में सूचना प्रदान करने को अनिवार्य करता है।
- इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री कार्यकाल (PMO) ने पीएम-केयर्स फंड को लेकर दायर किये गए तमाम आवेदनों में भी इसके संबंध में सूचना देने से इनकार कर दिया था, इससे पूर्व PMO ने एक आवेदन के जवाब में कहा था कि पीएम-केयर्स फंड सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (Public Authority) नहीं है।

- पीएम-केयर्स फंड संबंधी चिंताएँ
  - यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund) मौजूद है तो फिर एक अन्य फंड का गठन क्यों किया गया है?
  - पीएम-केयर्स फंड के खर्च की सार्वजनिक जाँच को लेकर मौजूद अस्पष्टता के संबंध में कई विशेषज्ञों ने चिंता ज़ाहिर की है।
  - ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे एक 'सार्वजनिक प्राधिकरण' बनाते हैं, उदाहरण के लिये पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसमें पदेन ट्रस्टीयों के रूप में शामिल हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर इसके सार्वजनिक प्राधिकरण होने का संकेत देता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)

- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 के तहत किया गया है।
- इसे किसी भी आपदा की स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के खर्चों को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- यह गंभीर प्राकृतिक आपदा के मामले में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की सहायता करता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।
- ध्यातव्य है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) NDRF के खातों को ऑडिट करता है।

भारत और कैंसर

चर्चा में क्यों ?

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (National Centre for Disease Informatics and Research-NCDIR) द्वारा जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार,, वर्तमान प्रवृत्तियों के लिहाज़ से वर्ष 2025 तक भारत में कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 15.6 लाख होने की संभावना है, इस प्रकार वर्ष 2025 तक वर्तमान अनुमानित मामलों में तकरीबन 12 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में कैंसर के कुल मामलों में तंबाकू के कारण होने वाले कैंसर का योगदान अनुमानत: 27.1 प्रतिशत हो सकता है।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू जनित कैंसर देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सबसे अधिक है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2020 के अंत तक देश में कैंसर के कुल मामले 13.9 लाख तक पहुँच जाएंगे, अनुमान के मुताबिक वर्ष में तंबाकू जनित कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या 3.7 लाख से अधिक हो सकती है।

नोट :

- पुरुषों में फेफड़े, मुंह, पेट और ग्रासनली (Oesophagus) के कैंसर सबसे आम कैंसर हैं, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर (Breast Cancers) तथा गर्भाशय ग्रीवा (Uterine Cervix) कैंसर काफी आम हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश भर की महिलाओं में स्तन कैंसर के कुल 2.0 लाख (14.8 प्रतिशत) और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के कुल 0.75 लाख (5.4 प्रतिशत) मामले होने का अनुमान है।
  - वहीं देश भर के पुरुषों और महिलाओं दोनों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर (Gastrointestinal Cancer) के कुल मामले लगभग 2.7 लाख (19.7 प्रतिशत) हैं।
- भारत में प्रति एक लाख पुरुषों पर कैंसर की सबसे अधिक दर (269.4) मिज़ोरम के आइज़ोल (Aizawl) में पाई गई, जबकि कैंसर की सबसे कम दर (39.5) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड ज़िले में दर्ज की गई।
- इसी तरह भारत में प्रति एक लाख महिलाओं पर कैंसर की सबसे अधिक दर (219.8) अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे ज़िला (Papumpare District) में पाई गई, जबकि कैंसर की सबसे कम दर (49.4) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड ज़िले में ही दर्ज की गई।
- तंबाकू के किसी भी प्रकार के उपयोग से संबंधित कैंसर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और खासतौर पर पुरुषों में सबसे अधिक पाया गया।

कैंसर का अर्थ ?

- सामान्य शब्दों में कहें तो कैंसर (Cancer) शब्द का प्रयोग कई सारी बीमारियों के एक समूह के लिये किया जाता है। यह शरीर में लगभग कहीं भी विकसित हो सकता है।
- आमतौर पर, मानव कोशिकाएँ बढ़ती हैं और मानव शरीर की आवश्यकता के अनुरूप नई कोशिकाओं को बनाने के लिये विभाजित होती हैं।
- जब कोशिकाएँ पुरानी हो जाती हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वे स्वत: ही मर जाती हैं और नई कोशिकाएँ उनका स्थान ले लेती हैं।
- हालाँकि कैंसर की स्थिति में यह क्रमबद्ध प्रक्रिया बाधित हो जाती है, ऐसी स्थिति में पुरानी अथवा क्षतिग्रस्त कोशिकाएँ समाप्त नहीं होती हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि एक नई कोशिका उस समय विकसित हो जाए जब उसकी आवश्यकता न हो।
- यही अतिरिक्त कोशिकाएँ बिना रूके विभाजित होती रहती हैं और 'ट्यूमर' (Tumors) का निर्माण कर सकती हैं।

कैंसर के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- भौतिक कारक, जैसे- पराबैंगनी और आयनकारी विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर होने का खतरा रहता है।
- रासायनिक कारक, जैसे- एस्बेस्टस, तंबाकू के धुएँ के घटक, एफ्लाटॉक्सिन (एक खाद्य संदूषक) और आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है।
- जैविक कारक, जैसे- वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी से संक्रमण भी कैंसर का एक प्रमुख कारण है।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान समय में कैंसर की बीमारी विश्व में भयानक रूप ले चुकी है, विशेषत: भारत में यह मौत के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है। जो आज भी चिंता का कारण बना हुआ है।
- विश्व भर में 4 फरवरी को वैश्विक कैंसर दिवस मनाया जाता है। भारत में इसकी आक्रामकता को देखते हुए और लोगों को जागरूक करने हेतु वर्ष 2014 से कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान शुरु किया गया है। जिसके तहत हर वर्ष 7 नवंबर को देश-भर में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
- भारत में जितनी तेज़ी से यह बीमारी फैल रही है उस हिसाब से देश में इसके उपचार की व्यवस्था नहीं हैं। बीमारी से बचने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसके प्रति जागरूकता लाई जाए।
- कैंसर के संभावित लक्षणों एवं इससे बचाव के प्रति जागरूकता से कैंसर का प्राथमिक स्तर पर ही इलाज संभव हो सकता है, जिससे शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से कम हानि होगी। अगर इसका पता देर से चलता है तो उपचार मुश्किल और महंगा हो जाता है।

नोट :

धन्वंतरि रथ: आयुर्वेद संबंधी स्वास्थ्य सेवाएँ

चर्चा में क्यों ?

दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में संरक्षणकारी और संवर्द्धनकारी स्वास्थ्य सेवाओं की आयुर्वेदिक पद्धति पहुँचाने के लिये दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda-AIIA) ने एक MoU पर हस्ताक्षर किये हैं। ये सेवाएँ 'धन्वंतरि रथ' नामक एक चलती-फिरती इकाई तथा पुलिस कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- धन्वंतरि रथ और पुलिस कल्याण केंद्रों की पहुँच AIIA की OPD (OutPatient Department) सेवाओं तक होंगी और इनका लक्ष्य आयुर्वेदिक निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से दिल्ली पुलिस के परिवारों को लाभान्वित करना है।
- धन्वंतरि रथ- आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की चलती-फिरती इकाई में डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेगी।
  - इन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से विभिन्न रोगों के प्रसार और अस्पतालों में रेफरल की संख्या को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे रोगियों की संख्या के साथ-साथ स्वास्थ्य प्रणालियों की लागत में भी कमी आएगी।
- इससे पहले, AIIA और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में आयुरक्षा-AYURAKSHA की शुरुआत की गई थी, इसे आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस के कर्मियों जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिये शुरू किया गया था।

आयुर्वेद (Ayurveda)

- आयुर्वेद 'आयु' और 'वेद' नामक दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जीवन विज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के उद्देश्यों यथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिये स्वास्थ्य पूर्वापेक्षित है।
- यह मानव के सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पहलुओं का समाकलन करता है, क्योंकि ये सभी एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
- आयुर्वेद तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित कर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद में न केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है, जिससे जीवन लंबा और खुशहाल हो जाता है।
- आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्त्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, परन्तु यदि इनका संतुलन बिगड़ता है, तो बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है। अत: आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्त्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है, ताकि व्यक्ति सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो।
  - अथर्ववेद मुख्य रूप से व्यापक आयुर्वेदिक जानकारी से संबंधित है। इसीलिये आयुर्वेद को अथर्ववेद की उप-शाखा कहा जाता है।
- आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) मंत्रालय का गठन वर्ष 2014 में स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने के लिये किया गया था।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda)

- यह आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसकी कल्पना आयुर्वेद के लिये एक शीर्ष संस्थान के रूप में की गई है।
- इसका लक्ष्य आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी के बीच एक तालमेल स्थापित करना है।
- यह संस्थान आयुर्वेद के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करने के साथ-साथ आयुर्वेद, औषधि विकास, मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन और आयुर्वेदिक चिकित्सा के वैज्ञानिक सत्यापन के मौलिक अनुसंधान पर केंद्रित है।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।

नोट :

जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी नौकरियाँ राज्य के "बच्चों" के लिये आरक्षित होंगी और इसके लिये कानूनी प्रावधान तैयार किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के विरुद्ध तर्क:.
  - भारत के संविधान में अनुच्छेद-16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को संदर्भित करता है।
    - अनुच्छेद 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।
    - अनुच्छेद 16 (2) के अनुसार, राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा।
  - अधिवास और निवास के आधार पर आरक्षण का अर्थ भेदभाव होगा क्योंकि मात्र न्यूनतम प्रस्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है।
  - इस तरह की संकीर्णता क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र की एकता के लिये खतरा है।
- जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण प्रदान करने के पक्ष में तर्क:
  - अनुच्छेद 16(3), निवास (न कि जन्म स्थान) के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में प्रावधान करने की अनुमति देता है।
    - प्राय: कुछ राज्य स्थानीय लोगों के लिये सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के लिये कानून में मौजूद खामियों का उपयोग करते रहते हैं। इसके लिये वे भाषा या एक निश्चित अवधि के लिये राज्य में निवास/अध्ययन का प्रमाण जैसे मानदंडों का इस्तेमाल करते हैं।
    - महाराष्ट्र में केवल मराठी भाषा में निपुण 15 वर्षों से राज्य में रहने वाले लोगों को पात्र माना जाता हैं।
    - जम्मू और कश्मीर में भी सरकारी नौकरियाँ केवल "अधिवासियों" के लिये आरक्षित है।
    - पश्चिम बंगाल में कुछ पदों पर भर्ती के लिये बंगाली में पढ़ना और लिखना आना एक महत्त्वपूर्ण मापदंड है।
    - वर्ष 2019 में कर्नाटक सरकार ने राज्य में लिपिकों और कारखाने की नौकरियों में निजी नियोक्ताओं को कन्नड़ लोगों को "प्राथमिकता" देने के लिये एक अधिसूचना जारी की।
  - इस संदर्भ में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि राज्य के निवासियों को अधिमान्य उपचार देने से राज्य के संसाधनों के सही आवंटन में मदद मिलेगी और लोगों को अपने राज्य की सीमाओं के भीतर काम करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
  - इससे पिछड़े राज्यों से महानगरों में लोगों के प्रवास को रोकने के तरीके के रूप में भी देखा जाता है, जिससे ऐसे शहरों पर बोझ कम हो जाता है।

अधिवास स्थिति और जन्म स्थान के बीच का अंतर

- डी.पी. जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में सर्वोच्च न्यायालय (SC) के निर्णयानुसार, अधिवास या निवास स्थान एक प्रवाही अवधारणा है अर्थात् जन्म स्थान के विपरीत यह समय-समय पर बदल सकती है, परंतु जन्म स्थान निश्चित होता है।
- अधिवास का अर्थ है किसी व्यक्ति का स्थायी निवास।
- जन्म स्थान उन आधारों में से एक है जिस पर अधिवास का दर्जा दिया जाता है।

SC का निर्णय:

- वर्ष 2019 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी एक भर्ती अधिसूचना पर रोक लगा दी थी, जिसमें उन महिलाओं के लिये वरीयता निर्धारित की गई थी जो राज्य की "मूल निवासी" थी।

नोट :

- कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य मामले, 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 'निवास' चाहे राज्य, ज़िले या किसी अन्य क्षेत्र में हो, अधिमान्य आरक्षण या उपचार का आधार नहीं हो सकता।
- संविधान विशेष रूप से जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने डीपी जोशी बनाम मध्य भारत मामले (1955) में अधिवास आरक्षण को, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों में, संवैधानिक माना है।

आगे की राह

- राज्य में जन्म लेने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण देने का कदम संवैधानिक समानता और बंधुत्त्व की भावना के विरुद्ध है। जैसाकि हमेशा देखा गया है इस तरह के राजनीतिक रूप से प्रेरित निर्णय को न्यायपालिका द्वारा पलट दिया जाता है, अतीत में भी कई बार ऐसा हुआ है। संभवत: इस बार भी ऐसा ही हो।
- इसके अलावा सरकार गारंटी के रूप में रोज़गार प्रदान करने वाली कोई एजेंसी नहीं है, बल्कि एक प्राधिकरण है जो अपनी नीतियों के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करता है। इस प्रकार के निर्णय लेते समय सरकार को संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखना चाहिये।

रोज़गार संबंधी आंकड़े:CMIE

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Centre for Monitoring Indian Economy-CMIE) ने COVID-19 लॉकडाउन अवधि (अप्रैल-जुलाई 2020) के दौरान प्राप्त अथवा खोई गई नौकरियों से संबंधित डेटा जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- वेतनभोगी नौकरियाँ:
  - अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान इस श्रेणी में कुल 18.9 मिलियन का नुकसान हुआ।
    - अप्रैल में 17.7 मिलियन वेतनभोगी नौकरियों का नुकसान हुआ। जून में 3.9 मिलियन नौकरियाँ प्राप्त करने के बाद, जुलाई में 5 मिलियन नौकरियाँ फिर से खो गईं।
  - रोज़गार की इस श्रेणी के अंतर्गत रोज़गार की बेहतर शर्तों के साथ-साथ बेहतर वेतन प्राप्त होता है, और ग्रामीण भागों की तुलना में देश के शहरी हिस्सों में इनकी हिस्सेदारी भी अधिक होती हैं।
  - ये आर्थिक झटकों के प्रति अधिक लचीलापन लिये होती हैं और ये आसानी से नष्ट नहीं होती हैं, हालाँकि एक बार खो जाने के बाद इन्हें पुन: प्राप्त करना अधिक कठिन होता है।
  - भारत में कुल रोज़गार का केवल 21% वेतनभोगी रोज़गार के रूप में मौजूद है।
  - शहरी वेतनभोगी नौकरियों की हानि से अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवारों को भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
    - चूँकि लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई क्षेत्रों की कंपनियों ने वेतन में कटौती और बिना वेतन के अवकाश के साथ-साथ नौकरी में कटौती जैसे कदम उठाए हैं।
- अनौपचारिक और गैर-वेतनभोगी नौकरियाँ (Informal and Non-Salaried Jobs):
  - इस श्रेणी में अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान सुधार हुआ जो जुलाई 2020 में बढ़कर 325.6 मिलियन हो गया, जबकि 2019 में यह 317.6 मिलियन था अर्थात् इस श्रेणी में कुल 2.5% की वृद्धि हुई।
    - इसका प्रमुख कारण लॉकडाउन का चरणबद्ध तरीके से खुलना है।
- गैर-वेतनभोगी नौकरियाँ:
  - रोज़गार की इस श्रेणी में कुल रोज़गार का लगभग 32% हिस्सा शामिल होता था लेकिन अप्रैल 2020 में इसमें 75% की कमी देखने को मिली।
    - अप्रैल 2020 में खोई कुल 121.5 मिलियन नौकरियों में से 91.2 मिलियन नौकरियाँ इसी श्रेणी से है।
    - छोटे व्यापारियों, फेरीवालों और दिहाड़ी मज़दूरों को लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ।

नोट :

- कृषि क्षेत्र से जुड़ी नौकरियाँ:
  - गैर-कृषि क्षेत्रों में नौकरियों की कमी के कारण लोग कृषि रोज़गार की ओर बढ़ रहे हैं। अप्रैल-जुलाई 2020 की अवधि में कृषि क्षेत्र में 14.9 मिलियन रोज़गार प्राप्त हुए।
  - वर्ष 2019 में भारत में 42.39% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत था।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी

- CMIE एक प्रमुख व्यावसायिक इन्फोर्मेशन कंपनी है। वर्ष 1976 में इसे मुख्य रूप से स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था।
- CMIE आर्थिक और व्यावसायिक डेटाबेस उपलब्ध कराता है और निर्णयन तथा अनुसंधान के लिये विशेष विश्लेषणात्मक उपकरण विकसित करता है। यह अर्थव्यवस्था में नित नए रूझानों को समझने के लिये डेटा का विश्लेषण करता है।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिये भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (National Recruitment Agency- NRA) के गठन को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- नई व्यवस्था के अनुसार, सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा (Common Eligibility Test-CET) में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिये किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे।
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) एक बहु-एजेंसी निकाय होगी, जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB तथा IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA), केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी।

मुख्य विशेषताएँ

- सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) मुख्यत: तीन स्तरों पर आयोजित की जाएगी- स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं उत्तीर्ण) और मैट्रिक (10वीं उत्तीर्ण)।
- SSC, RRB तथा IBPS जैसी एजेंसियाँ यथावत बनी रहेंगी। सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के अंकों के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया के लिये परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसी (SSC, RRB तथा IBPS) द्वारा किया जाएगा।
- देश के प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्र स्थापित किये जाएंगे, जिससे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफी लाभ प्राप्त होगा।
  - देश भर के 117 'आकांक्षी ज़िलों' (Aspirational Districts) में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जिससे आगे चलकर उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने में मदद मिलेगी।
- उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिये वैध होंगे।
- सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियाँ करते हैं।

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) का दायरा

- शुरुआत में, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा ग्रुप B और C (गैर-तकनीकी) पदों के लिये उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट करने हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) का आयोजन किया जाएगा

नोट :

- हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) द्वारा शुरुआत में उन परीक्षाओं के लिये सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) का आयोजन किया जाएगा, जो मुख्यत: अब कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (SSC) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- बाद में इस बहु-एजेंसी निकाय के अंतर्गत कई अन्य परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है।

आवश्यकता

- वर्तमान में, सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता के समान शर्तों वाले विभिन्न पदों के लिये अलग-अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित भिन्न-भिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है, जिसके कारण उम्मीदवारों को अलग-अलग एजेंसियों के अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है और साथ ही उम्मीदवारों को परीक्षा में हिस्सा लेने के लिये लंबी दूरी भी तय करनी पड़ती है, इससे उम्मीदवारों पर आर्थिक बोझ काफी हद तक बढ़ जाता है।
- इसके अलावा अलग-अलग भर्ती परीक्षाएँ उम्मीदवारों के साथ-साथ परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एजेंसियों पर भी कार्य के बोझ को बढ़ा देती हैं, जिसमें बार-बार होने वाला खर्च, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा केंद्रों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
- आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 1.25 लाख सरकारी नौकरियों का विज्ञापन किया जाता है, जिनमें तकरीबन 2.5 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं।

महत्त्व

- सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के माध्यम से उम्मीदवारों के लिये कई परीक्षाओं में उपस्थित होने की परेशानी को दूर किया जा सकेगा।
- चूँकि परीक्षा केंद्र सभी ज़िलों में स्थापित किये जाएंगे, इससे दूर-दराज़ के क्षेत्र में रहने वाले उम्मीदवार भी परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित होंगे और इस प्रकार भविष्य में केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा मिलेगा।
  - प्रत्येक ज़िले में परीक्षा केंद्रों की अवस्थिति से सामान्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों तथा विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को भी अधिक लाभ होगा।
  - रोज़गार के अवसरों को लोगों तक पहुँचाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे युवाओं की जिंदगी और आसन हो जाएगी।
- वर्तमान में, उम्मीदवारों को बहु-एजेंसियों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना होता है। परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त उम्मीदवारों को यात्रा, रहने-ठहरने और अन्य चीजों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) जैसी एकल परीक्षा से काफी हद तक उम्मीदवारों पर वित्तीय बोझ कम होगा।
- सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) अनेक भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों को परीक्षा में बैठने और चयनित होने के समान अवसर को प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाएगा।
- सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) के लिये 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस व्यय को तीन वर्षों की अवधि में खर्च किया जाएगाI।
- इससे परीक्षा के प्रारूप में मानकीकरण स्थापित किया जा सकेगा।
- सामान्य योग्यता परीक्षा (CET) के माध्यम से परीक्षा आयोजन में विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा किये जाने वाले खर्च में कमी आएगी, एक अनुमान के अनुसार, इसके कार्यान्वयन से लगभग 600 करोड़ रुपए की बचत की उम्मीद है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020

चर्चा में क्यों ?

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs- MoHUA) द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (Swachh Survekshan 2020) के परिणामों की घोषणा की।

नोट :

सर्वेक्षण के प्रमुख बिंदु

- आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किये गए इस वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश के इंदौर (Indore) शहर को लगातार चौथी बार (1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में) देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है।
  - वहीं इस श्रेणी में सूरत और नवी मुंबई को क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ।
- गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला, जिसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार का स्थान है।
- 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि दूसरा और तीसरा स्थान क्रमश: महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ।
- 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को देश के सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जिसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।
- नई दिल्ली को देश की सबसे 'स्वच्छ राजधानी शहर' की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ।
- जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ, जबकि दिल्ली छावनी बोर्ड और मेरठ छावनी बोर्ड ने क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया।

वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2020

- वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण, एक अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण है जो भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकित करता है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 देश के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का पांचवाँ संस्करण है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 में आयोजित वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण में कुल 4242 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 62 छावनी बोर्ड और 97 गंगा नदी के किनारे बसे शहर भी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिये शहरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoUHA) ने वर्ष 2016 में शहरों की वार्षिक रैंकिंग की शुरुआत की थी।
- वर्ष 2016 में आयोजित किये गए पहले स्वच्छ सर्वेक्षण में कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था और आने वाले वर्षों में इस सर्वेक्षण के दायरे को विस्तृत किया गया और इसके अंतर्गत कई अन्य शहर भी शामिल किये गए।
  - वर्ष 2017 में आयोजित दूसरे स्वच्छ सर्वेक्षण में 434 शहर शामिल थे, जबकि वर्ष 2018 में आयोजित तीसरे स्वच्छ सर्वेक्षण में 4203 शहर शामिल किये गए और वर्ष 2019 में आयोजित सर्वेक्षण के चौथे संस्करण में 4237 शहर शामिल किये गए।

उद्देश्य

- इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और कस्बों और शहरों को रहने के लिये एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में एक साथ काम करने के महत्त्व के बारे में समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
- इसके अलावा इस सर्वेक्षण का उद्देश्य देश के सभी कस्बों और शहरों में सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना भी है।
- वर्ष 2016 में इस वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत एक स्वच्छता निगरानी उपकरण के रूप में की गई थी, किंतु वर्तमान में यह समय के साथ स्वच्छता के संस्थायन (Institutionalization) पर केंद्रित एक उपकरण के रूप में विकसित हो गया है।

नोट :

वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति: 2020-2025 (National Strategy for Financial Education: 2020-2025) जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- वित्तीय शिक्षा के लिये राष्ट्रीय रणनीति (NSFE) का यह दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण वर्ष 2013 में जारी किया गया था।

वित्तीय साक्षरता (Financial literacy):

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Organization for Economic Co-operation & Development-OECD) के अनुसार, वित्तीय निर्णय लेने के लिये या व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण हासिल करने के लिये इसे वित्तीय जागरूकता, ज्ञान,कौशल, दृष्टिकोण और आवश्यक व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

वित्तीय शिक्षा (Financial Education):

- इसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं एवं जोखिमों से संबंधित अपनी जानकारी में सुधार करते हैं और सूचना, निर्देश या उद्देश्य के माध्यम से वित्तीय जोखिमों एवंअवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनने के लिये कौशल एवं आत्मविश्वास विकसित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त सूचित विकल्प बनाने के लिये या यह जानने के लिये कि मदद के लिये कहाँ जाना है और वित्तीय कल्याण में सुधार करने के लिये अन्य प्रभावी कार्रवाई करना है।
- वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिये इस NSFE को नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (National Centre for Financial Education- NCFE) द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy- TGFIFL) के तत्त्वाधान में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामकों जैसे- भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI), पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) आदि के परामर्श से तैयार किया गया है।

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (NCFE):

- यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA द्वारा प्रवर्तित गैर लाभकारी कंपनी है।
- यह धन का बेहतर प्रबंधन करने और भविष्य की योजना बनाने के लिये पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण एवं व्यवहार विकसित करने हेतु जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाने के लिये बहु-हितधारक के नेतृत्त्व वाले दृष्टिकोण पर ज़ोर देती है।
- इसने देश में वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिये 5'C दृष्टिकोण की सिफारिश की है।
  - सामग्री (Content): जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिये वित्तीय साक्षरता सामग्री।
  - क्षमता (Capacity): वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिये क्षमता एवं आचार संहिता का विकास करना।
  - समुदाय (Community): विकसित समुदाय द्वारा वित्तीय साक्षरता को स्थायी रूप से प्रसारित करने के लिये नेतृत्व करना।
  - संचार (Communication): वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिये तकनीक, मीडिया एवं संचार के नवीन तरीकों का उपयोग करना।
  - सहयोग (Collaboration): वित्तीय साक्षरता के लिये अन्य हितधारकों के प्रयासों को कारगर बनाना।

रणनीतिक उद्देश्य (Strategic Objectives):

- वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता की अवधारणा को एक महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल का हिस्सा बनाना।
- सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना।

नोट :

- वित्तीय लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिये वित्तीय बाज़ारों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- साख अनुशासन विकसित करना और आवश्यकतानुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से क्रेडिट प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- सुरक्षित तरीके से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार करना।
- प्रासंगिक एवं उपयुक्त बीमा कवर के माध्यम से विभिन्न जीवन चरणों में जोखिम का प्रबंधन करना।
- उपयुक्त पेंशन योजनाओं के माध्यम से वृद्धावस्था एवं सेवानिवृत्ति की योजना तैयार करना।
- शिकायत निवारण के तरीके, अधिकार और कर्तव्य के बारे में ज्ञान देना।
- वित्तीय शिक्षा में प्रगति का आकलन करने के लिये अनुसंधान एवं मूल्यांकन के तरीकों में सुधार करना।
- इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि प्रगति के आकलन के लिये एक मज़बूत निगरानी एवं मूल्यांकन ढाँचे को अपनाया जाना चाहिये।
  - TGFIFL, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC) की देखरेख में समय-समय पर निगरानी एवं NSEF के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  - TGFIL को FSDC द्वारा नवंबर 2011 में स्थापित किया गया था।

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिये वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion- NSFI) भी जारी की है।

- यह एक महत्त्वाकांक्षी रणनीति है जिसका उद्देश्य मार्च, 2022 तक कम नकदी वाले समाज की ओर बढ़ने हेतु आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये सभी टियर-II से टियर-VI केंद्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विभिन्न तरीकों के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करना है।

आगे की राह:

- भारत ने पिछले कई वर्षों में अपने नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करने के लिये अभूतपूर्व प्रगति की है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिये कई महत्त्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है जैसे- प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान धन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
- विश्व बैंक की फिंडेक्स 2017 रिपोर्ट (Findex 2017 Report) ने बताया गया है कि भारत में औपचारिक खाते वाले वयस्कों का अनुपात वर्ष 2011 में 35% से बढ़कर वर्ष 2017 में 80% हो गया है।
- हालाँकि देश को अभी भी एक सम्मानजनक वित्तीय साक्षरता दर प्राप्त करने के लिये लंबा रास्ता तय करना होगा जो समावेशी विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (Prime Minister Employment Generation Program- PMEGP) के कार्यान्वयन में काफी प्रगति देखने को मिली है।

प्रमुख बिंदु:

- हाल ही में जारी आंकड़ों (1 अप्रैल से 18 अगस्त तक) के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले पाँच महीनों में इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति में 44% की वृद्धि देखने को मिली है।
- 1 अप्रैल के बाद से 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' द्वारा बैंकों से वित्तपोषण हेतु 1.03 लाख आवेदनों को मंज़ूरी दी गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में मात्र 71,556 परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिये मंज़ूरी दी गई थी।
- चालू वित्तीय वर्ष में 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या में 5% की वृद्धि देखने को मिली है।

नोट :

- इस वर्ष 1 अप्रैल से 18 अगस्त के बीच 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' के तहत 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' को 1,78,003 आवेदन प्राप्त हुए जबकि इसी अवधि के दौरान वर्ष 2019 में 1,68,848 आवेदन प्राप्त हुए थे।

'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister Employment Generation Program-PMEGP)

- 'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (PMRY) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी।
- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' के तहत संचालित इस योजना का क्रियान्वयन 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग' (Khadi and Village Industries Commission- KVIC) द्वारा किया जाता है।

उद्देश्य:

- स्वरोज़गार से जुड़े नए उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ युवाओं के पलायन को रोकने के लिये देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार युवाओं और कलाकारों के लिये स्थायी रोज़गार का प्रबंध करना।

पात्रता:

- कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
- इस कार्यक्रम के तहत केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिये सहायता प्रदान की जाती है।
- इस कार्यक्रम के तहत विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख से अधिक की परियोजनाओं और सेवा क्षेत्र में 5 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये शैक्षणिक योग्यता के तौर पर लाभार्थी को आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही ऐसे स्वयं सहायता समूह जिन्हें किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न मिल रहा हो, 'सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860' के तहत पंजीकृत संस्थान, उत्पादक कोऑपरेटिव सोसायटी और चैरिटेबल ट्रस्ट आदिइसके तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सहायता:

- इसके तहत सामान्य श्रेणी (General Category) के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों 15% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस कार्यक्रम के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिला, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, पहाड़ी और सीमा क्षेत्र, आदि से संबंधित आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की25% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।

परियोजनाओं की मंज़ूरी में आई तेज़ी का कारण:

- 'केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय' द्वारा 28 अप्रैल, 2020 को PMEGP परियोजनाओं की मंज़ूरी के लिये 'ज़िला स्तरीय कार्य दल समिति' (District Level Task Force Committee- DLTFC) की भूमिका को समाप्त करने के लिये परियोजना से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया था।
- PMEGP परियोजनाओं की मंज़ूरी प्रक्रिया में ज़िला कलेक्टर की अध्यक्षता में DLTFC के शामिल होने से इसमें बहुत अधिक समय लगता था।
- केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग को इस योजना के तहत भावी उद्यमियों के आवेदनों को मंज़ूरी देने और ऋण प्राप्त करने हेतु इसे बैंकों को अग्रेषित करने का कार्य सौंपा गया।
- परियोजनाओं की मंज़ूरी में ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने से इस कार्यक्रम का तीव्र कार्यान्वयन सुनिश्चित संभव हुआ है।

नोट :

परियोजनाओं का वित्तपोषण:

- अगस्त और अप्रैल के बीच में वित्तपोषण बैंकों द्वारा 11,191 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई और आवेदकों को 345.43 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किये गए।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में इसी अवधि के दौरान 9,161 परियोजनाओं के लिये मात्र 276.09 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में वितरित किये गए थे।

महत्त्व:

- चालू वित्तीय वर्ष में PMEGP परियोजनाओं के कार्यान्वयन में हुई वृद्धि का महत्त्व और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान देश के अधिकांश भागों में COVID-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई थीं।
- बड़ी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृति देना स्थानीय स्तर पर विनिर्माण को बढ़ावा देते हुए लोगों के लिये स्वरोज़गार और स्थायी आजीविका का सृजन करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही इसे संरचनात्मक मुद्दों और 'गैर निष्पादित संपत्तियों (Non-Performing Assets-NPA)' की बढ़ती संख्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
- आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच इस कार्यक्रम के तहत 10,169 रुपए आवंटित किये गए थे जिनमें से 1,537 करोड़ रुपए NPA में बदल गए।
- इस कार्यक्रम के तहत MSME क्षेत्र के उद्यमों में 15% NPA की दर इसी क्षेत्र में वैश्विक NPA दर (11%) से बहुत अधिक है।
- आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिये वार्षिक रूप से एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, परंतु इस योजना में ऐसे किसी लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया है

आगे की राह:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष के अनुसार, बैंकों द्वारा धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये जिससे अधिक-से-अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन और रोज़गार सृजन के लिये समय पर पूंजी का वितरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- वित्तीय सहायता के साथ सरकार द्वारा उद्यमियों को सही बाज़ार और सही उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिये।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971

चर्चा में क्यों

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया।

प्रमुख बिंदु

- अधिवक्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट किया था।
- SC की मानहानि: निर्णय में कहा गया कि ट्वीट ने एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है।
  - यह माना जाता है कि भारतीय न्यायपालिका का प्रतीक होने के नाते, सर्वोच्च न्यायालय पर एक हमले से देश भर में उच्च न्यायालय के साधारण वादी और न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय से विश्वास उठ सकता है।
- न्यायाधीशों का समर्थन नहीं करना: हालांकि न्यायालय ने स्वीकार किया कि उसकी अवमानना शक्तियों का उपयोग केवल कानून की महिमा को बनाए रखने के लिये किया जा सकता है, इसका उपयोग एक व्यक्तिगत न्यायाधीश के खिलाफ नहीं

नोट :

- किया जाना चाहिये जिसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की जाती है।
- शीर्ष न्यायालय को स्वत: संज्ञान (Suo Motu) की अवमानना शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा प्रदान की गई हैं।
- न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act, 1971) न्यायालय की इस शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है।

न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 (Contempt of Court Act of 1971):

- न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना दो प्रकार की होती है:
  - नागरिक अवमानना: न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया या किसी न्यायालय को दिये गए उपकरण के उल्लंघन के प्रति अवज्ञा को नागरिक अवमानना कहते हैं।
  - आपराधिक अवमानना: यह किसी भी मामले का प्रकाशन है या किसी अन्य कार्य को करना है जो किसी भी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण करता है, या किसी भी न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता है, या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रशासन में बाधा डालता है।
- सजा: न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 में दोषी को दंडित किया जा सकता है यह दंड छह महीने का साधारण कारावास या 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकता है।
- संशोधन: इस कानून में वर्ष 2006 में एक रक्षा के रूप में 'सच्चाई और सद्भावना' (Truth And Good Faith) को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया था।

आलोचना:

- इसकी आलोचना भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की याद दिलाने के रूप में की जाती है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से अवमानना कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।
- यह भी कहा जाता है कि इससे न्यायिक पहुँच में कमी आ सकती है।
- विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों में अवमानना के मामले उच्च संख्या में लंबित हैं, जो पहले से ही अतिरिक्त भारयुक्त न्यायपालिका द्वारा न्याय प्रशासन में देरी करते हैं।

विधि आयोग द्वारा समीक्षा:

- विधि आयोग ने वर्ष 2018 में न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 की समीक्षा की और कहा:
  - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की अवमानना की शक्तियाँ अधिनियम, 1971 से स्वतंत्र हैं और उच्च न्यायालयों की अवमानना शक्तियाँ भारत के संविधान के 129 और 215 से ली गई हैं।
    - अनुच्छेद 129: सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इस तरह की न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिये दंडित करने की शक्ति भी होगी।
    - अनुच्छेद 215: प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और इस तरह के न्यायालय को सभी शक्तियाँ होंगी जिसमें वह स्वयं की अवमानना के लिये दंडित करने में सक्षम है।
  - भारत में आपराधिक अवमानना के मामलों की संख्या बहुत अधिक है, जबकि ब्रिटेन में न्यायालय की अवमानना संबंधी अंतिम अपराध वर्ष 1931 में आया था जो ब्रिटेन में इसके उन्मूलन का एक कारण हो सकता है।
  - आयोग ने कहा कि भारत में इस अपराध को समाप्त करने से विधायी अंतर समाप्त हो जाएगा।
  - यह उच्च न्यायालय को अधिकार देता है कि यदि कोई अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना करता है तो वह कार्रवाई करेगा। 1971 अधिनियम में ऐसे उदाहरणों को बाहर करने के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं जो अधिनियम 1971 की धारा 2 (c) के अंतर्गत परिभाषित आपराधिक अवमानना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
  - इस कानून ने लगभग पाँच दशकों तक न्यायिक जाँच का परीक्षण किया है।

नोट :

स्वत: संज्ञान के मामले (Suo Moto Cognizance):

- सुओ मोटो (स्वत: संज्ञान) एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है किसी सरकारी एजेंसी, न्यायालय या अन्य केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्रवाई।
- न्यायालय कानूनी मामले में स्वत: संज्ञान तब लेता है जब वह मीडिया के माध्यम से अधिकारों के उल्लंघन या ड्यूटी के उल्लंघन या किसी तीसरे पक्ष की अधिसूचना के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में क्रमश: लोक हित याचिका (Public Interest Litigation- PIL) दायर करने के प्रावधान है। इसने न्यायालय को किसी मामले के स्वत: संज्ञान पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति दी है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को स्वत: संज्ञान लेने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
  - भारतीय न्यायालयों द्वारा स्वत: संज्ञान लेने की कार्रवाई न्यायिक सक्रियता का प्रतिबिंब है।

बीआईएस द्वारा पेयजल मानक का मसौदा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'भारतीय मानक ब्यूरो' (Bureau of Indian Standards- BIS) ने पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के लिये मानकों का एक मसौदा तैयार किया गया है ।

प्रमुख बिंदु:

- 'पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली- पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सेवा के लिये आवश्यकताएँ' नामक यह मसौदा भारतीय मानक ब्यूरो की 'सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति सेवा अनुभागीय समिति' (Public Drinking Water Supply Services Sectional Committee) द्वारा तैयार किया गया है।
- इस मसौदे में स्त्रोत से लेकर घर के नल तक पानी की आपूर्ति की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है।
- इस मसौदे को केंद्र सरकार द्वारा 'जल जीवन मिशन' के तहत वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

आवश्यक दिशा-निर्देश:

- इस मसौदे में जल आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जिनमें पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति प्रणाली की स्थापना, संचालन, रखरखाव और इससे जुड़े सुधारों को शामिल किया गया है।
- इस मसौदे में निर्धारित प्रक्रिया जल स्त्रोत की पहचान से शुरू होती है, जो भू-जल, सतही जल स्रोत जैसे नदी, झरना या जलाशय हो सकता है।
- जल के प्रसंस्करण के पश्चात जल की गुणवत्ता BIS द्वारा विकसित भारतीय मानक 'आईएस-10500' (IS-10500) के अनुरूप होनी चाहिये।
- आईएस 10500 जल में उपस्थित विभिन्न पदार्थों की स्वीकार्य मात्रा को रेखांकित करता है, जिनमें आर्सेनिक जैसी भारी धातुएँ, पानी में धुलित ठोस पदार्थ, जल का pH मान (pH Value), रंग और गंध आदि मापदंड शामिल हैं।
- इस मसौदे में उपभोक्ताओं के हितों पर विशेष ध्यान, उत्तरदायित्व, सेवा के लिये एक गुणवत्ता नीति स्थापित करने, लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे जल की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है।
- मसौदे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उपचार संयंत्र से प्रत्येक चार घंटे, संयत्र के जलाशयों में एकत्र जल से प्रत्येक आठ घंटे पर जल के नमूने लेकर निर्धारित मानकों पर इसकी जाँच की जानी चाहिये। साथ इस प्रक्रिया के तहत घरों के स्तर पर भी जल के यादृच्छिक नमूने लेकर उनकी जाँच की जानी चाहिये।

नोट :

जल वितरण प्रक्रिया:

- इस मसौदे के अनुसार, जल स्त्रोत की पहचान के बाद जल में निर्धारित मानकों के अनुरूप पीने योग्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिये इसे एक उपचार संयंत्र से गुजारा जाएगा।
- उपचार संयंत्र से निकलने के बाद जल के भंडारण हेतु वितरण प्रणाली में जलाशय होने चाहिये साथ ही वितरण के किसी भी स्तर पर संदूषण (Contamination) से छुटकारा पाने के लिये कीटाणुशोधन सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिये।
- वितरण प्रणाली में पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिये आवश्यकता पड़ने पर पंपिंग स्टेशन या बूस्टर (Booster) का प्रबंध किया जाना चाहिये।
- वितरण प्रणाली में जल के नियंत्रण और निगरानी के लिये मीटर, वाल्व (Valve) और अन्य आवश्यक उपकरण लगाए जाने चाहिये।
- इस मसौदे के अनुसार, वितरण प्रणाली को स्वचालित मोड (Automation Mode) में चलाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।
- जहाँ भी संभव हो वहाँ 'डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया' (District Metering Area- DMA) की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिये।
- बेहतर निगरानी/ऑडिट के लिये आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा जल वितरण प्रणाली में 'बल्क वाटर मीटर' (Bulk Water Meters) की व्यवस्था की जा सकती है, हालाँकि घरेलू मीटर का भी प्रावधान किया जाना चाहिये।
  - मीटर में संभावित छेड़छाड़ से बचने के लिये जल आपूर्तिकर्त्ताओं क यह सुनिश्चित करना होगा कि उपभोक्ताओं तक मीटर की सीधी पहुँच न हो।

'डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया' (District Metering Area- DMA):

- DMA जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने के लिये एक अवधारणा है।
- इसके तहत जल वितरण तंत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया के नाम से जाना जाता है।
- इसके तहत जल रिसाव का पता लगाने के लिये विभाजन बिंदु पर एक 'प्रवाह मीटर' या 'फ्लो मीटर' (Flow Meter) लगा दिया जाता है।

स्वच्छ जल आपूर्ति का संकट:

- वर्ष 2019 में 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा जारी जल गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, देश के विभिन्न शहरों (दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची आदि) में जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप संतोषजनक नहीं पाई गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, देश के 13 राज्यों की राजधानियों (चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, पटना, भोपाल, गुवाहाटी, बंगलूरू, गांधीनगर, लखनऊ, जम्मू, जयपुर, देहरादून, चेन्नई और कोलकाता) में एकत्र नमूनों में जल की गुणवत्ता मानकों के अनुरूपसही नहीं थी।
- मार्च, 2020 में 'केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय' द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कम-से-कम 30 ज़िलों का भू-जल प्रदूषित पाया गया, इन ज़िलों से लिये गए भू-जल के नमूनों में आर्सेनिक, आयरन, लेड,कैडमियम, क्रोमियम, नाइट्रेट जैसी धातुएँ पाई गईं थी।

आगे की राह:

- हाल के वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और तेज़ी से होते औद्योगिक विकास के कारण शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छ जल की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।
- जल के प्रबंधन में तकनीकी और डेटा आधारित पद्धतियों को बढ़ावा देकर तथा जल गुणवत्ता संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर इस समस्या को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है।
- जल की गुणवत्ता के संदर्भ में जागरूकता फैलाने तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 'नीति आयोग' (NITIAayog) द्वारा जारी 'समग्र जल प्रबंधन सूचकांक' (Composite Water Management Index- CWMI) तथा सरकार द्वारा शुरू की गई 'अटल भू-जल योजना' (2019) और 'जल-जीवन मिशन' योजना इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

नोट :

मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली के क्षमता विस्तार पर समझौता

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिये 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-III यात्रियों को उच्च-कार्बन सड़क परिवहन से दूर ले जाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी तथा यात्रियों को कुशल एवं सुविधाजनक रेल-आधारित गतिशीलता की ओर ले जाएगी। इसके अलावा, बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता का महिला यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा।
- परियोजना की कुल अनुमानित लागत 997 मिलियन डॉलर है, जिसमें से 500 मिलियन डॉलर की राशि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB), 310 मिलियन डॉलर महाराष्ट्र सरकार और 187 मिलियन डॉलर रेल मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।
  - एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के माध्यम से लिये जा रहे 500 मिलियन डॉलर के ऋण में 5 वर्ष की छूट अवधि है और कुल 30 वर्ष की परिपक्वता अवधि मौजूद है।

लाभ

- इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों के यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
- अनुमान के अनुसार, इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थियों में 22 प्रतिशत महिला यात्री शामिल हैं जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होंगी।
- यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज़, अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएँ प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेगी।
  - उल्लंघन नियंत्रण उपायों की शुरूआत के माध्यम से यात्रियों और जनता को प्रत्यक्ष सुरक्षा लाभ होगा।

आवश्यकता

- आँकड़ों के अनुसार, मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क प्रति दिन आठ मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता है और यह प्रति वर्ष लगभग 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, इस तरह यह दुनिया के कुछ सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले शहरों में से एक है।
- ऐसे में रेल में सुविधाओं की कमी, घटिया स्टेशनों और गंभीर सुरक्षा चिंताओं आदि ने उपयोगकर्त्ताओं के समक्ष एक गंभीर समस्या पैदा की है।
- आँकड़ों के मुताबिक, तो वर्ष 2002-2012 के बीच, मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर 36,152 से अधिक लोगों की मौत (औसतन 9.9 प्रति दिन) हुई और 36,688 लोगों को चोटें आईं।
- दुर्घटनाओं और मौतों का एक प्रमुख कारण स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में होने वाली भीड़भाड़ के साथ-साथ स्टेशनों पर नियमों का उल्लंघन भी है।

मुंबई महानगर क्षेत्र- जनसंख्या का बढ़ता बोझ

- मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Region) 22.8 मिलियन (वर्ष 2011) की आबादी के साथ, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है और वर्ष 2031 तक यहाँ की आबादी के 29.3 मिलियन और वर्ष 2041 तक 32.1 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- यह जनसंख्या वृद्धि मुंबई के शहरी विस्तार की मुख्य संचालक है, जो महाराष्ट्र राज्य को शहरी और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने की योजना को प्राथमिकता देने के लिये मजबूर करता है।
- आँकड़ों के अनुसार, मुंबई में नियमित आवाजाही करने वाले लगभग 86 प्रतिशत लोग सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं हालाँकि, यात्रा के संबंध में बढ़ती मांग के साथ आपूर्ति में उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं हुई है।

नोट :

एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) के बारे में

- एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जो एशिया में सामाजिक एवं आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने जनवरी 2016 में अपना कार्य शुरू किया था और वर्तमान में इसके 103 अनुमोदित सदस्य हैं।
- एशिया और अन्य क्षेत्रों के टिकाऊ बुनियादी ढाँचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश करके AIIB लोगों, सेवाओं और बाज़ारों को बेहतर ढंग से जोड़ रहा है, जो भविष्य में अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा और बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा।

चुनावी बॉण्ड की बिक्री

चर्चा में क्यों

केंद्र सरकार अक्तूबर-नवंबर 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉण्ड की बिक्री की अनुमति दे सकती है।

प्रमुख बिंदु

- चुनावी बॉण्ड योजना, 2018 को 2 जनवरी 2018 को आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया था जिसमें समय-समय पर चुनावी बॉण्ड जारी करने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- चुनावी बॉण्ड राजनीतिक दलों को दान देने हेतु एक वित्तीय साधन है।
- चुनावी बॉण्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख और 1 करोड़ के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है, ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।
- यह बॉण्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है।
  - जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (A) के अंतर्गत पंजीकृत प्रत्येक पार्टी और हालिया लोकसभा या राज्य चुनाव में कम-से-कम 1% मत हासिल करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक सत्यापित खाता आवंटित किया जाता है।
  - चुनावी बॉण्ड का लेन-देन केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकता है।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया है।
  - एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉण्ड खरीद सकता है।
  - बॉण्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।
- आम चुनावों के दौरान केंद्र सरकार इन बॉण्डों की बिक्री के लिये तीस दिनों की अतिरिक्त अवधि निर्दिष्ट कर सकती है।
- ऐसे कुछ अवसर आए हैं जब सरकार ने इन बॉण्डों को जारी करने के लिये निर्दिष्ट आवधिकता से विचलन किया है।
  - उदाहरण के लिये- 1-10 नवंबर 2018 से चुनावी बॉण्ड की छठी किश्त जारी की गई और वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में चुनावी बॉण्ड बेचे गए।

विवादास्पद स्थिति:

- हालाँकि पारंपरिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी चुनावी चंदा मिलता था वह मुख्यत: नकद में दिया जाता था, जिससे काले धन की संभावना काफी बढ़ जाती थी। परंतु चूँकि वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत चुनावी बॉण्ड केवल चेक या ई-भुगतान के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है, जिससे काले धन की संभावना कम होती है हालाँकि यह भी अधिक विवादास्पद है।

नोट :

- अनामिता:
  - न तो दान देने वाला (जो एक व्यक्ति या एक कॉर्पोरेट हो सकता है) और न ही राजनीतिक दल यह बताने के लिये बाध्य है कि दान किससे आता है।
    - वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिन राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दान मिला है उन्हें भारत निर्वाचन आयोग को विवरण प्रस्तुत करना होगा।
  - यह व्यवस्था राजनीतिक जानकारी की स्वतंत्रता के मौलिक संवैधानिक सिद्धांत की अवहेलना करती है जो संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) का एक अनिवार्य तत्त्व है।
- वित्तीय अपारदर्शिता:
  - यह राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत की अवहेलना करता है क्योंकि यह सार्वजनिक जांच, कॉर्पोरेट्स और संपत्ति की पहचान छिपाने में मदद करती है।
- असममित अपारदर्शिता:
  - सरकार हमेशा यह जानने की स्थिति में है कि दाता कौन है क्योंकि बॉण्ड केवल SBI के माध्यम से खरीदे जाते हैं।
- काले धन का माध्यम:
  - कोई भी विक्षुब्ध, खत्म हो रही कंपनी या शैल कंपनियां किसी राजनीतिक पार्टी को गुमनाम रूप से असीमित राशि दान कर सकती हैं, जो उन्हें व्यापार के लिये एक सुविधाजनक मार्ग (Channel) दे सकती हैं,

आगे की राह

- भ्रष्टाचार के दुष्चक्र को तोड़ने और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने के लिये साहसिक सुधारों के साथ-साथ शासन प्रणाली और राजनीतिक वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन को ठीक करने की आवश्यकता है। संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिये मौजूदा कानूनों में खामियों को दूर करना महत्त्वपूर्ण है।
- ऐसे मतदाता जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है जो भारत के नागरिकों को परिवर्तन की मांग करने के लिये प्रेरित कर सकें। यदि मतदाता उन उम्मीदवारों और पार्टियों को अस्वीकार करना प्रारंभ कर देंगे जो अतिव्यय करते हैं या उन्हें रिश्वत देते हैं तो देश का लोकतंत्र स्वयं ही एक स्तर और ऊपर उठ जाएगा।

स्थानीय स्वशासन और महिलाएँ

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार, पुरुषों और महिला उम्मीदवारों के लिये पंचायत चुनावों में 50:50 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिये एक विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसके तहत प्रत्येक कार्यकाल की समाप्ति के बाद महिला और पुरुष उम्मीदवारों के बीच सीटों की अदला-बदली की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि हरियाणा इस प्रकार की विधि को अपनाने वाला देश का पहला राज्य होगा।
- हरियाणा का यह फॉर्मूला सरपंचों और ग्राम वार्डों, खंड समितियों और ज़िला परिषदों के सदस्यों के पद पर लागू किया जाएगा।
- हरियाणा में नियम के लागू होने पर यदि किसी वार्ड या गांव की अध्यक्षता एक पुरुष द्वारा की जाती है, तो इसका प्रतिनिधित्व अगले कार्यकाल में एक महिला द्वारा किया जाएगा।
- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार, इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं के लिये आरक्षण की व्यवस्था करना नहीं है, बल्कि इस विधेयक का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के लिये समान अवसर सुनिश्चित करना है।
  - ध्यातव्य है कि देश के राज्यों में महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 50 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, और ऐसे राज्यों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तकरीबन 67 प्रतिशत है।

नोट :

- लाभ: इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के बीच अवसर की समानता सुनिश्चित करना है।
- सीमाएँ: महिलाओं को पंचायत के भीतर विभिन्न परस्पर विरोधी हितों का प्रबंधन करने और बातचीत करने के कौशल सीखने में समय लग सकता है, हालाँकि सरकार द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

स्थानीय स्वशासन की अवधारणा

- लोकतंत्र का सही अर्थ होता है सार्थक भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही। जीवंत और मज़बूत स्थानीय शासन भागीदारी और जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करता है।
- स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होता है और इसलिये यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होता है।
- सही मायनों में स्थानीय सरकार का अर्थ है, स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय समस्याओं और ज़रूरतों की समझ केंद्रीय या राज्य सरकारों की अपेक्षा स्थानीय लोगों को अधिक होती है।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी

- वर्ष 1992 में भारत सरकार ने शासन के विकेंद्रीकृत मॉडल को अपनाने तथा भागीदारी एवं समावेशन को मज़बूत करने के लिये 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित किया।
- इस संशोधन के माध्यम से महिलाओं तथा अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित लोगों के लिये सीटों के आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया।
- ऐसे कई अध्ययन मौजूद हैं जो यह दर्शाते हैं कि सरकार द्वारा दिये गए इस आरक्षण ने सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में काफी सुधार किया है।
- कई अध्ययनों में पाया गया है कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी की सबसे अच्छी बात यह है कि स्थानीय शासन में मौजूद महिलाएं संवेदनशील वर्गों खासतौर पर महिलाओं और बच्चों की ज़रूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती हैं।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिये चुनौती

- पितृसत्तात्मकता: प्राय: यह देखा जाता है कि कई महिलाओं को अपने परिवार से चुनाव लड़ने की अनुमति ही नहीं मिलती है, साथ ही कई महिलाएँ अपने परिवार के पुरुष सदस्यों के लिये पर्दे के पीछे से काम करती रहती हैं और उन्हें कोई नहीं जान पाता है।
  - घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ, पर्दा प्रथा और घरेलू हिंसा आदि कारक महिलाओं के कामकाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।
- आवश्यक कौशल का अभाव: अधिकांश महिला प्रतिनिधि पहली बार इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण पंचायतों के मामलों का प्रबंधन करने के लिये उनके पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल का अभाव होता है।
  - सरकारी प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम समय में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को कवर करने में असमर्थ हैं।
- दो बच्चों की नीति: भारत के कई राज्यों ने पंचायत के चुनाव लड़ने के लिये दो अथवा दो से कम बच्चों की नीति को सख्ती से लागू किया है, कई बार यह नीति स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने में महिलाओं के समक्ष बाधा उत्पन्न करती है।
- जाति व्यवस्था: ग्रामीण भारत की जड़ों में मौजूद जाति व्यवस्था महिलाओं खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिये स्वतंत्र एवं प्रभावी रूप से कार्य करने में चुनौती खड़ी करती है।
- प्रशासनिक स्तर पर महिलाओं की कमी: प्रशासनिक तथा अन्य स्तरों पर महिला सहकर्मियों के प्रतिनिधित्व के अभाव के कारण भी महिलाओं को अपने रोज़मर्रा के काम-काज में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- हरियाणा सरकार का वर्तमान प्रस्ताव एक स्वागतयोग्य कदम है। हालाँकि, राज्य सरकार को यह ध्यान रखना चाहिये कि महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक-राजनीतिक समानता सुनिश्चित करने के लिये केवल प्रतिनिधित्व में समानता लाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके अलावा महिलाओं की अपेक्षाकृत वंचित स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

नोट :

- ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने से संसद में भी उनके बेहतर प्रतिनिधित्व की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि वर्तमान में केवल 14 प्रतिशत है।
- महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सरकारों को नागरिक समाज संगठनों, महिला समूहों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे यूएन वीमेन (UN Women) आदि को भी शामिल किया जाना चाहिये।

विमान-वाहक पोत 'विराट

चर्चा में क्यों ?

3 वर्ष पूर्व सेवामुक्त हुए विमान-वाहक पोत 'विराट' (INS Viraat) को अगले माह मुंबई से गुजरात के अलंग (Alang) कस्बे में स्थित शिप यार्ड में लाकर कबाड़ (Scrapped) में परिवर्तित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय नौसेना के अनुसार, धातु स्क्रैप व्यापार निगम लिमिटेड (MSTC) द्वारा विमान-वाहक पोत 'विराट' को ई-नीलामी के माध्यम से गुजरात के 'श्री राम ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़' को बेच दिया गया है।
- श्री राम ग्रीन शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज़ ने INS विराट को कुल 38 करोड़ रुपए में खरीदा है, हालाँकि श्री राम ग्रुप ने अभी तक सुपुर्दगी आदेश (Delivery Order) नहीं दिया है।

कारण

- विमान-वाहक पोत 'विराट' (INS Viraat) को मार्च 2017 से डिकमीशन या सेवामुक्त किया गया था और तभी से नौसेना अपने खर्च बजट पर बिजली, पानी की व्यवस्था और मरम्मत आदि पर खर्च कर रही थी।
- इसके अलावा यह भीड़-भाड़ वाले मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड (Dockyard) में भी काफी स्थान घेर रहा था।

संग्रहालय में परिवर्तन के प्रयास

- डिकमीशन या सेवामुक्त होने के बाद से ही आईएनएस विराट (INS Viraat) को आईएनएस विक्रांत (INS VIKRANT) की तरह कबाड़ (Scrapped) में परिवर्तित न करने की मांग की जा रही थी।
- कई राज्य की सरकारों ने इसे संग्रहालय के रूप में परिवर्तन करने को लेकर प्रस्ताव दिये थे, किंतु इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया।
  - पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्त्व वाली आंध्रप्रदेश सरकार ने इस संबंध में कई प्रयास किये थे, इन प्रयासों के तहत अक्तूबर 2016 में आंध्रप्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से आईएनएस विराट को एक विमान संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। हालाँकि 2 माह के बाद रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया।
  - महाराष्ट्र सरकार ने भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था, किंतु उसमें कुछ प्रगति संभव नहीं हो सकी थी।

जहाज़ों का संग्रहालयों में परिवर्तन

- कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज़ों को कबाड़ में परिवर्तित के बजाय उन्हें संरक्षित करने से वृहद् आर्थिक परिदृश्य का निर्माण किया जा सकता है।
- सामान्य तौर पर संग्रहालय कई अर्थों में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, उदाहरण के लिये पर्यटन को बढ़ावा देना, रोज़गार पैदा करना, सरकारी राजस्व में योगदान करना और स्थानीय समुदायों के विकास का समर्थन करना।
- सैन्य और समुद्री संग्रहालयों के कुछ अतिरिक्त लाभ भी होते हैं, जैसे- इनका उपयोग सैन्य नायकों का सम्मान करने, रक्षा कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में आम जनता को जागरूक करने और युवा पीढ़ी को सशस्त्र बलों मेंशामिल होने हेतु प्रेरित करने के लिये किया जा सकता है।
- नौसैनिक जहाज़ों को संग्रहालयों में परिवर्तित करने में एक महत्त्वपूर्ण समस्या उनके रखरखाव में आने वाली लागत है। ऐसे संग्रहालयों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से फंडिंग के साथ-साथ पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की भी आवश्यकता होती है।

नोट :

विमान-वाहक पोत 'विराट' के बारे में

- सेंतौर श्रेणी (Centaur Class) का विमान वाहक पोत आईएनएस विराट को एच.एम.एस. हर्मस (HMS Hermes) नाम से वर्ष 1959 में ब्रिटिश नौसेना में तैनात किया गया था।
- यह लगभग 25 वर्षों तक ब्रिटिश नौसेना में कार्यरत रहा और फिर वर्ष 1984 में इसे सेवा से मुक्त कर दिया गया, जिसके पश्चात् मई 1987 में इसका आधुनिकीकरण किया गया और इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया।
- विमान-वाहक पोत 'विराट' को मार्च 2017 में नौसेना से मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डिकमीशन किया गया था।
- आईएनएस विराट विश्व में सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाला युद्धपोत है।

ई-पीपीओ' का 'डिजी-लॉकर' के साथ एकीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश' (Electronic Pension Payment Order) या 'ई-पीपीओ' (e-PPO) को 'डिजी-लॉकर' (Digi- Locker) के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग के अनुसार, पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रति के खो जाने के बाद पेंशनधारकों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- इस समस्या को देखते हुए पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा 'ई-पीपीओ' (e-PPO) को 'डिजी-लॉकर' (Digi- Locker) के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
  - गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को 'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली' (Public Finance Management System- PFMS) द्वारा जारी किया जाता है।
- इस सुविधा को वित्तीय वर्ष 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए इसे पहले ही पूरा कर लिया गया।

ई-पीपीओ प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- इस सुविधा को 'भविष्य' (Bhavishya) नामक सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया गया है।
- यह सॉफ्टवेयर सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अपने डिजी-लॉकर खाते को अपने 'भविष्य' खाते जोड़ने का विकल्प उपलब्ध कराएगा। जिसके माध्यम से वे निर्बाधित तरीके से अपना ई-पीपीओ प्राप्त कर सकेंगे।
- यह विकल्प सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को सेवानिवृत्त संबंधी फार्म भरने के समय एवं फार्म जमा करने के बाद भी उपलब्ध होगा।

'भविष्य' (Bhavishya):

- यह केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय' द्वारा लागू एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है।
- यह प्रणाली व्यक्तिगत और प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करती है।
- इस प्रणाली के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एसएमएस (SMS)/ई-मेल (E-Mail) के माध्यम से पेंशन अनुमोदन प्रक्रिया की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

लाभ:

- इस प्रणाली के माध्यम से कोई भी पेंशनभोगी डिजी-लॉकर खाते से तत्काल अपने पीपीओ की नवीनतम प्रति का प्रिंट-आउट प्राप्त कर सकेंगे।
- इसके माध्यम से पेंशनभोगी के डिजी-लॉकर में उसके पीपीओ का स्थायी रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकेगा।

नोट :

- इसके माध्यम से नए पेंशनधारकों तक पीपीओ पहुँचने में होने वाले विलंब को दूर करने के साथ पेंशनधारकों द्वारा पीपीओ की भौतिक प्रति सुपुर्द करने की आवश्यकता को भी समाप्त किया जा सकेगा।

'सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली' (Public Finance Management System- PFMS):

- PFMS एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है।
- इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में योजना आयोग की केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य एक कुशल निधि प्रवाह के साथ ही भुगतान सह अकाउंटिंग नेटवर्क (Payment cum Accounting Network) की स्थापना के माध्यम से भारत सरकार (Government Of India-GOI) के लिये एक मज़बूत सार्वजनिक
- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करना है।

डिजी-लॉकर:

- यह 'केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (MeitY) द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।

उद्देश्य:

- दस्तावेज़ों को ई-हस्ताक्षर सक्षम बनाकर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
- ई-दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करके नकली दस्तावेज़ों के उपयोग को खत्म करना।।
- सरकारी विभागों और एजेंसियों के प्रशासकीय उपरिव्यय को कम करना एवं नागरिकों के लिये सेवा प्राप्त करना आसान बनाना, आदि।

50% कोटा सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने 'मराठा आरक्षण कानून' की समीक्षा करने वाली बेंच को खुद को मराठा कानून तक सीमित रखने के बजाय आरक्षण पर 50% की सीमा/सीलिंग पर ही पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

प्रमुख बिंदु:

- इन अधिवक्ताओं द्वारा आरक्षण पर निर्धारित 50% सीलिंग पर पुनर्विचार करने के लिये 11 'न्यायाधीशों की बेंच' गठित करने का आग्रह किया गया।
- यह मांग उस समय उठाई गई जब सर्वोच्च न्यायालय 'मराठा आरक्षण कानून' को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
  - यह कानून मराठा समुदाय के लिये 12 से 13 प्रतिशत कोटा प्रदान करता है।

आरक्षण सीमा की पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया गया।
- आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई। जिनकी कुल आबादी भारतीय आबादी की लगभग 52% थी (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा)।
- दस वर्ष बाद 1990 में वी. पी. सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई।
- वर्ष 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 27% आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- इन प्रावधानों को प्रसिद्ध 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले' (वर्ष 1992) में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण व्यवस्था को बनाए रखा गया परंतु आर्थिक आधार पर दिये गए 10% आरक्षण के प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।

नोट :

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में निर्णय:

- केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कुल आरक्षित सीटों का कोटा 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये।
- बैकलॉग के पदों को भरने में भी 50% कोटे की सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिये।
- इस प्रावधान को 81 वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निरस्त कर दिया गया।
- अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में किसी जाति को जोड़ने तथा हटाने के परीक्षण के लिये एक स्थायी गैर-विधायी इकाई होनी चाहिये।

50% सीमा पर पुनर्विचार की आवश्यकता:

- इंदिरा साहनी निर्णय का उल्लंघन:
  - सर्वोच्च न्यायालय में दायर अनेक याचिकाओं के माध्यम से यह तर्क दिया कि मराठा आरक्षण कानून वर्ष 1992 में 'इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले' में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों वाली पीठ द्वारा निर्धारित आरक्षण की 50% सीमा का उल्लंघन करता है।
  - इंदिरा साहनी मामले में दिया गया निर्णय लगभग 30 वर्ष पहले किया गया था, अत: इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- पिछड़े वर्गों की उच्च जनसंख्या:
  - 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के अनुसार, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर लगभग 52% आबादी पिछड़ी थी (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा)।
  - महाराष्ट्र में 85% प्रतिशत लोग पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी पिछड़े लोगों का प्रतिशत 50% की सीमा से अधिक है।
  - 28 राज्यों द्वारा अपने यहाँ संबंधित पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिये 50% की कोटा सीमा का उल्लंघन किया गया है।
- 103वाँ संविधान संशोधन:
  - इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये 10% कोटा प्रदान किया गया है। न्यायालय को इस 10% कोटे को समाहित करते हुए कोटे पर 50% की सीमा पर फिर से विचार करना चाहिये।

आगे की राह:

- अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 16 (4) की व्याख्या इंदिरा साहनी (निर्णय) के संदर्भ में की जानी चाहिये।
- 102 वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, आरक्षण केवल तभी दिया जा सकता है जब किसी विशेष समुदाय का नाम राष्ट्रपति द्वारा तैयार की गई सूची में हो। अत: इसका पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
  - 102 वां संविधान संशोधन अधिनियम- 2018 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 15(4):

- इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा।
- यह प्रावधान मुख्यत: नागरिकों के 'सशक्तिकरण' (Empowerment) से संबंधित है।

अनुच्छेद 16 (4):

- इस अनुच्छेद के अनुसार, राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई प्रावधान करने से नहीं रोका जाएगा, यदि राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में उस वर्ग का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्वनहीं है।
- यह प्रावधान मुख्यत: नागरिकों के 'रोज़गार' (Employment) से संबंधित है।

नोट :

स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority-NHA) ने टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं के लिये स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति (Health Data Management Policy) का मसौदा जारी किया है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति का मसौदा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित डेटा की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में कार्य करेगा।
- उद्देश्य
  - आम नागरिकों के व्यक्तिगत एवं संवेदनशील डेटा के सुरक्षित प्रसंस्करण हेतु पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना एवं एक रूपरेखा निर्मित करना।
  - व्यक्तिगत और चिकित्सा संबंधी डेटा को डिजिटल रूप प्रदान करना, ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और आम नागरिकों द्वारा इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके, साथ ही यह पूर्ण रूप से स्वैच्छिक प्रकृति का होगा और इसे एक व्यक्ति की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करके ही एकत्रित किया जाएगा।
  - डेटा की गोपनीयता और उसकी सुरक्षा के संबंध में जागरुकता प्रदान करना ।
  - राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन करने के लिये आवश्यक संस्थागत तंत्र स्थापित करना।
  - भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान सूचना प्रणाली का लाभ उठाना।

व्यक्तिगत डेटा का अर्थ

सरल और बुनियादी रूप में व्यक्तिगत डेटा किसी भी प्रकार के डेटा का वह समूह होता है, जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशिष्ट की पहचान करना संभव होता है।

- प्रमुख प्रावधान
  - यह मसौदा नीति मुख्य तौर पर उन व्यक्तियों के संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखने के लिये रूपरेखा प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं।
  - संबंधित दस्तावेज़ के अनुसार, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के तहत एकत्र किये गए डेटा को केंद्रीय स्तर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तर और स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर न्यूनतमता (Minimality) के सिद्धांत को अपनाकर संग्रहीत किया जाएगा।
  - प्रस्तावित मसौदे में कहा गया है कि 'स्वास्थ्य आईडी' (Health ID) के विकल्प का चयन करने वाले रोगियों को अपने व्यक्तिगत तथा संवेदनशील डेटा को एकत्र करने और उसे संसाधित करने के संबंध में संपूर्ण नियंत्रण और अधिकार दिया जाएगा।
    - इसकी सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि रोगी किसी भी समय व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने को लेकर दी गई अपनी सहमति वापस ले सकते हैं।
  - स्वास्थ्य सूचना प्रदाताओं और उपयोगकर्त्ताओं समेत डेटा का प्रसंस्करण करने वाले सभी संस्थानों को एक 'व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन प्रबंधन तंत्र' बनाना होगा, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्तिगत डेटा के अनधिकृत या आकस्मिक प्रकटीकरण, साझाकरण, परिवर्तन या उपयोग आदि की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) और अन्य संबंधित संस्थाओं को तत्काल सूचना मिल सके।
  - मसौदे के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) रोगियों के व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की घटनाओं को पहचानने, उन्हें ट्रैक करने, उनकी समीक्षा करने और उनकी जाँच करने के लिये आवश्यक प्रक्रिया निर्मित करेगा।

नोट :

पृष्ठभूमि

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy) जारी की थी, जिसमें एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तंत्र के निर्माण की परिकल्पना की गई थी।
- जिसके पश्चात् जुलाई, 2019 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के तत्कालीन अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (NDHB) जारी किया।
- नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट (NDHB) के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) गठित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
- इसके पश्चात् 74वें स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त, 2020) के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) की घोषणा की।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)

- 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया से जुड़ी तीन परियोजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन भी शामिल था।
- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जिसके तहत चार प्रमुख डिजिटल पहलों; हेल्थ आईडी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा।

वोल्बाचिया बैक्टीरिया के माध्यम से डेंगू प्रसार पर नियंत्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंडोनेशिया के कुछ शोधकर्त्ताओं ने एक परीक्षण के दौरान मच्छरों के 'वोल्बाचिया' (Wolbachia) नामक बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर डेंगू के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की है।

प्रमुख बिंदु:

- इस शोध के तहत वैज्ञानिकों ने दो वर्ष पहले मादा मच्छरों के एक समूह को 'वोल्बाचिया' (Wolbachia) नामक बैक्टीरिया से संक्रमित कर इंडोनेशिया के 'योग्याकार्ता' (Yogyakarta) शहर के कुछ हिस्सों में छोड़ दिया था।
- 26 अगस्त, 2020 को वैज्ञानिकों द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, इस शोध में शामिल किये गए शहर के हिस्सों में डेंगू के मामलों में 77% की गिरावट देखी गई है।
- इस शोध के सकारात्मक परिणाम से डेंगू के साथ मच्छर जनित कुछ अन्य बीमारियों के बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की संभावनाएँ देखी जा रहीं हैं।

वोल्बाचिया बैक्टीरिया:

- यह बैक्टीरिया कीड़ों की कुछ प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है जिनमें मच्छरों की भी कुछ प्रजातियाँ शामिल हैं।
- हालाँकि यह बैक्टीरिया एडीज़ एजिप्टी प्रजाति के मच्छरों में नहीं पाया जाता है।
  - ध्यातव्य है कि 'एडीज़ एजिप्टी' (Aedes Aegypti) प्रजाति के मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया, ज़िका (Zika) और पीत ज्वर (Yellow Fever) जैसी गंभीर बीमारियों के प्रसार के लिये उत्तरदायी हैं।
- वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के एक अनुसंधान/शोध समूह 'वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम' (World Mosquito Program- WMP) द्वारा एडीज़ एजिप्टी' प्रजाति के मच्छरों में वोल्बाचिया बैक्टीरिया की भूमिका पर शोध किया गया।
- इस शोध में पाया गया कि यदि एडीज़ एजिप्टी मच्छर वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित हों तो ये डेंगू फैलाने में सक्षम नहीं होते हैं।
- एडीज़ एजिप्टी' मच्छरों में इस बैक्टीरिया के उपस्थित होने पर डेंगू के विषाणुओं को अपनी प्रतिकृति तैयार करने में कठिनाई होती है।

नोट :

वोल्बाचिया बैक्टीरिया द्वारा डेंगू पर नियंत्रण:

- वोल्बाचिया बैक्टेरिया से संक्रमित मच्छर को किसी क्षेत्र में छोड़ा जाता है तो वे अन्य स्थानीय जंगली मच्छरों के साथ संकरण (Interbreeding) करते हैं।
- इस प्रकार समय के साथ धीरे-धीरे मच्छरों की कई पीढ़ियाँ प्राकृतिक रूप से वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित होने लगती हैं।
- इस प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति आएगी जब उस क्षेत्र में मच्छरों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित होगा, जिससे मच्छरों के काटने से लोगों को डेंगू होने की संभावनाएँ कम हो जाएंगी।
- इंडोनेशिया में किये गए परीक्षण के दौरान शोधार्थियों ने 'योग्याकार्ता' (Yogyakarta) शहर को 24 क्लस्टर में बाँट दिया और अगले कुछ महीनों के दौरान इनमें से अनियमित रूप से चुने 12 क्लस्टरों में वोल्बाचिया मच्छरों को छोड़ा गया।
- इन मच्छरों के कारण क्षेत्र के अधिकांश मच्छर वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए और 27 महीनों बाद एकत्र किये गए आँकड़ों में शोधार्थियों द्वारा वोल्बाचिया संक्रमित मच्छरों वाले क्षेत्र में गैर-वोल्बाचिया संक्रमित मच्छरों वाले क्षेत्र की तुलना में डेंगू के मामलों में 77% तक गिरावट देखी गई।

महत्त्व:

- इस प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है कि यह विधि एक शहर में डेंगू के नियंत्रण में सफल रही है, ऐसे में यदि इसे व्यापक पैमाने पर अपना कर विश्व के अनेक हिस्सों से अगले कई वर्षों के लिये डेंगू को समाप्त किया जा सकता है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, यह विधि केवल एक विषाणु को ही नहीं बल्कि कई फ्लेवीवायरस (Flaviviruses) को रोकती है, ऐसे में यह 'एडीज़ एजिप्टी' से फैलने वाली अन्य बीमारियों को भी रोकने में प्रभावी होगी।

अन्य देश की प्रतिक्रिया:

- वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम द्वारा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और अन्य 11 देशों में भी छोटे स्तर पर ऐसे परीक्षण किये जा चुके हैं परंतु इंडोनेशिया में पहली बार यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण (Randomised Controlled Trial) का प्रयोग किया गया।
- फ्राँस की इनोवाफीड (InnovaFeed) नामक एक कंपनी ने पहली बार औद्योगिक स्तर पर वोल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों के विकास हेतु वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के साथ एक साझेदारी की है।

डेंगू (Dengue):

- डेंगू बुखार और डेंगू रक्तस्रावी बुखार (Dengue Haemorrhagic Fever) एक तीव्र बुखार है जो चार अलग-अलग डेंगू वायरस सिरोटाइप (डेन 1,2,3 और4) के कारण होता हैं।
- यह वायरस एडीज़ एजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छरों से फैलता है।
- वेक्टर एडीज़ एजिप्टी घरों के आसपास इकट्ठा स्वच्छ जल में प्रजनन करती हैं और ये शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाई जाती हैं ।
- 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' (World Health Organisation)के अनुसार, हाल के कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर डेंगू के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गई है, हालाँकि इनमें से अधिकांश मामले आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किये जाते।
- WHO के अनुमान के अनुसार, विश्व भर में प्रतिवर्ष डेंगू संक्रमण के लगभग 39 करोड़ मामले देखे जाते हैं जिनमें से सिर्फ 9.6 करोड़ मामलों में डेंगू के लक्षण स्पष्ट होते हैं।
- 'राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (National Vector-Borne Disease Control Programme) के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में डेंगू के 1 लाख से अधिक मामले दर्ज किये गए जबकि वर्ष 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 1.5 लाख से अधिक पहुँच गई थी।

मच्छर जनित अन्य बीमारियाँ:

- एडीज़ एजिप्टी के अतिरिक्त मादा एनाफिलीज मच्छर (Anopheles Mosquitoes)-मलेरिया और क्यूलेक्स प्रजाति जापानी इन्सेफेलाइटिस, लिम्फेटिक फाइलेरिया तथा वेस्ट नाइल फीवर के लिये उत्तरदाई होते हैं।

नोट :

'राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम' (National Vector-Borne Disease Control Programme):

- राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003-04 में की गई थी।
- राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम , राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम का विलय कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- इस कार्यक्रम के तहत जापानी इंसेफलाइटिस (Japanese Encephalitis) और डेंगू (Dengue) को भी शामिल किया गया है।

उद्देश्य:

- रोग और प्रकोप की निगरानी।
- त्वरित निदान और प्रबंधन।
- सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से वेक्टर नियंत्रण।
- क्षमता निर्माण।

विश्व मच्छर दिवस (World Mosquito Day): ब्रिटिश चिकित्सक, सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। सर रोनाल्ड रॉस ने 20अगस्त, 1897 में मनुष्यों में मलेरिया के संक्रमण के लिये मादा मच्छरों के उत्तरदायी होने की खोज की थी।

आरक्षण के उप-वर्गीकरण की अवधारणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के उप-वर्गीकरण (कोटा के भीतर कोटा) पर कानूनी बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जाति वर्ग में सभी अनुसूचित जातियों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये कुछ को अधिमान्य उपचार देने के पक्ष का समर्थन किया है।
- वर्ष 2005 'ई. वी. चिनैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others) मामले में पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ ने निर्णय दिया था कि राज्य सरकारों के पास आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों की उप-श्रेणियाँ बनाने की कोई शक्ति नहीं है।
- चूंकि समान शक्ति (इस मामले में पाँच न्यायाधीश) की एक पीठ पिछले निर्णय को रद्द नहीं कर सकती, अत: मामले में निर्णय लेने के लिये इसे एक बड़ी संवैधानिक पीठ को भेजा गया है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थापित की गई बड़ी खंडपीठ दोनों निर्णयों (अनुसूचित जातियों की उप-श्रेणियाँ बनाने तथा इस संबंध में राज्यों को अधिकार) पर पुनर्विचार करेगी।

'ई. वी. चिनैय्या बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामला: (E V Chinnaiah v State of Andhra Pradesh and Others)

- वर्ष 2005 के इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल करने या बहिष्कृत करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, और राज्य सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं।

आरक्षण का उप-वर्गीकरण:

- अनेक राज्यों का मानना है कि अनुसूचित जातियों में भी कुछ अनुसूचित जातियों का सकल प्रतिनिधित्व अन्य की तुलना में कम है।
  - अनुसूचित जातियों के भीतर की असमानता को कई रिपोर्टों में रेखांकित किया गया है।

नोट :

- इस असमानता को संबोधित करने के लिये आरक्षण के उप-वर्गीकरण अर्थात कोटा के अंदर कोटा प्रदान करने की बात की जाती है।

राज्यों में आरक्षण का उप-वर्गीकरण:

बिहार:

- वर्ष 2007 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के भीतर पिछड़ी जातियों की पहचान करने के लिये 'महादलित आयोग' का गठन किया गया था।

तमिलनाडु:

- राज्य सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति एम. एस. जनार्थनम (Janarthanam) की रिपोर्ट में पाया गया है कि राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी राज्य की आबादी की 16% होने के बावजूद उनका सरकारी नौकरियों में केवल 0-5% प्रतिनिधित्व था।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कोटे के भीतर 3% कोटा अरुंधतिअर (Arundhatiyar) जाति को प्रदान किया गया है।

आंध्र प्रदेश:

- वर्ष 2000 में, न्यायमूर्ति रामचंद्र राजू की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश की विधायिका द्वारा 57 अनुसूचित जनजातियों को मिलाकर एक उप-समूह का निर्माण किया गया।
- इन अनुसूचित जनजातियों का उनकी आबादी के अनुपात में अनुसूचित जातियों के कोटे में 15% कोटा निर्धारित किया गया।

पंजाब:

- पंजाब सरकार द्वारा भी अनुसूचित जाति कोटा में बाल्मीकि और मज़हबी सिखों को वरीयता देने वाला कानून बनाया है।

उप-वर्गीकरण के आधार:

क्रीमी लेयर की अवधारणा:

- सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि आरक्षण का लाभ 'सबसे कमज़ोर लोगों को' (Weakest of the Weak) प्रदान किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2018 में 'जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामले' में अनुसूचित जनजातियों के भीतर एक 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा के निर्णय को कायम रखा गया।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने ही 12 वर्ष पुराने 'एम. नागराज बनाम भारत' सरकार मामले में दिये गए पूर्ववर्ती निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई थी।
  - एम. नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय का मानना था कि अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) को मिलने वाला लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके इसके लिये आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रयोग करना आवश्यक है।
- वर्ष 2018 में पहली बार अनुसूचित जातियों की पदोन्नति में क्रीमी लेयर' की अवधारणा को लागू किया गया था।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 के जरनैल सिंह मामले में निर्णय की समीक्षा की मांग की है और मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।

अनुच्छेद- 341:

- संविधान के अनुच्छेद- 341 के तहत अनुसूचित जातियों को निर्धारित करने के लिये राष्ट्रपति को सशक्त किया गया है।
- एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में SC रूप में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती।
- न्यायालय का मानना है कि केवल वरीयता देने, पुनर्व्यवस्थित करने, उप-वर्गीकरण करने से अनुच्छेद- 341 के तहत अधिसूचित सूची में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी जाति का समावेश या बहिष्करण करने की मनाही करता है, न कि उप-वर्गीकरण की।

समानता का अधिकार:

- निश्चित कारणों तथा आधारों पर किया गया उप-वर्गीकरण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
- उप-वर्गीकरण से सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों में न केवल 'आनुपातिक समानता' की प्राप्ति होगी अपितु 'वास्तविक समानता' की प्राप्ति होगी।

नोट :

उप-वर्गीकरण के विपक्ष में तर्क:

अनुसूचित जातियाँ एक वर्ग:

- 1976 के 'केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि 'अनुसूचित जातियाँ (SC) कोई जाति नहीं हैं, अपितु वे वर्ग हैं।
- इस मामले में यह तर्क दिया गया कि 'सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन' की शर्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं किया जा सकता है।
- अस्पृश्यता के कारण सभी अनुसूचित जातियों को विशेष उपचार दिया जाना चाहिये।

वोट बैंक की राजनीति संभव:

- आरक्षण के उप-वर्गीकरण में सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय वोट बैंक की राजनीति के आधार पर हो सकते हैं।
- इस तरह के संभावित मनमाने बदलाव से बचने के लिये अनुच्छेद- 341 में राष्ट्रपति की सूची की परिकल्पना की गई थी।

आगे की राह:

- सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना सामाजिक परिवर्तन का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अत: इस दिशा में उचित आरक्षण उप-वर्गीकरण प्रणाली को अपनाना एक प्रभावी कदम हो सकता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ:

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों का प्रतिशत भारत की जनसंख्या का 16.6% है।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 में देश में कुल 1,263 अनुसूचित जनजातियाँ थी।
- अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

एक समान मतदाता सूची: अवधारणा और महत्त्व

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने बीते दिनों पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिये एक आम मतदाता सूची की संभावना पर चर्चा करने के लिये भारत निर्वाचन आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अवसरों पर पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिये एक आम मतदाता सूची बनाने के विचार को प्रकट चुके हैं।
- सभी प्रकार के चुनावों के लिये एक आम मतदाता सूची बनाने के विचार को 'एक देश-एक चुनाव' की अवधारणा से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।

राज्यों में अलग-अलग मतदाता सूची

- देश के कई राज्यों में, पंचायत और नगरपालिका चुनावों के लिये जिस मतदाता सूची का प्रयोग किया जाता है वह संसद और विधानसभा चुनावों के लिये उपयोग की जाने वाली सूची से भिन्न है।
- इस प्रकार के अंतर का मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में चुनावों की देखरेख और उसके संचालन की ज़िम्मेदारी दो स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारियों, भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI) और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission-SEC), को दी गई है।
  - वर्ष 1950 में गठित भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को संविधान के तहत मुख्य तौर पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है।

नोट :

- वहीं दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) को राज्य/संघशासित क्षेत्र के निगम, नगरपालिकाओं, ज़िला परिषदों, ज़िला पंचायतों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों के चुनावों के संचालन का उत्तरदायित्त्व दिया गया है।

- विदित हो कि राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) को स्थानीय निकाय चुनावों के लिये अलग निर्वाचन नामावली तैयार करने की स्वतंत्रता है और उनके लिये स्थानीय स्तर के चुनाव आयोजित कराने हेतु निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ समन्वय करना अनिवार्य नहीं है।

सभी राज्यों के पास नहीं है अलग सूची

- प्रत्येक राज्य, राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) संबंधित राज्य के नियमों द्वारा शासित किया जाता है, ऐसे में कुछ राज्य अपने राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय चुनाव के लिये निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा तैयार की गई मतदाता सूची का उपयोग करने की स्वतंत्रता देते हैं, जबकि कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची को केवल आधार के तौर पर प्रयोग किया जाता है।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय निकाय के चुनावों के लिये चुनाव आयोग (ECI) की मतदाता सूची का प्रयोग करते हैं।

एक आम मतदाता सूची का महत्त्व

- सभी प्रकार के चुनावों के लिये एक आम मतदाता सूची के निर्माण का समर्थन करने वालों का मत है कि इसके माध्यम से 'एक देश-एक चुनाव' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जा सकेगा, जिससे अलग-अलग मतदाता सूची के निर्माण में आने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।
  - प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि दो अलग-अलग संस्थाओं द्वारा तैयार की जाने वाली अलग-अलग मतदाता सूचियों के निर्माण में काफी अधिक दोहराव होता है, जिससे मानवीय प्रयास और व्यय भी दोगुने हो जाते हैं, जबकि एक मतदाता सूची के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है।
- इसके अलावा, अलग-अलग मतदाता सूची होने से मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा होती है, क्योंकि कई बार एक मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम मौजूद होता है, जबकि दूसरे में नहीं।
- ध्यातव्य है कि देश में सभी प्रकार के चुनावों को लिये एक ही मतदाता सूची बनाने का विचार नया नहीं है। विधि आयोग ने वर्ष 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी।
  - इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने भी वर्ष 1999 और वर्ष 2004 में इसी तरह का विचार प्रकार किया था।

कैसे लागू होगा नियम

- पूरे देश में एक मतदाता सूची बनाने के विचार को मुख्यत: दो तरीके से पूरा किया जा सकता है, पहला विकल्प यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243K और 243ZA में संशोधन करके देश के सभी चुनावों के लिये एक समान मतदाता सूची को अनिवार्य किया जा सकता है।
  - अनुच्छेद 243K और 243ZA राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव से संबंधित हैं। ये नियम राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय निकायों के चुनावों का संचालन करने का अधिकार देता है।
  - वहीं संविधान का दूसरी ओर, संविधान का अनुच्छेद 324 (1) चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के लिये निर्वाचक नामावली की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है।
- दूसरा विकल्प यह है कि निर्वाचन आयोग (ECI) या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने कानूनों में संशोधन करने और नगरपालिका तथा पंचायत चुनावों के लिये निर्वाचन आयोग (ECI) की मतदाता सूची को अपनाने के लिये राज़ी किया जाए।

जम्मू और कश्मीर के लिये नियमों की अधिसूचना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs- MHA) ने जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लिये व्यापार के लेन-देन के नियमों को अधिसूचित किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इन नियमों को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, "उपराज्यपाल (Lieutenant Governor-LG) मंत्रियों को दायित्वों के आवंटन के लिये और उपराज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद या एक मंत्री के मध्य मतभेद के मामले में व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिये मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियम बनाएगा।
- ये नियम जम्मू कश्मीर में कार्य आवंटन, विभागों के मध्य व्यापार का वितरण एवं उनकी शक्तियाँ, उपराज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ आदि का विवरण प्रदान करते हैं।
- नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में स्कूली शिक्षा, कृषि, उच्च शिक्षा, बागवानी, चुनाव, सामान्य प्रशासन, गृह, खनन, बिजली, लोक निर्माण विभाग, आदिवासी मामले और परिवहन जैसे 39 विभाग होंगे।
- पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएँ और भ्रष्टाचार विरोधी कार्य उपराज्यपाल के कार्यकारी कार्यों के अंतर्गत आएंगे।
  - इसका तात्पर्य यह है कि मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली में अधिक अंतर नहीं होगा।
- ऐसे प्रस्ताव या मामले जो केंद्र शासित प्रदेश की शांति और अमन को प्रभावित करते हैं या किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के हित को प्रभावित करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- केंद्र या राज्य सरकार के विवाद से संबंधित कोई भी ऐसा मामला, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, उसे जल्द से जल्द, मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
- केंद्र से प्राप्त सभी महत्त्वपूर्ण आदेशों/दिशा निर्देशों से संबंधित सूचना को जल्द से जल्द मुख्य सचिव, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के समक्ष लाया जाएगा।
- उपराज्यपाल और एक मंत्री के मध्य उत्पन्न मतभेद के मामले में एक माह उपरांत भी कोई समझौता नहीं हो पाने पर, उपराज्यपाल के निर्णय को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
- एक अलग विधेयक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ), और लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित करने के लिये पेश किया गया था।
- इस कदम ने कई नागरिक समूहों के साथ विवाद पैदा कर दिया और वे जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग करने लगे। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
- इस कदम का लाभ उठाते हुए, पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए अपना एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।
- चीन ने भारत के इस कदम को "अवैध और अमान्य" कहा और इस मुद्दे को न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) में उठाया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति ने जम्मू और कश्मीर में एक परीक्षण के आधार पर 4G इंटरनेट सेवाओं की बहाली की सिफारिश की, जिसे अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राज्य में हिंसा से बचने के लिये निलंबित कर दिया गया था।

नोट :

COVID-19 के दौरान परीक्षा अनिवार्यता उच्चतम न्यायलय का निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से जुड़े अन्य संस्थान आतंरिक या अन्य मानदंडों के आधार पर अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री नहीं दे सकते तथा इसके लिये संस्थानों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य होगा।

प्रमुख बिंदु:

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' (Disaster Management Act, 2005) के तहत राज्यों को यह अधिकार है कि वे COVID-19 महामारी के बीच मानव जीवन की रक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) द्वारा जारी परीक्षा दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर सकते हैं।
- हालाँकि उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों को बिना परीक्षा आयोजित किये आतंरिक मूल्यांकन के आधार पर ही छात्रों को प्रोन्नति (Promote) प्रदान करने का अधिकार नहीं है।
  - गौरतलब है कि हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारों द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने तथा छात्रों को अन्य मापदंडों के आधार पर प्रोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।
- न्यायालय ने निर्देश दिया है कि यदि भविष्य में राज्यों को लगता है कि 30 सितंबर तक परीक्षाओं को आयोजित करना संभव नहीं होगा और वे परीक्षाओं को विलंबित करना चाहते हैं, तो वे इस संदर्भ में UGC से संपर्क कर सकते हैं।

पृष्ठभूमि:

- ध्यातव्य है कि UGC द्वारा 6 जुलाई, 2020 को जारी एक दिशा-निर्देश में देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।
- UGC के इस फैसले के विरूद्ध 30 से अधिक छात्रों ने उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर की थी।
- याचिकाकर्त्ताओं ने उच्चतम न्यायलय के समक्ष COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के साथ ऑनलाइन परीक्षाओं हेतु इंटरनेट तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की चुनौती का मुद्दा उठाया था।
- इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्त्व वाली तीन सदस्यीय न्यायाधीश पीठ द्वारा की गई।

UCC के फैसले का समर्थन:

- उच्चतम न्यायलय ने इस आरोप को स्वीकार नहीं किया कि UGC द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देश में COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों की ध्यान में नहीं रखा गया या यह संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत छात्रों और परीक्षकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन था।
- इसके लिये न्यायलय ने कई तर्क भी दिये जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं -
  - उच्चतम न्यायालय के अनुसार, 6 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों को छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आर.सी कुहड़ विशेषज्ञ समिति (R.C. Kuhad Expert Committee) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था।
  - UGC द्वारा जारी दिशा निर्देशों में तीन तरीकों की स्वीकृति दी गई थी- कलम और कागज (Pen and Paper), ऑनलाइन (Online) तथा मिश्रित (भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों)। साथ ही परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को एक "विशेष मौका" भी दिया गया था।
  - विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं की तैयारी के लिये 31 जुलाई से 30 सितंबर तक का समय भी दिया गया था।
  - UGC द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत खंड-6 में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के बाद ही किया जा सकता है।
  - उच्चतम न्यायलय ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि COVID-19 महामारी और विश्वविद्यालयों की चुनौतियों को देखते हुए ही पूर्व में निर्धारित 31 जुलाई की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था

नोट :

शैक्षणिक कैलेण्डर में एकरूपता :

- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, कुछ राज्यों में COVID-19 के कारण खराब स्थिति होने के बावजूद भी परीक्षाओं की एक सामान तिथि के निर्धारण का निर्णय UGC के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है और यह उच्च शिक्षा के संस्थानों में मानकों का निर्धारण तथा उनके समन्वय के लिये आवश्यक है।
- उच्चतम न्यायालय ने UGC द्वारा पूरे देश शैक्षणिक कैलेंडर में एकरूपता बनाए रखने हेतु अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन हेतु समान तिथि के निर्धारण को सही बताया।
- याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संशोधित दिशा निर्देश दो मामलों में संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करते हैं-
- देश के अलग-अलग हिस्सों की परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना पूरे देश में परीक्षाओं के लिये एक तिथि का निर्धारण।
- 2- अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता, अंतिम वर्ष और अन्य (प्रथम/द्वितीय वर्ष) छात्रों के बीच भेदभाव है।
- उच्चतम न्यायलय के अनुसार, UGC ने 6 जुलाई के दिशा निर्देशों में अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता निर्धारित कर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया है क्योंकि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ छात्रों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करती हैं और यह शिक्षा अथवा रोज़गार के क्षेत्र में उसके भविष्य का निर्धारण करती हैं।

परीक्षा तिथि निर्धारण के संबंध में UGC के अधिकार:

- उच्चतम न्यायलय के अनुसार, UGC 6 जुलाई के दिशा निर्देशों को जारी करने से पहले राज्यों अथवा विश्वविद्यालयों से परामर्श करने के लिये बाध्य नहीं था।
- राज्य और विश्वविद्यालय UGC के दिशा निर्देशों को मात्र सुझाव बताकर इसे खारिज नहीं कर सकते हैं।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 'औपचारिक शिक्षा के माध्यम से परास्नातक उपाधि प्रदान करने संबंधी निर्देशों के न्यूनतम मानक विनियम, 2003' के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा UGC के दिशा निर्देशों को अपनाना अनिवार्य है।
- गौरतलब है कि 31 जुलाई को उच्चतम न्यायालय में UGC द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के अनुसार, देश के 818 विश्वविद्यालयों में से 603 में या तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ आयोजित की जा चुकी थीं या वे अगस्त-सितंबर में इन्हें आयोजित करने की तैयारी कर रहे थे।

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी के कारण अन्य क्षेत्रों के साथ शिक्षा के क्षेत्र पर भी गंभीर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस महामारी के दौरान परीक्षाओं का आयोजन छात्रों के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों के लिये भी एक बड़ी चुनौती है। हालाँकि देश भर में शिक्षित कैलेण्डर में एकरूपता बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षाओं का आयोजन आवश्यक है परंतु सरकार को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी हितधारकों के सहयोग से इस समस्या के समाधान विशेष विकल्पों पर पुनः विचार चाहिये।

कृषि अध्यादेश का विरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पंजाब सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी से निपटने हेतु केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र में 11 महत्त्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की गई थी।
- केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाने और कृषि आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इन सुधारों के तहत कृषि क्षेत्र के लिये एक लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा के साथ कुछ कानूनी सुधारों की भी घोषणा की गई थी।

नोट :

- 'कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020':
  - इस अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और व्यापारियों को कृषि उत्पाद विपणन समिति' (Agricultural Produce Market Committee- APMC) की सीमाओं से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करना था
  - यह अध्यादेश राज्य कृषि उत्पादन विपणन संघों के तहत अधिसूचित बाज़ारों के बाहर अवरोध मुक्त अंतर-राजकीय व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा देता है।
  - साथ ही या किसानों को अपनी सुविधा के अनुसार कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- 'मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020':
  - इस अध्यादेश में भारतीय कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों (छोटी जोत, मौसम पर निर्भरता और बाज़ार की अनिश्चितता आदि) को दूर करने के उद्देश्य से कुछ सुधार प्रस्तावित किये गए हैं।
  - इस अध्यादेश में किसानों को अपनी उपज की बिक्री हेतु सीधे प्रसंस्करणकर्त्ताओं, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा कारोबारियों, निर्यातकों आदि से जुड़ने की व्यवस्था दी गई है।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020:
  - इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रस्ताव किया था।
- विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020:
  - केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 में राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु अलग-अलग चयन समिति के स्थान पर एक राष्ट्रीय चयन समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया। साथ ही इस विधेयक में विद्युत् वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाने हेतु डिस्कॉम (DISCOM) कंपनियों को राज्य विद्युत नियामक आयोग की अनुमति के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष में सब-लाइसेंस जारी करने का विकल्प प्रदान किया गया।

आपत्तियाँ:

- 'मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020', के तहत राज्य सरकारों को इस अध्यादेश के तहत किये गए किसी भी कारोबार के लिये किसानों, व्यापारियों या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का शुल्क या उपकर लगाने से प्रतिबंधित करता है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों से कृषि उपज से राज्यों को होने वाली आय के साथ राज्य सरकारों के हस्तक्षेप की शक्ति में कटौती होगी।
- कई राज्यों ने विद्युत संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय चयन समिति के गठन के प्रावधान को शक्ति के केंद्रीकरण का प्रयास बताया है।
- पंजाब के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित अध्यादेशों और विद्युत (संशोधन) विधेयक को राज्य के लोगों (विशेषकर किसानों और मज़दूरों) के हितों के साथ भारतीय संविधान के खिलाफ बताया है।
- उन्होंने कहा कि संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि-14 के तहत कृषि को राज्य के विषय के रूप में शामिल किया गया है , अत: केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) की भावना के खिलाफ है।
- पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से इन अध्यादेशों को वापस लेते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद हेतु नए अध्यादेश जारी करने का आग्रह किया है।

आगे की राह:

- वर्तमान में भी देश में किसानों की एक बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, ऐसे में सरकार को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिये।
- सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund-AIF) की स्थापना का निर्णय इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

- कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने के साथ APMC में आवश्यक सुधारों के साथ 'ई-नाम' (e-NAM) जैसे नवीन प्रयासों को आगे ले जाने पर विशेष बल देना चाहिये।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत राज्य और केंद्र सरकार की विधायी शक्तियों की व्याख्या की गई है।
- संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत तीन प्रकार की सूचियों को शामिल किया गया है।
  1. संघ सूची (Union List)
  2. राज्य सूची (State List)
  3. समवर्ती सूची (Concurrent List)

संघ सूची (Union List): इस सूची में राष्ट्रीय महत्त्व के ऐसे विषयों को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल विषयों पर केवल संसद को कानून बनाये का अधिकार दिया गया है। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामलों, बैंकिंग,संचार और मुद्रा आदिको शामिल किया गया है।

राज्य सूची (State List): स्थानीय महत्व के विषय (जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाईआदि) को शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल विषयों पर राज्य विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची में उन विषयों को शामिल किया गया , है जिनमें केंद्र व राज्य दोनों की ही भागीदारी की आवश्यकता होती है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इस सूची में शिक्षा, वन, व्यापार संघ, विवाह आदि विषयों को शामिल किया गया है।

पोषण माह

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2018 के बाद से पोषण अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह (Poshan Maah) के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- 'भारतीय कृषि फंड' (Agricultural Fund of India) को प्रत्येक ज़िले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों से संबंधित पूरी जानकारी रखने के लिये बनाया जा रहा है।
- पोषण माह-
  - इसमें महीने भर की गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें प्रसव पूर्व देखभाल, इष्टतम स्तनपान, एनीमिया, विकास की निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, आहार, विवाह की सही उम्र, स्वच्छता और साफ-सफाई तथा स्वस्थ भोजन (फूड फोर्टिफिकेशन) आदि शामिल हैं।
  - ये गतिविधियाँ सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behavioural Change Communication-SBCC) पर ध्यान केंद्रित करती हैं तथा जन आंदोलन दिशा-निर्देशों पर आधारित होती हैं।
    - SBCC ज्ञान, दृष्टिकोण, मानदंड, विश्वास और व्यवहार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिये संचार दृष्टिकोण का एक रणनीतिक उपयोग है।
    - जन आंदोलन पोषण अभियान के तहत रणनीतियों में से एक है।
  - माई Gov पोर्टल पर एक खाद्य और पोषण प्रश्नोत्तरी तथा साथ ही मीम प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी।
  - इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी- गुजरात (Statue of Unity) में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है, जहाँ मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी भी ली जा सकती है।
- पोषण अभियान:
  - इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है, यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं हेतु पोषण परिणामों में सुधार करने के लिये भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। पोषण का अर्थ है-'समग्र पोषण के लिये प्रधान मंत्री व्यापक योजना'।

नोट :

- शुरुआत-
  - इसे प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझनू से लॉन्च किया गया था।
- क्रियान्वयन-
  - इसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- लक्ष्य-
  - इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक स्टंटिंग, कम वजन और जन्म के वक़्त, शिशु में कम वजन, प्रत्येक में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की तथा युवा बच्चों, किशोरों और महिलाओं में एनीमिया प्रत्येक में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाना है।
- स्टंटिंग को कम करने का न्यूनतम लक्ष्य प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिशत है, परंतु यह मिशन इसे 2016 के 38.4 प्रतिशत से वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत तक कम करने का प्रयास करेगा।

भारत में छात्रवृत्ति योजनाएँ Post Matric Scholarship Scheme scam

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, पंजाब में अनुसूचित जाति (Scheduled Castes-SC) के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्र सरकार सभी मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं को मिलाकर एक एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (Single National Scholarship Scheme) लाने की योजना बना रही है।
- SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-
  - यह वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जिसे राज्य सरकार और केंद्र-शासित राज्यों के प्रशासन के माध्यम से लागू किया गया है।
  - यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से पोस्ट मैट्रिक या स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  - यह छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिये उपलब्ध है और यह उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जिनके अभिभावकों की आय प्रति वर्ष 2,50,000 रूपए से कम है।
- एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना-
  - केंद्र सरकार 'पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना फॉर वाइब्रेंट इंडिया' (PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India-PM-YASASVI) नामक एक एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसमें सभी मौजूदा छात्रवृत्ति योजनाओं को शामिल कर दिया जाएगा।
  - लाभार्थी:
    - अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class (OBC), SCs, डिनोटिफाइड (Denotified), घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजाति (Nomadic and semi-Nomadic Tribe- DNT) तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (Economically Backward Caste- EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।
  - क्रियान्वयन एजेंसी:
    - इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा एक योग्यता परीक्षा आयोजित कराके किया जाएगा।
  - एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के लाभ:
    - सरकार की छात्रवृत्ति योजना संबंधित जानकारी की पहुँच को बढ़ाने में मददगार।

नोट :

- देश भर में एक बुनियादी पाठ्यक्रम और शिक्षण मानकों को बनाए रखने के महत्त्व को बढ़ावा देना।
- छात्रवृत्ति की गुणवत्ता और कार्यान्वयन में सुधार करने में सहायता करना।

◆ शामिल मुद्दे:

- यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति की समय सीमा से चूक जाता है, तो उसे दूसरी छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा।
- राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा छात्रों पर एक अतिरिक्त बोझ बन जाएगी।

- छात्रवृत्ति हेतु योग्यता की पहचान के लिये अलग से परीक्षा आयोजित कराना निरर्थक है क्योंकि छात्रों पर पहले से ही बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं का बोझ है।
  - यदि मौजूदा प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को बंद किया जाता है, तो इससे छात्रों की शिक्षा में बाधा आ सकती है।

आगे की राह:

- PM-YASASVI के तहत एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तभी लाभकारी हो सकती है जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए।
  - सही कार्यान्वयन के बिना यह योजना भारत में छात्रों के लिये मदद के बजाय एक बाधा बन सकती है।
- सरकार को इस नई छात्रवृत्ति योजना को विकसित करते हुए छात्रवृत्ति प्रदाता प्लेटफार्मों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिये।

आर्थिक घटनाक्रम

भादभूत परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में गुजरात सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना (Bhadbhut Project) के लिये अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (Inland Waterway Authority) ने इस परियोजना को मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, मुख्य रूप से हिल्सा (Tenualosa ilisha) को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु

- परियोजना की विशेषताएँ:
  - यह नर्मदा नदी के पार, भादभूत गाँव से 5 किमी. और नदी के मुहाने से 25 किमी. दूर स्थित है, जहाँ नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है।
  - यह परियोजना वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जो भरूच और भावनगर ज़िलों के बीच खंभात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण पर बल देती है।
    - कल्पसर परियोजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना है।
    - यह जलाशय लगभग 8,000 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) भूमिगत जल को संग्रहित करेगा और यह समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे जल के जलाशयों में से एक होगा।
- उद्देश्य:
  - लवणता को रोकने के लिये
    - लवणता अंतर्ग्रहण, मीठे पानी वाले क्षेत्रों में खारे पानी के अतिक्रमण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
    - मीठे पानी के कम प्रवाह के कारण उच्च ज्वार के दौरान नर्मदा के मुहाने पर खारे समुद्री जल का जमाव हो जाता है, इससे नदी के किनारों के साथ लवणता बढ़ती जा रही है।
  - यह सरदार सरोवर बांध से बहने वाले अधिकांश अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुँचने से रोकेगा और नदी पर 600 MCM मीठे पानी की एक झील का निर्माण करेगा, जिससे भरूच में मीठे पानी की समस्या का समाधान होगा।
  - इससे जलाशय में नर्मदा, महिसागर और साबरमती नदियों के अतिरिक्त जल का दोहन हो सकेगा।
- प्रभाव:
  - इस बैराज से हिल्सा मछली के प्रवास और प्रजनन चक्र में हस्तक्षेप होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इसके निर्माण से इनकी प्राकृतिक प्रविष्टि अवरुद्ध हो जाएगी।
    - हिल्सा एक समुद्री मछली है, जो नदी की विपरीत धारा में बहती हुई भरूच के समीप नर्मदा नदी के मुहाने के खारे पानी में प्रवेश करती है। आमतौर पर यह जुलाई और अगस्त के मानसून के महीनों से लेकर नवंबर तक ऐसा करती है।
    - हिल्सा के पतन के प्रमुख कारणों में बांध से पानी का कम बहाव, नदी में अपवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट और बढ़ती लवणता को उत्तरदायी माना जा रहा है।
  - इस परियोजना के निर्माण से आलिया बेट का एक हिस्सा, नर्मदा के डेल्टा में एक द्वीप जो झींगा की खेती के लिये प्रसिद्ध है, के जलमग्न होने की संभावना है।
    - इस परियोजना से आलिया बेट (Aliya Bet) में जंगल का एक हिस्सा भी प्रभावित होगा।

नोट :

हवाई अड्डों को लीज़ पर देने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के माध्यम से देश के तीन हवाई अड्डों- जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस संबंध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) को संचालन, प्रबंधन और विकास के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा संचालित तीन हवाई अड्डों को लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
  - लीज़ की अवधि 50 वर्ष की है और अवधि पूरी होने के पश्चात् हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन और विकास का दायित्त्व पुन: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के पास आ जाएगा।

पृष्ठभूमि

- सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिये करीब एक दशक पूर्व ही लीज़ पर दे दिया था।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने 14 दिसंबर, 2018 को सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत देश के छह हवाई अड्डों- अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज़ पर दिये जाने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये थे।
- इस प्रक्रिया में अडानी एंटरप्राइज़ेज लिमिटेड सबसे बड़े बोलीदाता के रूप में सामने आया था। इसके बाद जुलाई 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइज़ेज को छह में से तीन हवाई अड्डों- अहमदाबाद, मंगलुरु और लखनऊ को लीज़ पर देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।
  - हालाँकि शेष तीन हवाईअड्डों को कुछ कानूनी मामलों के कारण उस समय अडानी एंटरप्राइज़ेज को नहीं दिया गया था।

लाभ

- इस परियोजना के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेश जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आएगी।
- एक ओर जहाँ इस सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के प्रयोग से भारत में विश्व स्तर के हवाईअड्डे विकसित करने में मदद मिलेगी, वहीं इन हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों के लिये गुणवत्ता युक्त विश्व स्तरीय सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) को जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाईअड्डों को लीज़ पर देने से लगभग 1,070 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा इस राशि का प्रयोग छोटे शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिये किया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल, 1995 को किया गया था, तब से यह प्राधिकरण ग्राउंड (Ground) और एयरस्पेस (Airspace) दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन,रखरखाव और प्रबंधन का कार्य कर रहा है।
- वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) 137 विमानपत्तनों का प्रबंधन करता है, जिसमें 23 अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, 10 सीमा शुल्क विमानपत्तन, 81 घरेलू विमानपत्तन तथा रक्षा वायु क्षेत्रों में 23 घरेलू सिविल एन्क्लेव शामिल हैं।

नोट :

न्यूनतम मज़दूरी से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) द्वारा ड्राफ्ट कोड ऑन वेज (सेंट्रल) रूल्स, 2020 (Draft Code on Wages (Central) Rules, 2020) में वर्तमान न्यूनतम वेतन (Minimum Wage) निर्धारण मानदंड को अस्पष्ट बताया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 7 जुलाई 2020 को, केंद्र सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में वेजेज़ (सेंट्रल) रूल्स, 2020 पर ड्राफ्ट कोड प्रकाशित किया एवं इसे आपत्तियों तथा सुझावों को आमंत्रित करने वाले पब्लिक डोमेन (Public Domain) में रखा।
- न्यूनतम वेतन का निर्धारण:
  - उपभोग इकाइयों की संख्या (Number of Consumption Units): वेतन संहिता (Wage Code) 3 वयस्क खपत इकाइयों के बराबर मानक श्रमिक वर्ग परिवार को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण करता है।
  - एक मानक श्रमिक परिवार में सिर्फ 3 वयस्क उपभोग इकाइयाँ शामिल हैं।
  - पुरुष कर्मचारी को 1 उपभोग इकाई, उसकी पत्नी को 0.8 उपभोग इकाई और दो बच्चों को 0.6 उपभोग इकाई के रूप में गिना जाता है।
  - एक परिवार के सदस्यों की खाद्य आवश्यकताओं के बारे में ऐसी धारणा त्रुटिपूर्ण लगती है। इसके अलावा, इस अवधारणा में ऐसे परिवारों पर विचार नहीं किया जाता जो घर के बड़े सदस्यों पर आश्रित है।
- व्यय: भोजन, कपड़े, आश्रय, ईंधन, बिजली, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा आवश्यकताओं के लिये किये गए खर्चों के अनुमान पर विचार करके कोड के तहत न्यूनतम मज़दूरी तय की गई है। इसमें आकस्मिकताओं और विविध मदों पर खर्च भी शामिल है।
  - हालाँकि न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिये निर्धारित मानदंड वर्तमान समय में एक परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये गए सभी खर्चों को ध्यान में नहीं रखते हैं।
  - उदाहरण के लिये इसमें परिवहन, मोबाइल फोन बिल और इंटरनेट कनेक्शन बिल पर किये गए खर्च पर विचार नहीं किया जाता है।
- वस्त्र: मानक श्रमिक परिवार वर्ग को प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़े की आवश्यकता वास्तविक रूप से कम है।
  - इसमें ठंडे क्षेत्रों के लोगों की अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में नहीं रखा गया है।
- आवास: आवास किराया खर्च का कुल 10% भोजन और कपड़ों पर खर्च किया जाएगा, जो कि सोचने में काफी अव्यावहारिक है क्योंकि महानगरीय क्षेत्रों एवं उसके आसपास के परिवार के लिये एक अच्छे आवास का किराया कम से कम 5000 रूपए प्रति माह होगा।।
  - मज़दूरी के निर्धारण का आधार: मसौदा कोड के तहत न्यूनतम मज़दूरी का निर्धारण दैनिक आधार पर किया गया है।
  - हालाँकि, ट्रेड यूनियन नेताओं ने कहा है कि मासिक आधार पर न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण की तुलना में एक दिन के आधार पर मज़दूरी का निर्धारण श्रमिकों के लिये नुकसानदेह हो सकता है।

न्यूनतम वेतन सीमा/मज़दूरी का निर्धारण (Fixation of Floor Wage):

- वेतन संहिता, 2020 न्यूनतम वेतन सीमा/मज़दूरी की अवधारणा को प्रस्तुत करती है जो केंद्र सरकार को श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन सीमा तय करने का अधिकार प्रदान करती है।
  - यह एक आधारभूत मज़दूरी दर है जिसके नीचे न्यूनतम मज़दूरी राज्य सरकारों द्वारा तय नहीं की जा सकती है।
  - वेतन संहिता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिये अलग-अलग न्यूनतम वेतन सीमा निर्धारित करने की अनुमति देती है। हालाँकि इसने उन क्षेत्रों में एक आर्थिक शंका को उत्पन्न किया है जिन क्षेत्रों में मज़दूरी अधिक है परंतु कम दी जाती है।
  - इसके अलावा, वेतन नियम केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन सीमा दरों के निर्धारण के लिये सटीक मानदंडों की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करते हैं।

नोट :

सुझाव:

- न्यूनतम वेतन सीमा के निर्धारण की सटीक विधियों को बताते हुए यह वेतन संहिता लागू होने के बाद उचित स्तर पर फ्लोर वेज को स्थापित करने में सक्षम करेगा।

न्यूनतम वेतन के संशोधन की आवधिकता को ठीक करना-

- न्यूनतम वेतन के दो घटक मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता हैं। कागजी तौर पर हर 5 वर्षों में मूल वेतन के संशोधन का सुझाव दिया गया है इसका एक हिस्सा प्रस्तावित न्यूनतम वेतन नियमों से गायब है।
- श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि संगठनों के साथ परामर्श करके नियमों को परिभाषित करना और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण पर भरोसा करना ।

भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियाँ: TIFAC

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (Technology Information Forecasting and Assessment Council-TIFAC) की एक रिपोर्ट ने भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियों को उजागर किया है जो कि चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा में बाधा साबित हो रही हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत के पास लागत प्रभावी और कम प्रदूषणकारी तरीके से प्रमुख रसायनों के निर्माण के लिये पर्याप्त तकनीकी, संयंत्र और बुनियादी ढाँचा नहीं है।
- भारत ने कई प्रमुख सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredient- API) का निर्माण बंद कर दिया है।
  - भारत ने एस्कॉर्बिक एसिड (Ascorbic Acid), एस्पार्टेम (Aspartame) और एंटीबायोटिक्स जैसे रिफैम्पिसिन (Rifampicin), डीऑक्सीसाइक्लिन (Doxycycline), टैज़ोबैक्टम एसिड (Tazobactam Acid) और यहाँ तक कि स्टेरॉयड के लिये API का निर्माण बंद कर दिया है।
  - एटोरवास्टेटिन (Atorvastatin), क्लोरोक्वीन (Chloroquine), गैबापेंटिन (Gabapentin), सिप्रोफ्लोक्सासिन (Ciprofloxacin), सेफलोस्पोरिन (Cephalosporins), इम्यूनोसप्रेसेन्ट (Immunosuppressants) जैसी सक्रिय दवा सामग्री का उत्पादन भी रोक दिया गया है।
- भारत 67% रासायनिक इंटरमीडिएट और API के आयात के लिये चीन पर निर्भर है।
  - भारत API के लिये अमेरिका और इटली पर भी निर्भर है।
- रासायनिक उद्योग क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) की आपूर्ति के लिये लगभग पूरी तरह से चीन पर निर्भर है।
  - हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मलेरियारोधी दवा है। यह क्लोरोक्विन (Chloroquine) का एक यौगिक/डेरिवेटिव (Derivative) है, जिसे क्लोरोक्विन से कम विषाक्त (Toxic) माना जाता है।
  - रूमेटाइड आर्थराइटिस (Rheumatoid Arthritis) और लूपस (Lupus) जैसी कुछ अन्य बीमारियों के मामलों में भी डॉक्टर की सलाह पर इस दवा का उपयोग किया जाता है।
- निर्माता उस कीमत को प्राप्त करने में असमर्थ हैं जिस पर चीन द्वारा रसायनों का उत्पादन किया जाता है।
  - भारत में विलायक और रसायन निर्माण लागत चीन की तुलना में 15% अधिक है।
- कुल दवा निर्यात मिश्रण में भारतीय थोक दवाओं और सक्रिय दवा सामग्री की हिस्सेदारी वर्ष 2008 के 42% से घटकर 20108 में 20% हो गई।

सक्रिय दवा सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients)

- ये दवा निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं, इन्हें बल्क ड्रग्स (Bulk Drugs) भी कहा जाता है।

नोट :

- चीन का हुबेई प्रांत API विनिर्माण उद्योग का केंद्र है।

फार्मास्युटिकल इंटरमीडिएट (Pharmaceutical Intermediates)

- ये ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जो API के बिल्डिंग ब्लॉक का निर्माण करते हैं और API के उत्पादन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में उत्पादित होते हैं।

TIFAC विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संगठन और थिंक-टैंक है।

सुझाव

- API अणुओं के निर्बाध संश्लेषण के लिये निर्धारित लक्ष्य के साथ मिशन मोड केमिकल इंजीनियरिंग की आवश्यकता है।
- भारत में सामान्य बुनियादी ढाँचे के साथ मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण करने की ज़रूरत है।
- बड़ी क्षमता वाले किण्वन क्षेत्र में निवेश करने और लागत अनुकूलन के लिये जैव उत्प्रेरक (Biocatalysis) हेतु एक प्रौद्योगिकी मंच का विकास करना।
  - जैव उत्प्रेरक का तात्पर्य रासायनिक प्रतिकियाओं को तीव्र करने हेतु जैविक स्रोतों से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों (जैसे एंजाइम) के उपयोग से है।
- रासायनिक क्षेत्रों में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान करना।

आगे की राह

- TIFAC द्वारा प्रस्तुत विभिन्न सिफारिशें दवा क्षेत्र में भारत की आयात निर्भरता को कम करके इसे आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित हो सकती है।
- प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग्स पार्क्स और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (Promotion of Bulk Drug Parks and Production Linked Incentives) जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने की ज़रूरत है ताकि थोक दवाओं की विनिर्माण लागत को कमकरके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके।

पी-नोट्स के माध्यम से निवेश में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय पूंजी बाज़ारों में पी-नोट्स (P-Notes) के माध्यम से निवेश बढ़कर जुलाई, 2020 के अंत तक 63288 करोड़ रुपए हो गया है। पी-नोट्स के माध्यम से निवेश में यह लगातार चौथी मासिक वृद्धि है।

प्रमुख बिंदु:

- निवेश से संबंधित आँकड़े
  - पी-नोट्स (P-Notes) के माध्यम से जुलाई 2020 के अंत तक 63288 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। जिसके अंतर्गत इक्विटी में 52,356 करोड़ रुपए का, ऋणों में 10,429 करोड़ रुपए का, हाइब्रिड प्रतिभूतियों में 250 करोड़ रुपए का, डेरीवेटिव्स में 190 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।

डेरीवेटिव (Derivative) एक वित्तीय साधन है जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों से इसका मूल्य प्राप्त करता है।

- जून 2020 के अंत में पी-नोट्स के माध्यम से निवेश 62138 करोड़ रुपए था।
- इससे पहले मई एवं अप्रैल के अंत में निवेश क्रमश: 60027 करोड़ रुपए और 57100 करोड़ रुपए था।
- मार्च 2020 के अंत में निवेश 15 वर्ष के निचले स्तर 48,006 करोड़ रुपए पर आ गया था।
  - मार्च 2020 के अंत में यह आंकड़ा अक्तूबर 2004 के बाद से निवेश के सबसे निचले स्तर पर था जब भारतीय बाज़ारों में पी-नोट्स के माध्यम से निवेश का कुल मूल्य 44,586 करोड़ रुपए था।

नोट :

पी-नोट्स (P-Notes):

- पी-नोट्स या ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ODIs), पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPIs) द्वारा विदेशी निवेशकों, हेज़ फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किये जाते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हुए बिना भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं।
- यद्यपि सेबी ने विदेशी निवेशकों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक पी-नोट्स (Participatory Notes) के लिये 1,000 डॉलर का नियामक शुल्क लगाया है ताकि सट्टे (Speculation) के लिये पी-नोट्स का प्रयोग न किया जा सके है। अब, यह शुल्क प्रत्येक पी-नोट्स जारी करने वाले सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) पर लगाया जाता है।
  - सेबी, पी-नोट्स जारी करने वाले पर प्रत्येक तीन वर्ष में 1,000 डॉलर का शुल्क लगाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई FPI पाँच अलग-अलग निवेशकों को पी-नोट्स जारी करता है, तो उसे 5,000 डॉलर का भुगतान शुल्क के रूप में जमा करना पड़ता है।

वित्तीय बाज़ार (Financial Markets):

- वित्तीय बाज़ारों को उनमें कारोबार किये गए वित्तीय साधनों की परिपक्वता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
  - मुद्रा बाज़ार (Money Market) में एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है। जैसे- ट्रेज़री बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि।
  - पूंजी बाज़ार (Capital Market) में अधिक समय की परिपक्वता वाले उपकरणों का कारोबार होता है। जैसे- शेयर, डिबेंचर आदि।

संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) द्वारा 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -सूक्ष्म वित्त संस्थानों' के लिये एक 'संरचित वित्त और आंशिक गारंटी कार्यक्रम' (Structured Finance and Partial Guarantee Programme) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य COVID-19 से प्रभावित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा छोटे और मध्यम आकार के 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों' (Non-Banking Financial Company - Micro Finance Institutions or NBFC-MFIs) को सामूहिक/संयोजित ऋण (Pooled Loans) पर आंशिक गारंटी प्रदान की जाएगी।
- इसके तहत नाबार्ड द्वारा प्राथमिक चरण के तहत 2500 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा इसे आगे चलकर और भी बढ़ाया जा सकता है।
- इस कार्यक्रम के तहत देश के 28 राज्यों और 650 ज़िलों में 10 लाख से अधिक परिवारों को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।

क्रियान्वयन:

- नाबार्ड द्वारा इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विवृत्ति कैपिटल (Vivriti Capital) और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan Small Finance Bank) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है।

प्रभाव:

- वर्तमान में COVID-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बीच इस आंशिक गारंटी युक्त ऋण सुविधा के माध्यम से बड़ी संख्या में परिवारों, किसानों और व्यवसायों को इस चुनौती से निपटने के लिये आवश्यक वित्तीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- गौरतलब है कि COVID-19 महामारी की शुरुआत के बाद से बाज़ार में तरलता की कमी को दूर करने के लिये नाबार्ड द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) और 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों' (NBFCs) को लगभग 2,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं।

नोट :

सामूहिक ऋण निर्गमन (Pooled Loan Issuance- PLI):

- इस व्यवस्था के तहत कई ऋणग्राहियों के जोखिम को एक साथ जोड़ दिया जाता है और ऋण पर समूह के किसी उच्च मानक प्राप्त गारंटर (Highly Rated Guarantor) के माध्यम से एक सामान्य आंशिक गारंटी प्रदान की जाती है।
- PLI की इस व्यवस्था में नाबार्ड द्वारा आंशिक ऋण संरक्षण के प्रावधान से ऋण दाता बैंकों के लिये ऋण वितरण की प्रक्रिया बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगी।
- इसके तहत नाबार्ड की गारंटी से ऋणों की रेटिंग बढ़ने से पूंजी की लागत कम हो जाएगी, जो ऋणदाताओं को प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है।
- इस कार्यक्रम में एक गारंटर के रूप में नाबार्ड की भूमिका से बड़ी संख्या में मुख्यधारा के बैंकों और छोटे वित्त बैंकों को इससे जुड़ने हेतु आकर्षित करने में सहायता प्राप्त हुई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - सूक्ष्म वित्त संस्थान:

- NBFC-MFIs एक प्रकार की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसमें धन जमा करने की सुविधा नहीं होती।
- NBFC-MFIs के निर्धारण के कुछ मानदंड निम्नलिखित हैं-
  - NBFC-MFIs की कुल संपत्ति में से 85% क्वालीफाइंग संपत्ति (Qualifying Assets) के रूप में होनी चाहिये।
  - NBFC-MFI द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपए और अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में परिवार की वार्षिक आय 1,60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिये।
  - एक NBFC तथा NBFC-MFI में मुख्य अंतर यह होता है कि जहाँ NBFC बड़ी परियोजनाओं, उद्यमों के लिये वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराती है वहीं NBFC-MFI समाज के निचले स्तर पर बहुत छोटे ऋण उपलब्ध कराती हैं।

निष्कर्ष:

- सूक्ष्म वित्त संस्थान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के निचले स्तर पर पूंजी उपलब्ध कराने तथा बाज़ार में मांग को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वर्तमान में COVID-19 महामारी के बीच नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित आंशिक ऋण गारंटी से कृषि, छोटे व्यवसायों और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय तरलता को कुछ सीमा तक कम करने में सहायता प्राप्त होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- RBI की इस रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में भी जारी रह सकती है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक की कुल मांग के आकलन से पता चलता है कि COVID-19 महामारी के कारण खपत में भारी गिरावट देखी गई है।
- RBI के अनुसार, खपत में आई इस कमी को दूर करने और अर्थव्यवस्था में पूर्व-COVID दौर की गति को पुन: प्राप्त करने में काफी समय लग सकता है।

आर्थिक सुधार की गति पर लॉकडाउन का प्रभाव:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, मई और जून माह में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन में कुछ ढील के साथ ही अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिला था परंतु देश के कुछ हिस्सों में पुन: लॉकडाउन लागू होने के कारण जुलाई तथा अगस्त में इसका प्रभाव कम होने लगा।

नोट :

- रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, COVID-19 महामारी के नियंत्रण हेतु लागू लॉकडाउन के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 20% तक की गिरावट का अनुमान है।
- जून 2020 में ई-वे बिल (e-Way Bill) जारी करने के मामलों में पिछले माह की तुलना में 70.3% का सुधार देखने को मिला हालाँकि जुलाई माह में इसमें केवल 11.4% की ही वृद्धि देखने को मिली।
- पिछले वर्ष की तुलना में जुलाई 2020 में ई-वे बिल जारी करने के मामलों में 7.3% की गिरावट देखने को मिली है।
  - ई-वे बिल को घरेलू ट्रेडिंग गतिविधि के संकेतक के रूप में देखा जाता है।

असमानता:

- RBI के अनुसार, इस महामारी ने नई विषमताओं को उजागर किया है।
- इस महामारी के दौरान जहाँ कार्यालयों में प्रबंधन या डेस्क से जुड़े अधिकांश कर्मचारी घरों पर रहकर अपना कार्य करने में सक्षम हैं वहीं अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को कार्यस्थल से अपना कार्य करने पर विवश होना पड़ा है जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है।
- होटल और रेस्त्रां, एयरलाइंस और पर्यटन जैसे कुछ क्षेत्रों में, रोज़गार के नुकसान के प्रभाव अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक गंभीर रहे हैं।

शहरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- इस रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण शहरी खपत में भारी कमी देखने को मिली है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (Consumer Durables) की बिक्री पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में घटकर क्रमश: 20% और 33% ही रह गई। साथ ही इस दौरान हवाई यातायात पूरी तरह से बंद रहा था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- RBI के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर COVID-19 का प्रभाव उतना गंभीर नहीं रहा है।
- खरीफ की बुआई की प्रगति के कारण जुलाई माह में ट्रैक्टरों की बिक्री में 38.5% की वृद्धि देखने को मिली है।
- साथ ही जुलाई माह में मोटरसाइकिल की बिक्री में आई गिरावट में भी सुधार देखने को मिला है।
- हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक मज़दूरी में आई कमी के कारण मांग में हुई गिरावट पर पूर्ण सुधार नहीं संभव हो सका है।
- लोगों की आजीविका के छिन जाने और प्रवासी मज़दूरों की समस्या के कारण दैनिक मज़दूरी में आई गिरावट का संकट अभी भी बना हुआ है।

अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास :

- COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था की क्षति को कम करने के लिये मार्च से लेकर अबतक RBI द्वारा बाज़ार में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।
- इस दौरान RBI ने विकास की गति को मज़बूती और वित्तीय प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने के लिये रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4% तक कर दिया।

घरेलू निवेश में गिरावट:

- RBI के अनुसार, सितंबर 2019 में सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती अपेक्षा के अनुरूप निवेश चक्र को पुन: शुरू करने में सफल नहीं रही है।
- अधिकांश कंपनियों द्वारा इस छूट का उपयोग अपने ऋण को कम करने और कैश बैलेंस को बनाए रखने और अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में किया गया।
- गौरतलब है कि सितंबर 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने घरेलू कंपनियों के लिये कर दरों को 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिये 15% तक करने की घोषणा की थी।

नोट :

- इन सुधारों के बाद भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में जीडीपी और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation-GFCF) का अनुपात घटकर 29.8% रह गया, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 31.9% था।

बैंक धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक के बैंक धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में दोगुने से अधिक की वृद्धि देखने को मिली है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 8,707 मामलों में 1.85 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी देखी गई जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 6,799 मामलों में 71,543 करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़ी दर्ज की गई थी
- RBI के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक धोखाधड़ी के कुल मामलों में 80% सार्वजनिक बैंकों और लगभग 18.4% निजी बैंकों से संबंधित थे।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक धोखाधड़ी की घटना होने और इसका पता चलने का औसत अंतराल 24 माह रहा।
- RBI ने बैंकों द्वारा 'प्रारंभिक चेतावनी संकेतों' (Early Warning Signals- EWS) के कमज़ोर कार्यान्वयन, आंतरिक ऑडिट के दौरान EWS का पता न लगाने, फोरेंसिक ऑडिट के दौरान उधारकर्त्ताओं का गैर-सहयोग, अनिर्णायक ऑडिट रिपोर्ट आदि को धोखाधड़ी का पता लगाने में देरी का प्रमुख कारण बताया है।

महँगाई:

- RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee -MPC) के अनुमान के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के दौरान भी हेडलाइन मुद्रास्फीति (Headline Inflation) में वृद्धि बनी रह सकती है, परंतु तीसरी तिमाही से इसमें कुछ कमी आने का अनुमान है।
- जुलाई 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.93 प्रतिशत पर थी, जो ऊपरी सहिष्णुता सीमा (6%) से अधिक थी।

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee -MPC):

- RBI की मौद्रिक नीति समिति का गठन वर्ष 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI Act) में संशोधन के माध्यम से किया गया था।
- मौद्रिक नीति समिति के कुल 6 सदस्यों में से 3 सदस्य RBI से होते हैं तथा अन्य 3 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- मौद्रिक नीति समिति अन्य कार्यों के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु रेपो दर तय करने का कार्य करती है।

सुझाव:

- COVID-19 महामारी की समाप्ति के पश्चात संभावित घाटे को कम करने और वित्तीय स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था को मज़बूत तथा सतत् विकास के मार्ग पर लाने हेतु उत्पाद बाज़ारों, वित्तीय क्षेत्र, विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा से जुड़े व्यापक संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता होगी।
- RBI के अनुसार, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और प्रमुख बंदरगाहों के निजीकरण से प्राप्त धन के माध्यम से लक्षित सार्वजनिक निवेश को अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने का एक व्यवहारिक उपाय बताया है।
- RBI के अनुसार, संरचनात्मक सुधारों और अवसंरचना परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु 'वस्तु और सेवा कर परिषद' [Goods and Services Tax (GST) Council] की तरह ही भूमि, श्रम तथा ऊर्जा के क्षेत्र में भी शीर्ष निकायों की स्थापना की जा सकती है।

निर्यात तत्परता सूचकांक 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस (Institute of Competitiveness) के साथ संयुक्त रूप से निर्यात तत्परता सूचकांक (Export Preparedness Index-EPI) 2020 जारी किया है।

नोट :

सूचकांक संबंधी प्रमुख बिंदु

- राज्यों की निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तैयार किये गए निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) 2020 में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में गुजरात के बाद दूसरा और तीसरा स्थान क्रमश: महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला है।
- शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाले अन्य राज्यों में राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल शामिल हैं।
- समग्र तौर पर निर्यात तत्परता के मामले में भारत के तटीय राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और इस सूचकांक में शीर्ष 10 राज्यों में से 6 तटीय राज्य हैं।
- पूरी तरह से भू-सीमा से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है।
- हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान, जबकि त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, भारत के 70 प्रतिशत निर्यात में पाँच राज्यों- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का वर्चस्व मौजूद है।
- रिपोर्ट यह भी रेखांकित करती है कि निर्यात अनुकूलन और तत्परता केवल समृद्ध राज्यों तक ही सीमित नहीं है। कई ऐसे भी राज्य हैं जो उतने अधिक समृद्ध नहीं हैं, किंतु उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिये कई उपाय आरंभ किये हैं।

भारत में निर्यात

- कई विशेषज्ञ निर्यात को आर्थिक विकास के महत्त्वपूर्ण कारकों में से एक मानते हैं। प्राय: यह देखा गया है कि पारंपरिक आयात प्रतिस्थापन की नीति से अधिक निर्यात-उन्मुख नीति देश के उच्च और निरंतर आर्थिक विकास में अधिक भूमिका अदा करती है।
  - उदाहरण के लिये जापान ने 1960 के दशक में निर्यात-उन्मुख नीति का अनुसरण किया था, जिसके प्रभावस्वरूप 1960 के दशक में उसका व्यापार निर्यात 16.9 प्रतिशत की दर से और 1970 के दशक में 21 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।
- इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि भारत को आर्थिक वृद्धि करनी है तो निर्यात में बढ़ोतरी करना भारत की विकास नीति का अभिन्न अंग होना चाहिये।
- बीते कुछ वर्षों में भारत के व्यापारिक निर्यात में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत के व्यापारिक निर्यात में 275.9 बिलियन डॉलर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 303.5 बिलियन डॉलर और वित्तीय वर्ष 2018-19 में 331.0 बिलियन डॉलर तक वृद्धि दर्ज की गई।
- हालाँकि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने भारत समेत विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया है।

निर्यात पर COVID-19 का प्रभाव

- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने वैश्विक व्यापार परिदृश्य में व्यापक पैमाने पर बदलाव किये हैं। कोरोना काल में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन का कार्य लगभग बंद हो गया है, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर निर्यात काफीअधिक प्रभावित हुआ है।
- अंकटाड (United Nations Conference on Trade and Development- UNCTAD) द्वारा किया गया एक अध्ययन दर्शाता है कि महामारी काल के दौरान वैश्विक स्तर पर नियत में कुल 50 बिलियन डॉलर की कमी आई है।
- आँकड़ों की माने तो वायरस के प्रभावस्वरूप अप्रैल, 2020 में भारत के निर्यात में 60 प्रतिशत की कमी आई है।

निर्यात संवर्द्धन की प्रमुख चुनौतियाँ

- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में निर्यात संवर्द्धन को मुख्य तौर पर तीन बुनियादी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
  - निर्यात अवसंरचनाओं में अंत:क्षेत्रीय विषमताएँ,
  - राज्यों के बीच निम्न व्यापार सहायता तथा विकास अनुकूलन,
  - निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निम्न अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना।

नोट :

सुझाव

- रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना करने के लिये प्रमुख कार्यनीतियों पर ज़ोर दिये जाने की आवश्यकता है, जिसमे:
  - निर्यात अवसंरचना का संयुक्त विकास
  - उद्योग-शिक्षा क्षेत्र के बीच संपर्क का सुदृढ़ीकरण
  - आर्थिक कूटनीति के लिये राज्य-स्तरीय भागीदारी में बढ़ोतरी
- 'आत्मनिर्भर भारत' पर ज़ोर देते हुए भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को अर्जित करने के लिये सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI)

- भारतीय राज्यों की निर्यात तत्परता का मूल्यांकन करने के लिये निर्यात तत्परता सूचकांक के निर्माण का विचार सर्वप्रथम वर्ष 2019 में नीति आयोग के समक्ष आया था।
- प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की भावना को मद्देनज़र रखते हुए नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) उन सभी कारकों का आकलन करता है जो किसी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के निर्यात प्रदर्शन को निर्धारित करने में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं।
- निर्यात तत्परता सूचकांक का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिये चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की प्रभावोत्पादक को बढ़ाना और एक सुविधाजनक नियामकीय संरचना को प्रोत्साहित करना है।
- निर्यात तत्परता सूचकांक (EPI) की संरचना में कुल 4 स्तंभ- (1) नीति (2) व्यवसाय परितंत्र (3) निर्यात परितंत्र (4) निर्यात निष्पादन शामिल हैं, इसके अलावा इन सभी स्तंभों में कुछ उप-स्तंभ भी शामिल हैं।

आर्थिक वृद्धि के लिये आवश्यक सुधार

चर्चा में क्यों ?

मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट (McKinsey Global Institute-MGI) के अनुसार, कोरोना वायरस (COVID-19) काल के पश्चात् आर्थिक वृद्धि के नए अवसरों का निर्माण करने के लिये भारत को अगले एक दशक में अपनी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ाने की आवश्यकता है और यदि ऐसा नहीं होता है तो भारत आय स्थिरता के चक्र में फँस जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट (MGI) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जारी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अगले एक दशक में अपनी GDP 8-8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ाने के लिये कम-से-कम 90 मिलियन (9 करोड़) नए गैर-कृषि रोज़गार का सृजन करना होगा।
- अनुमान के अनुसार, भारतीय GDP में वित्त वर्ष 2020-21 में 3 से 9 प्रतिशत के बीच संकुचन हो सकता है।मौजूद वित्तीय वर्ष अर्थव्यवस्था का संकुचन पूर्णत: सरकार द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को रोकने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है।
- यदि भारत सरकार कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और उसके कारण उत्पन्न हुए आर्थिक संकट को सही ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थ रहती है, तो वर्ष 2023 से वर्ष 2030 तक भारत भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.5 से 6.0 प्रतिशत के बीच ही रहेगी।
- रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वायरस के कारण उत्पन्न हुआ आर्थिक आघात देश की बैंकिंग प्रणाली को तनाव में डाल सकता है। यदि आम नागरिकों, छोटे व्यवसायियों और निगमों पर वित्तीय तनाव को कम नहीं किया गया तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में 7-14 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक गैर-कृषि रोज़गार की तलाश कर रहे 90 मिलियन लोगों का कार्यबल मौजूद होगा।
  - इस दौरान भारत को गैर-कृषि रोज़गार की सृजन की दर को तिगुना करना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2013 से वर्ष 2018 की अवधि के बीच भारत में प्रतिवर्ष 4 मिलियन गैर-कृषि रोज़गार का सृजन किया गया था।

नोट :

- ध्यातव्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस संक्रमण से पूर्व ही संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही थी, जिससे देश की GDP वृद्धि वित्त वर्ष 2020 में घटकर 4.2 प्रतिशत रह गई थी।

कोरोना महामारी और बेरोज़गारी की समस्या

- बीते दिनों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (Centre for Monitoring Indian Economy-CMIE) ने लॉकडाउन अवधि (अप्रैल-जुलाई 2020) के दौरान रोज़गार से संबंधित आँकड़े जारी किये थे, जिसमें सामने आया था कि अप्रैल-जुलाई 2020 के दौरान वेतनभोगी श्रेणी के कुल 18.9 मिलियन लोगों को रोज़गार के नुकसान का सामना करना पड़ा था।
- शहरी वेतनभोगी नौकरियों की हानि से अर्थव्यवस्था पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसके अलावा मध्यम वर्गीय परिवारों को भी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
- मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट (MGI) ने ऐसे समय में अपनी रिपोर्ट जारी की है जब देश बेरोज़गारी दर लगातार बढ़ती जा रही है, और तमाम आर्थिक विश्लेषण बता रहे हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रह सकती है।

सुझाव

- भारत को उत्पादकता बढ़ाने और नए रोज़गार सृजित करने हेतु आगामी 12-18 महीनों में कई महत्त्वपूर्ण सुधार करने होंगे, इस रिपोर्ट में ऐसे कुल 6 क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है, जिनमें सुधार कर अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाया जा सकता है।
  - मैक्किंज़े ग्लोबल इंस्टीट्यूट (MGI) ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यत: विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्रों पर ध्यान देने की वकालत की है।
- रिपोर्ट में 30 से अधिक राज्य के स्वामित्त्व वाले उद्यमों का निजीकरण करने और पूंजी बाज़ार में अधिक घरेलू बचत को शामिल करने का भी सुझाव दिया गया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में लचीले श्रम बाज़ार का निर्माण करने और कुशल बिजली वितरण को सक्षम बनाने का भी सुझाव दिया गया है।
- वित्तीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट में 'बैड बैंक' के निर्माण की भी बात की गई है।

'बैड बैंक' की अवधारणा

- बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये बैड बैंक कर्ज़ में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेते हैं और उससे निपटने का काम भी इन्ही का ही होता है।
- जब किसी बैंक की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ सीमा से अधिक हो जाती हैं, तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की देयताओं को एक निश्चित समय के लिये धारण कर लेता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के 6 वर्ष

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2014 में शुरू की गई 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana- PMJDY) ने 28 अगस्त 2020 को 6 वर्ष पूरे किये हैं।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई थी।
- इस योजना को 28 अगस्त 2014 को औपचारिक रूप से शुरू किया गया था।
- इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं।
  - गौरतलब है कि इस योजना को लागू करने के पहले वर्ष में इसके तहत 17.90 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे।
- हालिया आँकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न बैंकों में जन धन खातों में जमा धनराशि 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

नोट :

- इस योजना के तहत खोले गए कुल बैंक खातों में से 63.6% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं की भागीदारी 55.2% रही है।

उद्देश्य:

- किफायती मूल्य पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
- लागत में कमी लाने और पहुंच को व्यापक बनाने हेतु तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

मूल सिद्धांत :

- बैंकिंग पहुँच से दूर व्यक्तियों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना (Banking the unbanked)
- सुरक्षा प्रदान करना (Securing the unsecured)
- वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करना (Funding the unfunded)

उपलब्धियाँ:

- अगस्त 2020 तक के आँकड़ों के अनुसार, इस योजना के तहत खोले गए 40.35 करोड़ PMJDY खातों में से 34.81 करोड़ (86.3%) खाते सक्रिय हैं।
- अगस्त 2015 से लेकर अगस्त 2020 के बीच इस योजना के तहत खातों की संख्या में 2.3 गुना वृद्धि और जमा राशि में 5.7 गुना वृद्धि देखी गई है।
- वर्तमान में इस योजना के तहत प्रति खाता औसत जमा राशि 3,239 रुपए तक पहुँच गई है, अगस्त, 2015 की तुलना में इस योजना के तहत प्रति खाता औसत जमा राशि में 2.5 गुने की वृद्धि देखी गई है।
  - गौरतलब है कि इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम धनराशि जमा रखने की अनिवार्यता नहीं होती है।
- इस योजना के तहत कैशलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिये अब तक 29.75 करोड़ खाताधारकों को रूपे कार्ड (RuPay card) जारी किये जा चुके हैं।]
- इस योजना के माध्यम से बैंकों पर बिना किसी अतिरिक्त दबाव के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
- इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की तत्परता से निम्न आय वर्ग के परिवारों को बचत करने का एक साधन प्राप्त हुआ है।
- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों तक बैंकिंग पहुँच में वृद्धि हुई है तथा इसके तहत महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भी इस योजना की एक बड़ी सफलता है।

योजना को प्रभावी बनाने के प्रयास:

- इस योजना की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में योजना के तहत खोले गए नए खातों (28 अगस्त, 2018 के बाद) पर 'रूपे कार्ड बीमा' (RuPay Card Insurance) के माध्यम से दुर्घटना बीमा कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया था।
- सरकार ने इस योजना के तहत खोले गए बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट (Overdraft) की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने के साथ इस सुविधा के लिये 18-60 वर्ष आयु सीमा को बढ़ाकर 18-65 वर्ष कर दिया गया।
- सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अपना ध्यान 'प्रत्येक घर' से हटाकर 'हर बैंक खातारहित वयस्क' (Every Unbanked Adult) पर किया।
- COVID-19 महामारी के दौरान महिलाओं को आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु सहायता के रूप में सरकार ने 26 मार्च, 2020 को सभी महिला जन धन खाता धारकों के खातों में तीन माह तक 500-500 रुपए जमा करने की घोषणा की थी।

अन्य सुधार:

- केवाईसी (KYC) की जटिल औपचारिकताओं से जुड़ी समस्या को दूर करने हेतु सरलीकृत केवाईसी/ई-केवाईसी (e-KYC) की शुरुआत।

नोट :

- रूपे डेबिट कार्ड या आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System-AePS) के माध्यम से अंतर-संचालन (Inter-Operability) की सुविधा।
- पूर्व की ऑफ-लाइन प्रणाली के स्थान पर इस योजना के तहत खोले गए सभी खाते ऑनलाइन होते हैं, जिन्हें बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली से संबद्ध किया गया है।
- जन धन दर्शक एप (Jan Dhan Darshak App): सरकार द्वारा नागरिकों को बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्रों, डाक घरों आदि की अवस्थिति की जानकारी हेतु जन धन दर्शक एप लॉन्च किया गया है।
  - इस एप का प्रयोग ऐसे गावों की पहचान के लिये भी किया जाता है जहां 5 किमी. के दायरे में किसी भी प्रकार की बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसके तहत चिन्हित गाँवों में 'राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों' के सहयोग से बैंक शाखा शुरू करने का प्रयास किया जाता है।

आगे की राह:

- PMJDY खाताधारकों का सूक्ष्म बीमा योजनाओं के तहत कवरेज सुनिश्चित करने हेतु पात्र खाताधारकों 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' (PMJJBY) और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' (PMSBY) के तहत शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है।
- रूपे कार्ड और अन्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कैशलेस विनिमय को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- जन धन योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

जीएसटी मुआवज़े की कमी और ऋण का विकल्प

चर्चा में क्यों ?

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी और उसके आर्थिक प्रभावों को 'एक्ट ऑफ गॉड' यानी 'दैवीय आपदा' की संज्ञा देते हुए वित्तीय मंत्रालय ने स्वीकार किया कि राज्यों को इस वर्ष 2.35 लाख करोड़ रुपए के GST मुआवज़े की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

प्रमुख बिंदु

- जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को अनुमानित मुआवज़े की कमी के विवादास्पद मुद्दे को हल करने के लिये दो विकल्प प्रस्तुत किये।

पहला विकल्प

- वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किये गए पहले विकल्प के अंतर्गत केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परामर्श से राज्यों को उचित ब्याज़ दर पर अनुमानित जीएसटी कमी, जो कि लगभग 97,000 करोड़ रुपए है, को ऋण के रूप में लेने के लिये एक विशेष विंडो प्रदान करेगी।
- राज्य सरकारों द्वारा यह धनराशि उपकर संग्रह के माध्यम से जीएसटी कार्यान्वयन के 5 वर्ष बाद (यानी वर्ष 2022 के बाद) चुकाई जा सकती है।

दूसरा विकल्प

- वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को प्रस्तुत किये गए दूसरे विकल्प के अंतर्गत राज्य सरकारें मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसटी राजस्व में आई संपूर्ण कमी को उधार के रूप में ले सकती हैं, जिसमें केंद्र सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) राज्यों की मदद करेंगे। इस वर्ष के जीएसटी राजस्व में कुल 2.35 लाख रुपए की कमी अनुमानित है।
- यहाँ यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत पहले विकल्प (97,000 करोड़ रुपए की राशि) में केवल जीएसटी कार्यान्वयन के कारण आई राजस्व की कमी को शामिल किया गया है, जबकि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दूसरे विकल्प में जीएसटी कार्यान्वयन के साथ-साथ मौजूदा कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रभाव को भी शामिल किया गया है।

नोट :

निर्णय की आलोचना

- दोनों ही विकल्पों से यह स्पष्ट है कि उधार ली गई राशि राज्य सरकारों द्वारा ही वहन की जाएगी, यद्यपि यह ऋण उचित ब्याज़ दर पर दिया जाएगा, ऐसे में राज्यों पर ऋण का बोझ काफी अधिक बढ़ जाएगा।
- ध्यातव्य है कि कई राज्यों ने मांग की है कि राज्य सरकारों के स्थान पर केंद्र सरकार ही आवश्यक राशि ऋण के रूप में उधार ले और क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को वितरित करे।
- कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गए विकल्प से संतुष्टि व्यक्त की है।
- पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत समाधान राज्यों पर ज़बरदस्ती लागू किया जा रहे हैं और यह पंजाब के लिये स्वीकार्य नहीं हैं।
- वित्त मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध करते हुए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'दिल्ली का कुल राजस्व संग्रह निर्धारित लक्ष्य से तकरीबन 57 प्रतिशत कम है। ऐसे में यदि मुआवज़ा नहीं मिलता है तो दिल्ली सरकार के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति और राजस्व संग्रह में कमी

- नियम के अनुसार, वर्ष 2022 यानी GST कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले पाँच वर्षों तक GST कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि (आधार वर्ष 2015-16) दर्शाने वाले राज्यों के लिये क्षतिपूर्ति की गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक दो महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
- हालाँकि, क्षतिपूर्ति भुगतान में होने होने वाली देरी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जिसकी शुरुआत बीते वर्ष अक्तूबर में हुई थी, जब राज्यों के जीएसटी राजस्व में कमी होना शुरू हो गया था।
- अप्रैल-जून तिमाही में जीएसटी राजस्व में 41 प्रतिशत की गिरावट के साथ कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने जीएसटी राजस्व के इस अंतराल को और अधिक बढ़ा दिया है।
- केंद्र सरकार ने इसी वर्ष 27 जुलाई को राज्यों को मार्च माह के लिये 13,806 करोड़ रुपए जारी किये थे, हालाँकि मौजूदा वित्तीय वर्ष में चार माह (अप्रैल-जुलाई) के लिये मुआवज़ा अभी लंबित है।
- इस वर्ष वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक वार्षिक जीएसटी मुआवज़े के लिये लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, वहीं इसके भुगतान के लिये उपकर संग्रह लगभग 65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 2.35 लाख रुपए की अनुमानित कमी हो सकती है।
  - इस प्रकार वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार, GST मुआवज़े में GST कार्यान्वयन के कारण मात्र 97,000 करोड़ रुपए की कमी हुई है, जबकि शेष कमी COVID-19 के प्रभाव के कारण हुई है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST)- पृष्ठभूमि

- ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई, 2018 को GST लागू किये जाने के एक वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन को GST दिवस के रूप में मनाया गया था।
- गौरतलब है कि GST एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह निर्माता से लेकर उपभोक्ताओं तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में विनिवेश

चर्चा में क्यों ?

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited-HAL) की 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में सरकार ने राज्य के स्वामित्त्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया था।
- इस संबंध में जारी किये गए प्रस्ताव के अनुसार, सरकार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के 33.4 मिलियन शेयर या अपनी हिस्सेदारी का 10 प्रतिशत हिस्सा बेचेगी, हालाँकि अत्यभिदान (Oversubscription) या अधिक मांग होने की स्थिति में अतिरिक्त 5 प्रतिशत हिस्सेदारी या 16.71 मिलियन शेयर बेचने का विकल्प भी दिया गया है।
- प्रस्ताव के अनुसार, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के शेयर बेचने के लिये प्रति शेयर 1,001 रुपए न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया गया है।

कारण

- गौरतलब है कि कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने सरकार के राजस्व को काफी बुरी तरह से प्रभावित किया है, और सरकार को महामारी तथा उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिये आवश्यक राजस्व के विषय पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
- ऐसी स्थिति में राज्य के स्वामित्त्व वाली कंपनियों के विनिवेश को राजस्व एकत्रित करने के सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, यही कारण है कि सरकार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के विनिवेश की प्रक्रिया को इतनी तेज़ी से पूरा कर रही है।
- ध्यातव्य है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 2.1 लाख करोड़ रुपए का महत्त्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है।

पृष्ठभूमि

- सर्वप्रथम वर्ष 2018 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) जारी किया था, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) में भारत सरकार की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत से घटकर 89.97 प्रतिशत पर पहुँच गई थी, इसके माध्यम से सरकार ने तकरीबन 4,229 करोड़ रुपए प्राप्त किये थे।
  - इस तरह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के विनिवेश की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 2018 में हुई थी।
  - ध्यातव्य है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक रूप से लोगों या संस्थाओं के लिये जारी करती है तो उसे आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) कहते हैं।

महत्त्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य

- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। परंतु विनिवेश के अंतर्गत सरकार उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व अथवा मालिकाना हक बनाए रखती है।
- इसी वर्ष फरवरी माह में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 2.1 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया है, जबकि सरकार ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये 1.05 ट्रिलियन रुपए का विनिवेश लक्ष्य निर्धारित किया था।
- इसी माह की शुरुआत में सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) के विनिवेश के लिये बोली लगाने की समय सीमा बढ़ा दी थी।
- सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विनिवेश की भी तैयारी कर रही है।

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और उसकी भूमिका

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) एक राज्य के स्वामित्त्व वाली भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत के बंगलूरू में स्थित है।
- इसकी स्थापना बंगलूरू में 23 दिसंबर, 1940 को वालचंद हीराचंद ने हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1941 में सरकार ने कंपनी की एक-तिहाई हिस्सेदारी खरीद ली और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनवरी 1951 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया गया।
- जिसके पश्चात् अक्तूबर, 1964 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का नवगठित एयरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया और इस तरह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) अस्तित्त्व में आया।

नोट :

- 50 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ वर्तमान में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) देश के लिये तमाम तरह के सैन्य हेलीकाप्टरों और विमानों का निर्माण कर रहा है।
- इस माह की शुरुआत में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय वायु सेना के लिये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित किये जा रहे 106 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट (BTA) की खरीद को मंज़ूरी दी थी।
- ध्यातव्य है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतीय सेना की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी अहम भूमिका अदा की है, किंतु हालाँकि कई अवसरों पर उत्पादन प्रक्रिया मे देरी के कारण इसकी आलोचना की जाती रही है।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी-ड्रग वर्किंग ग्रुप (BRICS Anti-Drug Working Group) की चौथी बैठक का आयोजन किया गया, इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau-NCB) के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भारतीय दल का नेतृत्त्व किया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में मादक पदार्थों की स्थिति, मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझान और मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति पर विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों के प्रभाव आदि विषयों पर चर्चा की गई।
- मुख्य निष्कर्ष:
  - ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच वास्तविक समय पर जानकारी साझा (Real Time Information Sharing) करने की आवश्यकता।
  - समुद्री मार्गों के माध्यम से बढ़ती नशीली दवाओं की तस्करी पर अंकुश लगाने की आवश्यकता।
- इस दौरान भारत ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिये डार्क नेट और आधुनिक तकनीक के 'दुरुपयोग' पर चर्चा की।
- COVID-19 और मादक पदार्थों की स्थिति
  - मई माह में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि COVID-19 और उसके कारण लागू किये गए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप भी अवैध दवा की आपूर्ति पर कोई विशिष्ट प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा।
- भारत और अवैध दवाओं की तस्करी
  - संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत अवैध दवाओं के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ट्रामाडोल (Tramadol) और मेथाफेटामाइन (Methamphetamine) जैसे आधुनिक मादक पदार्थों से लेकर भांग (Cannabis) जैसे पुराने मादक पदार्थ आदि सब कुछ पाया जाता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत दो प्रमुख अवैध अफीम उत्पाद क्षेत्रों के बीच स्थित है, जिसमें पहला पश्चिम में गोल्डन क्रीसेंट (ईरान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान) है और दूसरा पूर्व में स्वर्णिम त्रिभुज (दक्षिण-पूर्व एशिया) है।
- डार्क नेट और मादक पदार्थों की तस्करी
  - इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो आमतौर पर प्रयोग किये जाने वाले गूगल, बिंग जैसे सर्च इंजनों और सामान्य ब्राउज़िंग के दायरे से बाहर होती हैं। इन्हें डार्क नेट या डीप नेट कहा जाता है।
  - सामान्य वेबसाइटों के विपरीत यह एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस तक लोगों के चुनिंदा समूहों की पहुँच होती है और इस नेटवर्क तक विशिष्ट ऑथराइज़ेशन प्रक्रिया, सॉफ्टवेयर और कन्फिगूरेशन के माध्यम से ही पहुँचा जा सकता है।
  - सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि डार्क वेब अथवा डार्क नेट इंटरनेट का वह भाग है जिसे आमतौर पर प्रयुक्त किये जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता।
  - इन तक पहुँच के लिये एक विशेष ब्राउज़र टॉर (TOR) का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिये ऑनियन राउटर (Onion Router) शब्द का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें एकल असुरक्षित सर्वर के विपरीत नोड्स के एक नेटवर्क का उपयोग करते हुए परत-दर-परत डाटा का एन्क्रिप्शन होता है। जिससे इसके प्रयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता बनी रहती है।

नोट :

- हालाँकि आम उपयोगकर्त्ताओं के लिये इस ब्राउज़र का उपयोग काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

- इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में किया जाता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और हथियारों की बिक्री जैसी अवैध गतिविधियों के लिये डार्क नेट के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से बचना होता है।

विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन: आईएसए

चर्चा में क्यों ?

'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' (International Solar Alliance-ISA) द्वारा 8 सितंबर, 2020 को एक आभासी मंच के माध्यम से प्रथम 'विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन' (World Solar Technology Summit) का आयोजन कियाजाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय प्रधानमंत्री सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करेंगे तथा ISA के सभी सदस्य देशों और वैश्विक संस्थानों की सम्मेलन में भागीदारी के लिये अनुग्रह करेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा की अधिक उपलब्धता वाले देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है।

आयोजन का उद्देश्य:

- सौर ऊर्जा का दक्षतम उपयोग करने की दिशा में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ-साथ अगली पीढ़ी की तकनीकों की चर्चा करना है।
- वैज्ञानिक नवाचारों को व्यावसायिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों में व्यापक उपभोग के लिये कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। शीर्ष वैश्विक निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सम्मेलन इस दिशा में अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे।

आयोजन के सत्र:

- आयोजन में चार तकनीकी सत्र आयोजित किये जाएंगे, जो प्रतिभागियों को अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी में उपलब्ध होंगे।
  - सत्र -1 (विज़न 2030 और उससे आगे):
    - यह सत्र फोटोवोल्टिक (Photovoltaic- PV) प्रौद्योगिकी के विकास और इसके भविष्य के संदर्भ में आयोजित किया जाएगा ताकि PV प्रौद्योगिकी को विश्व में ऊर्जा का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सके।
  - सत्र -2 (कार्बनरहित ग्रिड निर्माण की ओर):
    - पीवी मॉड्यूल और भंडारण प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख घटकों के बारे में सबसे हालिया प्रगति (रूपांतरण दक्षता में सुधार और लागत में गिरावट) की चर्चा करना।
  - सत्र -3 (विघटनकारी सौर प्रौद्योगिकी):
    - इस सत्र में सौर ऊर्जा के ग्रिड संबंधी अनुप्रयोग, आवासीय और वाणिज्यिक रूफटॉप सोलर ऊर्जा को ग्रिड से एकीकृत करना जैसे विषयों की चर्चा की जाएगी।
  - सत्र -4 (ऊर्जा क्षेत्र से अलावा सौर ऊर्जा):
    - पीवी प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक अनुप्रयोग, ऑफ-ग्रिड ऊर्जा अनुप्रयोग, सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच, इको-फ्रेंडली औद्योगिक प्रक्रिया आदि की चर्चा करना।

सौर ऊर्जा पर आईएसए जर्नल (I JOSE):

- 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' द्वारा सौर ऊर्जा पर पत्रिका (ISA Journal on Solar Energy- I JOSE) भी लॉन्च की जाएगी, जो दुनिया भर के लेखकों को सौर ऊर्जा पर अपने लेख प्रकाशित करने में मदद मिलेगी।
- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों की वैश्विक विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी तथा ये लेख अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 'राष्ट्रीय नाभिक केंद्रों' (National Focal points- NFPs) और 'सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संसाधन केंद्रों' (SolarTechnology and Application Resource centers- STAR) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सदस्य देशों तक पहुँचेंगे।

नोट :

भारत की सौर ऊर्जा पहल:

- 'राष्ट्रीय सौर मिशन' (National Solar Mission), भारत की 'जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना' (NAPCC) के प्रमुख मिशनों में से एक है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने देश भर में सौर ऊर्जा से संबंधित अनेक योजनाएँ यथा- सौर पार्क योजना, नहरों पर सौर संयत्रों की स्थापना, ग्रिड से जुड़े सौलर रूफटॉप संयंत्रों इत्यादि को प्रारंभ कियागया।
- भारत एक महत्त्वाकांक्षी सीमा पार विद्युत ग्रिड योजना- 'एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड' (One Sun One World One Grid) को क्रियान्वित करना चाहता है ताकि विश्व के एक क्षेत्र से दूसरों क्षेत्र में मांग के अनुसार विद्युत की आपूर्ति की जा
- सके।
- हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा में एक 750 मेगावाट (MW) सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है।

निष्कर्ष:

- 'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, व्यापक पैमाने पर विनिर्माण और नवाचार के विकास एवं उपलब्धता के लिये पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने की कल्पना करता है।
- परियोजना का सफल कार्यान्वयन 'सार्वभौमिक ऊर्जा पहुँच के लक्ष्य (SDG- 7) को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्राँस द्वारा नवंबर, 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित सौर ऊर्जा की संभावना वाले देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- अब तक 67 देशों द्वारा 'आईएसए फ्रेमवर्क समझौते' पर हस्ताक्षर और अभिपुष्टि की गई है।
- इसके प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक का सौर ऊर्जा उत्पादन और वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है।
- आईएसए के तहत वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है:
  - कृषि उपयोग के लिये सौर अनुप्रयोग;
  - स्केल पर किफायती वित्त;
  - मिनी ग्रिड;
  - सोलर रूफटॉप;
  - सौर ई-गतिशीलता और भंडारण;
  - व्यापक पैमाने वाले सौर पार्क।

तीस्ता नदी जल विवाद और भारत-बांग्लादेश संबंध

चर्चा में क्यों ?

तीस्ता नदी (Teesta River) के प्रबंधन संबंधी एक परियोजना के लिये बांग्लादेश चीन से लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण पर चर्चा कर रहा है। ध्यातव्य है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी में पानी के बँटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में इस वार्ता के निहितार्थ तथा भारत-बांग्लादेश के संबंधों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है।

प्रमुख बिंदु

- बांग्लादेश की इस परियोजना का उद्देश्य तीस्ता नदी के बेसिन का कुशल प्रबंधन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना और ग्रीष्मकाल में जल संकट से निपटना है।

नोट :

- सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि बांग्लादेश और चीन के बीच इस तरह की ऋण संबंधी चर्चा ऐसे समय में चल रही है जब लद्दाख में हुए गतिरोध के चलते भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं।

तीस्ता नदी जल विवाद

- हिमालय से उत्पन्न होने वाली और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना नदी) में विलय होने वाली तीस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच संभवत: सबसे बड़ा विवाद है।
- तीस्ता नदी सिक्किम के लगभग पूरे मैदानी इलाके को कवर करने के साथ-साथ बांग्लादेश के लगभग 2,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को भी कवर करती है, जिसके कारण यह इन क्षेत्रों में रहने वाले हज़ारों लोगों की जल संबंधी आवश्यकता के लिये काफी महत्त्वपूर्ण है।
- वहीं पश्चिम बंगाल के लिये भी तीस्ता नदी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी सिक्किम और बांग्लादेश के लिये, इसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन ज़िलों की जीवन रेखा माना जाता है।
- गौरतलब है कि दोनों देश सितंबर 2011 में जल-साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में थे, किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई और इस समझौते को रद्द कर दिया गया।
- वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद जून 2015 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को विश्वास दिलाया कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से तीस्ता पर एक 'निष्पक्ष समाधान' तक पहुँच सकते हैं। इस दौरे के पाँच वर्ष बाद भी तीस्ता नदी के जल बँटवारे का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंध: हालिया परिदृश्य

- भारत और बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत वर्ष 1971 में हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राष्ट्र का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है।
- बांग्लादेश के साथ भारत का एक मज़बूत संबंध रहा है, खासतौर पर बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से।
- बांग्लादेश को भारत के साथ अपनी आर्थिक एवं विकास संबंधी साझेदारी से काफी लाभ प्राप्त हुआ है, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
- बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार में तेज़ी से वृद्धि दर्ज की गई है, आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश में 9.21 बिलियन डॉलर का निर्यात हुआ था और जबकि बांग्लादेश से भारत में 1.04
- बिलियन डॉलर का आयात हुआ था।
- भारत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा उपचार, पर्यटन, रोज़गार और मनोरंजन आदि के लिये बांग्लादेशी नागरिकों को 15 से 20 लाख वीज़ा जारी करता है।
- भारत के लिये बांग्लादेश सुरक्षा और पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिये यह आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे और मज़बूत रहें, खासकर
- एशियाई क्षेत्र में जहाँ आतंकवाद एक बड़ा खतरा है।
- भारत के लिये बांग्लादेश 'पड़ोस पहले' (Neighbourhood first) की नीति में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार रहा है।
- पिछले पाँच महीनों में भारत और बांग्लादेश ने महामारी से निपटने संबंधी कदमों पर काफी सहयोग किया है।

NRC और CAA को लेकर चिंता

- भारत-बांग्लादेश के संबंध भले ही शुरुआत से बहुत अच्छे रहे हों, परंतु बीते कुछ वर्षों में इनमें कुछ तनाव भी आया है, जिसमें प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और बीते वर्ष दिसंबर माह में पारित हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) ने महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

नोट :

- बीते दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर संदेह व्यक्त करते हुए कहा था कि 'हालाँकि CAA और NRC भारत के आंतरिक विषय हैं, किंतु CAA का कदम आवश्यक है।'
- बीते वर्ष जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थीं, तो दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान NRC भी चर्चा की गई थी और बांग्लादेशी पक्ष ने NRC के संबंध में अपनी चिंताएँ भी ज़ाहिर कीं। इस विषय पर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया था कि बांग्लादेश पर NRC का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भारत का आंतरिक विषय है।

चीन-बांग्लादेश संबंधों का विकास

- आँकड़े बताते हैं कि चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और आयात का सबसे महत्त्वपूर्ण स्रोत है। वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच लगभग 18 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था।
  - सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि दोनों देशों (चीन और बांग्लादेश) के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार अधिकांशत: चीन के पक्ष झुका हुआ है।
- हाल ही में चीन ने बांग्लादेश से आयातित होने वाली 97 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य शुल्क की घोषणा की थी। बांग्लादेश में इस कदम का व्यापक रूप से स्वागत किया गया था और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे बांग्लादेश से चीन में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
- चीन ने बांग्लादेश को लगभग 30 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने का वादा किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों भारत ने भी बांग्लादेश को 10 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जिससे बांग्लादेश को भारत की वित्तीय सहायता 30 बिलियन डॉलर पर पहुँच गई है, इस प्रकार बांग्लादेश भारत से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है।
- इसके अलावा, चीन के साथ बांग्लादेश के मज़बूत रक्षा संबंध स्थिति को जटिल बनाते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश के लिये चीन सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, हालाँकि इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है।
  - दरअसल बांग्लादेश की स्वतंत्रता प्राप्ति के के बाद पाकिस्तान सेना के कई अधिकारी, जो चीनी हथियारों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, बांग्लादेश सेना में शामिल हो गए और इसलिये बांग्लादेशी सेना में चीनी हथियारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- बांग्लादेश की सेना चीनी उपकरणों से लैस है, जिनमें टैंक, मिसाइल लॉन्चर, लड़ाकू विमान और कई हथियार प्रणालियाँ शामिल हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से दो पनडुब्बियाँ भी खरीदी थीं।
- ध्यातव्य है कि बांग्लादेश की सेना में चीन की पहुँच भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से चिंता का विषय हो सकता है।

आगे की राह

- ध्यातव्य है कि तीस्ता नदी जल विवाद भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है, हालाँकि अगले वर्ष होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव से पूर्व इस मुद्दे को संबोधित करना काफी मुश्किल होगा।
- भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपनी भू-राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करना चाहिये। यह आवश्यक है कि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु अपने दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता न करें।

नेपाल द्वारा बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा के लिये नेपाल द्वारा अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में दोनों देशों के बीच 'बाउंड्री वर्किंग ग्रुप' (Boundary Work Group- BWG) की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा को लेकर बढ़े विवाद के बीच हाल में द्विपक्षीय संबंधों में सुधारों के प्रयास तेज़ हुए हैं।
- गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद बढ़ने के बाद 15 अगस्त, 2020 को नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने भारतीय प्रधानमंत्री से टेलीफोन से बातचीत की थी।

नोट :

- दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई वार्ता के पश्चात 17 अगस्त को नेपाल में भारत सरकार के सहयोग से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा के लिये दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच 'निगरानी तंत्र' (Oversight Mechanism- OSM) की बैठक का आयोजन किया गया था।

पृष्ठभूमि:

- गौरतलब है कि मई, 2020 में भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा उत्तराखंड के धारचूला (Dharchula) को लिपुलेख दर्रे (Lipulekh Pass) से जोड़ने वाले कैलाश मानसरोवर मार्ग के उद्घाटन के बाद नेपाल ने इसका विरोध किया था।
- इसके पश्चात मई माह में ही नेपाल सरकार द्वारा अपने देश का एक विवादित राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने उत्तराखंड के कालापानी (Kalapani), लिंपियाधुरा (Limpiyadhura) और लिपुलेख (Lipulekh) को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा बताया था।
- जून, 2020 में नेपाल की संसद के निचले सदन में इस विवादित मानचित्र को बहुमत से संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी।

'बाउंड्री वर्किंग ग्रुप' (Boundary Work Group- BWG):

- 'बाउंड्री वर्किंग ग्रुप', भारत और नेपाल सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त एजेंसी है।
- इस एजेंसी का गठन वर्ष 2014 में किया गया था।
- BWG के गठन का उद्देश्य भारत नेपाल सीमा पर निर्माण से संबंधित कार्य करना है, जिसमें- सीमा स्तंभों की मरम्मत, दोनों देशों की सीमा के बीच निर्धारित 'नो-मेन्स लैंड' (No-Man's Land) की सफाई/निगरानी और अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं।

पूर्व में आयोजित 'बाउंड्री वर्किंग ग्रुप' की बैठकें:

- इस एजेंसी की स्थापना के बाद से अब तक इसकी 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।
- BWG की अंतिम बैठक 28 अगस्त, 2019 को देहरादून में आयोजित की गई थी।
- वर्ष 2017 में आयोजित एक बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने अगले पाँच वर्षों में सीमा कार्य को पूरा करने और इसके निष्पादन की प्रक्रिया पर एक व्यापक योजना तैयार की थी।

बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठकों का महत्त्व:

- BWG की बैठक, दोनों पक्षों के बीच आयोजित की जाने वाली विदेश सचिव स्तर की बैठकों से अलग होती है, हालाँकि सीमा कार्य की समीक्षा करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है।
- BWG बैठकों में भारतीय पक्ष का नेतृत्व 'भारत के महासर्वेक्षक' (The Surveyor General of India) द्वारा किया जाता है।
- BWG से प्राप्त जानकारियाँ सरकारों के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन जानकारियों को ज़मीनी स्तर पर किये गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार किया जाता है।

प्रभाव:

- 15 अगस्त को दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई वार्ता और 17 अगस्त को दोनों पक्षों के बीच आयोजित बैठकों के बाद सीमा विवाद को सुलझाने के लिये द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता और भी आसान हुआ है।
- दोनों पक्ष BWG के कार्यों की समीक्षा के लिये उपग्रहों से प्राप्त तस्वीरों, ड्रोन सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर सकेंगे।
- दोनों देशों के बीच BWG की इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किये जाने की उम्मीद है, हालाँकि पिछले तीन महीनों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में आए तनाव के बीच यह बैठक बहुत ही महत्त्वपूर्ण होगी।

आगे की राह:

- 15 अगस्त को भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों की टेलीफोन वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भविष्य में द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की थी, जो द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिये एक सकारात्मक संकेत है।

नोट :

- हालाँकि हाल के वर्षों में चीन के साथ नेपाल की बढ़ती निकटता को देखते हुए भारत को अपनी विदेशी नीति पर विचार करना चाहिये।
- भारत और नेपाल के संबंध की मज़बूती में सरकारों के साथ-साथ दोनों देशों के नागरिकों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे में भारत सरकार को नेपाल में शुरू की गई विकास योजनाओं को समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिये तथा इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि इन योजनाओं का लाभ नेपाल की आम जनता तक पहुँच सके।

आसियान-भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने आसियान- इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक (ASEAN-India Network of Think Tanks-AINTT) की 6वीं गोलमेज बैठक में भाग लिया। आसियान का संबंध दक्षिण पूर्व के एशियाई देशों के संघ से है। AINTT की स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के मध्य सहयोग के भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिये की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे:
  - इस बैठक के दौरान भारत ने उन समस्याओं पर प्रकाश डाला जो COVID-19 महामारी से निपटने की सशक्त प्रतिक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रही थी। इसमें कहा गया कि कई देशों और पुराने ढंग के बहुपक्षीय संगठनों के व्यक्तिगत व्यवहार ने वैश्विक महामारी के लिये एक सामूहिक प्रतिक्रिया को बाधित किया।
    - भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों चीन और अमेरिका के बीच मतभेदों के कारण महामारी पर एक बयान जारी कर सकने की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की विफलता का भी जिक्र किया।
    - भारत के इस संदर्भ में अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पर यह आरोप लगाते हुए कि उसने चीन के इशारे पर COVID-19 को एक महामारी घोषित करने में देरी की, अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हो गया, का मुद्दा भी शामिल था।
  - भारत के अनुसार, COVID-19 महामारी के बाद दुनिया के समक्ष उत्पन्न होने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में केवल अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें समाज को पहुँची क्षति और शासन के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ भी शामिल हैं।
    - इस महामारी ने वैश्विक मुद्दों और विश्व व्यवस्था के भविष्य की दिशाओं पर एक बहस भी छेड़ दी है।
- भारत द्वारा दिये गए सुझाव:
  - भारत ने आसियान देशों का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान खोजने के लिये व्यापार, राजनीति और सुरक्षा की वर्तमान गतिविधियों से परे जाकर सोचने की ज़रूरत है।
  - भारत ने COVID महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिये अधिक से अधिक सहयोग का आग्रह और सामूहिक समाधानों का आह्वान किया।
  - इस सहयोग के भाग के रूप में भारत ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली सामरिक स्वायत्तता के विचार को अपनाने का आग्रह किया।
  - इसका तात्पर्य उत्पादन सुविधाओं को चीन से स्थानांतरित करने या चीनी सामान पर कम से कम निर्भरता बनाए रखने जैसे पक्षों से है, क्योंकि इस महामारी के दौरान संपूर्ण विश्व ने यह अनुभव किया है कि वह चीनी सामान पर बहुत अधिक निर्भर है जो कि उनकी आत्म निर्भरता के कमज़ोर पक्ष को उजागर करता है।
  - सामरिक स्वायत्तता को किसी राज्य की उस क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके आधार पर वह अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाता है और बगैर किसी बाधा के अधिमानित विदेश नीति को अपनाता है।

नोट :

तुर्की द्वारा गैस भंडार की खोज और चोरा चर्च विवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने काला सागर (Black Sea) क्षेत्र में अब तक के सबसे प्राकृतिक बड़े गैस भंडार की खोज की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार, काला सागर में 'फ़तेह नामक ड्रिलिंग जहाज़' द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है।
- तुर्की द्वारा वर्ष 2023 तक इस गैस भंडार से गैस निकालकर इसका प्रयोग प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - ध्यातव्य है कि वर्ष 2023 में ही तुर्की एक गणतांत्रिक देश के रूप में अपने 100 वर्ष पूरे करेगा।
- तुर्की द्वारा खोजा गया गैस का यह भंडार तुर्की के तट से लगभग 100 नॉटिकल मील उत्तर में काला सागर में स्थित है।
- तुर्की के ऊर्जा मंत्री के अनुसार, गैस का यह भंडार पानी की सतह से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है, इस भंडार से गैस निकालने के लिये समुद्र की तलहटी से 1400 मीटर नीचे तक ड्रिलिंग की जाएगी।
- तुर्की के राष्ट्रपति के अनुसार, वे क्षेत्र में तेल और गैस की खोज को तब तक जारी रखेगा जब तक तुर्की ऊर्जा के मामले में पूर्णरूप से एक निर्यातक देश नहीं बन जाता है।

महत्त्व:

- यह गैस भंडार तुर्की द्वारा खोजा गया और वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा गैस भंडार है।
- यह गैस भंडार तुर्की की अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने और देश के चालू खाता घाटे को कम करने में बहुत ही सहायक होगा।
- गौरतलब है कि वर्ष 2019 में तुर्की का ऊर्जा आयात बिल 41 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया था।
- यदि तुर्की को मिले इस गैस भंडार से अनुमानित गैस को निकालने में सफलता प्राप्त होती है तो यह भविष्य में ऊर्जा ज़रूरतों के लिये तुर्की की रूस, ईरान और अज़रबैजान जैसे देशों पर निर्भरता को कम करेगा।
- तुर्की की अर्थव्यवस्था की स्थिति COVID-19 महामारी से पहले ही अच्छी नहीं थी और इसी माह बढती महंगाई और चालू खाता घाटे तथा तुर्की की सरकार द्वारा सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करने के प्रयासों के बीच तुर्की की आधिकारिक मुद्रा 'लीरा' (Lira) में बड़ी गिरावट देखी गई थी

क्षेत्रीय राजनीति पर प्रभाव:

- तुर्की और ग्रीस:
  - तुर्की को ऐसे समय में यह सफलता प्राप्त हुई है जब पूर्वी भूमध्यसागर के विवादित जलक्षेत्र में तेल और गैस की खोज को लेकर तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है।
    - ध्यातव्य है कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही देश 'उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन' या नाटो (NATO) समूह के सदस्य हैं।
  - हाल ही में इस विवादित क्षेत्र में तुर्की द्वारा संभावित खनिज तेल और गैस भंडार की खोज के लिये एक जहाज़ भेजा गया था, जिसके बाद क्षेत्र में दोनों देशों के युद्धपोतों की सक्रियता बढ़ गई थी।
  - ग्रीस-तुर्की विवाद के बढ़ता हुआ देख फ्राँस ने क्षेत्र की निगरानी के लिये ग्रीस के समर्थन में पूर्वी भूमध्यसागर में अपना एक समुद्री जहाज़ भेजा था।
- तुर्की और साइप्रस:
  - तुर्की द्वारा साइप्रस के तट के समीप ऊर्जा अन्वेषण की गतिविधियाँ दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बनी हुई हैं।
  - हाल ही में तुर्की ने साइप्रस के तट के नज़दीक गैस अन्वेषण के लिये युद्धपोतों की निगरानी में ड्रिलिंग जहाज़ भेजे थे।

नोट :

- तुर्की के अनुसार, उसके द्वारा इस क्षेत्र में ऊर्जा अन्वेषण का उद्देश्य अपने और साइप्रस में रहा रही तुर्की आबादी के हितों की रक्षा करना है।
- साइप्रस की सरकार ने तुर्की पर साइप्रस के जल क्षेत्र और आर्थिक अधिकारों पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है।

चुनौतियाँ:

- विशेषज्ञों के अनुसार, इस भंडार से गैस के उत्पादन और आपूर्ति के लिये आवश्यक अवसंरचना विकास में बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।
- साथ ही इस भंडार से सफलतापूर्वक गैस के निष्कासन में लगभग एक दशक का समय लग सकता है।
- तुर्की को इस भंडार से सफलतापूर्वक गैस निकालने के लिये अन्य देशों से तकनीकी सहायता भी लेनी पड़ सकती है क्योंकि तुर्की को 'अपतटीय गैस भंडार' (Offshore Gas Field) विकसित करने कोई अनुभव नहीं है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान परिस्थिति में 320 अरब क्यूबिक मीटर का यह गैस भंडार तुर्की के लिये एक बड़ी उपलब्धि है, परंतु यह इतना भी बड़ा नहीं है कि यह तुर्की को क्षेत्र में ऊर्जा के केंद्र के रूप में स्थापित कर दे या तुर्की की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दे।
- तुर्की द्वारा खोजा गया यह गैस भंडार इसके निकट ही पूर्वी भूमध्यसागर में खोजे गए अन्य गैस भंडारों से काफी छोटा है।
  - यह गैस भंडार भूमध्यसागर के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक मिस्र (Egypt) के 'ज़ोहर गैस भंडार' (Zohr Gas Field) का एक-तिहाई (1/3) ही है।
  - एक अनुमान के अनुसार, ज़ोहर गैस भंडार में लगभग 850 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस होने की संभावना है।

चोरा चर्च विवाद:

- हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के निर्णय के लगभग एक माह बाद 21 अगस्त को तुर्की के राष्ट्रपति 'रेसेप तईप एर्दोगन' ने इस्तांबुल स्थित ऐतिहासिक 'चोरा चर्च' (Chora Church) को पुन: एक मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है।

चोरा चर्च (Chora Church):

- वर्तमान में यह चर्च जहाँ स्थित उस स्थान पर सबसे पहले चौथी शताब्दी के दौरान एक चर्च का निर्माण किया गया था।
- वर्तमान भवन का निर्माण 11 शताब्दी में एक चर्च के रूप में किया गया था।
- वर्ष 1453 में कस्तुनतुनिया या कॉन्सटेनटिनोपोल (Constantinople) पर ऑटोमन साम्राज्य (Ottoman Empire) की विजय के बाद वर्ष 1511 में इस चर्च को 'कारी मस्जिद' (Kariye Mosque) में बदल दिया गया था।
- द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धर्मनिरपेक्ष समर्थक गणराज्य के रूप में उभरते तुर्की में वर्ष 1945 में इसे एक संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया।
- जिसके बाद वर्ष 1958 में इसे आम जनता के लिये खोल दिया गया।

कारण:

- विशेषज्ञों के अनुसार, इन दोनों संग्रहालयों को मस्जिद में बदलने के पीछे एर्दोगन का उद्देश्य वर्तमान में देश में बढ़ती हुई महंगाई और COVID-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक अनिश्चितता के बीच देश में रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी खेमे का जनसमर्थन प्राप्त करना है।

वैश्विक प्रतिक्रिया:

- तुर्की द्वारा हागिया सोफिया को एक मस्जिद के रूप में बदलने में विश्व के अधिकांश देशों ने इसका विरोध किया था।
- ग्रीस के विदेश मंत्रालय ने तुर्की के इस निर्णय को धार्मिक उकसावे वाला कदम बताया है।

आगे की राह:

- पिछले कुछ वर्षों में तुर्की मध्य पूर्व अपनी अपनी स्थिति मज़बूत करने और वैश्विक स्तर पर स्वयं को मुस्लिम देशों के लिये एक नए नेतृत्त्व के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहा है।

नोट :

- हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में बदलने के निर्णय के बाद इस गैस भंडार की खोज से तुर्की के राष्ट्रपति को मिलने वाला स्थानीय जन समर्थन बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र में तेल की खोज से लेकर अन्य विवादित मुद्दों पर तुर्की की आक्रामकता में वृद्धि देखी जा सकती है।
- फ्राँस सहित विश्व के अन्य देशों द्वारा भूमध्य सागर में क्षेत्राधिकार से जुड़े विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

सऊदी अरब-पाकिस्तान मतभेद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पाकिस्तानी सेना प्रमुख के नेतृत्त्व में सऊदी अरब के दौरे पर गए एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल को सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक की अनुमति नहीं प्राप्त हो सकी जिसने पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच बढ़ते मतभेद को और अधिक स्पष्ट कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सऊदी अरब का समर्थन नहीं प्राप्त हो सका था।
- सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक संभव नहीं होने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की है।

सऊदी-पाकिस्तान संबंध:

- सऊदी अरब और पाकिस्तान के संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान सबसे अधिक मज़बूत माने जाते हैं।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, इस युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने पाकिस्तान को लगभग 75 लड़ाकू जहाज़ उधार देने के साथ हथियार और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए थे।
- इस युद्ध के पश्चात सऊदी अरब ने पाकिस्तान के युद्ध बंदियों को लौटाए जाने की मांग का समर्थन किया था।
- युद्ध के पश्चात वर्ष 1977 तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 लड़ाकू जहाज़ और हार्पून मिसाइल सहित अन्य आवश्यक हथियार खरीदने के लिये लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया।
- पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद उस पर लगे प्रतिबंधों के बीच सऊदी अरब से प्राप्त होने वाले तेल और आर्थिक सहायता ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- पिछले दो दशकों के दौरान जब भी पाकिस्तान आर्थिक समस्याओं में पड़ा है सऊदी अरब ने उसे विलंबित भुगतान पर तेल उपलब्ध कराया है।
- सऊदी अरब से मिलने वाली फंडिंग के कारण पाकिस्तान में मदरसों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसने पाकिस्तान में धार्मिक चरमपंथ को भी बढ़ावा दिया है।
- वर्ष 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान पाकिस्तान ने सऊदी अरब की रक्षा के लिये अपनी थल सेना भेजी थी।

मतभेद:

- सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ वर्षों से मतभेद बढ़ते जा रहे थे।
- वर्ष 2015 में पाकिस्तान की संसद ने यमन में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के सऊदी सैन्य प्रयास का समर्थन न करने का फैसला किया।
- वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के दौरान अमेरिका के अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात या 'युएई' (UAE) ने विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने के लिये पाकिस्तान पर दबाव बनाया।
- पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब पर कश्मीर मामले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने में विफल रहने का आरोप लगाया साथ ही पाकिस्तान ने इस मामले में 'इस्लामिक सहयोग संगठन' (Organisation of Islamic Cooperation- OIC) के नेतृत्त्व पर भी प्रश्न उठाया था।
- पाकिस्तान द्वारा तुर्की और मलेशिया का बढ़ता समर्थन भी इस मतभेद को बढ़ाने का एक बड़ा कारण रहा है
  - गौरतलब है कि तुर्की वर्तमान में सऊदी अरब को चुनौती देते हुए स्वयं को मुस्लिम देशों के बीच एक नए नेतृत्त्व के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

नोट :

- पाकिस्तान के हालिया रवैये से नाराज़ होते हुए सऊदी अरब ने वर्ष 2018 में दिये 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वापस किये जाने की मांग की और विलंबित भुगतान पर पाकिस्तान को तेल बेचने से इंकार कर दिया।
  - ध्यातव्य है कि नवंबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिये 6.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की थी।

चीन की भूमिका:

- 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' (China-Pakistan Economic Corridor- CPEC) के माध्यम से चीन, पाकिस्तान के लिये एक बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है।
  - CPEC की शुरूआती लागत 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर बताई गई थी परंतु वर्तमान में यह परियोजना लगभग 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है।
- सऊदी अरब ने भी CPEC परियोजनाओं में 10 बिलियन डॉलर का निवेश किया है परंतु पाकिस्तान वर्तमान में राजनयिक और आर्थिक समर्थन के लिये सऊदी अरब की अपेक्षा चीन को अधिक प्राथमिकता देता है।
- पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपनी हालिया चीन यात्रा को पाकिस्तान और चीन की सामरिक सहकारी साझेदारी को मज़बूत बनाने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताया है।

सऊदी अरब और भारत:

- पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने खनिज तेल पर अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करने पर विशेष ध्यान दिया है और इसका प्रभाव उसकी विदेश नीति पर भी देखने को मिला है।
- सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयास में दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्त्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है।
- पिछले 6 वर्षों में भारत और अरब क्षेत्र के देशों (विशेषकर सऊदी अरब और UAE) के संबंधों में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है।
- सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा (चीन, अमेरिका और जापान के बाद) सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
  - भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।
  - भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 18% खनिज तेल सऊदी अरब से आयात करता है, साथ ही सऊदी अरब भारत के लिये 'तरल पेट्रोलियम गैस' या एलपीजी (LPG) का एक बड़ा स्त्रोत है।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत द्वारा ईरान से तेल के आयात को स्थगित करने के निर्णय के बाद भारत के लिये सऊदी अरब का महत्त्व और भी बढ़ गया है।

प्रभाव:

- पाकिस्तान और सऊदी अरब के मतभेदों पर भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, हालाँकि 'जम्मू और कश्मीर' तथा 'नागरिकता संशोधन विधेयक-एनआरसी'(CAA-NRC) मुद्दे पर सऊदी अरब की चुप्पी ने भारत सरकार के आत्मविश्वास को बढ़ाया है।
- भारत और सऊदी अरब दोनों के लिये यह द्विपक्षीय संबंध बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। वर्तमान में चीन के साथ सीमा-विवाद के समय पाकिस्तान तथा चीन की घनिष्ठता भारत के लिये एक चिंता का विषय है, परंतु ऐसे समय में सऊदी अरब का समर्थन भारत को पाकिस्तान के खिलाफ एक मज़बूत बढ़त प्रदान करेगा।

आगे की राह:

- भारत के पक्ष में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में पाकिस्तान-चीन और पाकिस्तान-सऊदी अरब ध्रुव एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, अर्थात अभी यह एक पाकिस्तान-चीन-सऊदी-अरब त्रिकोणीय साझेदारी नहीं है।
- ऐसे में इस क्षेत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस स्थिति का किस प्रकार लाभ उठाता है।

नोट :

श्रीलंका: नए संविधान का मसौदा

चर्चा में क्यों

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (2019 में निर्वाचित) ने संसद के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि श्रीलंका एक नए संविधान का मसौदा तैयार करेगा और राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाले 19वें संशोधन को समाप्त कर संसद की भूमिका को मज़बूत करेगा।

प्रमुख बिंदु

- श्रीलंका के नए मंत्रिमंडल में राजपक्षे परिवार के सदस्य शामिल हैं।
  - महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksha) श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं।
- राजपक्षे की अगुवाई में श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (Sri Lanka People's Party- SLPP) ने हाल ही में हुए संसदीय चुनावों (अगस्त 2020) में शानदार जीत हासिल की जिससे प्रभावशाली परिवार अगले पांच वर्षों के लिये सत्ता को मज़बूत कर सके।
- 19वां संशोधन:
  - वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना (Maithripala Sirisena) और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे (Ranil Wickremesinghe) के कार्यकाल (2015-19) के दौरान इसे पारित किया गया था।
  - इसने न केवल राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश की गई बल्कि न्यायपालिका, सार्वजनिक सेवा और चुनाव जैसे प्रमुख स्वतंत्र आयोगों को भी मज़बूत करने की मांग की गई।
    - इसने राष्ट्रपति पद के दो-कार्यकाल की सीमा को वापस ले लिया।
  - समकालीन श्रीलंका के इतिहास में प्रगतिशील कानून के रूप में नागरिक समाज के सदस्यों सहित कई लोगों द्वारा इसका स्वागत किया गया था।
  - हालाँकि राजपक्षे कैंप द्वारा 19वें संशोधन के खंडों को अपने नेताओं की सत्ता में वापसी को रोकने के लिये मुख्य रूप से देखा गया।
    - इस संशोधन ने दोहरे नागरिकों को चुनाव लड़ने से रोका। उस समय वर्तमान राष्ट्रपति सहित राजपक्षे परिवार के दो सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका के दोहरे नागरिक थे।
  - इसके उन्मूलन से राजपक्षे की सत्ता पर पकड़ मज़बूत होगी क्योंकि देश अपनी पिछली संवैधानिक स्थिति में वापस आ जाएगा जिसमें राष्ट्रपति पुलिस, न्यायपालिका एवं सार्वजनिक सेवा के लिये अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं और एक वर्ष के बाद कभी भी संसद को भंग कर सकते हैं।
- नया संविधान:
  - राष्ट्रपति ने कहा कि नया संविधान 'सभी लोगों के लिये एक देश, एक कानून' की अवधारणा को प्राथमिकता देगा।
    - वर्ष 1978 से अब तक 19 बार श्रीलंका का संविधान बदला गया है, जिससे बहुत सारी अनिश्चितताएँ और भ्रम पैदा हुए हैं।
  - आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लाभदायक पहलुओं को बनाए रखते हुए संसद की स्थिरता और लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन किये जाएंगे।
  - अधिकार कार्यकर्ता संविधान में नियोजित बदलावों को SLPP और राजपक्षे भाइयों के मुख्य रूप से बौद्ध, सिंहली भाषी मतदाताओं को और सशक्त बनाने के प्रयास के रूप में देखते हैं।
    - राजपक्षे परिवार जिसने वर्ष 2005 से वर्ष 2015 तक सरकार पर अपना वर्चस्व कायम रखा, देश के लंबे गृहयुद्ध (1983-2009) के चरमोत्कर्ष का गवाह बना।
    - युद्ध ने श्रीलंका को नृजातीय रेखाओं के साथ विभाजित कर दिया, जिसने अल्पसंख्यक बौद्ध सिंहली-बहुल सरकार को तमिल विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा कर दिया जो एक अलग राज्य चाहते थे।
    - वर्ष 2009 में सरकारी बलों द्वारा विद्रोहियों को हराया गया था।

नोट :

- भारत - श्रीलंका संबंध:
  - भारत की पहल:
    - हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने और देश की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जो COVID-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित है।
    - इससे पहले भारत ने महामारी से लड़ने के लिये अप्रैल और मई 2020 में आवश्यक दवाओं और उपकरणों की चार खेप (Consignments) भेजकर श्रीलंका की सहायता की थी।
    - भारतीय आवास परियोजना (Indian Housing Project) भारत सरकार की श्रीलंका को विकासात्मक सहायता की प्रमुख परियोजना है। इसकी आरंभिक प्रतिबद्धता गृह युद्ध से प्रभावित लोगों के साथ-साथ बागान क्षेत्रों में संपदा श्रमिकों के लिये 50,000 घरों का निर्माण करना है।
  - द्विपक्षीय सहयोग:
    - भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति) और नौसेना अभ्यास (SLINEX) करते हैं।
    - दोनों देशों के क्षेत्रीय जल की निकटता को देखते हुए मछुआरों के भटकने की घटनाएँ आम हैं विशेष रूप से पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी की घटनाएँ। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करते हुए दोनों ओर के मछुआरों की स्थिति से निपटने के लिये कुछ व्यावहारिक व्यवस्थाओं पर सहमति व्यक्त की है।
  - चिंता:
    - श्रीलंका के नए सत्तारूढ़ कबीले LAC और क्षेत्र में चीन के साथ भारत की परेशानियों के बारे में काफी जागरूक हैं। राजपक्षे चीन का भारत के प्रति प्रतिकार के रूप में उपयोग करते रहेंगे।

आगे की राह

- श्रीलंका के लिये नई सरकार की संविधान-निर्माण प्रक्रिया श्रीलंका के लोकतंत्र को मज़बूत करेगी और सभी के लिये समृद्धि प्राप्त करने हेतु देश के लिये एक समावेशी मंच प्रदान करेगी।
- भारत द्वारा श्रीलंका की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए श्रीलंका में तमिलों के लिये सुलह के प्रयासों पर ज़ोर देना चाहिये।

तालिबान प्रतिनिधि मंडल का पाकिस्तान दौरा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय से एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मंडल अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया पर पाकिस्तानी नेतृत्त्व से चर्चा के लिये पाकिस्तान पहुँचा।

प्रमुख बिंदु:

- तालिबान के राजनीतिक प्रमुख 'मुल्ला अब्दुल गनी बरादर' (Mullah Abdul Ghani Baradar) के नेतृत्त्व में यह उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के निमंत्रण पर इस्लामाबाद पहुँचा है।
- पाकिस्तानी विदेश मंत्री के अनुसार, पाकिस्तान अफगान मुद्दे पर एक मध्यस्थ/सहायक की भूमिका निभा रहा है, जिसके कारण अमेरिका और तालिबान के बीच यह समझौता सुनिश्चित हो सका है तथा अब इसका भविष्य अफगानिस्तान प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करता है।
- यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों तरफ से कैदियों के हस्तांतरण के विवादित प्रावधान के बीच अफगान शांति वार्ता पुन: स्थगित हो गई है।
- गौरतलब है कि पिछले 10 माह में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की यह दूसरी पाकिस्तान यात्रा है।
- पाकिस्तानी विदेशमंत्री के अनुसार, अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया में अगला तार्किक कदम अंतर-अफगान वार्ता होगी जिसे शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिये।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के प्रवेश के लगभग 2 दशक बाद फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते के तहत अमेरिका अगले 14 महीनों में अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिक वापस बुलाने पर सहमत हुआ था।
- फरवरी 2020 के समझौते के तहत अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कैदियों की रिहाई पर भी एक समझौता हुआ।
- इसके तहत अफगानिस्तान सरकार द्वारा देश की जेलों में बंद लगभग 5,000 तालिबानी कैदियों और तालिबान द्वारा पकड़े गए लगभग 1000 सरकारी कर्मचारियों तथा सैन्य कर्मियों को 'अंतर-अफगान वार्ता' (Intra-Afghan Negotiations) के पहले रिहा करने पर सहमति व्यक्त की गई थी।

शांति प्रक्रिया के बाधित होने का कारण:

- वर्तमान में तालिबान द्वारा लगभग 1,000 सरकारी कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों तथा अफगानिस्तान सरकार द्वारा लगभग 4,680 चरमपंथियों को रिहा किया जा चुका है।
- हालाँकि अफगानिस्तान सरकार ने हाल ही में कुछ बचे हुए (लगभग 300) तालिबानी कैदियों को रिहा करने मना कर दिया है। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार, ये कैदी कई गंभीर हमलों से संबंधित हैं।

पाकिस्तान का हस्तक्षेप :

- अफगानिस्तान सरकार द्वारा पाकिस्तान पर तालिबान को आश्रय देने और फंडिंग उपलब्ध कराने का आरोप लगाया जाता रहा है।
- गौरतलब है कि 1990 के दशक के दौरान अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने वाले देशों में से पाकिस्तान भी एक था।
- यदि अफगानिस्तान में तालिबान की स्थिति मज़बूत होती है तो इससे अफगानिस्तान की राजनीति में पाकिस्तान का हस्तक्षेप बढ़ेगा।

भारत पर प्रभाव :

- भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त एक लोकतांत्रिक सरकार का समर्थक रहा है।
- अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हस्तक्षेप का लाभ पाकिस्तान कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ावा देने के लिये कर सकता है।

आगे की राह:

- अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से हटाए जाने से क्षेत्र में एक बार पुन: अस्थिरता बढ़ सकती है।
- भारत को क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिये तालिबान से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करने पर विचार करना चाहिये।

चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध और भारत

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिये निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है। यह चीन द्वारा किसी देश के लिये बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है।

प्रमुख बिंदु

- यह युद्धपोत उन चार सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोतों में से एक है, जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिये तैयार किया गया है।
- ध्यातव्य है कि पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (CSTC) के साथ टाइप-054 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- वर्ष 2021 तक पाकिस्तान की नौसेना में इसी श्रेणी के तीन और युद्धपोत शामिल हो जाएंगे।

टाइप-054 श्रेणी का युद्धपोत

- नवीनतम सतही हथियारों, ऐंटी-एयर हथियार प्रणाली, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर्स आदि से लैस टाइप-054 श्रेणी का यह युद्धपोत पाकिस्तान नौसेना के पास उपलब्ध तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक होगा।

नोट :

- विशेषज्ञ मानते हैं कि टाइप-054 श्रेणी के युद्धपोत चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (People's Liberation Army Navy-PLAN) में कार्यरत सबसे बेहतर युद्ध पोतों में से एक है।
- टाइप-054A श्रेणी का युद्धपोत एक मल्टी-रोल वाला युद्धपोत है, जिसे चीन की नौसेना के सतही बेड़े का आधार माना जाता है।

निहितार्थ:

- चीन-पाकिस्तान संबंधों में मज़बूती: टाइप-054 श्रेणी के इस युद्धपोत के लॉन्च होने से पाकिस्तान और चीन के रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।
- युद्धक क्षमता में वृद्धि: इस प्रकार के उन्नत युद्धपोत के अधिग्रहण से पाकिस्तानी नौसेना के सतही बेड़े की युद्धक क्षमता में काफी अधिक वृद्धि होगी।
- सैन्य निर्यात के लिये बड़ी उपलब्धि: विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन द्वारा किसी भी विदेशी नौसेना को बेचा गया यह सबसे बड़ा युद्धक जहाज़ चीन के सैन्य निर्यात क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
- भारत के लिये सुरक्षा चुनौती: गौरतलब है कि वर्तमान में भारत, सीमा विवादों एवं जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव का सामना कर रहा है।
  - पाकिस्तान द्वारा चीन से इस प्रकार का उन्नत युद्धपोत खरीदना भारत के लिये सुरक्षा की दृष्टि से काफी चिंताजनक हो सकता है, ऐसे में भारत अपने दोनों पड़ोसियों के बीच सैन्य सहयोग पर बारीकी से नजर रखेगा।

चीन-पाकिस्तान सैन्य संबंध

- बीते दो दशकों में चीन और तुर्की के साथ पाकिस्तान के सैन्य संबंधों ने एक नया आयाम प्राप्त किया है, और पाकिस्तान के साथ दोनों देशों के संबंधों में सैन्य उपकरण आदि केंद्र में आ गए हैं।
- गौरतलब है कि चीन, पाकिस्तान के प्राथमिक रक्षा साझीदारों में से रहा है और आँकड़ों के अनुसार, चीन ने वर्ष 2008 से वर्ष 2012 के बीच पाकिस्तान के रक्षा आयात भंडार में तकरीबन 70 प्रतिशत का योगदान दिया था।
- पिछले दशक में चीन और पाकिस्तान के ये सैन्य संबंध और अधिक मज़बूत हुए हैं, और इन्ही संबंधों का परिणाम है कि चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से उन्नत लड़ाकू क्षमताओं के साथ विकसित जेएफ -17 मल्टी-रोल लड़ाकू विमान के नए संस्करण ने दिसंबर, 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी थी।
- ध्यातव्य है कि चीन ने वर्ष 2008 में पाकिस्तान को घातक ए-100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर (A-100 Multiple Rocket Launcher) की पहली इकाई भी बेची थी।

भारत के लिये गंभीर खतरा

- गलवान घाटी (Galwan Valley) में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंधों में तनाव काफी बढ़ गया है, वहीं पाकिस्तान के साथ तो भारत के संबंधों में पहले से ही तनाव मौजूद है।
- भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव बीते दिनों तब देखने को मिला था, जब जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति की पहली वर्षगांठ पर चीन ने पाकिस्तान का साथ देते हुए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council-UNSC) में जम्मू-कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया था।
- ऐसे में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिये सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक गंभीर खतरा बन सकते हैं, ऐसी स्थिति में आवश्यक यही है कि सरकार चीनी सैन्य क्षमताओं का निरंतर मूल्यांकन करे और उसी के अनुसार अपनी प्रतिक्रियाओं को आकार दे। साथ ही सरकार को सतर्क रहने की ज़रूरत है।

नोट :

लीबियाई संकट और संघर्षविराम की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

लीबिया में संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने देश भर में संघर्ष विराम की घोषणा की है, साथ ही सरकार ने अगले वर्ष मार्च माह में संसदीय और राष्ट्रपति चुनावों का भी आह्वान किया है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा की गई संघर्ष विराम की इस घोषणा से देश में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में कुछ कमी आने की संभावना जताई जा रही है।

लीबिया में संकट- पृष्ठभूमि

- अनुमान के अनुसार, लीबिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार मौजूद है, इसके अलावा यह प्राकृतिक गैस बाज़ार में भी एक भूमिका अदा करता है। लीबिया की इस प्रकृति तेल की समृद्धि को ही उसके गृहयुद्ध संकट का एक मूल कारण माना जा सकता है।
  - किंतु लीबिया की कहानी तेल बाज़ारों पर इसके प्रभाव से कहीं अधिक जटिल है।
- असल में लीबिया संकट की शुरुआत 16 फरवरी, 2011 को सरकार विरोधी प्रदर्शनों के साथ हुई थी, इन विरोध प्रदर्शनों के प्रति सरकार ने काफी कड़ा रुख अपनाया और विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत के कुछ ही दिनों में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- समय के साथ इन विरोध प्रदर्शनों के कारण लीबिया की स्थिति और खराब होती गई और विपक्षी बलों और मुअम्मर गद्दाफी के समर्थकों के बीच गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई।
- लीबिया में स्थिति को बिगड़ते देख पश्चिमी देशों ने हस्तक्षेप किया और नाटो द्वारा किये गए सैन्य अभियानों में अक्तूबर, 2011 को तानाशाही शासक मुअम्मर गद्दाफी की मृत्यु हो गई।
  - गद्दाफी की मृत्यु वर्ष 1969 में एक सैन्य तख्तापलट में सत्ता की बागडोर संभालने वाले पूर्व सैनिक अधिकारी द्वारा किये गए 42 वर्ष के शासनकाल के अंत का प्रतीक थी।
- मुअम्मर गद्दाफी की मृत्यु के बाद प्रशासन लीबिया में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र भी लीबिया संकट में शामिल हो गया और जुलाई 2012 में चुनाव के द्वारा लीबिया की राजधानी त्रिपोली में नई सरकार बनाई गई।
- वर्ष 2014 में त्रिपोली स्थित सरकार ने चुनाव स्थगित कर दिये और कानूनी तौर पर अपने कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया।
- इसके पश्चात् खलीफा हफ्तर की स्वघोषित लीबियाई राष्ट्रीय सेना (LNA) के नेतृत्त्व में एक ओर समानांतर सरकार का गठन किया गया।
- वर्तमान में लीबिया की हालत दयनीय है। एक तरफ जहाँ LNA टोब्रुक-आधारित संसद की सहायता से लीबिया के पूर्वी हिस्से को नियंत्रित करती है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार लीबिया के पश्चिमी भागों को त्रिपोली से नियंत्रित करती है।
- संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार लीबिया को स्थिरता प्रदान करने में विफल रही। पश्चिमी लीबिया (जो कि GNA नियंत्रण में है) अंदरूनी लड़ाइयों और अपहरण की घटनाओं से प्रभावित है। साथ ही पश्चिमी लीबिया को पानी, पेट्रोल और बिजली जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है और इस क्षेत्र में कुछ ही बैंक संचालित होते हैं।

लीबिया में तेल भंडार

- अनुमान के अनुसार, लीबिया में अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल भंडार उपलब्ध है, और यहाँ वर्ष 2011 से पूर्व प्रति दिन 1.6 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन किया जाता था।
- लीबिया में वर्ष 2011 के बाद से ही तेल के उत्पादन में कई बार उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया है, वर्ष 2016 के अंत में लीबिया में तेल का उत्पादन लगभग एक मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ गया था, वहीं इस वर्ष जनवरी माह की शुरुआत में यहमात्र 100000 बैरल प्रतिदिन पर पहुँच गया था, क्योंकि खलीफा हफ्तर की स्वघोषित लीबियाई राष्ट्रीय सेना (LNA) के सहयोगियों ने बंदरगाह और पाइपलाइन को बंद कर दिया था।
- लीबिया की तेल उद्योग कंपनी नेशनल ऑयल कार्पोरेशन (NOC) के अनुसार, कंपनी तेल का निर्यात केवल तभी शुरू करेगी, जब सैनिक बल तेल भंडारों को पूरी तरह से छोड़ देंगे।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय भूमिका

- लीबिया के गृह युद्ध में दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है। तुर्की, इटली और कतर आदि त्रिपोली स्थित संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वालों में से हैं, जबकि रूस, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात आदि जनरल खलीफा हफ्तर की सरकार का समर्थन करने वाले देशों में से एक हैं।
  - गौरतलब है कि फ्राँस भी टोब्रुक-आधारित जनरल खलीफा हफ्तर की सरकार का समर्थन करता है, हालाँकि फ्राँस ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर इसे स्वीकार नहीं किया है।

लीबियाई संकट और जान-माल का नुकसान

- आँकड़े बताते हैं कि लीबियाई संकट के प्रभावस्वरूप वर्ष 2011 के बाद अब तक बीते 9 वर्ष में लगभग 400,000 लीबियाई लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, वहीं हज़ारों लोग दो सरकारों के इस आपसी झगड़े में मारे गए हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, संघर्ष के कारण तेल राजस्व में हुई कमी, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढाँचे और जीवन स्तर में कमी के कारण लीबिया को अरबों डॉलर के नुकसान का सामना करना पड़ा है।
- लीबिया में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और वहाँ के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे का पतन हो गया है, ऐसे में लीबिया के पश्चिमी हिस्से में राजनेताओं के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं।

शांति की संभावना

- दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा युद्ध जून माह में बंद हो गया था, किंतु दोनों पक्ष अभी भी लामबंदी में लगे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के मुखिया फैयाज अल सराज़ ने संघर्ष विराम और मार्च माह में चुनाव आयोजित कराने की घोषणा की है।
- हालाँकि खलीफा हफ्तर की स्वघोषित लीबियाई राष्ट्रीय सेना (LNA) ने फैयाज अल सराज़ द्वारा प्रस्तावित संघर्ष विराम को पूरी तरह से नकार दिया है।
- संयुक्त राष्ट्र शुरू से ही दोनों पक्ष की सरकारों को तेल राजस्व के वितरण, सरकार का निर्माण और सशस्त्र समूहों की स्थिति जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिये प्रेरित कर रहा है।
- वहीं विदेशी पक्षकारों ने भी आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के इस प्रयास का समर्थन किया है, किंतु वे अपने सहयोगियों को हथियार आदि उपलब्ध कराकर अपना सामरिक हित भी देख रहे हैं।

लीबिया

- लीबिया उत्तरी अफ्रीका का एक तेल-समृद्ध देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तानी है।
- लीबिया को मुख्य तौर पर उसके प्राचीन इतिहास, मुअम्मर गद्दाफी के 42 वर्षीय तानाशाही शासन और वर्तमान अराजकता के लिये जाना जाता है।
- 1951 में स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व लीबिया सदियों तक विदेशी शासन के अधीन था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने तेल भंडार के माध्यम से अपार समृद्धि अर्जित की।
- मुअम्मर गद्दाफी ने वर्ष 1969 में तख्तापलट कर सत्ता प्राप्त की और और तकरीबन चार दशकों तक शासन किया।
- लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और वहाँ की जनसंख्या तकरीबन 6.4 मिलियन है। लगभग 1.77 मिलियन वर्ग किमी. क्षेत्रफल में फैले इस देश में अरबी प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। वहीं इस्लाम इस देश का एक प्रमुख धर्म है।

भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर 'भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग' की 17 वीं बैठक का आयोजन किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- भारतीय विदेश मंत्री और वियतनाम के उप प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की गई।
- दोनों पक्षों द्वारा 'भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी' की दिशा में हाल ही में हुए विकास की समीक्षा की गई और भविष्य में दोनों देशों के व्यापक जुड़ाव पर चर्चा की गई।

संबंधों की पृष्ठभूमि:

- भारत-वियतनाम औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ों के साथ पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं।
- भारत ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में तत्कालीन उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के साथ वाणिज्य-स्तर के संबंधों को बनाए रखा और 7 जनवरी 1972 को एकीकृत वियतनाम के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किये।
- जुलाई, 2007 में दोनों देशों के बीच संबंधों को 'रणनीतिक भागीदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया।
- वर्ष 2016 में दोनों देशों के बीच 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (Comprehensive Strategic Partnership) की शुरुआत की गई।

बैठक में सहयोग पर सहमति:

- भारत-प्रशांत क्षेत्र:
  - भारत और वियतनाम, भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI) के अनुरूप अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।
  - दोनों देशों द्वारा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सभी के लिये साझा सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिये आसियान के दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की गई है।

भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (IPOI):

- 'भारत-प्रशांत महासागरीय पहल' को नवंबर 2019 में 'पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन' में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था।
- यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता, जिसमें दक्षिण चीन सागर क्षेत्र और भारत के साथ 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (LAC) भी शामिल है, की पृष्ठभूमि में प्रारंभ की गई है।
- यह निम्नलिखित सात केंद्रीय स्तंभों पर सहयोग पर केंद्रित है:
  - समुद्री सुरक्षा;
  - समुद्री पारिस्थितिकी;
  - समुद्री संसाधन;
  - क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण;
  - आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन;
  - विज्ञान प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग;
  - व्यापार कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन।
- यह पहल भारत-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने और सामान्य समाधान खोजने के लिये एक साथ काम करने की आवश्यकता पर बल देती है।

- बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग:
  - दोनों पक्ष 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) सहित बहुपक्षीय मंचों पर निकट समन्वय करने पर सहमत हुए हैं।
    - यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारत और वियतनाम दोनों वर्ष 2021 में UNSC में गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

नोट :

- दोनों देशों द्वारा आसियान तंत्र (ASEAN Framework) के माध्यम से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई है।
  - भारत और वियतनाम पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (ASEM) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में निकट सहयोगी हैं।

- आर्थिक संबंध:
  - दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नवीन प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पर सहमति व्यक्त की है।
  - भारत द्वारा आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मानव-केंद्रित वैश्वीकरण की दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत' (Atmanirbhar Bharat) के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया।
  - भारत द्वारा वर्तमान में 'त्वरित प्रभाव परियोजनाओं' (Quick Impact Projects- QIPs), 'भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम' (Indian Technical and Economic Cooperation Programme- ITEC) और e-ITEC पहल, पीएचडी फैलोशिप, वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति, डिजिटल कनेक्टिविटी और विरासत संरक्षण क्षेत्रों में वियतनाम को विकास और क्षमता निर्माण की दिशा में सहायता प्रदान की जाती है।

- त्वरित प्रभाव परियोजनाएँ (QIPs):
  - ये छोटे पैमाने तथा कम लागत वाली परियोजनाएँ होती हैं।
  - भारत सरकार द्वारा वियतनाम में कार्यान्वयन के लिये 12 QIP को अनुमोदित किया जा चुका है।
  - इनमें से सात QIPs जल संसाधन प्रबंधन से तथा पाँच शैक्षिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण से संबंधित हैं।

निष्कर्ष:

- वियतनाम. भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का एक प्रमुख स्तंभ है, अत: दोनों देशों के बीच आगे सहयोग की व्यापक गुंजाइश है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की आक्रामक गतिविधियों को संतुलित रखने के दृष्टिकोण से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

माली में सैन्य तख्तापलट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में माली में सेना ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता (Ibrahim Boubacar Keita) और प्रधानमंत्री बुबौ सिसे (Boubou Cisse) को राजधानी बामको में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि: वर्ष 2011 के लीबियाई संकट ने माली को अराजकता की ओर अग्रसर किया।
  - लीबिया से सहारा रेगिस्तान में हथियारों की आपूर्ति की गई जिससे उत्तरी माली में अलगाववादी संघर्ष को हवा मिली। इसका परिणाम यह हुआ कि यह संघर्ष एक इस्लामी जंग में परिवर्तित हो गया जिसने राजधानी बमाको (माली) में तख्तापलट कर दिया।
- कारण: माली की समस्याओं के तीन निम्न अतिव्यापी समूह हैं:
  - मार्च 2020 के विवादित विधायी चुनावों से राजनीतिक संकट बढ़ गया।
  - आर्थिक ठहराव, भ्रष्टाचार और फिर COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न जटिलताओं के कारण उपजे आर्थिक संकट से अत्यधिक कम भुगतान के कारण सैनिकों में पहले से असंतोष व्याप्त था।
  - आतंकवाद और जिहादियों एवं नागरिकों के खिलाफ होने वाली सैन्य कार्रवाईयों को नियंत्रित करने में हाथ लगी विफलता के कारण उपजा सुरक्षा संकट।

नोट :

- सैन्य तख्तापलट:
  - यह पहले के सभी समझौतों का सम्मान करते हुए उन्हें लागू रखेगा, इसमें क्षेत्र में जिहाद विरोधी अभियानों को दिये गए माली के समर्थन के साथ-साथ देश के उत्तर में सशस्त्र समूहों और मालियन सरकार के बीच हुए वर्ष 2015 के शांति समझौते, जिसे अल्जीयर्स प्रक्रिया का नाम दिया गया है, का भी सम्मान करेगा।
    - माली में संयुक्त राष्ट्र के बहुआयामी एकीकृत स्थिरीकरण अभियान (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali- MINUSMA), फ्राँस का बर्कहेन बल, G5 साहेल (बुर्किना फासो, चाड, माली, मॉरिटानिया और नाइजर का संस्थागत ढाँचा), ताकुबा (एक यूरोपीयन स्पेशल फोर्स इनिशिएटिव) माली के भागीदार बने रहेंगे।
- प्रतिक्रिया:
  - फ्राँस ने माली से नागरिक शासन को लागू करने का आग्रह करते हुए कहा है कि आतंकवादी समूहों के खिलाफ लड़ाई और लोकतंत्र की रक्षा एवं कानून का शासन अविभाज्य है।
    - माली के पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्राँस के माली में कई हज़ार सैनिक तैनात हैं जो इस्लामी आतंकवादी समूहों से लड़ रहे हैं।
    - माली में प्रभावी विभिन्न जिहादी समूह अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े हुए हैं, जो उत्तरी माली के रेगिस्तान में स्थित हैं, यहाँ से वे पड़ोसी देशों, खासकर बुर्किना फासो और नाइजर में फैले हुए हैं।
  - अफ्रीकी संघ ने माली को यह कहते हुए पहले ही निलंबित कर दिया था कि सैन्य तख्तापलट के मुद्दे अतीत का विषय हुआ करते थे इन्हें वर्तमान समय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
  - पश्चिम अफ्रीकी राज्यों (Economic Community of West African States-ECOWAS) के 15-सदस्यीय आर्थिक समुदाय ने भी अपनी-अपनी सीमाओं को बंद करके, माली के साथ होने वाले वित्तीय लेन-देन को निलंबित करते हुए इसे निर्णायक निकायों से बाहर निकालते हुए माली के खिलाफ तीव्र कार्रवाई की है।
  - संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने सभी सरकारी अधिकारियों की तत्काल रिहाई और संवैधानिक व्यवस्था की बहाली की मांग की है।

माली गणराज्य

- माली पश्चिमी अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में फैला एक विशाल देश है।
- एक समय कई पूर्व-औपनिवेशिक साम्राज्यों का निवास स्थान रहा यह स्थलाबद्ध अफ्रीकी देश इस महाद्वीप के सबसे बड़े देशों में से एक है। यह दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में से एक है।
- वर्ष 1960 में फ्राँस से स्वतंत्रता मिलने के बाद माली ने वर्ष 1992 के लोकतांत्रिक चुनावों तक सूखा, विद्रोह, तख्तापलट और 23 साल की सैन्य तानाशाही का कष्ट सहा है।
  - इसने कई सैन्य शासनों का भी अनुभव किया है, वर्तमान में यह जिहादी हमलों और जातीय हिंसा से जूझ रहा है।
- राजधानी: बमाको।
- जनसंख्या: लगभग 19 मिलियन।
- क्षेत्रफल: 1.25 मिलियन वर्ग किमी।
- प्रमुख भाषाएँ: फ्रेंच, बाम्बारा, बर्बर और अरबी।
- धर्म: इस्लाम और स्वदेशी मान्यताएँ।
- मुद्रा: कम्यूनायट फाइनेंसियर अफ्रीका (Communaute Financiere Africaine) फ्रैंक।

आगे की राह

- स्पष्ट रूप से नवीनतम सैन्य तख्तापलट सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, विवादित चुनावों और राजनीतिक धारा के प्रति एक प्रतिक्रिया है। हालाँकि सैन्य तख्तापलट से इनमें से किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है।
- माली की इस स्थिति से एक चिर-परिचित सच्चाई अवश्य उजागर होती है कि भले ही विदेशी हस्तक्षेप के अपने लाभ हों, लेकिन माली जैसे राष्ट्र की स्थिति में सुधार करने की क्षमता इसके अपने हाथों में है, देश की बिगड़ती स्थिति को ठीक करने का एक मात्र विकल्प देश के लड़खड़ाते लोकतांत्रिक संस्थानों को साथ लेकर चलने में ही है।

नोट :

ब्रिक्स इनोवेशन बेस

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ब्रिक्स (BRICS) देशों के उद्योग मंत्रियों की एक वर्चुअल बैठक के दौरान चीन द्वारा ब्रिक्स देशों के बीच 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) और 5G के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये चीन में एक 'ब्रिक्स इनोवेशन बेस' (BRICS Innovation Base) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- चीन ने भारत सहित समूह के सभी देशों से 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' और 5G के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया है।
- चीन का यह प्रस्ताव भारत के लिये एक नई परेशानी खाड़ी कर सकता है क्योंकि ब्रिक्स समूह में भारत ही एक ऐसा सदस्य है जो चीन को अपने देश के 5G तंत्र से बाहर रखने का प्रयास कर रहा है।
- गौरतलब है कि चीनी की एक दूरसंचार कंपनी 'हुवेई' (Huawei) को संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी हद तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अन्य ब्रिक्स देशों की प्रतिक्रिया:

- रूस:
  - रूस ने 5G तकनीकी पर चीन के साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - रूसी विदेश मंत्री ने इसी माह 5G के क्षेत्र में चीनी दूरसंचार कंपनी हुवेई (Huawei) के साथ मिलकर कार्य करने का स्वागत किया है।
- दक्षिण अफ्रीका:
  - दक्षिण अफ्रीका में हुवेई देश की तीन दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों द्वारा उनकी 5G सेवा को शुरू करने में सहयोग कर रहा है।
- ब्राज़ील:
  - ब्राज़ील ने भी चीनी कंपनियों को अपने देश के 5G के परीक्षण में में शामिल होने की अनुमति दी है हालाँकि देश में 5G को पूरी तरह से शुरू किये जाने की प्रक्रिया में चीनी कंपनियों को शामिल करने पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
  - हालाँकि ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति ने इसी माह हुवेई को 5G नेटवर्क में शामिल करने के संकेत दिये हैं। उनके अनुसार, वर्तमान में ब्राज़ील के 4G तंत्र में देश की दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों द्वारा प्रयोग किये जा रहे उपकरणों में से एक-तिहाई (1/3) से अधिक हुवेई के ही हैं।
  - ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति के अनुसार, हुवेई में अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर क्षमता है और वे अभी अमेरिकी कंपनियों को इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा में आगे बढ़ता हुए नहीं देखते।

भारत की चुनौती:

- वर्तमान में भारत और चीन तनाव के बीच भारत सरकार द्वारा 5G के क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति दिये जाने की संभावनाएँ बहुत ही कम है।
- गौरतलब है कि हाल ही में भारत द्वारा चीनी निवेश पर नियमों में सख्ती के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए लगभग 59 चीनी मोबाइल एप पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- भारतीय खुफिया तंत्र ने अपने आकलन के आधार पर हुवेई सहित चीन की कई अन्य कंपनियों के चीनी सेना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध की संभावनाओं के संदर्भ में चिंता ज़ाहिर की है।
- 5G से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती डेटा सुरक्षा की है, वर्तमान में 5G जैसे क्षेत्र में भारतीय बाज़ार में चीनी कंपनियों की भागीदारी की अनुमति देने से यह आर्थिक हितों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी एक चिंता का विषय होगा।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में विश्व में COVID-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित 5 देशों में से 4 ब्रिक्स समूह के देश (ब्राज़ील, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका) हैं और ऐसे समय में चीनी कंपनियाँ इन देशों के बाज़ारों पर मज़बूत बढ़त बनाने के लिये प्रयासरत हैं।

नोट :

आगे की राह:

- पिछले कुछ वर्षों में भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामकता में वृद्धि और अमेरिका-चीन व्यापारिक तनाव ने भारत के लिये 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी' (RCEP), 'रूस-भारत-चीन' (Russia-India-China- RIC) और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूहों से जुड़े राजनीतिक निर्णयों को अधिक जटिल बना दिया है।
- हाल ही में भारत 'ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (Global Partnership on Artificial Intelligence-GPAI) में एक संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ है।
  - यह आर्थिक विकास के साथ मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, और नवाचार जैसे मूल्यों पर आधारित 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence-AI) के ज़िम्मेदारी पूर्ण विकास का मार्गदर्शन करने हेतु एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है।
- 'GPAI' की ही तरह 5G के क्षेत्र में भी सामान विचारधारा वाले देशों के सहयोग से 5G से जुड़े तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- पिछले एक दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, 5G से जुड़े रणनीतिक और आर्थिक हितों को देखते हुए 'मेक-इन-इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे प्रयासों के तहत भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

तुर्की-ग्रीस गतिरोध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में खोजे गए गैस भंडार को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव के बीच फ्राँस ने पूर्वी भूमध्य सागर में अपनी सेना तैनात कर दी है। फ्राँस के अनुसार, भूमध्य सागर में स्थिति के स्वायत्त मूल्यांकन को सुदृढ़ करने और क्षेत्र में मुक्त गतिविधि, समुद्री नेवीगेशन की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के संदर्भ में फ्राँस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिये सेना को तैनात किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गतिरोध:
  - कारण: यूरोपीय संघ (EU), पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में ग्रीस के सहयोगियों ने गैस परिवहन के लिये भूमध्य सागर से यूरोप की मुख्य भूमि तक गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बनाई। इन्होंने तुर्की को इस योजना से बाहर रखा, जिसका तुर्की ने विरोध किया है।
  - इस योजना के निर्माण से EU की रूस पर निर्भरता कम हो जाएगी।
  - 2019 की शुरुआत में साइप्रस, मिस्र, ग्रीस, इटली, जॉर्डन और फिलिस्तीन ने ईस्टमीड गैस फोरम (EastMed Gas Forum) का गठन किया और एक बार फिर से तुर्की को इससे बाहर रखा।
  - तुर्की की प्रतिक्रिया: तुर्की ने EU की पाइपलाइन योजना को चुनौती दी और एक विशेष आर्थिक ज़ोन (Exclusive Economic Zone- EEZ) के निर्माण हेतु लीबिया के साथ एक समझौता किया, यह EEZ तुर्की के दक्षिणी बिंदु से लेकर भूमध्य सागर के पार लीबिया के पश्चिमी बिंदु तक होगा।
  - हालाँकि ग्रीस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि तुर्की का यह विशेष आर्थिक ज़ोन इसकी महासागरीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है और इसके बाद ग्रीस ने मिस्र के साथ अपने EEZ के निर्माण की घोषणा कर दी जो तुर्की के EEZ के साथ गतिरोध उत्पन्न करता है।
  - ग्रीस के इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए तुक्री ने ग्रीस-मिस्र समझौते में वर्णित कास्तेलोरिज़ो (Kastellorizo) द्वीप क्षेत्र के समीप अपना सर्वे जहाज़ तैनात कर दिया।
  - यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ग्रीस और तुर्की के म विवाद जन्मा है। पिछले चार दशकों में दोनों देशों के मध्य कम-से-कम तीन बार युद्ध की स्थिति भी बन चुकी है।

नोट :

- मुद्दे:
  - अतिव्यापी दावे: तुर्की और ग्रीस दोनों ही देश अधिकतर ग्रीक द्वीपों के साथ संलग्न महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा के संबंध में व्याप्त परस्पर विरोधी विचारों के आधार पर क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन संसाधनों पर किये जाने वाले अतिव्यापी दावों से असहमत हैं।
  - तुर्की का कहना है कि पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे लंबी तटरेखा होने के बावजूद, यह ग्रीस के महाद्वीपीय शेल्फ के विस्तार के कारण पानी की एक संकीर्ण पट्टी में सीमित है, जो इसके तट के पास कई यूनानी/ग्रीक द्वीपों की उपस्थिति पर आधारित है।
  - कास्तेलोरिज़ो द्वीप, जो कि तुर्की के दक्षिणी तट से 2 किमी और ग्रीस की मुख्य भूमि से 570 किमी. दूर स्थित है, तुर्की की हताशा का मुख्य कारण है।
  - कई देशों की भागीदारी: इस समय सबसे जटिल समस्या यूरोप, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के इस मुद्दे में शामिल होने की संभावना है।
  - यूरोपीय संघ के सबसे शक्तिशाली सैन्य बल फ्राँस ने ग्रीस और साइप्रस को अपना समर्थन दिया है।
  - साइप्रस भौगोलिक रूप से दो भागों में विभाजित है; दक्षिणी भाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा शासित है और उत्तरी भाग, तुर्की द्वारा नियंत्रित है।
  - ग्रीस, साइप्रस, इटली और फ्राँस के बीच एक गठबंधन भी उभरकर सामने आ रहा है, जिसे मिस्र, इज़राइल और UAE का भी समर्थन प्राप्त है।
  - इन सबका परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में तुर्की लगभग अलग-थलग हो गया है, लेकिन यह अभी भी भूमध्य सागर में एक प्रमुख शक्ति बन हुआ है।

आगे की राह

- यदि यूरोपीय संघ, साइप्रस और इटली के माध्यम से इज़राइल के तट से यूरोप के लिये गैस परिवहन करना चाहता है, तो तुर्की के साथ एक खुला संघर्ष बिल्कुल भी मददगार साबित नहीं हो सकता। हर किसी के हित में है कि तनाव को कम किया जाए और गैस संबंधी संघर्ष का एक रणनीतिक एवं पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने का प्रयास किया जाए।
- तुर्की को अलग-थलग करना, यह जानते हुए भी इसकी भूमध्य तटीय सीमा सबसे अधिक है, नासमझी होगी। तुर्की द्वारा इस क्षेत्र के छोटे देशों को धमकी देने के अवसर प्रदान करना रणनीतिक रूप से विनाशकारी ही होगा। ऐसे में यूरोपीय संघ को इन दोनों विकल्पों के बीच संतुलन बनाना होगा अन्यथा परिणाम सभी के लिये चिंताजनक होंगे।

सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव

चर्चा में क्यों ?

भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन के आक्रामक राजनीतिक और सैन्य व्यवहार के मद्देनज़र चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये एक त्रिपक्षीय 'सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव' (Supply Chain Resilience Initiative-SCRI) शुरू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य है कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और कोरोना वायरस (COVID-19) के तीव्र प्रसार के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के समक्ष एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है, इसी बाधा को समाप्त करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम जापान ने सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) शुरू करने का विचार प्रस्तुत किया था।
- भारत-जापान-ऑस्ट्रेलिया के बाद भविष्य में आसियान (ASEAN) देशों को भी इस पहल में शामिल होने के लिये प्रेरित किया जाएगा।

सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस का अर्थ

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस (Supply Chain Resilience) एक दृष्टिकोण है जो किसी देश को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वह अपनी संपूर्ण आपूर्ति के लिये किसी एक देश पर निर्भर होने के बजाय अपने आपूर्ति के जोखिम

नोट :

का विस्तार अलग-अलग आपूर्तिकर्त्ता देशों तक करे।

- इस प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना, चाहे वह प्राकृतिक हो (जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप अथवा महामारी) या मानव निर्मित (जैसे एक क्षेत्र विशिष्ट में सशस्त्र संघर्ष) के कारण किसी विशेष देश से आने वाली आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे गंतव्य देश में आर्थिक गतिविधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- इसलिये यह आवश्यक होता है कि कोई देश अपनी आपूर्ति श्रृंखला को केवल एक देश तक सीमित न करे, बल्कि अलग-अलग देशों तक उसका विस्तार करे।

जापान का प्रस्ताव

- इस पहल के तहत भागीदार देशों के बीच पहले से मौजूद आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क को और मज़बूत करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- जापान द्वारा प्रस्तावित सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव (SCRI) का प्राथमिक उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र को 'आर्थिक महाशक्ति' के रूप में बदलने के लिये अधिक-से-अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना और भागीदार देशों के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना है।
- इस पहल के माध्यम से अंततः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चैन रेज़ीलिएंस अवधारणा को और अधिक बल दिया जाएगा।

आवश्यकता

- कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी ने इस विषय को पुनः केंद्र में ला दिया है कि जब एक देश अपने उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति हेतु किसी अन्य देश पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है और यदि किसी कारणवश आपूर्तिकर्त्ता देश में उत्पादन बंद होने के कारण आयात करने वाले राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है।
  - आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 के दौरान जहाँ एक ओर जापान ने चीन को 135 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, वहीं जापान ने चीन से कुल 169 बिलियन डॉलर का आयात भी किया।
  - इस प्रकार जापान के कुल आयात में चीन हिस्सा लगभग 24 प्रतिशत था।
- इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चीन द्वारा की जाने वाली आपूर्ति में कोई भी बाधा जापान की आर्थिक गतिविधियों और वहाँ की अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - ध्यातव्य है कि कुछ इसी प्रकार की स्थिति कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के कारण भी उत्पन्न हुई थी, जब चीन को कई दिनों तक अपना उत्पादन बंद करना पड़ा था।
- इसके अलावा बीते कुछ दिनों में अमेरिकी और चीन के बीच पैदा हुए तनाव ने भी भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच चिंता पैदा की है, क्योंकि इस प्रकार के तनाव से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभावित होने की संभावना है।
  - यदि विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ अपने मतभेदों को हल नहीं करती हैं, तो वैश्वीकरण पर इसका काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

भारत के लिये इस पहल के निहितार्थ

- दो अत्यधिक आबादी वाले एशियाई पड़ोसियों के साथ सीमा तनाव के बीच जापान जैसे भागीदार देश के माध्यम से भारत वैकल्पिक व्यापार श्रृंखलाओं पर विचार कर सकता है।
  - आँकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत द्वारा चीन को लगभग 16.6 बिलियन डॉलर का निर्यात किया गया, जबकि भारत ने चीन से लगभग 65.26 बिलियन डॉलर का आयात किया, जिसके कारण चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 48.66 बिलियन रहा रहा, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.56 बिलियन डॉलर रहा था।
  - चीन भारत के कुल आयात में लगभग 14 प्रतिशत का हिस्सेदार है, ऐसे में यदि चीन किसी भी कारण से भारत को आयात करना बंद कर देता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित कर सकता है।
- हालाँकि चीन के साथ अचानक अपनी आपूर्ति श्रृंखला को समाप्त करना या अपने आयात को कम करना अथवा बंद कर देना पूरी तरह से अव्यवहारिक है।
  - भारतीय दवा निर्माता कई दवाओं के निर्माण के लिये आवश्यक सामग्री के आयात हेतु चीन पर काफी अधिक निर्भर हैं। इसके अलावा भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में चीन का 45 प्रतिशत हिस्सा है।

नोट :

- ऐसे में यह स्पष्ट है कि भारत एक साथ चीन के साथ अपने अपनी आपूर्ति श्रृंखला को समाप्त या बंद नहीं कर सकता है, किंतु यदि भारत समय के साथ धीरे-धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाता है या चीन के अलावा अन्य देशों के साथ अपने आपूर्ति नेटवर्क को मज़बूत करता है, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के आपूर्ति नेटवर्क में लचीलापन पैदा कर सकता है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिये भविष्य में काफी लाभदायक साबित होगा।

ऑस्ट्रेलिया की भूमिका

- यद्यपि चीन, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देशों में से एक है, किंतु पिछले कुछ समय में दोनों के बीच व्यापारिक संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं।
- चीन ने इसी वर्ष मई माह में चार ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों से पशु माँस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया से आयातित जौ पर भी आयात शुल्क अधिरोपित किया था।
- जून माह में चीन के शिक्षा मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले अथवा पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों को वहाँ बढ़ते नस्लवाद को लेकर चेतावनी दी थी।
- दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण ही संभवत: ऑस्ट्रेलिया अपनी आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन लाने की कोशिश कर रहा है।

आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की परामर्श बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 'आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 17वीं परामर्श बैठक' (17th ASEAN-India Economic Ministers Consultations) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- इस बैठक का आयोजन 29 अगस्त, 2020 को 'भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री' तथा वियतनाम के उद्योग एवं व्यापार मंत्री की सह अध्यक्षता में किया गया था।
- इस बैठक में सभी 10 आसियान (ASEAN) देशों (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्याँमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम) के व्यापार मंत्रियों ने हिस्सा लिया।
- बैठक में शामिल सभी देशों ने COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को कम करने हेतु मिलकर कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।
- साथ ही सभी देशों ने 'विश्व व्यापार संगठन' (World Trade Organisation- WTO) के नियमों के तहत क्षेत्र में अतिआवश्यक वस्तुओं और दवाओं आदि के निर्बाध प्रवाह हेतु वित्तीय स्थिरता तथा आपूर्ति श्रृंखला की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

व्यापार समझौते की समीक्षा:

- इस बैठक के दौरान 'आसियान-भारत व्यापार परिषद' (ASEAN-India Business Council or AIBC) की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
- AIBC की रिपोर्ट में सभी देशों के पारस्परिक लाभ हेतु आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN India Trade in Goods Agreement- AITIGA) की समीक्षा का सुझाव दिया गया है।
- बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को समीक्षा पर विचार विमर्श शुरू करने का निर्देश दिया गया है जिससे मुक्त-व्यापार समझौते को व्यवसायों के लिये और अधिक आसान, सुविधाजनक और अनुकूल बनाया जा सके।
- इस समीक्षा के माध्यम से समकालीन व्यापार सुविधा प्रथाओं को अपनाकर और सीमा-शुल्क तथा विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर समझौते को आधुनिक बनाया जाएगा।

नोट :

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस समझौते को बेहतर बनाने के लिये कई सुधारों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं-
  1. गैर-शुल्क प्रतिबंधों को दूर करना।
  2. बाज़ार पहुंच को बेहतर बनाना।
  3. 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin) के प्रावधानों को मज़बूत करना।

'आसियान भारत व्यापार परिषद' (ASEAN-India Business Council or AIBC):

- आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना मार्च 2003 में कुआलालंपुर (मलेशिया) में की गई थी।
- आसियान भारत व्यापार परिषद की स्थापना का उद्देश्य भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के उद्यमियों के बीच संपर्क स्थापित कराने तथा विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करना था।
- AIBC के सचिवालय की स्थापना वर्ष 2015 में मलेशिया में की गई थी।
- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की वार्षिक बैठक के दौरान 'आसियान भारत व्यापार परिषद' की बैठक का भी आयोजन किया जाता है।

आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता (ASEAN India Trade in Goods Agreement- AITIGA):

- यह भारत और आसियान समूह के बीच लागू एक मुक्त व्यापार समझौता है।
- भारत और आसियान देशों के बीच 13 अगस्त, 2009 को AITIGA पर हस्ताक्षर किये गए थे, यह समझौता 1 जनवरी 2010 को प्रभाव में आया था।

समीक्षा की आवश्यकता:

- इस समझौते के लागू होने के बाद हाल के वर्षों में आसियान के साथ भारत के वार्षिक व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है।
- नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 (5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से लेकर वर्ष 2017 (10 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच आसियान के साथ भारत का वार्षिक व्यापार घाटा बढ़कर दोगुना हो गया।
- गौरतलब है कि वर्तमान में आसियान के साथ भारत का वार्षिक व्यापार घाटा लगभग 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।
- आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार घाटे के कुछ कारणों में गैर-टैरिफ बाधाएँ, आयात संबंधी नियम, कोटा और निर्यात कर आदि प्रमुख हैं।
- विशेषज्ञों के अनुसार, आसियान देशों द्वारा 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' के प्रावधानों के कमज़ोर क्रियान्वयन के कारण बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादों को आसियान देशों के रास्ते भारत में पहुँचाया जाता है।

आगे की राह:

- आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा और इसका प्रभावी क्रियान्वयन दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2020 के लिये तय किये गए 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- भारत द्वारा आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिये जाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- भारत द्वारा चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्र की सेवाओं को बढ़ावा देकर व्यापार घाटे को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- साथ ही भारतीय बाज़ार में चीनी उत्पादों के हस्तक्षेप को कम करने के लिये 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत ही आवश्यक है।

नोट :

'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (Rules of Origin):

- रूल्स ऑफ ओरिजिन, किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्त्रोत के निर्धारण के लिये आवश्यक मापदंड हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कई मामलों में वस्तुओं पर शुल्क और प्रतिबंध का निर्धारण 'आयात के स्त्रोत पर निर्भर करता है।
- इसका प्रयोग 'एंटी-डंपिंग शुल्क' (Anti-Dumping Duty) या देश की वाणिज्य नीति के तहत अन्य सुरक्षात्मक कदम उठाने, व्यापार आँकड़े तैयार करने, सरकारी खरीद आदि में किया जाता है।

कवकाज़/काकेशस- 2020 सैन्य अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में COVID-19 महामारी के चलते भारत ने रूस में होने वाले 'बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास' कवकाज़- 2020 (Kavkaz- 2020) से अपनी भागीदारी को वापस ले लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- यद्यपि भारत ने आधिकारिक रूप से COVID-19 महामारी को अभ्यास में हिस्सा न लेने का कारण बताया है, परंतु इसके पीछे अनेक कूटनीतिक कारकों को ज़िम्मेदार माना जा रहा है।

कवकाज़- 2020 अभ्यास:

- यह एक रणनीतिक कमांड-पोस्ट अभ्यास है, जिसे काकेशस- 2020 (Caucasus-2020) के रूप में भी जाना जाता है।
- त्रिकोणीय सेवा अभ्यास रूसी सेना द्वारा प्रति चार वर्ष में किया जाने वाला अभ्यास का हिस्सा है। यह अभ्यास पूर्व में वर्ष 2012 और वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था।
- वर्ष 2020 का अभ्यास, दक्षिणी रूस के अस्त्राखान प्रांत (Astrakhan province) में आयोजित किया जाएगा।
- इस अभ्यास में 'शंघाई सहयोग संगठन' (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के सदस्य देश और अन्य मध्य एशियाई देश भाग लेंगे।

भारत के अभ्यास से अलग होने के अन्य संभावित कारण:

- कवकाज़- 2020 सैन्य अभ्यास में चीन, तुर्की और पाकिस्तान भी भागीदारी ले रहे हैं, जिनके साथ हाल ही में भारतीय राजनीतिक संबंधों में कटुता देखने को मिली है।
- चीन के साथ 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (Line of Actual Control- LAC) पर गतिरोध मई 2020 से जारी है। कई दौर दौर की वार्ताओं के बावजूद दोनों देश गतिरोध को समाप्त करने में विफल रहे हैं।
- हालाँकि, जून 2020 में भारतीय और चीनी सैन्य टुकड़ियों ने द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मास्को के रेड स्क्वायर में 'विजय दिवस परेड' (Victory Day Parade) में मार्च किया।
- कश्मीर मामले पर भारत की नीतियों को लेकर भारत और तुर्की के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है।
- अभ्यास में जॉर्जिया के विघटनकारी क्षेत्र अबकाज़िया (Abkhazia) और दक्षिण ओसेशिया (South Ossetia) भी भागीदारी कर रहें हैं, इन क्षेत्रों को केवल रूस और कुछ अन्य देशों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारत इन क्षेत्रों को मान्यता नहीं देता है।

भारत-रूस सैन्य कूटनीति पर प्रभाव:

- भारत हमेशा से रूस के साथ अपने संबंधों को, चीन-रूस संबंधों से स्वतंत्र रूप में देखता रहा है।
- रूस भी भारत के साथ इसी प्रकार की नीति अपनाता रहा है। भारत-चीन गतिरोध के दौरान भी रूस ने भारत को हथियारों की आपूर्ति की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा।
- भारत द्वारा कवकाज़- 2020 से अपनी भागीदारी को वापस लिया जाना दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल रूप से एक रूसी सैन्य अभ्यास था, न कि चीनी अभ्यास।

नोट :

अन्य भारत-रूस सैन्य अभ्यास:

- भारत-रूस सैन्य कूटनीति की शुरुआत वर्ष 2003 में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास- इंद्र (Indra) से मानी जाती है।
- भारत तथा रूस ने अभ्यास- TSENTR-2019 में भी भाग लिया है। अभ्यास- TSENTR 2019 रूसी सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का एक हिस्सा है।

आगे की राह:

- भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने की आवश्यकता है क्योंकि रूस, भारत-चीन संबंधों को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत अपनी रक्षा खरीद (देशों) और ऊर्जा आयात में विविधता लाना चाहता है। अत: इस दृष्टि से भारत-रूस सबंध बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- शंघाई सहयोग संगठन और रूस-भारत-चीन (RIC) त्रिकोण सहयोग रूस, चीन और भारत के बीच पारस्परिक बढ़ावा देने और भारत-चीन के बीच अविश्वास को कम करने में योगदान दे सकते हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बायोएथेनॉल सम्मिश्रण: चुनौतियाँ और समाधान

चर्चा में क्यों ?

सरकार ने 'इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम' (Ethanol Blending Programme- EBP) के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। जिसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक करना है।

प्रमुख बिंदु:

- 'इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम' को 'राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति'- 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था।
- वर्तमान में पेट्रोल में बायो इथेनॉल का सम्मिश्रण लगभग 5% है।

इथेनॉल (Ethanol):

- यह एक जल रहित एथिल अल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C_2H_5OH होता है।
- यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया किया जा सकता है, जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है।
- भारत में इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से किण्वन प्रक्रिया द्वारा गन्ना के शीरा (Molasses) से किया जाता है।
- इथेनॉल को अलग-अलग प्रकार के मिश्रण उत्पाद बनाने के लिये गैसोलीन के साथ मिश्रित किया जाता है।
- इथेनॉल में ऑक्सीजन के अणु होते हैं अत: इथेनॉल के पेट्रोल के सम्मिश्रण से ईंधन का अधिक पूर्ण दहन संभव हो पाता है। जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन में कमी आती है।

इथेनॉल सम्मिश्रण की आवश्यकता:

- भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह अनुमान है कि 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा।
- इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप-उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी (Net Reduction) होने की उम्मीद है।

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme- EBP):

- पृष्ठभूमि:
  - 5% इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिये 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय' द्वारा 'इथेनॉल सम्मिश्रण पेट्रोल' (Ethanol Blended Petrol- EBP) कार्यक्रम को जनवरी, 2003 में प्रारंभ किया गया था।
  - तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs), सरकार द्वारा तय की गई पारिश्रमिक कीमतों पर घरेलू स्रोतों से इथेनॉल की खरीद करती हैं।
  - वर्तमान में कार्यक्रम का संपूर्ण भारत (अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपो को छोड़कर) में विस्तार कर दिया गया है।
- 1G और 2G जैव ईंधन संयंत्र:
  - 1G बायो-इथेनॉल संयंत्र मे चीनी के उत्पादन से उत्पन्न उप-उत्पादों यथा- गन्ने के रस और गुड़ का उपयोग किया जाता है, जबकि 2G संयंत्र बायोएथेनॉल का उत्पादन करने के लिये अधिशेष बायोमास और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करते हैं।
  - वर्तमान में तीन OMCs; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2G बायो-इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं।

नोट :

इथेनॉल सम्मिश्रण में चुनौतियाँ:

- आपूर्ति का अभाव:
  - वर्तमान में भारतीय तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का घरेलू बायो-इथेनॉल उत्पादन पेट्रोल में सम्मिश्रण के लिये मांग की पूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है।
  - चीनी मिलें; जो OMCs को जैव-इथेनॉल के उत्पादन में कच्ची सामग्री के प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता हैं, कुल मांग का केवल 57.6% आपूर्ति करने में सक्षम हैं।
- कीमत निर्धारण:
  - 2G संयंत्रों में जैव-इथेनॉल के उत्पादन के लिये आवश्यक कृषि अपशिष्ट प्राप्त करने की कीमत वर्तमान में देश में निजी निवेशकों के लिये बहुत अधिक है।
  - केंद्र सरकार द्वारा गन्ना और बायो-इथेनॉल दोनों की कीमतें निर्धारित की जाती हैं अत: भविष्य में बायोइथेनॉल की कीमत की अनिश्चितता को लेकर निवेशक चिंतित हैं।
- वाटर फुटप्रिंट (Water Footprint):
  - वाटर फुटप्रिंट, एक लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिये आवश्यक जल की मात्रा होती है।
  - इथेनॉल के उत्पादन के लिये आवश्यक जल की आपूर्ति वर्षा जल के माध्यम से नहीं हो पाती है।

आगे की राह:

- बायोइथेनॉल की कीमतों के निर्धारण में अधिक पारदर्शिता प्रदान की जानी चाहिये, इसके लिये एक कीमत निर्धारण प्रक्रिया की घोषणा की जानी चाहिये जिसके आधार पर बायोइथेनॉल की कीमत तय की जाएगी।
- 1G, 2G, 3G तथा 4G बायोएथेनॉल संयंत्र में प्रत्येक के लिये इथेनॉल उत्पादन के लिये निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये इससे निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- किसान से कृषि अपशिष्ट को एकत्रित करने लिये राज्य सरकारों को डिपो (अपशिष्ट संग्रहण केंद्र) स्थापित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- बायोएथेनॉल न केवल ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, बल्कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने तथा कृषि अपशिष्ट के व्यावसायीकरण द्वारा वायु प्रदूषण को कम करने में मदद भी मदद करेगा।

डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020: सर्फशर्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सर्फशर्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ (DQL) इंडेक्स, 2020 जारी किया है। इसके अनुसार, भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में विश्व के सबसे निचले पायदान वाले देशों में से एक है।

प्रमुख बिंदु

- कवरेज: यह विश्व के 85 देशों (डिजिटल जनसंख्या का 81%) की डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता पर किया गया वैश्विक शोध है।
- मापदंड: इस अध्ययन में डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले निम्न पाँच बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है, जिनके आधार पर देशों को अनुक्रमित किया गया है। इनमें शामिल हैं:
  - इंटरनेट की वहनीयता
  - इंटरनेट की गुणवत्ता
  - इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर
  - इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा

नोट :

- इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट
  - इन आधारों को 12 संकेतकों के माध्यम से रेखांकित किया गया है जो परस्पर जुड़े हुए हैं और समग्र डिजिटल गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये एक साथ काम करते हैं।

- GDP और DQL: हालांकि प्रति व्यक्ति GDP का DQL के साथ एक मज़बूत संबंध है, हालांकि ऐसे कई देश हैं जहाँ प्रति व्यक्ति GDP अपेक्षाकृत कम है जबकि डिजिटल गुणवत्ता काफी बेहतर है।
  - 13 देश (अज़रबैजान, बुल्गारिया, चीन, क्रोएशिया, ग्रीस, आदि) ई-सुरक्षा के उच्च स्तर और अधिक किफायती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में अन्य देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके चलते अपेक्षित डिजिटल गुणवत्ता काफी बेहतर हो गई है।
  - बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति GDP अपेक्षाकृत उच्च है, तथापि इंटरनेट की गुणवत्ता और ई-सुरक्षा के निम्न स्तर के कारण इन्हें अपने नागरिकों को बेहतर डिजिटल सेवा प्रदान करने में आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली है।
- वहनीयता: इंटरनेट की वहनीयता इसकी पहुँच को सुनिश्चित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, हालाँकि अन्य आधारों की तुलना में DQL के साथ इसका परस्पर संबंध काफी कम है।
  - उदाहरण के लिये, कुछ दक्षिणी या पूर्वी यूरोपीय देशों में इंटरनेट कम खर्चीला है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी औसत डिजिटल गुणवत्ता से अधिक इसका आनंद उठाते हैं।
- इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर: COVID-19 महामारी के दौरान जहाँ बैठकों की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस ने ले ली है ऐसे में इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिरता एक बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन गया। नतीजतन, इसने लोगों के डिजिटल जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर दिया है।
  - लॉकडाउन के पहले महीने के दौरान, 85 देशों में से 49 में मोबाइल इंटरनेट की गति बहुत खराब रही जबकि 44 देशों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति खराब रही।
- ग्लोबल रैंकिंग:
  - उच्चतम DQL वाले 10 देशों में से 7 यूरोप में हैं, जिसमें डेनमार्क 85 देशों में अग्रणी है।
    - स्कैंडिनेवियाई देशों ने अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता हासिल की है।
  - अमेरिकी महाद्वीप में कनाडा, एशिया में जापान, अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका और ओशिनिया में न्यूज़ीलैंड शीर्ष पर है।
- भारतीय रैंकिंग: भारत 85 देशों में से 57 के समग्र रैंक पर है।
  - इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी/वहनीयता: 9वां स्थान, UK, USA और चीन जैसे देशों से बेहतर प्रदर्शन।
  - इंटरनेट की गुणवत्ता: 78वां स्थान, इस श्रेणी में लगभग सबसे नीचे।
  - ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर: ग्वाटेमाला और श्रीलंका जैसे देशों से नीचे 79वां स्थान।
  - इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा: 57वां स्थान।
  - ई-गवर्नमेंट: भारत का स्थान 15वां, न्यूज़ीलैंड और इटली जैसे देशों से ठीक नीचे।

इंटरनेट से संबंधित सरकारी पहल

- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम: यह भारत को ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिये तैयार करने हेतु चलाया गया एक समग्र कार्यक्रम है।
  - ई-क्रांति: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0, जो कि डिजिटल इंडिया पहल का एक आवश्यक स्तंभ है।
- डिजिलॉकर: यह भारतीय नागरिकों को क्लाउड पर कुछ आधिकारिक दस्तावेज़ों को संग्रहीत करने में सक्षम बनाता है।
- BHIM App: डिजिटल भुगतान में सक्षम बनाना।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान अभियान: नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।
- भारत नेट कार्यक्रम: सभी ग्राम पंचायतों में एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करना।

नोट :

विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण एवं अदृश्य शील्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, 'सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़' (Centre for Nano and Soft Matter Sciences- CeNS), बंगलुरु के वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण (Electromagnetic Interference-EMI) हेतु अदृश्य कवच/शील्ड (Invisible Shield) बनाने के लिये एक धातु की जालीदार संरचना (Metal Mesh Structure) का निर्माण किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज़', भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology) के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
- धातु की जालीदार संरचना(Metal Mesh Structure):
  - वैज्ञानिकों द्वारा कंटीन्यूअस फिल्म (Continuous Film) के स्थान पर पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट (Polyethylene Terephthalate- PET) की शीट पर एक तांबे धातु की जाली को विकसित किया गया है, जो लगभग 85% दृश्य संचरण/संप्रेषण (Visible Transmittance) प्रदर्शित करती है।
    - यह संप्रेषण इस बात को वर्णित करता है कि एक नमूने से प्रकाश की कितनी मात्रा गुजर सकती है, दूसरे शब्दों में, प्रकाश की यह मात्रा अवशोषित,फैलती या प्रतिबिंबित नहीं होती है। इसे प्रतिशत में मापा जाता है।
  - सब्सट्रेट (Substrate) पर धातु की झिल्ली कंटीन्यूअस फिल्म की तुलना में अधिक पारदर्शी होती है क्योंकि कंटीन्यूअस फिल्म के 100% विपरीत यह सब्सट्रेट केवल 7% क्षेत्र को कवर करता है।
  - धातु की जाली, समान मोटाई की एक निरंतर धातु शील्ड की तुलना में बेहतर विद्युत चुंबकीय परिरक्षण (Electromagnetic Shielding) प्रदान करती है जिसके लिये पारदर्शिता के साथ समझौता किया जा सकता है।

विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण:

- EMI एक विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन है जो अन्य विद्युत उपकरण में गड़बड़ी या रूकावट उत्पन्न करता है।
- जिस भी उपकरण में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, वह EMI के लिये अतिसंवेदनशील हो सकता है।
- यह डेटा को बाधित करके या उसे कम करके विद्युत उपकरणों की कार्यप्रणाली को बाधित करता है इससे कभी-कभी पूरा डेटा भी समाप्त हो जाता है।
- EMI रेडियो और माइक्रोवेव आवृत्तियों सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक विस्तृत अवधि के गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं।
- वर्ष 1933 में, EMI से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिये इंटरनेशनल स्पेशल कमेटी ऑन रेडियो इंटरफेरेंस (International Special Committee on Radio Interference-CISPR) का गठन किया गया था।

लाभ:

- EMI शील्ड का मुख्य उद्देश्य किसी डिवाइस की ऊर्जा को अलग करना है ताकि यह किसी अन्य चीज को प्रभावित किये बिना बाह्य ऊर्जा को अंदर जाने से रोक सके।
- बिना परिरक्षण के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार उनको डिज़ाइन किया गया है या फिर वे पूरी तरह से कार्य करना बंद कर सकते हैं।
- इस 'अदृश्य' शील्ड का अनुप्रयोग विभिन्न गुप्त सैन्य कार्यों में किया जा सकता है एवं विभिन्न सैन्य साजो-सामान से समझौता किये बिना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जक (Electromagnetic Wave Emitter) या अवशोषक उपकरणों (Absorber Devices) में भी इसका प्रयोग संभव है।
- भौतिक अनुप्रयोग के अलावा यह इलेक्ट्रोमेग्नेटिक सिग्नेचर (Electromagnetic Signature) को कम करने में सहायक है जिसमें रडार तरंगें एवं रेडियो सिग्नल शामिल हैं यह भारत के सैन्य हथियार तथा उपकरणों की क्षमता में वृद्धि करेगी।

नोट :

विमानों में ब्लैक बॉक्स

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोझीकोड (केरल) में दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 737-800 विमान के ब्लैक बॉक्स मिले हैं। ये बॉक्स जाँचकर्ताओं को उन महत्त्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाने में मदद करेंगे जो दुर्घटना की वजह बनीं।

प्रमुख बिंदु

- ब्लैक बॉक्स के बारे में: एक ब्लैक बॉक्स, जिसे तकनीकी रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (Electronic Flight Data Recorder) के रूप में जाना जाता है, एक नारंगी रंग का भारी रिकॉर्डिंग उपकरण होता है जिसे विमान में रखा जाता है। उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को संचित करने अर्थात् रिकॉर्ड करने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।
  - किसी भी वाणिज्यिक विमान या कॉर्पोरेट जेट में ब्लैक बॉक्स होना अनिवार्य होता है इन्हें विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है।
  - आमतौर पर ब्लैक बॉक्स से पुनर्प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने में कम से कम 10-15 दिन लगते हैं।
  - ब्लैक बॉक्स का उपयोग विमानों के अलावा रेलवे, कार आदि वाहनों में भी किया जाता है।
- आविष्कार: वर्ष 1958 में FDR/CVR प्रोटोटाइप का निर्माण करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन थे।
- भाग: "ब्लैक बॉक्स" दो अलग-अलग उपकरणों से बना होता है: फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR)।
  - FDR विमान की गति, ऊँचाई, शीर्ष पर गति और ईंधन के प्रवाह जैसी चीजों को रिकॉर्ड करता है।
  - CVR में कॉकपिट में हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया जाता है।
- प्रौद्योगिकी:
  - पुराने ब्लैक बॉक्स में चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया जाता था, इस तकनीक की शुरुआत पहली बार वर्ष 1960 में की गई थी। मैग्नेटिक टेप सामान्य टेप रिकॉर्डर की तरह काम करता है।
  - इन दिनों, ब्लैक बॉक्स सॉलिड-स्टेट मेमोरी बोर्ड (Solid state memory boards) का उपयोग किया जाता हैं, इनकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। सॉलिड स्टेट मेमोरी बोर्ड में मेमोरी चिप्स के स्टैक्ड एरे (Stacked Arrays) का उपयोग किया जाता है जो कि मज़बूत होते हैं।
  - FDR में क्रैश-सर्वाइवल मेमोरी यूनिट्स (CSMU) शामिल होती हैं, जो अत्यधिक गर्मी, दुर्घटना से होने वाली झनझनाहट और बहुत अधिक दबाव का सामना करने में सक्षम होती हैं।
  - ब्लैक बॉक्स को ऐसी परिस्थितियों में खोजे जाने में सक्षम बनाने के लिये, जहाँ वे पानी के नीचे हों, विमान एक बीकन (प्रकाशस्तंभ) से लैस होते हैं जो 30 दिनों तक अल्ट्रासाउंड सिग्नल भेज सकता है।
  - एक विमान दुर्घटना की जाँच करने के अन्य तरीके
  - एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) कर्मियों के माध्यम से।
  - दुर्घटना से पहले ATC और पायलटों के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग से।
  - हवाई अड्डे पर मौजूद विभिन्न डेटा रिकॉर्डर के माध्यम से, जो रनवे पर सटीक बिंदु और विमान के उतरने की गति के बारे में बताएंगे।
- सीमाएँ:
  - कुछ मामलों में जैसे- मलेशियाई एयरलाइंस MH-370 उड़ान की तरह, ब्लैक बॉक्स नहीं मिले।
  - अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग क्षमताओं की कमी है।
- विकल्प: इस संदर्भ में ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि विमान से जुड़े आवश्यक डेटा को वास्तविक समय में एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन पर सीधे प्रसारित किया जा सके, इससे दुर्घटना में ब्लैक बॉक्स के नष्ट होने की संभावना और खोज की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और वास्तविक समय में प्राप्त जानकारी अधिक भरोसेमंद भी साबित होगी।

नोट :

विमान सुरक्षा (Aircraft Security)

- इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (ICAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसे वर्ष 1944 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन (शिकागो कन्वेंशन) के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये स्थापित किया गया था।
  - 7 दिसंबर, 1944 को शिकागो (अमेरिका) में भारत सहित 52 देशों द्वारा शिकागो सम्मेलन पर हस्ताक्षर किये गए।
  - यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा का समन्वय करता है, हवाई क्षेत्र के नियम निर्धारित करता है, विमान पंजीकरण और सुरक्षा, बचाव एवं स्थिरता को सुनिश्चित करता है तथा हवाई यात्रा के संबंध में हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के अधिकारों को स्पष्ट करता है।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो

- नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), नागरिक उड्डयन मंत्रालय (भारत) का एक संलग्न कार्यालय है।
- यह भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिये नियामक प्राधिकरण है।
- एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक प्रभाग है जो भारत में विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच करता है।
- हाल ही में, लोकसभा ने विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया, जो विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करता है।

सुपर एप

चर्चा में क्यों ?

टाटा समूह द्वारा अगले वर्ष की शुरुआत तक एक 'सुपर एप' (Super App) लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस सुपर एप को टाटा समूह की नव स्थापित इकाई 'टाटा डिजिटल' द्वारा विकसित किये जाने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु:

क्या है सुपर एप ?

- सुपर एप, किसी कंपनी द्वारा विकसित एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से वह ग्राहकों को एक ही स्थान पर कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- भौतिक रूप से सुपर एप की तुलना एक शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) से की जा सकती है, जहाँ ग्राहकों के लिये कई प्रकार के उत्पाद, सेवाएँ और ब्रांड आदि एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं।
- चीन द्वारा विकसित वीचैट (WeChat) एप, सुपर एप का एक उदाहरण है, इसकी शुरुआत एक मैसेजिंग एप (Messaging App) के रूप में हुई थी परंतु धीरे-धीरे इसने भुगतान, टैक्सी, शॉपिंग, फूड ऑर्डर में विस्तार करते हुए एक सुपर एप के रूप में स्वयं को स्थापित किया है।

सुपर एप की अवधारण और इससे जुड़े क्षेत्र:

- सामान्यत: जिन कंपनियों के पास कई प्रकार के उत्पाद और सेवाएँ होती हैं, वे इन्हें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिये सुपर एप का प्रयोग करते हैं।
- सुपर एप की अवधारणा पहले चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखी गई, जहाँ वीचैट और ग्रैब (Grab) जैसी कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया और मैसेजिंग के उपभोक्ता ट्रैफिक का लाभ उठाते हुए ग्राहकों को अन्य सेवाएँ उपलब्ध करानी शुरू कर दी, जिससे इनके राजस्व में भी वृद्धि हुई।
- हालाँकि पश्चिम एशिया में सुपर एप के प्रचलन के संदर्भ में अलग दृष्टिकोण देखने को मिला है।
- यहाँ पारंपरिक व्यावसायिक समूह जो पहले से ही शॉपिंग मॉल, किराना और मनोरंजन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, वे भी अब डिजिटल संपत्ति के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

नोट :

- विशेषज्ञों के अनुसार, इन व्यवसायों में दैनिक रूप से आने वाले ग्राहकों की संख्या और उनमें दोबारा खरीद की आवृति बहुत अधिक है तथा एक ऑनलाइन सेवाप्रदाता की दृष्टि से यह किसी भी क्षेत्र सुपर एप की प्रगति/सफलता का प्रमुख आधार है।
- टाटा समूह द्वारा अपनी उपभोक्ता सेवाओं को एकत्र करने की योजना चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया की प्रौद्योगिकी कंपनियों की तुलना में खाड़ी क्षेत्र के फर्मों/व्यवसायों के अधिक निकट है।

भारत में सुपर एप के विकास से जुड़े संस्थान:

- भारत में टाटा समूह द्वारा सुपर एप के विकास से पहले ही कुछ कंपनियाँ सुपर एप पारितंत्र (Super App Ecosystem) में सक्रिय हैं।
- वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 'जियो प्लेटफॉर्म द्वारा खरीदारी, वीडियो स्ट्रीमिंग (Video Streaming), भुगतान, क्लाउड स्टोरेज (Cloud Storage), टिकट बुकिंग आदि और अलीबाबा समूह के निवेश वाले पेटीएम (PayTM) एप द्वारा भुगतान, टिकट बुकिंग, खेल, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, उपभोक्ता वित्त, आदि तथा फ्लिपकार्ट समूह के स्वामित्व वाले भुगतान एप 'फोनपे' (PhonePe) द्वारा ओला कैब्स, स्विगी, डेकाथलॉन, दिल्ली मेट्रो आदि से अनुबंध कर एक ही एप में इससे जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भारत में सुपर एप की प्रासंगिकता:

- किसी भी ऐसा देश या क्षेत्र को उस स्थिति में सुपर एप के लिये तैयार माना जा सकता है जब वहाँ की एक बड़ी आबादी इंटरनेट के प्रयोग के लिये डेस्कटॉप कंप्यूटर की अपेक्षा स्मार्टफोन को अधिक प्राथमिकता देती है और वहाँ एप इकोसिस्टम (App Ecosystem) का विकास स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप न हुआ हो।
- भारत पहले ही ऐसा बड़ा बाज़ार बन चुका है जहाँ पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने वाले अधिकांश उपभोक्ता इसका इस्तेमाल अपने फोन के माध्यम से करते हैं, जो सुपर ऐप बनाने में भारतीय कंपनियों की रूचि का सबसे बड़ा कारण है।
- विभिन्न प्रकार की सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने से आर्थिक लाभ के साथ ही ऐसे एप कंपनियों को बड़ी मात्रा में 'उपभोक्ता डेटा' (Consumer Data) उपलब्ध कराते हैं, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने के लिये किया जा सकता है।

सुपर एप से जुड़ी चिंताएँ:

- एक बड़े समूह द्वारा अधिकांश सेवाओं के लिये ग्राहकों को अपने इकोसिस्टम तक सीमित रखने के प्रयासों से बाज़ार में एक ही समूह के एकाधिकार की संभावनाएँ बढ़ सकती हैं।
- इसके साथ ही यह कई मामलों में गोपनीयता से जुड़ी चिंताओं को भी बढ़ाता हैं, जैसे- यदि एक सुपर एप में किसी थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता (Third-Party Service Provider) को जोड़ा गया हो।
- विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे एप द्वारा एकत्र डेटा का उपयोग मशीनों को 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence) और उपभोक्ता व्यवहार का अधिक सटीकता से अनुमान लगाने हेतु प्रशिक्षित करने के लिये किया जा सकता है।

डेटा सुरक्षा संबंधी प्रयास :

- वर्ष 2017 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में स्थापित 10 सदस्यीय समिति ने डेटा स्थानीयकरण, डेटा सुरक्षा हेतु अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना और डेटा सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामलों में सजा का प्रावधान करने का सुझाव दिया था।
- केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' (Personal Data Protection Bill, 2019) में व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में नागरिकों के अधिकारों, डेटा एकत्र कर रही संस्था के उत्तरदायित्वों, डेटा प्रसंस्करण से जुड़ी कानूनी बाध्यताओं और भारतीय सीमा से बाहर डेटा भेजे जाने से संबंधित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आगे की राह:

- संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में सुपर एप के प्रचलन में कमी का एक बड़ा कारण डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ ही रही हैं।
- वर्तमान में भारत में डेटा सुरक्षा से जुड़े किसी विशेष कानूनी प्रावधान के साथ जन-जागरूकता की भारी कमी है।
- सरकार द्वारा सुपर एप के क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी के साथ भविष्य में इससे जुड़े प्रभावी कानूनों के निर्माण के लिये इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श तथा जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।

नोट :

डीएनए बिल का दुरुपयोग संभव: संसदीय समिति

चर्चा में क्यों ?

'विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति' की मसौदा रिपोर्ट के अनुसार, 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक' [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill], 2019 का जाति या समुदाय-आधारित प्रोफाइलिंग के लिये दुरुपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- संसदीय स्थायी समिति की बैठक में मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना था परंतु कोरम की पूर्ति न होने का कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
- संसदीय स्थायी समिति ने डीएनए बिल को अपरिपक्व तथा दुरुपयोग की संभावना वाला बताया है।

पृष्ठभूमि:

- अगस्त 2018 में 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक' लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन वह व्यपगत हो गया।
- 8 जुलाई, 2019 को विधेयक को फिर से लोकसभा में पेश किया गया। 17 अक्तूबर 2019 को विधेयक को संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया।
- संसदीय स्थायी समिति को मानसून सत्र, 2020 के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी (विस्तारित अवधि)।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- डीएनए डेटा का उपयोग:
  - विधेयक के अनुसार, केवल विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में ही डीएनए परीक्षण की अनुमति है।
  - अनुसूची में भारतीय दंड संहिता- 1860 के तहत अपराध और पितृत्व निर्धारण मुकदमा जैसे नागरिक मामलों तथा व्यक्तिगत पहचान की स्थापना से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।
- डीएनए का संग्रह:
  - डीएनए प्रोफाइल तैयार करते समय जाँच अधिकारियों द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक नमूनों को एकत्र किया जा सकता है। अधिकारियों को कुछ स्थितियों में संग्रह के लिये व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
  - कुछ मामलों में यदि व्यक्ति द्वारा सहमति नहीं दी जाती है, तो जाँच अधिकारी ज़िला मजिस्ट्रेट से इस संबंध में आदेश प्राप्त कर सकते हैं।
- डीएनए डेटा बैंक:
  - विधेयक में एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक और प्रत्येक राज्य या दो या अधिक राज्यों के लिये क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
  - डीएनए प्रयोगशालाओं को उनके द्वारा तैयार डीएनए डेटा को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों के साथ साझा करना आवश्यक होगा।
  - प्रत्येक डेटा बैंक को डेटा की निम्न श्रेणियों के लिये सूचकांक बनाए रखने की आवश्यकता होगी:
    1. अपराध दृश्य सूचकांक
    2. संदिग्ध या विचाराधीन कैदियों का सूचकांक
    3. अपराधी सूचकांक
    4. लापता व्यक्ति सूचकांक
    5. अज्ञात मृतक व्यक्तियों का सूचकांक।

नोट :

- डीएनए प्रोफाइल को हटाना:
  - विधेयक के अनुसार, डीएनए प्रोफाइल के प्रवेश, प्रतिधारण या हटाने (Entry, Retention or Removal) के मापदंड नियमों द्वारा निर्दिष्ट किये जाएंगे।
- डीएनए नियामक बोर्ड:
  - विधेयक में डीएनए नियामक बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो डीएनए डेटा बैंकों और डीएनए प्रयोगशालाओं की निगरानी की दिशा में कार्य करेगा।
- डीएनए प्रयोगशालाएँ:
  - किसी भी प्रयोगशाला उपक्रम को डीएनए परीक्षण के लिये बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- अपराध:
  - विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिये दंड निर्दिष्ट हैं, जिनमें (i) डीएनए जानकारी के प्रकटीकरण (ii) प्राधिकरण को अनुमति के बिना डीएनए नमूने का उपयोग करना आदि शामिल हैं।

संसदीय समिति द्वारा उठाए गए चिंता के विषय:

- संवेदनशील जानकारी का दुरुपयोग:
  - डीएनए प्रोफाइल, किसी व्यक्ति की अत्यंत संवेदनशील जानकारी जैसे कि वंशावली, त्वचा का रंग, व्यवहार, बीमारी, स्वास्थ्य की स्थिति और बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता को प्रकट कर सकती है।
  - इस प्रकार, अनाधिकृत रूप से प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग व्यक्तियों और उनके परिवारों से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने में किया जा सकता है।
  - इस प्रकार से प्राप्त जानकारी का उपयोग किसी विशेष जाति/समुदाय को आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के लिये भी किया जा सकता है।
- डीएनए प्रोफाइल संग्रह:
  - विधेयक में भविष्य में अन्वेषण के लिये संदिग्धों, विचाराधीन कैदियों, पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों के डीएनए प्रोफाइल को संग्रहीत करने का प्रस्ताव है।
  - संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि केवल दोषियों के डीएनए डेटाबेस को संग्रहीत किया जाना चाहिये अन्य श्रेणियों में नहीं, क्योंकि इससे डेटा दुरुपयोग की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी।
- व्यक्ति की सहमति का उल्लंघन:
  - विधेयक में कई मामलों में DNA नमूने लेने से पूर्व व्यक्ति की सहमति को आवश्यक माना गया है लेकिन इस मामले में मजिस्ट्रेट की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है।
  - मजिस्ट्रेट कब-कब , व्यक्ति की सहमति को अधिभावी (ओवरराइड) कर सकता है, इस संबंध में विधेयक में कोई आधार तथा कारणों के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं दिये गए हैं।
- स्वतंत्र जाँच का अभाव:
  - संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि जैविक नमूनों को नष्ट करने और डेटाबेस से डीएनए प्रोफाइल को हटाने के प्रस्तावों की स्वतंत्र जाँच की जानी चाहिये।
- निजता का उल्लंघन:
  - विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि नागरिक मामलों से सबंधित डीएनए प्रोफाइल को भी डेटा बैंकों में ही संग्रहीत किया जाएगा हालाँकि इसके लिये अलग से सूचकांक तैयार नहीं किया जाएगा।
  - संसदीय स्थायी समिति के अनुसार, इस प्रकार नागरिक मामलों का डीएनए प्रोफाइल संग्रह, निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है

नोट :

डीएनए विधेयक की आवश्यकता:

- अनेक खामियों के बावजूद तत्काल रूप से डीएनए विधेयक को संसद में पास किये जाने की आवश्यकता है।
- 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' के अनुसार, प्रतिवर्ष 1,00,000 बच्चे लापता हो जाते हैं, विधेयक लापता बच्चों की पहचान करने में मदद करेगा। विधेयक, अज्ञात लोगों की पहचान करने में भी मदद करेगा।
- बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- वर्तमान में भारत में डीएनए परीक्षण बेहद सीमित पैमाने पर किया जा रहा है, जो कुल आवश्यकता के 2-3% का प्रतिनिधित्व करते हैं, अत: विधेयक के माध्यम से व्यापक डीएनए परीक्षण करने में मदद मिलेगी।

वैश्विक परिदृश्य:

- यूएस इंटरपोल के ग्लोबल डीएनए प्रोफाइलिंग सर्वे परिणाम- 2016 के अनुसार, वर्तमान में 69 देशों; जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और चीन भी शामिल हैं, में राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस पहले से स्थापित हैं।
- 'मानव आनुवंशिक डेटा पर घोषणा'; जिसे 16 अक्तूबर 2003 को यूनेस्को के 32वीं आम सभा सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाया गया था, का उद्देश्य मानव आनुवंशिक डेटा तथा जैविक नमूने के संग्रह, प्रसंस्करण, उपयोग और भंडारण में मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

निष्कर्ष:

- यदि 'डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक', 2019 कानून का रूप ले लेता है तो तमाम खामियों के बावजूद यह आशा की जा सकती है कि इस प्रकार के अपराधों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, बल्कि सज़ा दिलाने की दर भी बढ़ेगी।

The Vision

नोट :

पर्यावरण एव पारिस्थितिकी

मॉरीशस में तेल रिसाव

चर्चा में क्यों ?

मॉरीशस के दक्षिण-पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क (Blue Bay Marine Park) के पास एक जापानी थोक-मालवाहक जहाज़ (Bulk-Carrier Ship) एमवी वाकाशियो (MV Wakashio) जो ईंधन तेल (Fuel Oil) ले जा रहा था, दो भागों में विभक्त हो गया। इस जहाज़ में पहले ही तेल रिसाव (Oil Spill) हो रहा था जिसके कारण हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया ।

प्रमुख बिंदु:

- यह जहाज़ मॉरीशस के पास पोइंटे डेसी (Pointe d'esny) के पास टूट गया है तथा यह क्षेत्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल है।
- प्रभाव: तेल के फैलने से मॉरीशस के समुद्र तट की पारिस्थितिकी और हिंद महासागर में समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है।
  - तेल के रिसाव ने पहले से ही लुप्तप्राय प्रवाल भित्तियों, उथले पानी में समुद्री घास, मैन्ग्रोव, मछलियों और अन्य जलीय जीवों को खतरे में डाल दिया है।
- कुछ प्रमुख वन्यजीव जिनके अस्तित्त्व पर खतरा बना हुआ है उनमें शामिल हैं: विशालकाय कछुए (Giant Tortoises), लुप्तप्राय हरे कछुए (Endangered Green Turtle), और गंभीर रूप से लुप्तप्राय गुलाबी कबूतर (Critically Endangered Pink Pigeon)
  - गुलाबी कबूतर (Nesoenas mayeri) मॉरीशस के मैस्करीन द्वीप (Mascarene island) की कबूतर की एक स्थानिक (Endemic) प्रजाति है।
    - इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा जारी संकटग्रस्त प्रजातियों (Threatened Species) की रेड लिस्ट (Red List) में 'सुभेद्य' (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

दायित्त्व:

- इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल फॉर बंकर आयल पोलुशन,2001 (International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution, 2001,) के अनुसार तेल रिसाव से हुए नुकसान के लिये जहाज़ों के मालिक ज़िम्मेदार होते हैं।
  - यह कन्वेंशन, जिसे बंकर कन्वेंशन (BUNKER convention) के रूप में भी जाना जाता है, वर्ष 2008 में लागू हुआ तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization- IMO) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - इस कन्वेंशन को यह सुनिश्चित करने के लिये अपनाया गया था कि जहाजों के बंकरों में ईंधन के रूप में ले जाने पर तेल के रिसाव से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिये लोगों को पर्याप्त, त्वरित और प्रभावी मुआवज़ा दिया जाए।

ब्लू बे मरीन पार्क:

- रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आद्रभूमि (Wetland of International Importance) के रूप में नामित किया गया है।
- प्रवाल भित्तियों, मैन्ग्रोव, समुद्री घास के मैदानों और मैक्रो शैवाल की उपस्थिति इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाती है।

तेल रिसाव:

- परिभाषा: तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल, गैसोलीन, ईंधन, या अन्य तेल उत्पादों के अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है। तेल का फैलना भूमि, वायु, या पानी को प्रदूषित कर सकता है, हालाँकि इस शब्द का उपयोग ज्यादातर समुद्र में तेल रिसाव के लिये किया जाता है।

नोट :

- कारण: मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों पर गहन पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पादन तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणामस्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- समुद्र की सतह पर तेल जलीय जीवन के कई रूपों के लिये हानिकारक है क्योंकि यह सतह पर पर्याप्त मात्रा में सूर्य के प्रकाश को प्रवेश करने से रोकता है जिसके कारण जल के घुलित ऑक्सीजन के स्तर में कमी आती है।
- क्रूड ऑयल पक्षियों के फर एवं पंखों के वॉटरप्रूफिंग (Waterproofing) गुणों को बर्बाद कर देता हैऔर इस प्रकार तेल से लिपटे पक्षी एवं समुद्री स्तनधारी हाइपोथर्मिया (शरीर के तापमान में सामान्य स्तर के तापमान से अधिक कमी होना) के कारण मर सकते हैं।
- इसके अलावा, जानवरों द्वारा तेल का अंतर्ग्रहण उनके लिये विषाक्त हो सकता है जो उनके निवास स्थान और प्रजनन दर को नुकसान पहुँचा सकता है।
- सामन्यत: खारे पानी के दलदल एवं मैंग्रोव, तेल रिसाव की समस्या से ग्रसित होते हैं।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, इन घटनाओं (तेल रिसाव) से केवल 10% से कम तेल रिसाव को सफलतापूर्वक साफ किया जाता है।

आर्थिक प्रभाव:

- यदि समुद्र तट एवं आबादी वाले तटबंधों को दूषित कर दिया जाता है, तो पर्यटन और वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं।
- पावर प्लांट और अन्य कार्य जो समुद्र के पानी पर निर्भर हैं, तेल रिसाव से गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।

तेल रिसाव की सफाई:

- कंटेंनमेंट बूम्स: फ्लोटिंग बैरियर्स, जिन्हें बूम कहा जाता है, का उपयोग तेल के प्रसार को प्रतिबंधित करने और तेल को प्राप्त करने, हटाने या फैलाने की अनुमति देने के लिये किया जाता है।
- स्किमर्स (Skimmers): इसका उपयोग पानी की सतह से तेल के भौतिक रूप को अलग करने के लिये किया जाता है।
- सोरबेंट्स (Sorbents): विभिन्न सॉर्बेंट्स जिनमें पुआल, ज्वालामुखीय राख, और पॉलिएस्टर-व्युत्पन्न प्लास्टिक की छीलन शामिल होती है, के द्वारा पानी से तेल को अवशोषित करते हैं।
- डिसपर्सिंग एजेंट (Dispersing agents): ये ऐसे रसायन होते हैं जो तरल पदार्थों जैसे तेल को छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य करते हैं तथा समुद्र में इसके प्राकृतिक फैलाव को तीव्र करते हैं।
- जैविक एजेंट (Biological agents): इनमें पोषक तत्व, एंजाइम, या सूक्ष्मजीव जैसे कि अल्केनिवोरैक्स बैक्टीरिया (Alcanivorax bacteria) या मिथाइलोसेला सिलवेस्ट्रिस (Methylocella Silvestris) शामिल होते हैं तथा ये तेल के प्राकृतिक जैव-अपघटन की दर को तीव्र करते हैं।

तेल रिसाव की अन्य घटनाएँ:

- हाल ही में, रूस के क्रास्नोयार्स्क क्षेत्र (Krasnoyarsk Region) में एक बिजली संयंत्र के ईंधन में रिसाव के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित की गई इस तेल रिसाव में 20,000 टन डीज़ल तेल अंबरनया नदी (Ambarnaya River) में बह/फैल गया था।
- वर्ष 2010 में, मैक्सिको की खाड़ी से दूर गहरे पानी में लगभग 400,000 टन तेल का रिसाव देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों जलीय प्रजातियों की मृत्यु हो गई जिनमें प्लैंकटन (Plankton) से लेकर डॉल्फ़िन (Dolphins) तक शामिल थीं।
- वर्ष 1978 में, एक बड़े कच्चे तेल के जहाज़ से फ्राँस, के तट पर तेल का रिसाव हो गया जिसके कारण समुद्र में लगभग 70 मिलियन गैलन तेल का रिसाव हुआ, इस रिसाव के कारण लाखों अकशेरूकीय एवं अनुमानित 20,000 पक्षी मारे गए।

नोट :

अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

बहु-विषयक वैज्ञानिक शोध पत्रिका 'नेचर कम्युनिकेशन' (Nature Communication) में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अटलांटिक महासागर में 11.6-21.1 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषक होने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु:

- अटलांटिक महासागर में 200 मीटर की गहराई तक किये गए मापन में 11.6 - 21.1 मिलियन टन माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए गए।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, अटलांटिक महासागर में 17-47 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट हो सकता है।

प्लास्टिक प्रदूषण का अनुमान:

- वैज्ञानिकों ने तीन प्रकार के प्लास्टिक - पॉलीइथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइनिन को अध्ययन का आधार बनाया।
  - इन तीन प्रकार के प्लास्टिक का ही पैकेजिंग के लिये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
- इन तीन प्रदूषकों की समुद्र में 200 मीटर की गहराई तक निलंबित मात्रा के आधार पर अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक प्रदूषण का अनुमान लगाया गया है।
- अटलांटिक महासागर को प्लास्टिक प्रदूषण की मात्रा का अनुमान दो आधारों पर लगाया गया है:
  - प्रथम, वर्ष 1950-2015 से प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के रुझान;
  - दूसरा, ऐसा माना गया कि विगत 65 वर्षों में वैश्विक प्लास्टिक कचरे का 0.3-0.8% अटलांटिक महासागर ने प्राप्त किया है।

माइक्रोप्लास्टिक (Microplastic):

- माइक्रोप्लास्टिक्स पाँच मिलीमीटर से भी छोटे (तिल के बीज के आकार के) आकार के प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं।
- ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अत: इनके प्राप्ति स्रोत का निर्धारण करना बहुत कठिन होता है।
- प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में उच्च स्तर के माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं।

माइक्रोप्लास्टिक का निर्माण:

- सूर्य से प्राप्त पराबैंगनी विकिरणों, वायु-धाराओं, जल-धाराओं और अन्य प्राकृतिक कारकों के प्रभाव में प्लास्टिक के टुकड़े छोटे कणों, जिसे माइक्रोप्लास्टिक (5 मिमी से छोटे कण) या नैनोप्लास्टिक (100 नैनो मीटर से छोटे कण) कहा जाता है, में टूट जाते हैं।
- माइक्रोबीड्स भी एक प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जिनका आकार एक मिलीमीटर से कम होता हैं, जो सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों, औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं।
- ये छोटे कण आसानी से जल निस्पंदन प्रणालियों से गुजरते हैं और समुद्र और झीलों में पहुँच जाते हैं।

प्लास्टिक प्रदूषण के स्रोत:

- स्थल आधारित:
  - समुद्री प्लास्टिक के मुख्य स्रोत मुख्यत: स्थल आधारित होते हैं जिसमे नगरीय अपशिष्ट, नदी अपवाह, समुद्र तट पर पर्यटन, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन, औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण और अवैध डंपिंग आदि शामिल हैं।
- महासागर आधारित:
  - महासागर आधारित प्लास्टिक मुख्य रूप से मछली पकड़ने के उद्योग, समुद्री गतिविधियों और जलीय कृषि से उत्पन्न होता है।

प्लास्टिक प्रदूषण का प्रभाव:

- प्लास्टिक को विघटित होने में सैकड़ों से हज़ारों वर्ष लग सकते हैं, यह प्लास्टिक के प्रकार और स्थान जहाँ इसे डंप किया गया है, पर निर्भर करता है।

नोट :

- समुद्री जीवन (Marine Life):
  - पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न समाचार रिपोर्टों से पता चला है कि समुद्री जानवर जैसे व्हेल, समुद्री पक्षी और कछुए द्वारा अनजाने में प्लास्टिक को निगलने से उनकी मृत्यु का कारण बनी है।
- तटीय पर्यटन (Coastal Tourism):
  - प्लास्टिक कचरा पर्यटन स्थलों के सौंदर्य मूल्य को कम करता है, जिससे पर्यटन से संबंधित आय में कमी होती है।
- मानव स्वास्थ्य (Human Health):
  - समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के हानिकारक होता है यदि यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है।
  - उदाहरणत: माइक्रोप्लास्टिक्स नल के पानी, बीयर और यहाँ तक कि नमक में भी हो सकते हैं।

अध्ययन का महत्त्व:

- प्लास्टिक के छोटे कण आसानी से अधिक गहराई तक समुद्र में पहुँच सकते हैं तथा समुद्री प्रजातियों यथा ज़ूप्लैंकटन के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते है।
  - ज़ूप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन का सेवन करते हैं जबकि बड़े जानवर, जैसे- मछली, व्हेल, स्क्विड, शेलफिश आदि द्वारा ज़ूप्लैंकटन सेवन किया जाता है
- माइक्रोप्लास्टिक्स के अलावा अन्य प्रकार की प्लास्टिक गहरे समुद्र में और तलछट में हो सकते हैं अत: अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि समुद्र के प्लास्टिक के स्रोत और भंडार (Inputs and Stocks) दोनों ही अनुमानित मात्रा की तुलना में बहुत अधिक हैं।
- सभी आकार के प्लास्टिक संदूषकों तथा बहुलक समूहों की महासागरों में उपस्थिति का निर्धारण और उनसे उत्पन्न संभावित जोखिम का आकलन करना पर्यावरण स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

- माइक्रोप्लास्टिक अध्ययन का एक उभरता हुआ क्षेत्र है, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसके सटीक जोखिम स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हैं। अत: इस दिशा में व्यापक शोध तथा समस्या समाधान की दिशा में कार्य किया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एशिया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)- एशिया के लिये परिवहन पहल (TPA) के भारत घटक को लॉन्च किया है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एशिया के लिये परिवहन पहल (NDC- TPA)
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एशिया के लिये परिवहन पहल (NDC- TPA) का उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।
  - इस कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की है और यह कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर तमाम तरह के हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत तथा अन्य भागीदार देशों को अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा।
- कार्यान्वयन
  - यह एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसे जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल (International Climate Initiative-IKI) का समर्थन प्राप्त है और इस कार्यक्रम को 7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समूह द्वारा लागू किया जाएगा।
  - इस कार्यक्रम के भारतीय घटक को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार की ओर से नीति आयोग कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा।

नोट :

- लक्ष्य
  - ग्रीनहाउस गैस और परिवहन मॉडलिंग की क्षमता को मज़बूत करना
  - देश में गैरकार्बनीकृत परिवहन हेतु हितधारकों के लिये संवाद मंच की शुरुआत करना
  - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये तकनीकी सहयोग प्रदान करना
  - जलवायु परिवर्तन से निपटने में परिवहन क्षेत्र संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करना
  - इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicle-EV) की मांग और आपूर्ति नीति पर नीतिगत सिफारिश करना
- लाभ
  - यह कार्यक्रम देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (Electric Mobility) को बढ़ावा देने में मदद करेगा
  - इस कार्यक्रम से नीतिगत विकास, इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढाँचे के विकास और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर प्रयोग को समर्थन मिलेगा।
- भारतीय परिवहन क्षेत्र
  - भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है जो परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अधिकतम ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन करता है।
  - तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के चलते वाहनों की बिक्री भी तेज़ी से बढ़ रही है और वर्ष 2030 तक कुल वाहनों की संख्या में दोगुनी वृद्धि होने की संभावना है।
  - ऐसी स्थिति में पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत के परिवहन क्षेत्र के लिये कार्बनीकृत परिवहन की नीति को अपनाना आवश्यक है।

दक्षिण भारत में तितलियों का प्रवास

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण भारत में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है, परंतु इस वर्ष का प्रवास निर्धारित समय से पूर्व देखने को मिला है।

प्रमुख बिंदु:

- तितलियों में अक्तूबर-नवंबर में होने वाला प्रवास इस बार तय समय से पूर्व जुलाई, अगस्त में देखने को मिला है।
- वर्षा प्रतिरूप में बदलाव, अच्छी धूप के दिनों की संख्या में वृद्धि, फीडिंग ग्राउंड (भोजन के अनुकूल क्षेत्र), तितलियों की संख्या में प्रस्फोट जैसे कारकों को समय पूर्व तितली प्रवास के कारणों के रूप में माना जा रहा है।

दक्षिण भारत में तितलियों का प्रवास:

- आमतौर पर तितलियों में प्रवास के दो प्रारूप देखने को मिलते हैं:

प्रथम (मैदानों से घाटों की ओर):

- दक्षिण भारत में इस प्रकार का प्रवास उत्तर-पूर्व मानसून की शुरुआत के साथ अक्तूबर-नवंबर में देखने को मिलता है।
- इसे उत्तर-मानसून प्रवास के रूप में भी जाना जाता है।

द्वितीय (घाटों से मैदानों की ओर):

- इस प्रकार का प्रवास दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन से ठीक पहले, अप्रैल-जून में देखने को मिलता है।
- इस समय के प्रवास का तितलियों के प्रजनन के लिये बहुत महत्त्व है।

नोट :

तितली प्रवास मार्ग:

- पूर्वी घाट की पहाड़ियों जिसमें शेवारॉय, पचमलाई, कोल्ली, कलवारायण शामिल हैं, इन प्रवासी तितलियों के प्रवास का मूल स्थान है।
- इन तितलियों का प्रवास पूर्वी घाट से नीलगिरि, अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व और पालनी पहाड़ियों की ओर देखने को मिला है।
- एक अन्य तितली-प्रवास मार्ग कोयंबटूर ज़िले (तमिलनाडु) में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के समानांतर देखने को मिला है।

प्रवास में शामिल तितली की प्रजातियाँ:

- प्रवास मुख्यत: दूधिया तितली (Milkweed butterflies) से संबंधित चार प्रजातियों में देखने को मिलता हैं:
- डार्क ब्लू टाइगर (Dark Blue Tiger)
- ब्लू टाइगर (Blue Tiger)
- कॉमन क्रो (Common Crow)
- डबल-ब्रांडेड (Double-branded) (जिसे सामान्यत: टाइगर और क्रो के रूप में जाना जाता है)।
- इन तितलियों के अलावा लाइम स्वोल्टेल, लेमन पैंसी, कॉमन लेपर्ड, ब्लू पैंसी, कॉमन इमिग्रेंट और लेमन इमिग्रेंट जैसी प्रजातियाँ भी प्रवास में शामिल हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है।

निष्कर्ष:

- दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में तितलियों में समय पूर्व प्रवास करने के संकेत मिले हैं। इस बात की पुष्टि करने के लिये अक्तूबर-नवंबर में होने वाले प्रवास का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि इसी समय तितलियों में वास्तविक प्रवास देखने को मिलता है।

The Vision

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

पर्सियड्स उल्का बौछार

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2020 में 17 से 26 अगस्त के मध्य उल्का वर्षा/पर्सियड्स उल्का बौछार (Perseids Meteor Shower) सक्रिय रहेगी। यह एक वार्षिक खगोलीय घटना है जिसे सबसे खूबसूरत उल्का पिंडों की बौछार माना जाता है। इस खगोलीय परिघटना में कई चमकीले उल्का पिंड तथा आग के गोले आकाश में तीव्र आवाज़ एवं रोशनी के साथ चमकते हैं, जिसे लोगों द्वारा पृथ्वी से देखा जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- उल्का: यह एक अंतरिक्ष चट्टान या उल्कापिंड है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है।
  - उल्कापिंड अंतरिक्ष में मौजूद वह वस्तुएँ हैं जिनका आकार धूल के कण से लेकर एक छोटे क्षुद्रग्रहों के बराबर होता है।
  - इनका निर्माण अन्य बड़े निकायों जैसे धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह एवं उपग्रह से टूटने या विस्फोट के कारण होता हैं।
- जब उल्कापिंड तेज़ गति से पृथ्वी के वायुमंडल (या किसी अन्य ग्रह, जैसे मंगल) में प्रवेश करते हैं तो इनमें तीव्र ज्वाला उत्पन्न होती है इसलिये इन्हें टूटा हुआ तारा (shooting Stars) कहा जाता है।
  - जैसे ही ये अंतरिक्ष चट्टानें या उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ आती है तो ये चट्टानें हवा के प्रतिरोध के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती हैं।
  - जब पिंड/चट्टानें वायुमंडल से गुजरते हैं तो यह अपने पीछे गैस की एक चमकीली (टूटा हुआ तारा) रेखा या पूंछ का निर्माण करते हैं जो पर्यवेक्षकों को पृथ्वी से दिखाई देती हैं।
  - आग के गोलों (Fireballs) में तीव्र विस्फोट के साथ प्रकाश एवं रंग उत्सर्जित होता है जो उल्का की रेखा/पूंछ की तुलना में देर तक दिखता है, क्योंकि आग के गोले का निर्माण उल्का के बड़े कणों से मिलकर होता है
- जब कोई उल्कापिंड वायुमंडल को पार करते हुए ज़मीन से टकराता है, तो उसे 'उल्कापिंड' (Meteorite) कहा जाता है।

उल्का बौछार:

- जब पृथ्वी पर एक साथ कई उल्का पिंड पहुँचते हैं या गिरते हैं तो इसे उल्का बौछार (Meteor Shower) कहा जाता है।
  - पृथ्वी और दूसरे ग्रहों की तरह धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत, धूमकेतु की कक्षाएँ सामान्यत: एकांगी (lop-sided) होती हैं।
  - जैसे-जैसे धूमकेतु सूर्य के करीब आता है, उसकी बर्फीली सतह गर्म होकर धूल एवं चट्टानों (उल्कापिंड) के बहुत सारे कणों को मुक्त करती है।
  - यह धूमकेतु का मलबा धूमकेतु के मार्ग के साथ बिखर जाता है विशेष रूप से आंतरिक सौर मंडल में (जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह शामिल हैं) क्योंकि सूर्य की अधिक गर्मी के कारण बर्फ और मलबे में एक प्रकार का उबाल उत्पन्न होता है।
- उल्का पिंडों का नाम उस नक्षत्र के नाम पर रखा गया है जहाँ उल्का पिंड आते हुए प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिये, ओरियोनिड्स उल्का बौछार (Orionids Meteor Shower), जो प्रत्येक वर्ष में होती है, नक्षत्र 'ओरियन द हंटर' (Orion the Hunter) के निकट उत्पन्न होती है।

पर्सियड्स उल्का बौछार:

- इसे इसके चर्मोत्कर्ष पर हर वर्ष अगस्त माह के मध्य में देखा जाता है इसे सर्वप्रथम 2,000 वर्ष पूर्व देखा गया था।
- क्लाउड ऑफ डेबरिस (Cloud of Debris) लगभग 27 किमी. चौड़ा है तथा 160 से 200 उल्कापिंड मिलकर इसके चर्मोत्कर्ष बिंदु का निर्माण करते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रत्येक समय टुकड़ों के रूप में घूमते रहते हैं एवं प्रति घंटे लगभग 2.14 लाख किमी. की यात्रा करते है जब ये पृथ्वी की सतह से 100 किमी. पर स्थित होते हैं तो इनमें कम ज्वाला उत्पन्न होती हैं।

नोट :

- इसे यह नाम पर्सस (Perseus Constellation) नक्षत्र से मिला है।
- प्रदूषण और मानसून के बादलों के कारण पर्सिड्स को भारत से देख पाना मुश्किल है।
- धूमकेतु स्विफ्ट-टटल (Comet Swift-Tuttle): इसे वर्ष 1862 में लुईस स्विफ्ट(Lewis Swift) और होरेस टटल (Horace Tuttle) द्वारा खोजा गया था जिसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर को पूरा करने में 133 वर्ष लगते हैं।

कैलिफोर्निया में दावानल

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी एवं मध्य कैलिफोर्निया में दावानल (Wildfire) के कारण 400,000 एकड़ से अधिक में फैले हुए जंगल समाप्त हो चुके हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ऐतिहासिक रूप से कैलिफोर्निया में दावानल की कई घटनाएँ घटित हो चुकी हैं जो हाल के दिनों में कई गुना बढ़ी हैं।
  1. वर्ष 2000 के बाद से यहाँ 10 सबसे बड़ी दावानल की घटनाएँ हो चुकी हैं जिसमें वर्ष 2018 का मेंडोकिनो कॉम्प्लेक्स फायर (Mendocino Complex Fire) भी शामिल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा दावानल है।
  2. वर्ष 1970 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में दावानल की आवृत्ति में 400% की वृद्धि हुई है।
- कैलिफोर्निया में दो अलग-अलग मौसम हैं जिनमें दावानल जैसी घटनाएँ घटित होती हैं:
  1. पहला मौसम जून से सितंबर के मध्य का मौसम होता है जब गर्म एवं शुष्क मौसम के कारण दावानल की घटनाएँ घटित होती हैं और यह आग अधिकतर अंतर्देशीय एवं अधिक ऊँचाई वाले जंगलों में लगती है।
  2. दूसरा मौसम अक्तूबर से अप्रैल के मध्य का मौसम होता है जब सांता आना पवनों (Santa Ana Winds) के कारण दावानल की घटनाएँ घटित होती हैं और यह आग अधिकतर शहरी क्षेत्रों के पास के जंगलों में लगती है।
     - इस अवधि में लगने वाली आग पहले के मौसम में लगने वाली आग से तीन गुना तेज़ होती है।
     - इस अवधि में लगने वाली आग पिछले दो दशकों में 80% आर्थिक नुकसान के लिये ज़िम्मेदार है।

सांता आना पवनों (Santa Ana Winds):

- पवनों का यह नाम कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में सांता आना घाटी के नाम पर रखा गया है।
- दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन/घाटी से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूलभरी आंधी को सांता आना कहते हैं।
- ये पवनें अत्यंत शुष्क एवं गर्म होती हैं।
- ये पवनें पूर्व या उत्तर-पूर्व की ओर चलती हैं।
- ये आमतौर पर मौसमी पवनें होती हैं और अक्तूबर एवं मार्च के मध्य प्रवाहित होती हैं तथा दिसंबर में ये पवनें चरम अवस्था में पहुँच जाती हैं।
- ये पवनें तब उत्पन्न होती हैं जब सिएरा नेवादा और रॉकी पर्वतमाला के बीच ग्रेट बेसिन के उच्च-ऊँचाई वाले रेगिस्तान में उच्च दबाव प्रणाली का निर्माण होता है।
  - जब ये पवनें नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं और रेगिस्तान को पार करती हैं तो ये अत्यंत शुष्क, गर्म एवं तीव्र गति प्राप्त करती हैं।
- सांता आना पवनों में आर्द्रता की कमी से वनस्पति सूख जाती है जिससे वनस्पति आग के लिये बेहतर ईंधन बन जाती है।

कारण:

- जलवायु: यहाँ अधिकतर नमी सर्दियों के मौसम में मिलती है किंतु यहाँ की वनस्पति वर्षा की कमी एवं गर्म तापमान के कारण गर्मियों में सूख जाती है जो अंतत: आग के लिये प्रज्वलन का कार्य करती है।
  - हालाँकि वैश्विक तापन (Global Warming) के कारण तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे दावानल के मामलों में वृद्धि हुई है।

नोट :

- मानव हस्तक्षेप: कई आग की घटनाएँ मानव हस्तक्षेप के कारण होती हैं जैसे- विद्युत लाइन का गिरना आदि।
  - शहरीकरण के कारण मानव बस्तियाँ वन क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रही हैं जिसे शहरी- वनभूमि इंटरफेस (Urban-Wildland Interface) के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र को दावानल के लिये अतिसंवेदनशील माना जाता है।
- आग को दबाना (Suppressing Fires): लंबे समय तक कृत्रिम रूप से प्राकृतिक आग के दमन के कारण वनों में अत्यधिक सूखी सामग्री जमा हो गई है जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है।
  - संयुक्त राज्य वन सेवा अब निर्धारित, नियंत्रित या कूल बर्निंग (Cool Burning) के उपयोग के माध्यम से अपने पिछली गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही है।

कूल बर्निंग (Cool Burning):

- इस प्रक्रिया में किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध वनस्पति की मात्रा को सीमित करने के लिये कृत्रिम रूप से छोटे, स्थानीयकृत तरीके से आग को नियंत्रित किया जाता है। अर्थात् इस प्रक्रिया में वनों में सामान्य आग को दावानल में बदलने से रोकने के लिये 'वनस्पति ईंधन' के निर्माण की प्रक्रिया को रोका जाता है।

- सांता आना पवनों (Santa Ana Winds): सांता आना पवनें वनस्पति को सुखा देती हैं और वनों में आग के चारों ओर फैलने में सहायक होती हैं।

प्रभाव:

- जीवन एवं संपत्ति के विनाश से आर्थिक नुकसान होता है।
- धूल के छोटे कणों द्वारा वायु प्रदूषण तथा अम्ल, कार्बनिक रसायन एवं धातु के कारण एलर्जी जैसी स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- उच्च तापमान के कारण भूमि क्षरण होता है जिससे भूमि से सभी पोषक तत्त्व एवं वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं और भूमि अनुर्वरक हो जाती है।
- जैवविविधता को नुकसान होता है।

तात्कालिक समाधान:

- दावानल के तात्कालिक समाधानों के रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में ज्वलनशील पेड़ों की प्रजातियाँ जैसे- यूकेलिप्टस एवं पाइन आदि को लगाने से बचना चाहिये।
- वन क्षेत्रों के पास मानव विकास गतिविधियों को अनुमति नहीं देना चाहिये।
- मरुस्थलीय भू-निर्माण, कम पानी की खपत वाले उपकरणों को बढ़ावा, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण जैसी जल संरक्षण वाली नीतियों को बढ़ावा देना चाहिये।

आगे की राह:

- हालाँकि वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये लंबे समय से कार्य किया जा रहा है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है जिन्होंने न केवल कैलिफोर्निया बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है।
- अन्य उदाहरण: ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर (Australian Bushfires) और उत्तराखंड में वनाग्नि।

नोट :

सामाजिक न्याय

विवाह की न्यूनतम आयु: इतिहास और वर्तमान

चर्चा में क्यों ?

स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करेगी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु सीमा पर पुनर्विचार करने हेतु एक समिति का भी गठन किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार, केंद्र सरकार समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् इस विषय पर निर्णय लेगी।
- भारत में विवाह की न्यूनतम आयु खासकर महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु सदैव एक विवादास्पद विषय रहा है, और जब भी इस प्रकार के नियमों में परिवर्तन की बात की गई है तो सामाजिक और धार्मिक रुढ़िवादियों का कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला है।
- वर्तमान में नियमों के अनुसार, पुरुषों और महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 21 और 18 वर्ष है।

समिति का गठन

- 2 जून, 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मातृत्त्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार से संबंधित मुद्दों की जाँच करने के लिये एक टास्क फोर्स का गठन किया था।
- यह टास्क फोर्स गर्भावस्था, प्रसव और उसके पश्चात् माँ और बच्चे के चिकित्सीय स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर के साथ विवाह की आयु और मातृत्त्व के सहसंबंध की जाँच करेगी।
- यह टास्क फोर्स शिशु मृत्यु दर (IMR), मातृत्त्व मृत्यु दर (MMR), कुल प्रजनन दर (TFR), जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) और बाल लिंग अनुपात (CSR) जैसे प्रमुख मापदंडों की जाँच करेगी और महिलाओं के लिये विवाह की वर्तमान आयु (18 वर्ष) को 21 वर्ष तक बढ़ाने के विकल्प पर भी विचार करेगी।
- सामाजिक कार्यकर्त्ता और समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली की अध्यक्षता में गठित इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के सदस्य और कई सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

विवाह की आयु ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण

- वर्ष 1860 में अधिनियमित हुई भारतीय दंड संहिता (IPC) में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध को अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया।
- वर्ष 1927 में ब्रिटिश सरकार ने कानून के माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ विवाह को अमान्य घोषित कर दिया, हालाँकि राष्ट्रवादी आंदोलन के रूढ़िवादी नेताओं द्वारा ब्रिटिश सरकार के इस कानून का काफी विरोध किया गया, क्योंकि वे इस प्रकार के कानूनों को हिंदू रीति-रिवाज़ों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के रूप में देखा रहे थे।
- वर्ष 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 14 और 18 निर्धारित कर दी गई, वर्ष 1949 में संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। वर्ष 1978 में इस कानून में एक बार फिर संशोधन किया गया और महिलाओं तथा पुरुषों के के लिये विवाह की न्यूनतम आयु को क्रमश: 18 वर्ष और 21 वर्ष कर दिया गया।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु क्रमश: 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।

नोट :

पुरुषों और महिलाओं की विवाह आयु में अंतर ?

- विवाह के लिये महिलाओं और पुरुषों की न्यूनतम आयु एकसमान न होने का कोई भी कानूनी तर्क दिखाई नहीं देता है, हालाँकि कई लोग इसके विरुद्ध तर्क देते हैं कि इस प्रकार के अलग-अलग नियम संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का
- अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन करते है।
- वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपने एक परामर्श पत्र में कहा था कि विवाह के लिये महिलाओं और पुरुषों की अलग-अलग आयु समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है।
- आयोग ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की उम्र में अंतर का कानून में कोई आधार नहीं है क्योंकि विवाह में शामिल होने वाले महिला पुरुष हर तरह से एक समान होते हैं और इसलिये उनकी साझेदारी भी एक समान होनी चाहिये।
- महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन संबंधी समिति (Committee on the Elimination of Discrimination against Women- CEDAW) भी उन कानूनों की समाप्ति का आह्वान करती है जो ये मानते हैं कि महिलाओं की शारीरिक और बौद्धिक विकास दर पुरुषों की तुलना में अलग होती है।

न्यूनतम आयु में परिवर्तन की आवश्यकता

- यूनिसेफ (UNICEF) के आधिकारिक आँकड़े बताते हैं कि विश्व भर में पाँच वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में प्रत्येक पाँचवें बच्चे की मृत्यु भारत में होती है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि भारत में शिशु मृत्यु दर (IMR) काफी खतरनाक स्तर पर पहुँच गई है।
- संयुक्त राष्ट्र के शिशु मृत्यु दर के अनुमान से संबंधित आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में संपूर्ण भारत में कुल 721,000 शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसके अर्थ है कि इस अवधि में प्रति दिन औसतन 1,975 शिशुओं की मौत हुई थी।
- वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS) के अनुसार, 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं में से 48 प्रतिशत का विवाह 20 वर्ष की उम्र में हो जाता है, इतनी छोटी सी उम्र में विवाह होने के पश्चात् गर्भावस्था में जटिलताओं और बाल देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी के कारण मातृ और शिशु मृत्यु दर में वृद्धि देखने को मिलती है।
  - ध्यातव्य है कि भारत में वर्ष 2017 में गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित जटिलताओं के कारण कुल 35000 महिलाओं की मृत्यु हुई थी।
- भारत में जिस समय महिलाओं को उनके भविष्य और शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिये, उस समय उन्हें विवाह के बोझ से दबा दिया जाता है, 21वीं सदी में इस रुढ़िवादी प्रथा में बदलाव की आवश्यकता है, जो कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
- विशेषज्ञ मानते हैं कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने से महिलाओं के पास शिक्षित होने, कॉलेजों में प्रवेश करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अधिक समय होगा।
- इस निर्णय से संपूर्ण भारतीय समाज खासतौर पर निम्न आर्थिक वर्ग पर इस निर्णय का खासा प्रभाव देखने को मिलेगा।

भारत में बाल विवाह

- भारत समेत संपूर्ण विश्व में बाल विवाह एक गंभीर समस्या बना हुआ है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund-UNFPA) द्वारा इसी वर्ष 2 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हालाँकि बाल विवाह पर लगभग संपूर्ण विश्व में प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु फिर भी संपूर्ण विश्व में व्यापक स्तर पर इस प्रथा को अमल में लाया जा रहा है।
- यूनिसेफ (UNICEF) के एक अनुमान के अनुसार, विश्व भर में लगभग 650 मिलियन लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में भी कम उम्र में कर दिया गया था।
- यूनिसेफ का अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष, भारत में 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है, जिससे भारत विश्व में सबसे अधिक बाल विवाह वाला देश है।
- भारत में, बाल विवाह के आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि बाल विवाह में शामिल होने वाली 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में 46 प्रतिशत निम्न आय वर्ग से थीं।

नोट :

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि महिलाओं के विवाह की उम्र को बढ़ाना महिला सशक्तीकरण और महिला शिक्षा की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है, हालाँकि यह भी आवश्यक है कि नियम बनाने के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत में पहले से ही महिलाओं के विवाह की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष तय है, किंतु आँकड़े बताते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। भारतीय समाज में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण के बदलाव की भी आवश्यकता है, अधिकांश भारतीय घरों में यह विचार काफी प्रचलित है कि लड़कियाँ पराया धन होती हैं, और उन्हें जल्द-से-जल्द विदा करना आवश्यक है, जब तक हम मानसिकता में बदलाव नहीं करेंगे तब तक बाल विवाह को रोकना संभव नहीं होगा।

बाल श्रम कन्वेंशन को सार्वभौमिक अनुसमर्थन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization-ILO) के बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरुप पर कन्वेंशन, जिसे कन्वेंशन नंबर 182 के रूप में भी जाना जाता है, को किंगडम ऑफ टोंगा (Kingdom of Tonga) की पुष्टि के बाद सार्वभौमिक अनुसमर्थन प्राप्त हो गया है ।

प्रमुख बिंदु:

- सार्वभौमिक अनुसमर्थन: इसका अर्थ है किसी संगठन के सभी सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना। कन्वेंशन नंबर 182 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सभी 187 सदस्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो गया है।
- बाल श्रम:
  - ILO द्वारा बाल श्रम को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है एवं जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये हानिकारक है।
  - कम विकसित देशों में, चार बच्चों में से एक से अधिक (5 से 17 उम्र) बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं जो उनके स्वास्थ्य एवं विकास के लिये हानिकारक माना जाता है।
  - बाल श्रम का उन्मूलन सतत् विकास लक्ष्य 8.7 का हिस्सा है।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिये वर्ष घोषित किया गया है।
- कन्वेंशन नंबर 182:
  - इस सम्मेलन को वर्ष 1999 में जिनेवा में ILO के सदस्य राज्यों की बैठक द्वारा अपनाया गया था।
  - इसका उद्देश्य बच्चों को बाल श्रम के सबसे बुरे स्वरूप से बचाना है, जिसमें दासता, वेश्यावृत्ति, तस्करी, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों की संलिप्तता एवं उनकी समग्र भलाई से जुड़े अन्य पक्ष शामिल हैं।

बाल श्रम पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानून:

- यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, 1989 (UN Convention on the Rights of the Child, 1989): इसमें यह विचार शामिल है कि बच्चे उनके माता-पिता के लिये सिर्फ कोई वस्तु नहीं हैं तथा जिनके लिये वो निर्णय लें या उनके व्यस्क प्रशिक्षण में शामिल हों बल्कि, वे अपने अधिकारों के साथ मनुष्य एवं व्यक्ति भी हैं।
- मिनिमम ऐज कन्वेंशन 1973 (Minimum Age Convention 1973): इसका उद्देश्य कम आयु सीमा से कम के बच्चों को बाल श्रम करने से रोकना है।
  - दोनों कन्वेंशन अर्थात, नंबर 182 और मिनिमम ऐज कन्वेंशन,1973 आठ मूल ILO सम्मेलनों में से एक हैं, जिन्हें वर्ष 1998 के मूल सिद्धांतों एवं काम पर अधिकारों की घोषणा की भावना के रूप में जाना जाता है।
- भारत द्वारा वर्ष 2017 में कन्वेंशन नंबर 182 तथा मिनिमम ऐज कन्वेंशन,1973 की पुष्टि की गई।

नोट :

बाल श्रम पर कानून का प्रभाव:

- ILO के अनुसार, बाल श्रम की घटनाओं और इसके सबसे खराब रूपों में वर्ष 2000 और वर्ष 2016 के मध्य लगभग 40% की गिरावट देखी गई है क्योंकि बाल श्रम पर अनुसमर्थन दर में वृद्धि हुई एवं बाल श्रम को रोकने के लिये देशों ने कानूनों और नीतियों को अपनाया है।
- दोनों कन्वेंशन के परिणामस्वरूप प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बाल श्रम से संबंधित चुनौतियाँ:

- सतत् विकास लक्ष्य (Sustainable Developmental Goal- SDG) का लक्ष्य 2025 तक बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करना है। हालांकि, अभी भी अनुमानित 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में शामिल हैं और उनमें से 72 मिलियन खतरनाक काम में लगे हुए हैं।
- COVID -19 महामारी के कारण अब तक के प्राप्त लाभों के पलटने का खतरा है, जिसमें व्यापक रूप से नौकरी के नुकसान, काम की स्थिति में गिरावट, घरेलू आय में गिरावट और अस्थायी स्कूल बंद होने का खतरा शामिल है।

आगे की राह:

- गरीबी और उसके निहितार्थ चक्र को ठीक से संबोधित किया जाना चाहिये, ताकि परिवारों को जीवित रहने के लिये अन्य साधन प्राप्त हो सकें। कई एनजीओ जैसे बचपन बचाओ आंदोलन (Bachpan Bachao Andolan), चाइल्डफंड (ChildFund), केयर इंडिया (CARE India) आदि भारत में बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।
- बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिये राज्य स्तर के अधिकारियों को सही नीतियों एवं उद्देश्यों की आवश्यकता है। मजबूर बाल श्रमिकों के लिये सरकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा एक तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाएँ

चर्चा में क्यों ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (Science and Technology Indicators-STI), 2018 के अनुसार, भारत की निजी क्षेत्र की शोध कंपनियाँ सरकार द्वारा वित्तपोषित प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों की तुलना में मुख्य अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अधिक संख्या में महिलाओं को नियोजित करती हैं।

प्रमुख बिंदु

- वर्ष 2018 तक भारत में R&D के क्षेत्र में 3,41,818 वैज्ञानिक थे, जिनमें से लगभग 2,03,759 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी संस्थानों द्वारा नियुक्त कर लिये गए।
- निजी क्षेत्र की R&D कंपनियों में कार्यरत 20,351 महिलाओं में से लगभग चार में से तीन "R&D गतिविधियों" में शामिल थीं।
- हालाँकि प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों (सरकारी) में कार्यरत 23,008 महिलाओं में से आधी से कम 'R&D गतिविधियों' की श्रेणी में शामिल थीं।
- इसके अलावा, निजी क्षेत्र के R&D प्रतिष्ठानों में प्रत्येक छह पुरुष वैज्ञानिकों पर एक महिला वैज्ञानिक कार्यरत है। हालाँकि प्रमुख वैज्ञानिक एजेंसियों में प्रत्येक चार पुरुष पर एक महिला का अनुपात है।
- मेडिकल साइंस और नेचुरल साइंस के बाद 'इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी' में सबसे अधिक वैज्ञानिक (निजी एवं सार्वजनिक वित्त पोषित संगठनों सहित) कार्यरत थे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकेतक (Science and Technology Indicators-STI)

- STI भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थिति का एक आवधिक संकलन है।
- इसे राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली (National Science and Technology Management Information System), विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के एक विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

नोट :

- R&D में महिलाओं की कम भागीदारी के कारण:
  - सरकारी फर्मों की तुलना में निजी कंपनियों के नियोक्ता और प्रबंधक महिला कर्मचारियों को रोज़गार देने और प्रोन्नति को बढ़ावा देने के प्रति अधिक उत्तरदायी है।
  - डॉक्टरेट और प्रोफेशनल स्टेज के बीच महिलाओं की संख्या में आने वाली भारी गिरावट के लिये सामाजिक और पारिवारिक दबाव प्रमुख कारण होता है, जो कि पेशेवर कैरियर के साथ असंगत दिखाई पड़ता है।
  - महिलाओं की नियुक्ति के संदर्भ में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण का झुकाव भी देखने को मिलता हैं, इस स्तर पर बहुत सी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, साथ ही महिलाओं पर करियर के स्थान पर परिवार को महत्त्व देने की महत्त्वाकांक्षा का भार भी डाला जाता है।
- वैश्विक संदर्भ में बात करें तो:
  - STEM में महिलाएँ:
    - 2014-16 के यूनेस्को के आँकड़ों से पता चलता है कि केवल 30% महिला छात्र ही उच्च शिक्षा में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) से संबंधित क्षेत्रों का चयन करती हैं।
    - विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (3%), प्राकृतिक विज्ञान, गणित और सांख्यिकी (5%) तथा इंजीनियरिंग एवं संबद्ध क्षेत्रों में (8%) महिलाओं का रुझान काफी कम है।
  - एक पेशे के रूप में अनुसंधान:
    - यूनेस्को द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं पर तैयार की गई वर्ष 2018 की फैक्ट शीट के अनुसार, केवल 28.8% शोधकर्त्ता महिलाएँ हैं।
  - नोबल पुरस्कारों में भागीदारी:
    - वर्ष 1901 से 2019 के बीच, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में अभी तक 616 विद्वानों को 334 नोबल पुरस्कार दिये गए हैं, जिनमें से सिर्फ 20 महिलाओं द्वारा जीते गए हैं।
  - एबेल पुरस्कारों में भागीदारी:
    - वर्ष 2019 में अमेरिकी गणितज्ञ करेन हलेनबेक 16 पुरुष गणितज्ञों के बाद एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनीं।
    - एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है।
  - फ़ील्ड्स मेडल्स (Fields Medals) में भागीदारी:
    - 1936 के बाद से 59 पुरुषों की तुलना में अब तक केवल एक महिला गणितज्ञ को फील्ड्स मेडल मिला है, अभी तक केवल ईरान की दिवंगत मरियम मिर्जाखानी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है।
    - गणितज्ञों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस द्वारा प्रत्येक चार वर्ष में उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि के लिये फील्ड्स मेडल प्रदान किया जाता है।
- राष्ट्रीय संदर्भ में बात करें तो
  - STEM में महिलाएँ:
    - विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के नामांकन में वर्ष 2010-11 से वृद्धि हुई है।
    - 2015-16 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, स्नातक (UG) पाठ्यक्रमों में 9.3% छात्राओं ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जबकि अन्य की भागीदारी 15.6% रही। इसके अलावा 4.3% छात्राओं ने चिकित्सा विज्ञान में अपना नामांकन कराया, जबकि अन्य की भागीदारी मात्र 3.3% ही रही।
  - एक पेशे के रूप में अनुसंधान:
    - भारत में केवल 13.9% महिलाएँ ही शोधकर्त्ता के रूप में कार्य करती हैं। मास्टर और डॉक्टरेट स्तर पर, महिला नामांकन समग्र नामांकन से कम रहा है।
  - तकनीकी पेशों में उपस्थिति:
    - नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि 620 से अधिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में, जिनमें IIT, NIT, ISRO और DRDO भी शामिल हैं, वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मचारियों के बीच महिलाओं की उपस्थिति 20.0%, पोस्ट-डॉक्टरल शोध छात्रों के बीच 28.7% और PhD विद्वानों के बीच 33.5% थी।

नोट :

- जेंडर गैप इंडेक्स (Gender Gap Index):
  - ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 के अनुसार, 153 देशों में भारत वर्ष 2018 के अपने 108वें स्थान से फिसलकर 112वें स्थान पर आ गया है।
  - रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद लिंग अंतराल को खत्म करने में लगभग सौ साल लगेंगे।
- कार्य सहभागिता:
  - विश्व बैंक के अनुसार, भारत महिला श्रम शक्ति भागीदारी में 181 देशों मंर से 163वें स्थान पर है।
  - इसके अलावा, भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहाँ महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में तेज़ी से गिरावट आई है, उदाहरण के लिये वर्ष 2004-5 में यह दर 29% थी, जबकि 2011-12 में 22% और वर्ष 2017-18 में 17% थी।
- कार्य में असमानता:
  - सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, पिछले साल जितने भी लोगों की नौकरियाँ गई इ=उनमें सबसे अधिक संख्या महिलाओं की थी। वर्ष 2018 में खोई गई 11 मिलियन नौकरियों में से 8.8 मिलियन नौकरियाँ महिलाओं ने खोई।
  - भारतीय महिलाओं को समान काम के लिये पुरुषों की तुलना में 34% कम वेतन मिलता है।

- विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने की पहल
  - विज्ञान ज्योति योजना (Vigyan Jyoti Scheme):
    - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा विज्ञान ज्योति योजना शुरू की गई है।
    - इस योजना का उद्देश्य स्टेम शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाना है।
    - इस योजना के अंतर्गत छात्राओं के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विज्ञान शिविर का आयोजन किया जाएगा, साथ ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कॉर्पोरेट, विश्वविद्यालयों तथा डीआरडीओ जैसे शीर्ष संस्थानों में कार्यरत सफल महिलाओं से शिविर के माध्यम से संपर्क स्थापित करवाया जाएगा।
  - GATI योजना:
    - जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशनस (GATI) STEM में लिंग समानता का आकलन करने के लिये एक समग्र चार्टर और रूपरेखा तैयार करेगा।
  - किरण योजना (KIRAN Scheme)
    - केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किरण योजना (KIRAN Scheme) की शुरुआत की गई।
    - किरण (KIRAN) का पूर्ण रूप 'शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी' (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing) है।
    - KIRAN विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लैंगिक समानता से संबंधित विभिन्न मुद्दों/चुनौतियों का समाधान कर रही है।
  - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao-BBBP) योजना:
    - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय BBBP योजना के लिये एक नोडल मंत्रालय है, जो मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 'बाल लिंगानुपात' (Child Sex Ratio-CSR) तथा एस.आर.बी. में कमी लाने का प्रयास करता है।
  - 28 फरवरी 2020 को 'वूमन इन साइंस' थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (NSD) मनाया गया।
    - इस अवसर पर CSIR- सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CDRI), लखनऊ की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. निती कुमार को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार-2020 से सम्मानित किया गया।
  - उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) की रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार, देश में लिंग अंतराल पिछले वर्ष अर्थात् 2017-18 की तुलना में कम हो गया है।
  - शी-बॉक्स जैसी पहल से कार्य स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बेहतर भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

नोट :

आगे की राह

- विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक भागीदारी में असमानताएँ सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से जन्म लेती हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- साथ ही, राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व महिलाओं के प्रति रूढ़िवादिता को खत्म करने में एक लंबा सफर तय कर सकता है।
- शासन और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों से ही बेहतर कार्यबल की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
- नौकरियों में समावेशी वृद्धि होनी चाहिये और नई नौकरियों को बेहतर कार्य स्थितियों के साथ सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा लाभ भी शामिल हैं।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' (Employees' State Insurance Corporation- ESIC) की 182वीं बैठक के दौरान 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana- ABVKY) के पात्रता मानदंडों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

- ESIC, द्वारा किये गए ये बदलाव COVID-19 महामारी द्वारा प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एक बहुआयामी सामाजिक प्रणाली है जो श्रमिक आबादी को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कार्य करती है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना:

- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का प्रारंभ 1 जुलाई, 2018 को किया गया था।
- योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोज़गारी की दशा में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है।
- योजना का कार्यान्वयन 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' द्वारा किया जा रहा है।
- योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था।

ESIC बैठक में लिये प्रमुख निर्णय:

- ABVKY, योजना को एक वर्ष की अवधि अर्थात 30 जून 2021 तक के लिये विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
- जिन श्रमिकों ने COVID-19 महामारी के दौरान अपना रोज़गार खो दिया है, उन्हें योजना के तहत विद्यमान शर्तों एवं राहत की राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- योजना के तहत दी जाने वाली छूट की शर्तें 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिये उपलब्ध रहेगी।
- 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ उपलब्ध होगी।

पात्रता मानदंडों में बदलाव:

मूल योजना के तहत मानदंड	संशोधित मानदंड
• योजना के तहत प्रतिदिन की औसत कमाई के 25% (पिछली चार योगदान अवधि के लिये) तक राहत प्रदान की जाती है। • बीमित व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार में अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये भुगतान किया जाता है।	• अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये, योजना के तहत भुगतान राशि को औसत मज़दूरी के 25% से बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया गया है।

नोट :

• बेरोज़गारी के 90 दिनों के बाद राहत भुगतान किया जाएगा। • कर्मचारी के संबंध में योगदान, नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिये। • बीमित व्यक्ति को दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये बीमा योग्य रोज़गार में होना चाहिये। बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार योगदान अवधि के दौरान कम-से-कम 78 दिनों का योगदान होना चाहिये।	• पहले बेरोज़गारी के 90 दिनों के बाद राहत भुगतान किये जाने के बजाय अब 30 दिनों के बाद भुगतान किया जाएगा। • बीमित व्यक्ति अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित किये जा रहे दावे के बजाय सीधे ESIC शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है और भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा। • बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोज़गारी से पूर्व कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के लिये बीमा योग्य रोज़गार में होना चाहिये तथा उसका बेरोज़गारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान नहीं होना चाहिये। बेरोज़गारी से 2 वर्ष पहले की शेष तीन योगदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिये।

योजना के तहत अन्य शर्तें:

- ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम- 1948 की धारा 2 (9) के तहत कवर हैं।
- बीमित व्यक्ति (Insured Person- IP) को राहत का दावा करने की अवधि के दौरान बेरोज़गार होना चाहिये।
- बेरोज़गारी का कारण दुराचार, सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं होना चाहिये।
- बीमित व्यक्ति के आधार कार्ड और बैंक खाते को उसके डेटाबेस से जोड़ा जाना चाहिये।
- यदि बीमित व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के लिये कार्य कर रहा है और उस कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किया गया है, तो उसे केवल तभी बेरोज़गार माना जाएगा, जब वह सभी नियोक्ताओं के यहाँ बेरोज़गार है।
- बीमित व्यक्ति एक ही अवधि के लिये किसी भी अन्य नकद मुआवज़े और ABVKY के तहत राहत का एक साथ लाभ नहीं ले सकेगा।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये राष्ट्रीय परिषद' (National Council for Transgender Persons-NCT) का गठन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- NCT का गठन 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम' [Transgender Persons (Protection of Rights) Act], 2019 के तहत किया गया है।
- इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण की दिशा में एक मज़बूत कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने के प्रावधान शामिल किये गए हैं।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2014 में 'राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले' में सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर लोगों को 'तीसरे लिंग' (Third Gender) के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
- वर्ष 2014 में एक निजी सदस्य विधेयक, 'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक' को राज्यसभा में पेश किया गया।
- वर्ष 2019 में संसद में ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक पारित किया।

नोट :

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:

- परिभाषा:
  - अधिनियम एक ट्रांसजेंडर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता है।
- पहचान का प्रमाण पत्र:
  - एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति 'ट्रांसजेंडर' पहचान के प्रमाण पत्र के लिये ज़िला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन कर सकता है।
- भेदभाव के खिलाफ प्रतिबंध:
  - अधिनियम एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार करना या शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल हैं।
- अधिकार:
  - सार्वजनिक संपत्ति तक समान पहुँच, सुविधाओं तथा अवसरों की समान उपलब्धता।
  - घूमने का अधिकार, निवास करने, किराये पर आवास लेने या संपत्ति प्राप्त करने का समान अधिकार।
  - सार्वजनिक या निजी कार्यालय में काम करने का समान अवसर।
- स्वास्थ्य देखभाल:
  - अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (Sex Reassignment Surgeries) सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार देता है।
  - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिये चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उनके लिये व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएँ उपलब्ध कराएगी।
- राष्ट्रीय परिषद:
  - यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिये एक राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender persons-NCT) की स्थापना का प्रावधान करता है।
- सजा प्रावधान:
  - ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करने पर जुर्माना के अलावा, छह महीने से दो वर्ष तक का कारावास की सजा हो सकती है।

परिषद की संरचना:

• अध्यक्ष	• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री
• उपाध्यक्ष	• राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पदेन सदस्य	• परिषद के सदस्यों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग और नीति आयोग के अधिकारी शामिल होंगे।

नोट :

मनोनीत सदस्य	• परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय से पाँच मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। • ये प्रतिनिधि रोटेशन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मनोनीत किये जाएंगे। • समुदाय के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

परिषद के उदेश्य:

- राज्यों के साथ मिलकर सभी राज्यों में 'ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड' (Transgender Welfare Boards) स्थापना की दिशा में कार्य करना।
- ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं यथा- आवास, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी ज़रूरतों को पूरा करना।

परिषद के कार्य:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करने और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने की दिशा में निर्मित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले संबंधित सरकारी विभागों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना;
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना;
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गए अन्य कार्य करना।

आगे की राह:

- ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष आने वाले मुद्दों की पहचान करने और तदनुसार सरकार को सलाह देने में परिषद सक्षम है या नहीं इसका निर्धारण परिषद की कार्यप्रणाली को देखने के बाद ही किया जा सकेगा।
- नीतियों और नियमों के अलावा, विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दों के प्रति कानूनी और कानून प्रवर्तन प्रणालियों को संवेदनशील बनाने के लिये एक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता भी है।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिये खाद्य सुरक्षा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' [National Food Security Act (NFSA), 2013] के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया गया है।

प्रमुख बिंदु:

- यह निर्देश 'केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के अंतर्गत संचालित 'खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग' द्वारा जारी किया गया है।
- इसके तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि NFSA के तहत सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को इस अधिनियम तथा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' [Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)] के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त हो।
- ऐसे सभी पात्र व्यक्ति जिन्हें अभी तक यह लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है उन्हें पात्रता मानदंड के अनुरूप नए राशन कार्ड जारी करते हुए इसके तहत शामिल किया जाना चाहिये।

नोट :

- इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत शामिल किया जाना चाहिये।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-10 में किसी व्यक्ति को 'अंत्योदय अन्न योजना' (Antyodaya Anna Yojana-AAY) के तहत शामिल (योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार) करने और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के मानदंडों में दिव्यांगता को भी शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-38 के तहत केंद्र सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।

लाभ:

- भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऐसे लोगों के लिये है जो NFSA या किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं।
- ऐसे में बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।
- यह योजना 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी ऐसे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्रशासित राज्यों से अनुरोध किया है कि बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान की जाए तथा उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए।

'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' [National Food Security Act (NFSA), 2013]:

- 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' को 10 सितंबर, 2013 को अधिसूचित किया गया था।
- इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसके तहत 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (Targeted Public Distribution System- TPDS) के अंतर्गत सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 75%ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है।

लाभ के प्रावधान:

- इसके तहत पात्र व्यक्तियों को चावल, गेहूं और मोटे अनाज क्रमश: 3, 2 और 1 रूपए प्रति किलोग्राम के मूल्य उपलब्ध कराए जाते हैं।
  - इस मूल्य पर प्रत्येक लाभार्थी प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
- इसके तहत वर्तमान अंत्योदय अन्न योजना में शामिल परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- वर्तमान में चंडीगढ़, पुडुचेरी में और दादरा व नगर हवेली में इस अधिनियम के क्रियान्वयन में नकद अंतरण विधि का प्रयोग किया जा रहा है।
- इसके तहत खाद्य सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है और उन्हें खुले बाज़ार से खाद्यान्न खरीदने का विकल्प दिया जाता है।

'अंत्योदय अन्न योजना' (Antyodaya Anna Yojana- AAY):

- 'अंत्योदय अन्न योजना' की शुरुआत दिसंबर 2000 में की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य 'गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी तक खाद्यान्न की कमी को पूरा करना था।
- शुरुआत में इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति माह 25 किग्रा. खाद्यान्न दिये जाने का प्रावधान था जिसे अप्रैल 2002 में बढ़ाकर 35 किग्रा. कर दिया गया।

नोट :

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

COVID-19 महामारी का प्रसार इस बात की याद दिलाता है कि हम बीमारियों के प्रकोप को नियंत्रित करने तथा समझने में कितने पीछे हैं। यह इस ओर संकेत करता है कि 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' की अवधारणा वर्तमान समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिक समुदाय COVID-19 के कारक SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाने में समर्थ है परंतु वैज्ञानिक समुदाय कई बार अनेक बीमारियों के कारण का पता लगाने में विफल रहे हैं।
- भारत में रोगों के प्रकोप के अध्ययन की ज़िम्मेदारी 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र' (National Centre for Disease Control- NCDC) के पास है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र:

- यह देश में रोगों की निगरानी के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रयोगशाला विज्ञान एंटोमोलॉजिकल (Entomological) सेवाओं हेतु विशेष कार्यबल के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान भी है और विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों में शामिल है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP):

पृष्ठभूमि:

- रोगों के प्रकोप का शीघ्रता से पता लगाने और अनुक्रिया देने के लिये नवंबर, 2004 में 'विश्व बैंक' की सहायता से 'एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम' (Integrated Disease Surveillance Programme- IDSP) शुरू किया गया था।
- एक 'केंद्रीय निगरानी इकाई' (Central Surveillance Unit- CSU) की स्थापना 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र', दिल्ली में की गई है।
- सभी राज्यों तथा ज़िलों (SSU/DSU) में निगरानी इकाइयों की स्थापना की गई है।

IDSP का उद्देश्य:

- रोगों की प्रवृत्ति पर निगरानी रखने के लिये विकेंद्रीकृत निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना।
- प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम (Rapid Response Team- RRTs) के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना।
- डेटा के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिये सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मज़बूत बनाना।

IDSP कार्यक्रम से जुड़ी चुनौतियाँ:

रोगों का उचित वर्गीकरण नहीं:

- IDSP के तहत बीमारियों को वर्गीकृत करने के लिये छह सिंड्रोमों; जिसमें बुखार, तीन सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, तीव्र शारीरिक पक्षाघात (Acute flaccid Paralysis), डायरिया, पीलिया, असामान्य घटनाओं के कारण मृत्यु या अस्पताल में भर्ती होना शामिल हैं, की पहचान की गई है।
- स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा रोगी के सामान्य लक्षणों को देखकर सामान्य बुखार के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, तथा वास्तविक बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

नोट :

डेटा के लिये राज्यों पर निर्भरता:

- IDSP के पास रोगों के प्रकोप के संबंध में पर्याप्त जानकारी का अभाव रहता है। IDSP रोगों की निगरानी के लिये मीडिया रिपोर्ट तथा राज्य मशीनरी पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक डोमेन में सूचना का अभाव:

- यह देखा गया है कि अनेक बीमारियों के प्रकोप में जब मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टायफस आदि की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, इनमें से अनेक मामलों की रिपोर्ट आगे जांच के लिये भेजी गई। परंतु इसके परिणाम सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।
- IDSP वेबसाइट पर मासिक 'रोग चेतावनी' जारी की जाती है। नवीनतम मासिक रिपोर्ट, सितंबर 2019 में उपलब्ध कराई गई थी।

आगे की राह:

- भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में संसाधनों की कमी, कार्य का अधिक बोझ, कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन जैसी कई समस्याएँ विद्यमान हैं। यदि हम भारत को एक स्वस्थ राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो उपर्युक्त समस्याओं को दूर किया जाना आवश्यक है।
- COVID- 19 की भयावह स्थिति ने मानव तथा पशुओं (घरेलू एवं जंगली) के स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को उजागर किया है, ऐसे में एकीकृत स्वास्थ्य फ्रेमवर्क- जिसे 'वन हेल्थ मॉडल' (Onehealth Model) के रूप में भी जाना जाता है, को देश में लागू करने का यह उचित समय है।

भारत में रहस्यमयी बीमारियों के कुछ मामले:

असम का तेज़पुर ज़िला:

- अगस्त 2019 में, असम के तेज़पुर में 164 लोगों के संबंध में एक रहस्यमय बुखार की सूचना प्राप्त हुई। रोगियों में सभी उम्र के लोग शामिल थे और महिला और पुरुष दोनों प्रभावित थे।
- इन रोगियों पर मलेरिया के लिये परीक्षण किया गया था, लेकिन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।
- इन रोगियों के वास्तविक रोग का पता नहीं चल सका है लेकिन लक्षणों के आधार पर रोगियों का इलाज किया गया।

राजस्थान का सवाई माधोपुर ज़िला:

- राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले के चान गाँव में सितंबर 2019 में बुखार के 1,000 से अधिक मामलों के कारण के बारे में कोई उचित जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- कुल 28 रक्त नमूने एकत्र किये गए जिनमें से आधे मामले डेंगू, चिकनगुनिया या स्क्रब टाइफस से पॉज़िटिव पाए गए।
- तीन बच्चे कोरियनेबैक्टीरियम (Corynebacterium) पॉज़िटिव पाए गए।
  - कोरियनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया और मलेरिया का कारण होता है।

ओडिशा का मल्कानगिरि ज़िला:

- ओडिशा के मल्कानगिरि ज़िले के एक गाँव में 15 लोगों की रहस्यमयी बुखार से मृत्यु हो गई।
- इसी प्रकार बरेली (उत्तरप्रदेश), सूरत (गुजरात) में भी रहस्यमयी बुखार के मामले देखने को मिले हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल और दिल्ली के दंगे

चर्चा में क्यों ?

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) ने अपनी एक रिपोर्ट में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों के दौरान पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के सभी आरोपों की स्वतंत्र जाँच करने की मांग की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 50 से अधिक वकीलों, दंगे से सुरक्षित बचे लोगों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का साक्षात्कार करने के पश्चात् एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंसा के दौरान कई घटनाओं में पुलिसकर्मियों का आचरण चिंता का विषय है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, दंगों में सुरक्षित बचे कई लोगों ने दावा किया है कि 23 से 29 फरवरी के बीच दंगों के दौरान कई अवसरों पर पुलिस ने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया।
- वहीं दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली दंगों के सभी मामलों की जाँच पूरी तरह कानूनी और पेशेवर तरीके से की गई है।
- गौरतलब है कि इसी वर्ष 23 फरवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच दंगे भड़क उठे और जल्द ही इन दंगों ने सांप्रदायिक रंग ले लिया।
- दिल्ली में हुए इन सांप्रदायिक दंगों ने एक बार पुन: देश में विभिन्न धर्मों के बीच गहराती जा रही खाई को उजागर किया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के केंद्रबिंदु में हुए इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोई भी व्यक्ति कानून से अधिक नहीं है और खासकर वे लोग जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिये उत्तरदायी हैं।
- ध्यातव्य है कि इतिहास में ऐसे बहुत कम अवसर दिखाई देते है जब सांप्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस अधिकारियों को उनकी भूमिका के लिये उत्तरदायी ठहराया गया हो।
  - वर्ष 1987 के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में 31 वर्ष बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने 16 अधिकारियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में

- एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पीटर बेन्सन नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी।
- पीटर बेन्सन ने एक जनांदोलन के रूप में इसकी स्थापना मुख्य तौर पर दुनिया भर में उन कैदियों को रिहा कराने के उद्देश्य से की थी, जिन्हें अपनी राजनीतिक, धार्मिक, या अन्य धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये कैद किया गया हो, भले ही उन्होंने न कभी हिंसा का इस्तेमाल किया और न ही इसकी वकालत की।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी दस्तावेज़ों में निर्धारित अधिकारों का उपयोग कर सके।
  - मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को पेरिस में अपनाया गया था और इसी दस्तावेज़ के माध्यम से पहली बार मानवधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था।
- यह संगठन मुख्य तौर पर मानवाधिकार के विषय पर अनुसंधान करता है, मानव अधिकारों के गंभीर दुरुपयोग को रोकने के लिये कार्रवाई करता है और उन लोगों के लिये न्याय की मांग करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
- इसे वर्ष 1977 में 'अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने' के लिये नोबेल शांति पुरस्कार से और वर्ष 1978 में मानव अधिकारों के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल (AI) द्वारा शुरू किये गए मानवाधिकार आंदोलन का हिस्सा है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कर्नाटक के बंगलूरू में स्थिति है।

नोट :

अल्पसंख्यकों का निर्धारण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम' (National Commission for Minority Education Institution Act- NCMEIA), 2004 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

प्रमुख बिंदु:

- याचिका में तर्क दिया गया है कि 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अधिनियम' (NCMEIA) केवल राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करता है, राज्य स्तर पर नहीं, इसलिये यह अधिनियम अल्पसंख्यकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions- NCMEI):

- संरचना:
  - NCMEI की स्थापना 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम'- 2004 के माध्यम से की गई थी।
  - आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, जिसे 'नागरिक न्यायालय' (Civil Court) की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
  - आयोग में एक अध्यक्ष (उच्च न्यायालय का न्यायाधीश) और तीन सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- उद्देश्य:
  - भारतीय संविधान के अनुच्छेद-30 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है।
    - अनुच्छेद- 30 के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
  - आयोग इस संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के कमी या उल्लंघन के बारे में शिकायतों का निपटान करता है।
- भूमिका:
  - आयोग को तीन प्रकार; सहायक कार्य, सलाहकार कार्य तथा सिफारिश करने, की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

NCMEIA के तहत अल्पसंख्यक:

- अधिनियम की धारा 2 (f) के अनुसार, अल्पसंख्यक वह है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिये अल्पसंख्यक से रूप में अधिसूचित किया है।
- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- यह अधिनियम अल्पसंख्यकों के निर्धारण में राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं देता है।

राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक निर्धारण की आवश्यकता:

टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन मामला:

- केवल राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करना, 'टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य' (2002) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय की भावना के खिलाफ है।
- यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु दो आधार अर्थात राष्ट्रीय व प्रांतीय बताए गए थे।

राज्य स्तर बहुलवादी भी अल्पसंख्यक:

- हिंदू , यहूदी धर्म का पालन करने वाले लोग अनेक राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों यथा- लद्दाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर जैसे क्षेत्रों मं अल्पसंख्यक के रूप में हैं।
- वे इन राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं।

नोट :

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।
- अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद-29 के तहत प्रदान किये गए अधिकार अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है।
- अनुच्छेद-30 के अनुसार, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त होगा।
  - अनुच्छेद-30 के तहत प्रदान किये गए अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिये हैं, बहुसंख्यकों के लिये नहीं।
- अनुच्छेद- 350 (A) (प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा) और 350(B) (अल्पसंख्यकों के लिये विशेष अधिकारी) केवल भाषायी अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं।

आगे की राह:

- संविधान में 'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। अत: इस संबंध में 'अल्पसंख्यक' की स्पष्ट परिभाषा को संविधान या किसी संसदीय कानून में शामिल किया जाना चाहिये।
- ऐसे राज्य जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक के रूप में हो, वहाँ अन्य 'अल्पसंख्यक पहचान' को मान्यता प्रदान की जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

- एक लोकतांत्रिक, बहुलवादी राजनीति में अल्पसंख्यक अधिकार आवश्यक हैं। अत: राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु प्रादेशिक स्तर पर भी अल्पसंख्यकों को परिभाषित तथा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिये।

दिव्यांगजन और न्याय प्रणाली तक आसान पहुँच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सामाजिक न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु अपनी तरह के पहले दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिससे ऐसे व्यक्तियों के लिये न्याय प्रणाली का उपयोग करना काफी आसान हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 10 सिद्धांतों के समूह की एक रूपरेखा तथा उसके कार्यान्वयन के लिये आवश्यक विभिन्न कदमों का उल्लेख किया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लेखित 10 सिद्धांत हैं-
  - सिद्धांत 1: दिव्यांग व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता है और इसलिये दिव्यांगता के आधार पर किसी को भी न्याय तक पहुँचने से वंचित नहीं किया जा सकता है।
  - सिद्धांत 2: दिव्यांग व्यक्तियों के लिये भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये सुविधाओं एवं सेवाओं का सार्वभौमिक रूप से सुलभ होना अनिवार्य है।
  - सिद्धांत 3: दिव्यांग बच्चों समेत सभी दिव्यांग व्यक्तियों को उचित 'प्रसीजरल एकोमोडेशन' (Procedural Accommodation) का अधिकार है।
    - 'प्रसीजरल एकोमोडेशन' का अभिप्राय ऐसे उपायों से होता है, जो किसी दिव्यांग व्यक्ति अथवा संवेदनशील व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया में मदद करते हैं, जैसे- दिव्यांग व्यक्ति के साथ किसी अन्य सहायक व्यक्ति को सुनवाई में हिस्से लेने की अनुमति देना, दिव्यांग व्यक्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लेने की छूट देना और उनके लिये अधिक अनौपचारिक वातावरण का निर्माण करना।

नोट :

- सिद्धांत 4: दिव्यांग व्यक्तियों को भी अन्य व्यक्तियों की तरह कानूनी नोटिस और सूचना को समय पर सुलभ तरीके से प्राप्त करने का अधिकार है।
- सिद्धांत 5: अन्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांग व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में मान्यता प्राप्त सभी मौलिक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं।
- सिद्धांत 6: दिव्यांगजनों को मुफ्त और मितव्ययी कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
- सिद्धांत 7: अन्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांग व्यक्तियों को न्याय प्रणाली के प्रशासन में समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है।
- सिद्धांत 8: दिव्यांग व्यक्तियों के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी अपराधों के मामलों की शिकायत करने तथा इस संबंध में कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है।
- सिद्धांत 9: दिव्यांग व्यक्तियों के लिये न्याय तक पहुँच का समर्थन करने में प्रभावी एवं मज़बूत निगरानी तंत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सिद्धांत 10: न्याय प्रणाली में कार्यरत सभी लोगों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों खासतौर पर न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा में दिव्यांग व्यक्ति

- 21वीं सदी में मानवाधिकारों के प्रमुख साधन के रूप में पहचाने जाने वाले 'विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities) में दिव्यांग व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनके पास दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दोष हैं जो कि अन्य व्यक्तियों के साथ समान आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं।
- सामान्य अर्थों में दिव्यांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके चलते कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है।

दिव्यांग व्यक्ति- संबंधित समस्याएँ

- विशेषज्ञों का मानना है कि देश में दिव्यांगता की ऐसी कई श्रेणी जैसे चोटों, दुर्घटनाओं और कुपोषण आदि हैं, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, किंतु देश का स्वास्थ्य क्षेत्र खासतौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्र इस प्रकार की दिव्यांगता को भी रोकने में असफल रहा है।
- इसके अलावा देश में कई संवेदनशील वर्गों के लिये उचित स्वास्थ्य देखभाल, सहायता और उपकरणों तक मितव्ययी पहुँच का भी अभाव है।
- भारत की शिक्षा प्रणाली में समावेशन का अभाव है, नियमित विद्यालयों में आज भी सामान्य बच्चों की अपेक्षा एक दिव्यांग बच्चे के लिये प्रवेश लेना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये विशिष्ट विद्यालयों, प्रशिक्षित शिक्षकों और विशिष्ट शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता का अभाव भी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है।
- कई उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था को उचित रूप से लागू नहीं किया गया है।
- यद्यपि अधिकांश दिव्यांग वयस्क उत्पादक कार्य करने में सक्षम हैं, किंतु इसके बावजूद भी दिव्यांग वयस्कों में रोज़गार की दर काफी कम है। विदित हो कि निजी क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों के रोज़गार की स्थिति और भी खराब है।
- देश में अधिकांश इमारतें और परिवहन सेवाएँ दिव्यांग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु अनुकूल नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- परिवार और समाज का नकारात्मक व्यवहार प्राय: दिव्यांग व्यक्तियों को परिवार, समुदाय या कार्यबल में सक्रिय भूमिका अदा करने से रोकता है।
- दिव्यांगजनों के अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर मानसिक रूप से अक्षम लोग जीवन के प्रत्येक स्तर पर सामाजिक बहिष्कार का सामना करते हैं।

नोट :

भारत में दिव्यांग

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा एकत्रित किये गए आँकड़ों के अनुसार, भारत में सभी आयु वर्गों में 2.4 प्रतिशत पुरुष और 2 प्रतिशत महिलाएँ दिव्यांगता से प्रभावित हैं। इसमें मानसिक तथा बौद्धिक दिव्यांगता और बोलने, सुनने तथा देखने संबंधी अक्षमता शामिल है।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश की कुल 121 करोड़ की जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति 'अक्षम' अथवा दिव्यांग हैं जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं।
  - जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दिव्यांग व्यक्तियों में से 1.5 करोड़ दिव्यांग पुरुष हैं और 1.18 करोड़ दिव्यांग महिलाएँ हैं।
  - देश की अधिकांश दिव्यांग आबादी (69 प्रतिशत) ग्रामीण भारत में निवास करती है।

दिव्यांग व्यक्तियों संबंधी कानून- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने वर्ष 1995 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का स्थान लिया था।
- इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और दिव्यांगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह दिव्यांगता के प्रकारों को और अधिक बढ़ा सकती है।
- अधिनियम के तहत बेंचमार्क विकलांगता (Benchmark-Disability) से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिये नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।
  - बेंचमार्क विकलांगता से अभिप्राय उन लोगों से है जो कम-से-कम 40 प्रतिशत विकलांगता से प्रभावित हैं।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये एक अलग राष्ट्रीय तथा राज्य कोष बनाया जाएगा।

ब्लैक लाइव्स मैटर

चर्चा में क्यों

BIPOC (Black, Indigenous and People of Color) शब्द 'ब्लैक लाइव्स मैटर' (Black Lives Matter) आंदोलन के दौरान इंटरनेट पर लोकप्रिय हो गया।

प्रमुख बिंदु

- BIPOC आंदोलन त्वचा के रंग और नस्लीय विविधता को स्वीकार करने का आग्रह करता है और राजनीति से लेकर त्वचा की देखभाल तक जीवन के सभी क्षेत्रों में समावेशिता तथा प्रतिनिधित्व की वकालत करता है।
- यह उस अदृश्य भेदभाव के खिलाफ है जो विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है।
  - उदाहरण के लिये- कॉस्मेटिक उद्योगों में अधिकांश उत्पाद केवल गोरी त्वचा के लिये किया जाता है न कि काले रंग और स्वदेशी लोगों के लिये।
  - सौंदर्य मानकों के मानकीकरण का उन लोगों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो पारंपरिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- इसे नीग्रो, अफ्रीकी-अमेरिकी और अल्पसंख्यक जैसे अपमानजनक और आक्रामक शब्दों के उन्मूलीकरण के विकल्प के रूप में देखा जाता है।
  - पीपुल ऑफ कलर (People of Colour- POC) शब्द 1960 के दशक के दौरान काले, भूरे या रंगीन लोगों जैसे शब्दों को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रयोग में आया।

नोट :

- BIPOC के अंतर्गत लोगों के सामने आने वाले नागरिक अधिकारों की चुनौतियाँ, प्रणालीगत उत्पीड़न और नस्लवाद समान हैं और इस प्रकार, इस शब्द का उपयोग काले और स्वदेशी लोगों के बीच सामूहिक अनुभव को सुदृढ़ करने और उन्हें एकजुट करने के लिये किया जाता है।
- आलोचना: हालाँकि कुछ लोग इस शब्द के उपयोग की आलोचना करते हैं क्योंकि यह लोगों के विभिन्न समूहों की अलग-अलग समस्याओं को एक समूह में रखता है और इस प्रकार प्रत्येक के लिये विशेष समाधान की संभावना को समाप्त कर देता है।
  - यह भी कहा जा रहा है कि BIPOC में सभी समूह अन्याय के समान स्तर का सामना नहीं करते हैं।
  - इसके अलावा, इसे लोगों के विभिन्न समूहों के समरूपीकरण के लिये एक औपनिवेशिक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

मारथोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केरल सरकार ने केरल के एर्नाकुलम ज़िले के मुलंथुरूथी (Mulanthuruthy) में मारथोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च (Marthoman Jacobite Syrian Cathedral Church) को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जो एक प्रमुख गैर-कैथोलिक ईसाई समुदाय मलंकरा चर्च (Malankara Church) के जैकोबाइट एवं रूढ़िवादी गुटों के बीच विवाद के केंद्र में रहा है।

प्रमुख बिंदु:

- मलंकरा चर्च (Malankara Church) पहली बार वर्ष 1912 में जैकबाइट एवं रूढ़िवादी समूहों में विभाजित हुआ था। हालाँकि दोनों समूह वर्ष 1959 में पुन: जुड़ गए किंतु यह सिलसिला वर्ष 1972-73 तक ही चला।
  - तब से दोनों गुटों के मध्य चर्चों एवं उनके धन के स्वामित्त्व को लेकर आपस में विवाद है।

चर्च के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी:

- मूलंथुरूथी के चर्च को जैकोबाइट गुट द्वारा प्रबंधित किया जाता था किंतु वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, इसका स्वामित्व प्रतिद्वंद्वी रूढ़िवादी गुट के पास चला गया।
- उच्चतम न्यायालय ने चर्च के अंतर्गत आने वाले इलाकों पर शासन व नियंत्रण करने के लिये मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियाई चर्च (Malankara Orthodox Syrian Church) के वर्ष 1934 के संविधान की वैधता को बरकरार रखा था।
- हालाँकि रूढ़िवादी गुट अभी भी चर्च तक पहुँच से वंचित था इसलिये उन्होंने केरल उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने केरल सरकार से चर्च को संभालने और रूढ़िवादी गुट को सौंपने का निर्देश दिया।

केरल के चर्च समूह:

- केरल की ईसाई आबादी में कैथोलिक (Catholic), जैकोबाइट सीरियन (Jacobite Syrian), ऑर्थोडॉक्स सीरियन (Orthodox Syrian), मार थोमा (Mar Thoma), दक्षिण भारत के चर्च, दलित ईसाई और पेंटेकोस्टल चर्च (Pentecostal Churches) शामिल हैं।
  - कैथोलिक केरल की कुल ईसाई आबादी का 61% हैं।
  - मलंकरा चर्च के अंतर्गत कुल ईसाई आबादी के 15.9% लोग आते हैं।

मूलंथुरूथी चर्च/मारथोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च:

- मुलंथुरूथी में मारथोमैन जैकोबाइट सीरियन कैथेड्रल चर्च की स्थापना 1200 ईस्वी में हुई थी।
- यह चर्च गोथिक वास्तुकला (Gothic Architecture) का एक अच्छा उदाहरण है।
- इस चर्च में भारतीय, पश्चिम-एशियाई एवं यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण के रूप में नक्काशी, मूर्तियाँ, प्रतीकात्मक चिन्ह एवं दीवार पेंटिंग आदि प्रमुख विशेषताएँ हैं।

नोट :

गोथिक वास्तुकला (Gothic Architecture):

- यह 12वीं-16वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई वास्तुकला की एक यूरोपीय शैली है।
- यह वास्तुकला मूल रूप से फ्राँस एवं इंग्लैंड से संबंधित है।
- यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तुकला की एक शैली है, जो संभवत: जर्मन गोथ जाति के प्रभाव से आविर्भूत हुई थी।
- इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
  - इंगित मेहराब (Pointed Arches)
  - रिब वॉल्ट (Rib Vault)
  - फ्लाइंग बट्रेस (Flying Buttresses)
  - कॉलम एंड पियर्स (Columns and Piers)
  - टावर्स और स्पियर्स (Towers and Spires)
- अंग्रेजों ने भारतीय वास्तुकला की कुछ विशेषताओं का गोथिक वास्तुकला में विलय कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वास्तुकला की इंडो-गोथिक शैली (Indo-Gothic Style) का विकास हुआ।
- वास्तुकला की इंडो-गोथिक शैली के कुछ उदाहरण: मद्रास उच्च न्यायालय, विक्टोरिया मेमोरियल, द छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) आदि।

लिंगराज मंदिर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा 11 वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर (Lingaraj Temple) को उसकी 350 वर्ष पूर्व वाली संरचनात्मक स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- लिंगराज मंदिर, शिव को समर्पित एक मंदिर है जो ओडिशा के भुवनेश्वर ज़िले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है।
- यह मंदिर कलिंग वास्तुकला की सर्वोत्कृष्टता का दर्शाता है एवं भुवनेश्वर में स्थापत्य परंपरा के मध्यकालीन चरणों की पराकाष्ठा का प्रतिनिधित्व करता है।
- भुवनेश्वर को एकाम्र क्षेत्र (Ekamra Kshetra) कहा जाता है क्योंकि 13 वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ के अनुसार लिंगराज का देवता मूल रूप से एक आम के वृक्ष (एकाम्र) से संबंधित था।
- माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजवंश (Somavamsi Dynasty) के राजाओं द्वारा किया गया था, जिसमे आगे चलकर गंग शासकों (Ganga rulers) द्वारा और निर्माण कार्य कराया गया।
- इस मंदिर में विष्णु की मूर्तियाँ स्थापित हैं जो संभवत: गंग शासकों के समय जगन्नाथ संप्रदाय के विकास क्रम को इंगित करती हैं, जिन्होंने 12 वीं शताब्दी में पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था।

लिंगराज मंदिर की वास्तुकला:

- इस मंदिर का निर्माण देउल शैली (Deula Style) में किया गया है, जिसमें चार घटक शामिल हैं-
  - विमान- गर्भगृह युक्त संरचना, (Vimana- Structure Containing the Sanctum)
  - जगमोहन- असेंबली हॉल, (Jagamohana (Assembly Hall)
  - नटामंडीरा-फेस्टिवल हॉल (Natamandira- Estival Hall)
  - भोग-मंडप-प्रसाद का हॉल (Bhoga-Mandapa- Hall of Offerings)

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का विस्तार

चर्चा में क्यों

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती और तटीय ज़िलों में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स (National Cadet Corps- NCC) के विस्तार के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में NCC के विस्तार की घोषणा की थी।
- NCC का पुनर्गठन वर्ष 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञों की समिति (Committee of Experts- CoE) की प्रमुख सिफारिशों में से एक था।

शेकतकर समिति

- लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकतकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा व्यय के पुनर्संतुलन और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के उपायों हेतु सिफारिश करने के लिये एक समिति का गठन किया था जिसने
- दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:
  - शांति क्षेत्रों में सैन्य फर्म्स और सेना के पोस्टल प्रतिष्ठानों को बंद करना।
  - सेना में लिपिक कर्मचारियों और ड्राइवरों की भर्ती के लिये मानकों में वृद्धि।
  - राष्ट्रीय कैडेट कोर की दक्षता में सुधार।
  - प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनिर्दिष्ट पूंजीगत बजट के आत्मसमर्पण करने की वर्तमान प्रथा के विरुद्ध आधुनिकीकरण के लिये पर्याप्त पूंजीगत व्यय उपलब्ध कराने हेतु एक रक्षा बजट नियमावली की सिफारिश की गई है।

अन्य तथ्य:

- विस्तार: 173 सीमावर्ती और तटीय ज़िलों के कुल एक लाख कैडेटों को NCC में शामिल किया जाएगा इनमें से एक-तिहाई संख्या लड़कियों की होंगी।
  - विस्तार योजना का कार्यान्वयन राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
- प्रशिक्षण और प्रशासन: सेना सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित NCC यूनिट्स, नौसेना तटीय क्षेत्रों में स्थित NCC यूनिट्स और भारतीय वायु सेना, वायु सेना स्टेशनों के करीब स्थित NCC यूनिट्स को प्रशिक्षण और प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
- लाभ: यह युवाओं को सशस्त्र बलों में अपना करियर बनाने हेतु आपदा प्रबंधन और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा।
  - इससे नौसेना, तटरक्षक बलों (Coast Guard) और मर्चेंट शिपिंग एवेन्यू में करियर के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ेगी।
  - सीमा क्षेत्र में प्रशिक्षित कैडेट विभिन्न रूपों में सशस्त्र बलों के लिये सहायक की भूमिका निभा सकते हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स

- NCC का गठन वर्ष 1948 (एच. एन. कुंजरु समिति-1946 की सिफारिश पर) में किया गया था, और इसकी जड़ें ब्रिटिश युग में गठित युवा संस्थाओं, जैसे-यूनिवर्सिटी कॉर्प्स या यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प्स (University Corps or University Officer Training Corps) की हैं।

नोट :

- NCC रक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है और इसका नेतृत्त्व थ्री स्टार सैन्य रैंक के महानिदेशक करते हैं।
- यह हाई स्कूल और कॉलेज स्तर पर कैडेटों का नामांकन करता है तथा विभिन्न चरणों के पूरा होने पर प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है।
  - NCC कैडेट विभिन्न स्तरों पर बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इसमें सशस्त्र बलों तथा उनके कामकाज से संबंधित शैक्षणिक पाठ्यक्रम की बुनियादी बातें भी शामिल हैं।
  - विभिन्न प्रशिक्षण शिविर, साहसिक गतिविधियाँ और सैन्य प्रशिक्षण शिविर NCC प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
- महत्त्व: NCC कैडेटों ने वर्षों से विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के दौरान राहत प्रयासों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
  - चल रही COVID-19 महामारी के दौरान 60,000 से अधिक NCC कैडेटों को देश भर में ज़िला और राज्य प्राधिकरण के साथ समन्वय में स्वैच्छिक राहत कार्य के लिये तैनात किया गया है।

बैंक धोखाधड़ी में ई-सिम का दुरुपयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा 300 से अधिक बैंक खातों से जुड़े एक बहुराज्यीय बैंक धोखाधड़ी के मामले में 'ई-सिम' (e-SIM) के प्रयोग की बात कही गई है। इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर इंटरनेट और साइबर सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न उठने लगे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 300 से अधिक राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक खातों में धोखाधड़ी के ये मामले देश के पाँच राज्यों (पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड) से संबंधित हैं।
- इन मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए पाँच आरोपियों में से 4 झारखंड के 'जमतारा' (Jamtara) ज़िले से हैं।
- बैंक धोखाधड़ी से जुड़े इन मामलों में आरोपियों द्वारा पीड़ितों के बैंक खातों से पैसे निकालने के लिये 'ई-सिम' का प्रयोग किया गया था।

बैंक धोखाधड़ी में ई-सिम का प्रयोग:

धोखाधड़ी के इन मामलों में अपराधी बड़ी संख्या में मोबाइल नंबरों को प्राप्त कर उनके माध्यम से बैंक खातों में लॉग-इन (Log-in) का प्रयास करते हैं।

- यदि किसी नंबर पर बैंक द्वारा ओटीपी (OTP) भेजने का संकेत प्राप्त होता है, तो वे उस नंबर पर ग्राहक सेवा अधिकारी होने का दिखावा करते हुए फोन करते हैं और संबंधित व्यक्ति से सिमकार्ड अपग्रेड करने या उसकी पहचान से जुड़ी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं।
- इसके बाद अपराधी पीड़ित को एक इ-मेल भेजते हैं, जिसे आधिकारिक ग्राहक सेवा नंबर पर भेजना होता है।
- वास्तविकता में यह पीड़ित व्यक्ति के फोन नंबर से अपनी ईमेल आईडी (Email-id) जोड़ने का एक तरीका होता है, जिसके माध्यम से अपराधी पीड़ित के सिम को 'ई-सिम' में बदलने के लिये आधिकारिक आवेदन कर सकते हैं।
- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीड़ित के नंबर से जुड़ी सभी सेवाओं (बैंक खाते सहित) तक अपराधियों की पहुँच हो जाती है।

'ई-सिम' (e-SIM):

- 'ई-सिम' का पूरा नाम 'एंबेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल' (Embedded Subscriber Identity Module) है, इसे एंबेडेड सिम (Embedded SIM) के नाम से भी जाना जाता है।
- पारंपरिक सिम कार्ड की तरह मोबाइल फोन से अलग होने की बजाय, इसे निर्माता द्वारा फोन में ही स्थापित कर दिया जाता है।
- ई-सिम, पारंपरिक सिम के विपरीत फोन में अनावश्यक स्थान नहीं घेरता है, साथ ही इसका प्रयोग स्मार्टवाच (Smartwatch) जैसे छोटे उपकरणों में भी किया जा सकता है।

भारत में इंटरनेट से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामले:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय बैंकों द्वारा कुल 195 करोड़ रुपए से संबंधित इंटरनेट और क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से जुड़े 2,678 मामले दर्ज किये गए थे।

नोट :

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में इंटरनेट से जुड़े बैंक धोखाधड़ी के मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक वृद्धि (मूल्य के आधार पर) देखी गई है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल से जून के बीच इंटरनेट और क्रेडिट या डेबिट कार्ड धोखाधड़ी से संबंधित 530 मामले दर्ज किये गए, इन मामलों में कुल 27 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी देखी गई है।

बैंक धोखाधड़ी को रोकने के प्रयास:

- बैंक धोखाधड़ी की निगरानी और पहचान में सुधार हेतु RBI द्वारा विभिन्न डेटाबेस और सूचना प्रणालियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
- RBI द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण' या 'ई-बात' (Electronic Banking Awareness And Training or e-BAAT) कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
- साथ ही RBI के द्वारा डिजिटल भुगतान प्रणाली के सुरक्षित उपयोग, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी जैसे- पिन, ओटीपी, पासवर्ड, आदि को साझा करने से बचने हेतु जागरुकता अभियानों का आयोजन किया जाता है।
- RBI द्वारा सभी बैंकों और प्राधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग के बारे में अपने उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने हेतु एसएमएस, प्रिंट और विज़ुअल मीडिया आदि के माध्यम से लक्षित बहुभाषी अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
- हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा इस प्रकार की बैंक धोखाधड़ी से बचने के लिये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए थे।

आगे की राह:

- पुलिस के अनुसार, बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की ओर से प्रक्रियात्मक कमी और तत्परता का अभाव ऐसे मामलों में वृद्धि का एक बड़ा कारण है।
- ऐसे मामलों से बचने का सबसे प्रभावी ग्राहक जागरूकता को ही माना जाता है, अत: लोगों को किसी संदेहप्रद लिंक पर क्लिक करने तथा किसी के साथ अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचना चाहिये।
- बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ इससे जुड़ी सुरक्षा को मज़बूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
- बैंकों द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नवीन तकनीकों और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में जन-जागरूकता को बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रयास जाना चाहिये।

नोट :

चर्चा में

फिट इंडिया यूथ क्लब Fit India Youth Club

केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिये 'फिट इंडिया यूथ क्लब' (Fit India Youth Club) नामक देशव्यापी पहल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु:

- 'फिट इंडिया यूथ क्लब' जो प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित 'फिट इंडिया मूवमेंट' का एक हिस्सा है, फिटनेस के महत्त्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिये युवाओं की शक्ति का दोहन करने का प्रयास करता है।
- इस पहल के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan) और राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme) के 75 लाख स्वयंसेवक, स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps) और अन्य युवा संगठनों के साथ मिलकर देश के प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक ब्लॉक में 'फिट इंडिया यूथ क्लब' के रूप में पंजीकरण के लिये जाएंगे।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme):

- यह भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम है जो भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- यह योजना वर्ष 1969 में गांधीजी के जन्म शताब्दी वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्त्व का विकास करना है।

नेहरू युवा केंद्र संगठन (Nehru Yuva Kendra Sangathan- NYKS):

- नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) की स्थापना वर्ष 1987-88 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के तहत की गई थी।
- यह दुनिया में एक अलग तरह का सबसे बड़ा ज़मीनी स्तर का युवा संगठन है।

- इस फिट इंडिया यूथ क्लब का प्रत्येक सदस्य अपनी दैनिक दिनचर्या में समुदाय के लोगों को 30 से 60 मिनट की फिटनेस गतिविधियों के लिये प्रेरित करेगा।
  - इसके अतिरिक्त ये क्लब प्रत्येक तिमाही में एक सामुदायिक फिटनेस कार्यक्रम आयोजित करने के लिये स्कूलों एवं स्थानीय निकायों को संगठित और प्रोत्साहित करेंगे।
- 15 अगस्त, 2020 को शुरू की गई यह पहल 2 अक्तूबर, 2020 तक चलेगी।

फ्लाई ऐश Fly Ash

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation- NTPC) ने फ्लाई ऐश (Fly Ash) के बढ़ते उपयोग के लिये उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना (Rihand Project) में बुनियादी ढाँचे का विकास किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस बुनियादी ढाँचे से कम लागत पर सीमेंट प्लांटों में थोक फ्लाई ऐश पहुँचाने में मदद मिलेगी।
- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कहा कि इस बुनियादी ढाँचे का विकास NTPC द्वारा बिजली संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- यह प्रयास एक दूरस्थ स्थान से उपभोग केंद्र तक फ्लाई ऐश के परिवहन के लिये एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है जिसमें फ्लाई ऐश के उपयोग को उन्नत करने के लिये बिजली संयंत्रों को सक्षम किया जाता है।

नोट :

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिये 44 मिलियन टन से अधिक फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया।

फ्लाई ऐश (Fly Ash):

- फ्लाई ऐश (Fly Ash) कई पदार्थों जैसे- कोयला आदि को जलाने से निर्मित महीन कणों से बनी होती है।
- ये महीन कण वातावरण में उत्सर्जित होने वाली गैसों के साथ ऊपर उठने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके इतर जो राख/ऐश ऊपर नहीं उठती है, वह 'पेंदी की राख' कहलाती है।
- कोयला संचालित विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई ऐश को प्राय: चिमनियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है।
- फ्लाई ऐश में सिलिकन डाईऑक्साइड और कैल्सियम ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है।

रिहंद परियोजना (Rihand Project):

- रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (Rihand Super Thermal Power Project) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले के रेणूकूट में अवस्थित है।
- यह पावर प्लांट NTPC लिमिटेड के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है।
- रिहंद बांध को 'गोविंद बल्लभ पंत सागर' के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
  - इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यह सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पर अवस्थित है।
- रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र ज़िले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है।

औरोरल बीड्स Auroral Beads

रात के समय आसमान में पूर्व-पश्चिम में फैला हुआ एक विशेष प्रकार का औरोरा (Aurora) जो चमकती हुई मोती की माला की तरह है, वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में औरोरा एवं उनके शक्तिशाली चालकों के विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने में मददकर रहा है। औरोरल बीड्स (Auroral Beads) के रूप में ज्ञात यह प्रकाश अक्सर बड़े औरोरल डिस्प्ले (Auroral Displays) से ठीक पहले दिखाई देता है जो अंतरिक्ष में विद्युत तूफान के कारण होते हैं जिन्हें सबस्टॉर्म (Substorms) कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- इससे पहले वैज्ञानिक इस तथ्य पर एकमत नहीं थे कि औरोरल बीड्स (Auroral Beads) पृथ्वी के वायुमंडल के निकट गड़बड़ी के कारण होते हैं।
  - किंतु एक कंप्यूटर मॉडल जो नासा के थेमिस मिशन (THEMIS -Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms) के अवलोकनों से संयुक्त है, ने अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के पहले मज़बूत साक्ष्य प्रदान किये हैं जो इस प्रकाश की उपस्थिति का नेतृत्त्व करते हैं और वे हमारे निकट अंतरिक्ष वातावरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- नए मॉडल से पता चला है कि औरोरल बीड्स (Auroral Beads) प्लाज्मा (पदार्थ की चौथी अवस्था) में गड़बड़ी के कारण होते हैं जो पृथ्वी के आस-पास गैसीय एवं अत्यधिक प्रवाहकीय आवेशित कणों से निर्मित होते हैं।
- औरोरल बीड्स (Auroral Beads) से संबंधित इस शोध को हाल ही में 'जियोफिज़िकल रिसर्च लेटर्स एंड जर्नल ऑफ जियोफिज़िकल रिसर्च: स्पेस फिज़िक्स' (Geophysical Research Letters and Journal of Geophysical Research: Space Physics) में प्रकाशित किया गया है।

औरोरा (Aurora):

- औरोरा (Aurora) तब बनता है जब सूर्य से आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण (मैग्नेटोस्फीयर) में फंस जाते हैं और पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में चिमनी या रोशनदान की तरह हो जाते हैं, वहाँ इन कणों में आपस में टकराव के कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के परमाणु व अणु चमकते हुए दिखाई देते हैं।

नोट :

थेमिस मिशन (THEMIS Mission):

- नासा के इस मिशन को फरवरी 2007 में शुरू किया गया था।
- इस मिशन का उद्देश्य नासा के पाँच उपग्रहों (THEMIS 'A' से THEMIS 'E' तक) के माध्यम से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से उत्सर्जित ऊर्जा का अध्ययन करना था जिसे सबस्टॉर्म (Substorms) के रूप में जाना जाता है यह चुंबकीय घटना पृथ्वी के ध्रुवों के निकट औरोरा से संबंधित है।

ब्लैक ड्वार्फ सुपरनोवा Black Dwarf Supernova

हाल ही में भौतिकविदों ने पता लगाया है कि ब्रह्मांड में होने वाले अंतिम विस्फोट 'ब्लैक ड्वार्फ सुपरनोवा' (Black Dwarf Supernova) होंगे।

प्रमुख बिंदु:

- संयुक्त राज्य अमेरिका की इलिनोइस स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकविद ने ब्रह्मांड में एक सैद्धांतिक प्रकार के विस्फोट को देखा है जो ब्रह्मांड के समाप्त होने पर हो सकता है।
  - यह इस विचार पर आधारित है कि ब्रह्मांड अंतत: ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा जिसे हीट डेथ (Heat Death) के रूप में जाना जाता है। इसे बिग फ्रीज़ (Big Freeze) के रूप में भी जाना जाता है।
- हालाँकि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। किंतु जब नए सितारों के सृजन हेतु आवश्यक गैस की आपूर्ति बंद हो जाएगी तब ब्रह्मांड में किसी नए तारे का सृजन नहीं होगा। यह घटना बिग फ्रीज़ (Big Freeze) कहलाती है।
- इस घटना के बाद तारे उस सीमा तक समाप्त होंगे जिस सीमा तक अवशेष के रूप में वह सब उपस्थित हैं जिनमें ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन तारे एवं सफेद बौने (White Dwarfs) शामिल हैं।
- इस अध्ययन में भौतिकविदों ने पता लगाया कि भविष्य में लंबे समय तक सफेद बौना (White Dwarfs) पर क्या प्रभाव पड़ता है?
  - परिणामत: ब्रह्मांड के सबसे विशाल सितारों के विपरीत सफेद बौना (White Dwarfs) में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट नहीं होता है।
  - किंतु वे लाखों वर्षों के लिये सिकुड़ कर दूर हट जाते हैं और अंतत: 'काले बौने' (Black Dwarf) तारे बन जाते हैं जो प्रकाश या ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं।
- यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर (चंद्रशेखर सीमा) होता है तो वह लाल दानव से 'सफेद बौना' (White Dwarf) और अंतत: 'काला बौना' (Black Dwarf) में परिवर्तित हो जाता है।
- भौतिकविदों का मानना है कि इन प्रतिक्रियाओं के घटित होने में बहुत अधिक समय लगता है।

जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल- 'स्वास्थ्य'
Tribal Health & Nutrition Portal- 'Swasthya'

17 अगस्त, 2020 को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कई पहलों की घोषणा की। जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल 'स्वास्थ्य' (Swasthya) और स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई-न्यूज़लेटर 'आलेख' (ALEKH), राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल (National Overseas Portal) और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल (National Tribal Fellowship Portal) शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'स्वास्थ्य' नामक ई-पोर्टल पहला ऐसा ई-पोर्टल है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है।
- 'स्वास्थ्य' नामक ई-पोर्टल विशेषज्ञता एवं अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिये भारत में विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करेगा।

नोट :

- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं पोषण के लिये ज्ञान प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पीरामल स्वास्थ्य (Piramal Swasthya) को मान्यता दी है।
  - यह केंद्र लगातार जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़ा रहेगा और भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित साक्ष्य आधारित नीति एवं निर्णय लेने के लिये इनपुट उपलब्ध कराएगा।

गोइंग ऑनलाइन एज़ लीडर्स कार्यक्रम [Going Online as Leaders (GOAL) Programme]:

- यह कार्यक्रम भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत फेसबुक के साथ भागीदारी में चलाया जाएगा।
- GOAL कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय का उद्देश्य देश के 5000 जनजातीय युवाओं को सलाह देना और उन्हें अपने समुदाय के लिये ग्राम स्तर के डिजिटल युवा नेता बनने में मदद करना है।

आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 Partial Credit Guarantee Scheme 2.0

17 अगस्त, 2020 को भारत सरकार ने 45000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (Partial Credit Guarantee Scheme 2.0) की वैधता को 3 महीने बढ़ाकर 19 नवंबर, 2020 तक कर दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य छोटे ऋणदाताओं के लिये तरलता में सुधार करना और इस योजना के तहत AA/AA- इनवेस्टमेंट सब-पोर्टफोलियो को 11250 करोड़ रुपए तक बढ़ाने के लिये राज्य द्वारा संचालित बैंकों को सक्षम बनाना है।
- भारत सरकार द्वारा घोषित 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के एक हिस्से के रूप में आंशिक ऋण गारंटी योजना (PCGS) 2.0 का शुभारंभ 20 मई, 2020 को किया गया था जिसका उद्देश्य 'गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों' (Non-Banking Finance Companies- NBFCs), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (Housing Finance Companies- HFCs), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) द्वारा जारी किये गए 'AA' और उससे कम रेटिंग वाले बॉन्डों या कामर्शियल पेपरों (CP) को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खरीदे जाने पर पोर्टफोलियो गारंटी प्रदान करना था।
  - 'PCGS 2.0' के तहत 45000 करोड़ रुपए के बॉन्ड/CP खरीदे जाने की परिकल्पना की गई थी जिसके तहत 'AA/AA-' रेटिंग वाले बॉन्डों/CP को कुल पोर्टफोलियो का अधिकतम 25% तक यानि 11250 करोड़ रुपए तक ही खरीदे जाने की अनुमति थी।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने NBFC/HFC द्वारा जारी कमर्शियल पेपरों (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (Non-Convertible Debentures- NCD) की खरीद के लिये अलग से 'विशेष तरलता योजना' (Special Liquidity Scheme- SLS)' की घोषणा की थी। जिनकी शेष बची परिपक्वता अवधि 3 माह तक होनी चाहिये थी तथा जिसे 3 माह तक की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता था। इसके तहत अधिकतम 30,000 करोड़ रुपए तक की खरीद की जा सकती थी जिसमें ज़रूरत के अनुसार आवश्यक राशि की वृद्धि की जा सकती थी।
- 'PCGS 2.0' के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 28 निकायों द्वारा जारी किये गए 'AA/AA-' रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी और 62 निकायों द्वारा जारी किये गए 'AA' से कम रेटिंग वाले बॉन्डों/सीपी की खरीद को मंज़ूरी दी है जिनका कुल मूल्य 21262 करोड़ रुपए है।
- भारत सरकार ने अब बॉन्डों/सीपी की खरीद के लिये PCGS 2.0 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
  - पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिये 3 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। 19 नवंबर, 2020 तक पोर्टफोलियो को वितरित की गई वास्तविक राशि के आधार पर निश्चित स्वरूप दिया जाएगा ताकि गारंटी को प्रभावी किया जा सके।
  - पोर्टफोलियो स्तर पर PCGS 2.0 के तहत AA/AA- निवेश सब-पोर्टफोलियो को PCGS 2.0 के तहत PSB द्वारा खरीदे गए बॉन्डों/सीपी के कुल पोर्टफोलियो के 50% (पूर्व निर्धारित 25% के बजाय) से अधिक नहीं होना चाहिये।

डेथ वैली Death Valley

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा (US National Weather Service) ने बताया कि दक्षिणी कैलिफोर्निया रेगिस्तान में डेथ वैली (Death Valley) के फर्नेस क्रीक (Furnace Creek) में तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization) के अनुसार, डेथ वैली के ग्रीनलैंड रैंच (Greenland Ranch) में 10 जुलाई, 1913 को 56.7°C तापमान दर्ज किया गया था।
  - विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, यह अभी भी पृथ्वी की सतह पर दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है।

डेथ वैली (Death Valley):

- उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली उत्तरी मोजावे रेगिस्तान (Northern Mojave Desert) के पूर्वी कैलिफोर्निया में एक रेगिस्तानी घाटी है।
- यह मध्य पूर्व और सहारा रेगिस्तान की तरह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक है।
- डेथ वैली (मृतक घाटी) को शैतान का गोल्फ कोर्स (Devil's Golf Course) के नाम से भी जाना जाता है।
- डेथ वैली रिफ्ट घाटी का एक उदाहरण है। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है, जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग या स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है।
- डेथ वैली (मृतक घाटी) की तली में नमक का एक बड़ा ढेर अवस्थित है, होलोसीन युग में यहाँ 30 फीट गहरा जलाशय था किंतु कालांतर में इसके सूखने से पानी में घुला नमक इसकी तली में अवशेष के रूप में मौजूद है।

ग्रीन कॉरिडोर Green Corridor

COVID-19 के मद्देनज़र यातायात प्रतिबंध एवं हवाई उड़ानों की अनुपलब्धता के बीच पुणे के एक निजी अस्पताल में ब्रेन-डेड घोषित 39 वर्षीय एक महिला का दिल एयर एंबुलेंस के जरिए चेन्नई लाया गया।

- गौरतलब है कि एम्बुलेंस की बाधा रहित आवाजाही के लिये पुलिस ने 'ग्रीन कॉरिडोर' (Green Corridor) बनाया है।

प्रमुख बिंदु:

- पुणे एवं चेन्नई दोनों शहरों के पुलिस विभाग ने 'ग्रीन कॉरिडोर' का निर्माण किया और हवाई अड्डों एवं अस्पतालों के बीच बिना किसी देरी के एम्बुलेंस के लिये सड़कों को अवरोध रहित किया।
- एमजीएम हेल्थकेयर (MGM Healthcare) के अनुसार, चेन्नई का प्राप्तकर्ता अंत-चरण हृदय की विफलता से पीड़ित था और दिल का प्रत्यारोपण ही उसके जीवित रहने की एकमात्र आशा थी।
- 15 अगस्त, 2020 को एमजीएम हेल्थकेयर को पुणे के एक निजी अस्पताल में संभावित दाता के बारे में सूचना मिली।
- दिल प्राप्तकर्ता पहले से ही 'नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन' (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO) के साथ पंजीकृत है।

नेशनल ऑर्गन एंड टिशू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइज़ेशन (National Organ and Tissue Transplant Organisation- NOTTO):

- NOTTO भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है।
- इसके दो विभाग हैं।
  - नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क (National Human Organ and Tissue Removal and Storage Network)
  - राष्ट्रीय बायोमेट्रिक केंद्र (National Biomaterial Centre)
- भारत में अंग दान को मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994) द्वारा विनियमित किया जाता है।
  - यह अधिनियम मृतक एवं जीवित दाताओं दोनों को अपने अंगों को दान करने की अनुमति देता है।
  - यह मस्तिष्क की मृत्यु (ब्रेन डेड) को मृत्यु के एक रूप के रूप में भी पहचानता है।
- NOTTO देश में मानव अंगों का रखरखाव, आवंटन एवं वितरण से संबंधित गतिविधियों के लिये शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।

नोट :

स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज Swadeshi Microprocessor Challenge

18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज (Swadeshi Microprocessor Challenge) की शुरुआत की। यह आत्मनिर्भर भारत के लिये एक नवाचार समाधान है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य देश में स्टार्ट-अप, नवाचार एवं अनुसंधान के मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करना है।

माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (Microprocessor Development Programme):

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के माइक्रोप्रोसेसर विकास कार्यक्रम (Microprocessor Development Programme) के तत्त्वावधान में IIT मद्रास और 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग' (Center for Development of Advance Computing: C-DAC) ने 'ओपन सोर्स आर्किटेक्चर' (Open Source Architecture) का उपयोग करते हुए शक्ति (SHAKTI- 32 बिट) और वेगा (VEGA- 64 बिट) नामक दो माइक्रोप्रोसेसर विकसित किये हैं।
- 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज' के तहत नवोन्मेषी, स्टार्टअप एवं छात्रों को आमंत्रित किया गया है ताकि वे इन माइक्रोप्रोसेसरों (शक्ति एवं वेगा) का उपयोग करते हुए विभिन्न टेक्नोलॉजी उत्पादों को विकसित करें।
- 'स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज' केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने और डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने के संदर्भ में सबसे आगे रहने के लिये सक्रिय, पूर्व-निर्धारित एवं श्रेणीबद्ध उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अन्य पहल:

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय प्रतियोगियों और प्रौद्योगिकी संसाधनों को विभिन्न प्रकार के लाभों की पेशकश करता है।
  - इसमें न केवल देश के सबसे अच्छे 'वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन' (Very Large Scale Integration- VLSI) और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन विशेषज्ञों से इंटर्नशिप का अवसर एवं नियमित तकनीकी मार्गदर्शन शामिल है बल्कि इनक्यूबेशन केंद्रों द्वारा व्यवसाय एवं फंडिंग समर्थन भी शामिल हैं।
  - हार्डवेयर प्रोटोटाइप को विकसित करने और स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन के लिये चैलेंज के विभिन्न चरणों में 4.30 करोड़ के वित्तीय समर्थन की पेशकश की जा रही है।

'वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन' (Very Large Scale Integration- VLSI):

- VLSI एक सिंगल चिप में हज़ारों ट्रांज़िस्टर मिलाकर एक एकीकृत सर्किट (Integrated Circuit- IC) बनाने की प्रक्रिया है।
- VLSI का निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ जब जटिल अर्द्धचालक एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही थी।
- माइक्रोप्रोसेसर एक VLSI डिवाइस है।

प्रतियोगिता से संबंधित अन्य तथ्य:

- इस चैलेंज की अवधि 10 महीने की है जो 18 अगस्त, 2020 को https://innovate.mygov.in पर पंजीकरण प्रक्रिया के साथ शुरू होकर जून, 2021 में समाप्त होगी।
- प्रतिस्पर्द्धा के अंतर्गत सेमी-फाइनल में पहुँचने वाली 100 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1.00 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे, जबकि फाइनल में पहुँचने वाली 25 टीमों को पुरस्कार के रूप में कुल 1 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
  - फाइनल में प्रवेश करने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपए का सीड-फंड (Seed Fund) प्राप्त होगा और 12 महीने तक इन्क्यूबेशन समर्थन दिया जाएगा।

नोट :

थैलीसीमिया स्क्रीनिंग एवं परामर्श केंद्र
Thalassemia Screening and Counselling Centre

18 अगस्त, 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय के ब्लड बैंक में थैलीसीमिया स्क्रीनिंग एवं परामर्श केंद्र (Thalassemia Screening and Counselling Centre) का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु:

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि विश्व के लगभग 270 मिलियन लोग थैलीसीमिया (Thalassemia) से पीड़ित हैं।
- विश्व में थैलीसीमिया मेजर (Thalassemia Major) बच्चों की सबसे बड़ी संख्या (लगभग 1 से 1.5 लाख) भारत में है और प्रत्येक वर्ष भारत में थैलीसीमिया मेजर से ग्रसित लगभग 10,000-15,000 बच्चों का जन्म होता है।

थैलीसीमिया मेजर (Thalassemia Major):

- थैलेसीमिया मेजर बीटा थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रूप है। यह तब विकसित होता है जब बीटा ग्लोबिन जीन (Beta Globin Genes) विलुप्त होते हैं।
- थैलेसीमिया मेजर के लक्षण आमतौर पर बच्चे के दूसरे जन्मदिन से पहले दिखाई देते हैं।
- इस स्थिति से संबंधित गंभीर एनीमिया जानलेवा साबित हो सकता है।

थैलेसीमिया इंटरमीडिया (Thalassemia Intermedia):

- बीटा-थैलेसीमिया इंटरमीडिया एक आनुवांशिक (या विरासत में मिली) रक्त विकार है जिसे कभी-कभी कूलेयस (Cooley's) या मेडिटेरेनियन एनीमिया (Mediterranean Anemia) या कभी-कभी थैलेसीमिया (Thalassemia) कहा जाता है।
- बीटा- थैलेसीमिया इंटरमीडिया, विकार का मिडिल फॉर्म है। यह शरीर की 'एडल्ट' हीमोग्लोबिन के उत्पादन करने की क्षमता को कम कर देता है और एनीमिया का कारण बनता है।

- थैलीसीमिया मेजर से ग्रसित बच्चों का इलाज केवल 'बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन' (Bone Marrow Transplantation) के द्वारा ही संभव है किंतु यह अत्यंत कठिन एवं महंगा पड़ता है। इसलिये उपचार का मुख्य स्वरूप बार-बार रक्ताधान (Blood Transfusions) कराना है, इसके बाद शरीर में आयरन की अधिकता को कम करने के लिये नियमित रूप से आयरन किलेशन थैरेपी (Iron Chelation Therapy) की जाती है जिसके कारण कई बार रक्ताधान (ब्लड ट्रांसफ्यूज़न) की प्रक्रिया को अपनाया जाता है।
- इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की इस नई पहल के द्वारा इस रोग से प्रभावित लोगों को पर्याप्त चिकित्सा प्रदान की जाएगी जिससे वे बेहतर जीवन व्यतीत कर सकें और वाहक स्क्रीनिंग (Carrier Screening), आनुवंशिक परामर्श और प्रसव पूर्व निदान के माध्यम से हीमोग्लोबिनोपैथी (Hemoglobinopathies) से प्रभावित बच्चों के जन्म को रोका जा सकेगा।

हीमोग्लोबिनोपैथी (Hemoglobinopathies):

- हीमोग्लोबिनोपैथी के अंतर्गत थैलेसीमिया एवं सिकल सेल (Sickle Cell) जैसे रोग आते हैं। ये हीमोग्लोबिन अणु की संरचना या उत्पादन को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक विकार हैं।
  - ये बीमारियाँ दीर्घकालिक हैं जो जीवन प्रक्रिया को बाधित करती हैं और कुछ मामलों में यह जीवन के लिये खतरा बन जाती हैं और परिवार पर भावनात्मक एवं आर्थिक बोझ डालती हैं।
- भारत में थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया (Thalassemia Intermedia) का गंभीर रूप परिवारों को अत्यधिक प्रभावित करता है।
  - दोनों का प्रबंधन पूरे जीवन काल के दौरान नियमित रूप से रक्ताधान (ब्लड ट्रांसफ्यूज़न) और आयरन किलेशन थैरेपी द्वारा किया जाता है।
- ये थैलेसीमिया सिंड्रोम माता-पिता से असामान्य (बीटा) थैलेसीमिया जीन के वंशानुक्रम के कारण उत्पन्न होता है या माता-पिता में एक से असामान्य बीटा-थैलेसीमिया जीन और दूसरे से असामान्य रूप से हीमोग्लोबिन जीन (HbE, HbD) के कारण उत्पन्न होता है।

नोट :

एआरआईआईए-2020 ARIIA-2020

हाल ही में COVID-19 के मद्देनज़र भारत के उपराष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से 'नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग' (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements: ARIIA-2020) की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- एआरआईआईए-2020 की रैंकिंग के परिणामों का मूल्यांकन 7 मापदंडों के आधार पर किया गया। जिनमें बजट एवं फंडिंग सपोर्ट, अवसंरचना एवं सुविधाएँ, जागरूकता, प्रमोशन तथा विचार सृजन एवं इनोवेशन के लिये सपोर्ट शामिल हैं।
- पहली बार ARIIA-2020 में उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल महिलाओं के लिये एक विशेष पुरस्कार श्रेणी को शामिल किया गया है। 'अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वूमेन' (Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women) ने इस श्रेणी के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है।
  - अन्य पाँच श्रेणियों में केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, राज्य पोषित विश्वविद्यालय, राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान, निजी/डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी संस्थानों को शामिल किया गया है।
- IIT मद्रास ने राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमश: IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली हैं।
- इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई (Institute of Chemical Technology, Mumbai) को सरकार एवं सरकारी सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के तहत शीर्ष स्थान मिला है।
- कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे (College of Engineering, Pune) को सरकार एवं सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के तहत शीर्ष स्थान मिला है।
- निजी या स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय श्रेणी में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, ओडिशा (Kalinga Institute of Industrial Technology, Odisha) विजेता के रूप में उभरा है। इसके बाद SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (SRM Institute of Science and Technology) और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Vellore Institute of Technology) हैं।
- एस आर इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल (S R Engineering College, Warangal) को निजी या स्व-वित्तपोषित कॉलेजों के तहत शीर्ष स्थान मिला है।

नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग'
(Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements- ARIIA):

- ARIIA भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय) की एक पहल है जिसे AICTE द्वारा लागू किया गया है।
- यह छात्रों एवं संकायों के बीच नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता विकास से संबंधित संकेतकों के आधार पर भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 Swachh Survekshan 2020

20 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 (Swachh Survekshan 2020) के परिणामों की घोषणा करेंगे। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का पांचवाँ संस्करण है।

प्रमुख बिंदु:

- 'स्वच्छ महोत्सव' के नाम से आयोजित कार्यक्रम में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों एवं राज्यों को कुल 129 पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है जिसमें कुल 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्डों और 92 गंगा तटीय शहरों की रैंकिंग की गई है। इस सर्वेक्षण में 1.87 करोड़ नागरिकों की अभूतपूर्व भागीदारी दर्ज की गई है।

नोट :

- इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) द्वारा किया जा रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण:

- भारत सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरूआत स्वच्छता मिशन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसके साथ ही इसका उद्देश्य भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की दिशा में शहरों के बीच एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्द्धा की भावना पैदा करना भी है।

पूर्व में संपन्न कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षणों पर एक नज़र:

- भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी 2016 में 73 बड़े शहरों की रेटिंग के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 संपन्न कराया था।
- इसके बाद 434 शहरों की रैंकिंग के लिये जनवरी-फरवरी 2017 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 कराया गया था।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में 4203 शहरों की रैंकिंग की गई थी।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में न केवल 4237 शहरों को शामिल किया गया बल्कि 28 दिनों के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया यह पहला डिजिटल सर्वेक्षण भी था।

स्वच्छ सर्वेक्षण लीग:

- भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरों के ज़मीनी प्रदर्शन के निरंतर मूल्यांकन एवं स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग की शुरूआत की थी।
- इसमें तीन तिमाहियों में शहरों एवं कस्बों का एक त्रैमासिक स्वच्छता मूल्यांकन किया गया। जिसके 25% आँकड़े इस वर्ष के अंतिम स्वच्छ सर्वेक्षण परिणाम में शामिल किये गए।

स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत अब तक प्रदान किये गए पुरस्कार:

- स्वच्छ सर्वेक्षण के पहले संस्करण में मैसूर शहर (कर्नाटक) ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था जबकि इंदौर लगातार तीन वर्षों (2017, 2018, 2019) से शीर्ष स्थान पर है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की विशेषताएँ:

- मात्र 28 दिनों में संपन्न होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:
  - 1.7 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता एप पर पंजीकरण किया।
  - सोशल मीडिया पर 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा।
  - समाज कल्याण योजनाओं से 5.5 लाख से अधिक स्वच्छता कार्यकर्त्ता जुड़े और कचरा बीनने वाले 84,000 से अधिक अनौपचारिक लोगों को मुख्यधारा में शामिल किया गया।
  - कचरे का प्रमुख केंद्र बन चुकी 21,000 से अधिक जगहों की पहचान की गई और उनका कायापलट किया गया।
  - स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के लिये भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोगी संगठनों का एक साथ आना। जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF), गूगल आदि शामिल हैं।

ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स Tribes India On Wheels

19 अगस्त, 2020 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 31 शहरों में 'ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स' (Tribes India On Wheels) मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इन मोबाइल वैनों को अहमदाबाद, प्रयागराज, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खूंटी, मुंबई एवं राँची जैसे कुछ शहरों में भेजा गया है।
- COVID-19 के मद्देनज़र ट्राइफेड (TRIFED) की यह नई पहल सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को जैविक, प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले ज़रूरी उत्पादों को खरीदने के साथ एक सतत् एवं गुणवत्तापूर्ण जीवनशैली को अपनाने के लिये घर से बाहर निकलने की ज़रूरत न पड़े।
- मोबाइल वैन के द्वारा ट्राइफेड जनजातीय लोगों द्वारा तैयार किये गए उत्पादों को देश के विभिन्न इलाकों में ग्राहकों तक सीधे पहुँचा रहा है और साथ ही इन उत्पादों पर छूट देने की पेशकश भी की जा रही है।
  - इन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय सीधे जनजातीय लोगों के पास जाएगी जिससे COVID-19 के दौरान उनकी आमदनी को बरकरार रखने में मदद मिलेगी।
- जनजातीय उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने और बिक्री से प्राप्त आय प्रभावित आदिवासी परिवारों तक पहुँचाने के लिये ट्राइफेड ने उत्पादों पर अधिक छूट देते हुए बिक्री के लिये ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट एवं GeM जैसे अन्य खुदरा प्लेटफार्मों का उपयोग करने की भी योजना बनाई है।

ट्राइफेड की अन्य पहल:

- COVID-19 के दौरान 'गो वोकल फॉर लोकल' (Go Vocal for Local) को 'गो वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल' (Go Vocal for Local Go Tribal) के रूप में अपनाने के लिये ट्राइफेड अपने मौजूदा कार्यक्रमों एवं कार्यान्वयनों के अलावा अनेक अग्रणी पहलों को लागू करके संकटग्रस्त एवं प्रभावित जनजातीय लोगों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहा है।

प्रकाश पर्व Prakash Purab

19 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' (Guru Granth Sahib) के प्रकाश पर्व (Prakash Purab) पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी।

प्रमुख बिंदु:

- वर्ष 1604 में, प्रथम प्रकाश पर्व उत्सव हरमंदिर साहिब (Harmandir Sahib) में गुरु ग्रंथ साहिब (Guru Granth Sahib) की स्थापना के रूप में मनाया गया था जिसे स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) के नाम से भी जाना जाता है।

'गुरु ग्रंथ साहिब' (Guru Granth Sahib):

- सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है इसी कारण इसे 'आदि ग्रंथ' के रूप में भी जाना जाता है। यह सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है।
- आदि ग्रंथ (पहला प्रतिपादन) को सिख धर्म के पाँचवें गुरु 'गुरु अर्जुन देव' द्वारा संकलित किया गया था।
  - इस आदि ग्रंथ में सिख धर्म के दसवें गुरु 'गुरु गोविंद सिंह' ने अपना कोई भजन नहीं जोड़ा। हालाँकि उन्होंने नौवें सिख गुरु 'गुरु तेग बहादुर' के सभी 115 भजनों को जोड़ा और उनके उत्तराधिकारी के रूप में पाठ की पुष्टि की।
    - इस दूसरी प्रस्तुति को गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है और कभी-कभी इसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है।
- गुरु ग्रंथ साहिब को गुरमुखी लिपि में विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, जिसमें लाहंडा (Lahnda), ब्रजभाषा, कौरवी, संस्कृत, सिंधी एवं फारसी शामिल हैं।
- 'गुरु ग्रंथ साहिब' की रचना मुख्य रूप से 6 सिख गुरुओं (गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमर दास, गुरु राम दास, गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर) द्वारा की गई थी।
  - इसमें भक्ति आंदोलन से संबंधित 13 संत कवियों एवं दो सूफी मुस्लिम कवियों की काव्य शिक्षाएँ भी शामिल हैं।
- गुरु ग्रंथ साहिब की मूल चेतना 'किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के बिना दैवीय न्याय (Divine Justice) पर आधारित समाज की स्थापना' पर आधारित है।

नोट :

- वर्ष 1604 में आदि ग्रंथ का पहला संस्करण पूरा हुआ जिसे आधिकारिक रूप से गुरु अर्जुन देव द्वारा अनुमोदित किया गया और इसे स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया गया था जहाँ बाबा बुद्ध (Baba Buddha) इसके पहले ग्रन्थि या पाठक थे।

पीएम स्वनिधि योजना PM Svanidhi Scheme

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने 125 शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं विभिन्न राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म-निर्भर निधि (Prime Minister Street Vendors AtmaNirbhar Nidhi- PM SVANidhi) योजना अर्थात् पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) के संदर्भ में बातचीत की।

प्रमुख बिंदु:

- यह योजना रेहड़ी वालों (स्ट्रीट विक्रेताओं) को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिये कार्यशील पूंजी हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिये शुरू की गई है।
- यह योजना विक्रेताओं को ऋण सुविधा प्रदान करती है किंतु यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे उत्पीड़न मुक्त वातावरण में व्यापार करने में सक्षम हैं।

शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) के अधिकारियों के लिये मोबाइल एप:

- इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Body) के अधिकारियों के लिये एक मोबाइल एप लॉन्च किया।
- यह एप ऋण के आवेदन हेतु यूएलबी अधिकारियों के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराएगा।

पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme):

- इस योजना की शुरुआत 1 जून, 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा COVID-19 के मद्देनज़र लॉकडाउन से प्रभावित छोटे दुकानदारों एवं फेरीवालों (Street Venders) को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिये की गई थी।
- लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को, जो 24 मार्च, 2020 को या उससे पहले अर्द्ध शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के निकट या शहरी क्षेत्रों में फेरी लगा रहे थे, लाभ पहुँचाना है।
- इस योजना के तहत छोटे दुकानदार 10,000 रुपए तक के ऋण के लिये आवेदन कर सकते हैं जो एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में पुनर्भुगतानयोग्य है।

सतलज यमुना लिंक नहर Sutlej Yamuna Link Canal

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने सतलज यमुना लिंक नहर [Sutlej Yamuna Link (SYL) Canal] परियोजना का विरोध और यमुना नदी के जल के लिये दावा करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि यदि इस परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिये मजबूर किया गया तो पंजाब की आतंरिक स्थिति बिगड़ सकती है।

प्रमुख बिंदु:

- सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना से संबंधित मुद्दे पर एक प्राधिकरण के गठन की मांग करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि SYL मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।
  - उल्लेखनीय है कि भारत के पंजाब राज्य की लगभग 425 किलोमीटर लंबी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से संबद्ध है।

SYL मुद्दा पुन: क्यों चर्चा में है ?

- 28 जुलाई, 2020 को उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब एवं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को SYL नहर मुद्दे पर आपस में बातचीत एवं इसका निपटारा करने का निर्देश देने के बाद यह मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया।
- इससे पहले इस मुद्दे से संबंधित दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच बैठकें हो रही थीं। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की मध्यस्थता में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर बैठक करने के लिये कहा ताकि SYL नहर मुद्दे पर एक आम सहमति बनाई जा सके।

नोट :

- परिणामत: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 18 अगस्त, 2020 को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक आयोजित की।
- 'एसवाईएल कारजीवनाल (SYL Carajivnal) का निर्माण पूरा हो जाना चाहिये' इस मुद्दे को लेकर यह बैठक अनिर्णायक रही।

SYL मुद्दा से संबंधित राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा:

- पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में हुई जब सतलज यमुना लिंक नहर परियोजना पर कार्य शुरू हुआ।
- जब अप्रैल, 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पंजाब के कपूरी गांव में SYL का निर्माण कार्य शुरू करवाया तो अकाली दल ने पानी के प्रस्तावित बँटवारे के विरोध में कपूरी मोर्चा (Kapoori Morcha) के रूप में आंदोलन चलाया।
- जुलाई 1985 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और तत्कालीन शिअद (शिरोमणि अकाली दल) प्रमुख हरचंद सिंह लोंगोवाल ने नए न्यायाधिकरण के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। जिसके बाद 20 अगस्त, 1985 को हरचंद सिंह लोंगोवाल की आतंकवादियों ने हत्या कर दी।
- इसके बाद SYL परियोजना के निर्माण में लगे इंजीनियरों की भी आतंकवादियों ने हत्या की।

पंजाब सरकार द्वारा नए न्यायाधिकरण की माँग क्यों ?

- पंजाब सरकार चाहती है कि एक न्यायाधिकरण जल की उपलब्धता का नये तरीके से समयबद्ध आकलन करे।
- पंजाब सरकार के अनुसार, पंजाब की नदियों के जल का कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं हुआ है।
  - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board- BBMB) के अनुसार, रावी-ब्यास नदी के जल की उपलब्धता वर्ष 1981 में अनुमानित 17.17 मिलियन एकड़ फीट (Million Acre Feet- MAF) से घटकर वर्ष 2013 में 13.38 MAF हो गई थी।

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (Bhakra Beas Management Board- BBMB):

- BBMB, भाखड़ा नांगल एवं ब्यास परियोजनाओं से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ को पानी व बिजली की आपूर्ति के नियमन का कार्य करता है।

पंजाब, जल साझा क्यों नहीं करना चाहता ?

- पंजाब गेहूं/धान के लिये अपने भूमिगत जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
- केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण (Central Underground Water Authority) की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के लगभग 79% क्षेत्र में कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसके भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाता है।

मिलेनियम एलायंस Millennium Alliance

हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry- FICCI) द्वारा एक वेबिनार 'मिलेनियम एलायंस राउंड 6 & COVID-19 इनोवेशन चैलेंज अवार्ड्स' (Millennium Alliance Round 6 & COVID-19 Innovation Challenge Awards) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु:

- मिलेनियम एलायंस (Millennium Alliance) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID), भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (FICCI), यूनाइटेड किंगडम सरकार के
- अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (UK Government"s Department for International Development- DFID), फेसबुक और मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन (Marico Innovation Foundation) जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारों का एक संघ है।
- यह कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से चल रहा है और इसने भारतीय उद्यमों के लिये वित्त पोषण, क्षमता निर्माण एवं व्यवसाय विकास सहायता प्रदान करने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।

नोट :

- मिलेनियम एलायंस इनिशिएटिव ने 49 आकांक्षी भारतीय सामाजिक उद्यमियों को भारतीय एवं वैश्विक विकास चुनौतियों से निपटने हेतु उनके अभिनव समाधान के लिये 26.25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
  - इनमें से 33 नवीनतम समाधान स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, जल एवं स्वच्छता और विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
  - शेष 16 समाधान यूनाइटेड किंगडम सरकार की सहायता (1.3 मिलियन अमरीकी डालर तक) से भारत एवं अफ्रीका/दक्षिण एशिया में वर्तमान COVID-19 संकट से उत्पन्न चुनौतियों से निपटेंगे।

फ्लेवोनॉइड अणु Flavonoids Molecule

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science &Technology- DST) के अधीन पुणे स्थित स्वायत्त संस्थान 'अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट' (Agharkar Research Institute -ARI) के वैज्ञानिकों ने तपेदिक एवं चिकनगुनिया के उपचार से संबंधित फ्लेवोनॉइड अणुओं (Flavonoids Molecule) के निर्माण के लिये पहला सिंथेटिक मार्ग खोजा है।

प्रमुख बिंदु:

- रूगोसाफ्लेवोनॉइड (Rugosaflavonoids), पोडोकारफ्लेवोन (Podocarflavone) एवं आइसोफ्लेवोन (Isoflavone) जैसे फ्लेवोनॉइड अणु जिन्हें तपेदिक एवं चिकनगुनिया रोधी पाया गया है। अभी तक इन फ्लेवोनॉइड अणुओं को पौधों से पृथक किया जाता था।
  - किंतु पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में इन अणुओं को संश्लेषित करने के लिये मार्ग खोजा है, जिससे जिन औषधीय पौधों में इन्हें पाया जाता है, उनका अतिदोहन किये बगैर सभी मौसमों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये मार्ग प्रशस्त हुआ है।
- 'रूगोसाफ्लेवोनॉइड ए' (Rugosaflavonoid A) एक चीनी औषधीय पौधे रोज़ा रूगोसा (Rosa Rugosa) से प्राप्त किया जाता है। 'पोडोकारफ्लेवोन ए' (Podocarflavone A) को पोडोकार्पस मैक्रोफाइलस (Podocarpus Macrophyllus) पौधे से पृथक किया जाता है।
- अधिकतर आयुर्वेदिक उत्पाद फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर होते हैं। फ्लेवोनॉइड ज्यादातर टमाटर, प्याज, सलाद पत्ता, अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी, आड़ू एवं अन्य सब्जियों में मौजूद होते हैं।
  - फ्लेवोनॉइड्स से भरपूर आहार हार्ट, लीवर, किडनी, मस्तिष्क से संबंधित एवं अन्य संक्रामक रोगों से बचाता है।
  - वर्तमान में दुनिया COVID-19 के कारण एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। चूँकि फ्लेवोनॉइड्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं इसलिये फ्लेवोनॉइड समृद्ध आहार का सुझाव दिया जाता है।
  - फ्लेवोनॉइड्स की रासायनिक संरचना महिला हार्मोन 17-बीटा-एस्ट्राडियोल (17-Beta-Estradiol) या एस्ट्रोजेन (Estrogen) के समान ही है। इसलिये फ्लेवोनॉइड्स उन महिलाओं के लिये उपयोगी हो सकते हैं जो प्रीमेनोपॉज़ल (Premenopausal) चरण यानी रजोनिवृत्ति से पहले के चरण में समस्याओं का सामना करती हैं।
- फ्लेवोनॉइड्स को आमतौर पर पौधों से पृथक किया जाता है। हालाँकि प्राकृतिक उत्पादों में विसंगति विभिन्न मौसमों, स्थानों एवं प्रजातियों में हो सकती है। इन बाधाओं के साथ औषधीय पौधों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण पर एक अतिरिक्त बोझ डालता है।
  - इन समस्याओं को दूर करने के लिये इस तरह के उत्पादों को सरल एवं लागत प्रभावी तरीकों से प्रयोगशाला में सिंथेटिक प्रोटोकॉल द्वारा विकसित किया जा सकता है। सिंथेटिक प्राकृतिक उत्पादों में प्राकृतिक उत्पाद के समान ही संरचना एवं औषधीय गुण होते हैं।

टैटू सेंसर Tattoo Sensor

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु (Indian Institute of Science, Bangalore) के केंद्र नैनो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग (Centre for Nanoscience and Engineering- CeNSE) से जुड़े और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित इंसपायर फैकल्टी फेलोशिप (INSPIRE Faculty Fellowship) प्राप्त करने वाले डॉ. सौरभ कुमार वीयरेबल सेंसर (Wearable Sensors) या टैटू सेंसर (Tattoo Sensor) पर कार्य कर रहे हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- इस सेंसर से त्वचा के ज़रिये शरीर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हासिल की जा सकती है।
- शोधकर्त्ताओं की टीम ने लगभग 20 माइक्रॉन मोटी त्वचा के अनुरूप टैटू सेंसर का निर्माण किया है।
  - इस सेंसर के माध्यम से व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर की निरंतर निगरानी की जा सकती है जैसे- पल्स दर, श्वसन दर एवं सरफेस इलेक्ट्रोमोग्राफी आदि।
  - ये सेंसर संवेदक श्वसन दर और पल्स दर के लिये एक एकल पाइपलाइन के रूप में कार्य करते हैं।
- डॉ. सौरभ कुमार का यह हालिया शोधकार्य रिसर्च जर्नल 'एससीएस सेंसर्स' (ACS Sensors) में प्रकाशित हुआ है।

उपयोग:

- त्वचा के अनुरूप इस सेंसर में गैर-आक्रामक एवं महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य मापदंडों की निरंतर निगरानी करने की क्षमता है।
- इसमें स्वास्थ्य निगरानी के लिये भारी उपकरणों की जगह लेने की क्षमता है।
- ये सेंसर उपयोगकर्त्ता की दैनिक गतिविधियों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करते हैं।
- यह सेंसर पल्स दर, श्वसन दर, यूवी रे एक्सपोज़र, स्किन हाइड्रेशन लेवल, ग्लूकोज़ की निगरानी आदि महत्त्वपूर्ण संकेतों की निरंतर निगरानी में सक्षम है।

इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (INSPIRE):

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science & Technology-DST) द्वारा शुरू किये गए INSPIRE कार्यक्रम के तहत विज्ञान में प्रतिभावान छात्रों को अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 दिसंबर, 2008 को की गई थी।
- INSPIRE कार्यक्रम के तीन घटक हैं:
  - विज्ञान में प्रतिभा के शुरूआती आकर्षण हेतु योजना
  - उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति
  - शोध कार्य हेतु अवसर

नमथ बसई कार्यक्रम Namath Basai Programme

जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिये केरल सरकार ने नमथ बसई कार्यक्रम (Namath Basai Programme) चलाया है।

प्रमुख बिंदु:

- 'नमथ बसई कार्यक्रम' को समग्र शिक्षा केरल (Samagra Shiksha Kerala- SSK) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम ने आदिवासी बच्चों के लिये घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को महसूस करके सैकड़ों आदिवासी बच्चों को उनकी ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े रखने में सफलता पाई है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत SSK ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप वितरित किये हैं।
- प्री-रिकॉर्डेड कक्षाएँ एक YouTube चैनल के माध्यम से संचालित की जाती हैं।
- केरल के अट्टापडी में 192 बस्तियों के अधिकांश आदिवासी बच्चों को इन कक्षाओं से जोड़ा गया है।
- अट्टापडी में तीन जनजातीय भाषाओं में कक्षाएँ दी जा रही हैं। इनमें इरुला भाषी बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद मुडुका (Muduka) एवं कुरुम्बा (Kurumba) भाषा का स्थान है।
- 'नमथ बसई' को केरल के वायनाड एवं इडुक्की ज़िले के आदिवासी इलाकों में भी लागू किया जा रहा है। इडुक्की में ओराली (Oorali), मुतुवन (Mutuvan) एवं पनिया (Paniya) भाषाओं में कक्षाएँ दी जाती हैं।

गौरतलब है कि 'नमथ बसई' एक इरुला भाषी नाम है जिसका अर्थ होता है- 'हमारी भाषा'

नोट :

हरित पथ Harit Path

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देशभर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिये एक मोबाइल एप 'हरित पथ' (Harit Path) लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु:

- नई हरित राजमार्ग नीति (वृक्षारोपण) की समीक्षा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने देश में सड़क निर्माण में आधुनिक एवं हरित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर ज़ोर दिया है।
- हरित पथ मोबाइल एप सभी वृक्षारोपण परियोजनाओं के तहत प्रत्येक वृक्ष के लिये सभी क्षेत्रीय इकाइयों में से प्रत्येक के स्थान, विकास, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की निगरानी करने के लिये 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (National Highway Authority of India- NHAI) द्वारा विकसित किया गया है।

'हरित भारत संकल्प' (Harit Bharat Sankalp):

- हाल ही में NHAI ने एक राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान 'हरित भारत संकल्प' (Harit Bharat Sankalp) भी शुरू किया था, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर 25 दिनों में 25 लाख से अधिक पौधे लगाये गए हैं।
- वृक्षों के उचित रखरखाव एवं देखभाल के लिये राजमार्ग ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया गया है।
  - इस अनूठी पहल के तहत वृक्षों के रखरखाव के लिये ठेकेदारों के भुगतान को पौधों की वृद्धि के साथ जोड़ा गया है।

नई हरित राजमार्ग नीति:

- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नई हरित राजमार्ग नीति (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव) का शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था।
- इस नीति का उद्देश्य विभिन्न समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, गैर सरकारी संगठनों एवं सरकारी संस्थानों की भागीदारी से राजमार्ग क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देना है।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार-2020 Rajiv Gandhi Khel Ratna Award-2020

रोहित शर्मा (क्रिकेट), मनिका बत्रा (टेबल टेनिस), विनेश फोगाट (रेसलिंग), रानी रामपाल (हॉकी), मरियप्पन थंगावेलू (पैरा-एथलीट) को वर्ष 2020 के लिये भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' (Rajiv Gandhi Khel Ratna Award) से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

- रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, एम.एस. धोनी एवं विराट कोहली के बाद चौथे ऐसे क्रिकेटर होंगे जिन्हें 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।
- विनेश फोगाट अब तक एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालीफाई किया था।
- पूर्व पैरा-ओलंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक के बाद मरियप्पन थंगावेलू तीसरे भारतीय पैरा-एथलीट हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- इस वर्ष COVID-19 के कारण ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के बजाय आभासी तरीके से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदान किये जायेंगे।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार:

- राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है।
- इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991–92 में हुई थी।

नोट :

- यह पुरस्कार भारत सरकार के युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

भारतीय गौर Indian Gaur

हाल ही में उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी ज़िले में गोरूमारा नेशनल पार्क (Gorumara National Park) में भारतीय बाइसन (Indian Bison) या भारतीय गौर (Indian Gaur) का शव मिला।

भारतीय गौर (Indian Gaur):

- इसका वैज्ञानिक नाम बोस गोरस (Bos Gaurus) है जबकि स्थानिक नाम 'गौर' है।
- मूल रूप से यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया मे पाया जाने वाला एक बड़ा, काले लोम (बालों का आवरण) से ढका गोजातीय पशु है।
- वर्तमान समय में इसकी सबसे अधिक आबादी भारत में पाई जाती है।
- वर्ष 1986 से यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में सुभेद्य (Vulnerable) श्रेणी में सूचीबद्ध है।

गोरूमारा नेशनल पार्क (Gorumara National Park):

- यह भारत के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले में अवस्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से भारतीय गैंडों की आबादी के लिये जाना जाता है।
- वर्ष 2009 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत में सर्वश्रेष्ठ संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में घोषित किया गया था।
- गोरूमारा को वर्ष 1949 में भारतीय गैंडों की आबादी के आधार पर एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था।
  - इसे जनवरी, 1994 को एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया था।
- गोरूमारा नेशनल पार्क पूर्वी हिमालय के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में रोलिंग वनों (Rolling Forests) एवं रिवराइन घास के मैदान (Riverine Grasslands) उपस्थित हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल में दुआर (Dooars) के रूप में जाना जाता है।
  - दुआर (Dooars) पूर्वोत्तर भारत में जलोढ़ बाढ़ के मैदान हैं जो हिमालय की बाहरी तलहटी के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में स्थित हैं।

ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल Dragonfly Festival

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया की राज्य इकाई ने 'सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़' (Society for Odonate Studies-SOS) और थुंबिपुरनम (Thumbipuranam) के साथ केरल में पहली बार आयोजित होने वाले 'ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल' (Dragonfly Festival) के लिये साझेदारी की है।

प्रमुख बिंदु:

- इसे थुंबीमहोत्सवम 2020 (Thumbimahotsavam 2020) के नाम से भी जाना जाता है।
- यह राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड (National Biodiversity Board), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और इंडियन ड्रैगनफ्लाई सोसाइटी (Indian Dragonfly Society) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय ड्रैगनफ्लाई उत्सव का हिस्सा है।
- इस उत्सव का आधिकारिक शुभंकर 'पंटालु' (Pantalu) है।
- यह WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा लॉन्च किया गया ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल-2020 का तीसरा संस्करण है।

नोट :

- ड्रैगनफ्लाई को समर्पित इस उत्सव का उद्देश्य इन जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है।
- ड्रैगनफ्लाई फेस्टिवल की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी।

ड्रैगनफ्लाई (Dragonfly):

- ड्रैगनफ्लाई, एक कीट है जो ओडोनेट (Odonata) वर्ग से संबंधित है।
- एक वयस्क ड्रैगनफ्लाइ की विशेषताओं में बड़ी एवं बहुमुखी आँखें, दो जोड़ी मज़बूत पारदर्शी पंख (कभी-कभी रंगीन) और लंबी शरीरीरिक संरचना शामिल है।
- सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ (Society for Odonate Studies):
- यह एक गैर-राजनीतिक, गैर-लाभकारी संगठन है जिसे ओडोनेट वर्ग के कीटों के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन कीटों की प्रजातियों एवं उनके आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिये गठित किया गया है।

नुआखाई जुहार Nuakhai Juhar

23 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने 'नुआखाई जुहार' (Nuakhai Juhar) के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएँ दी।

प्रमुख बिंदु:

- यह एक कृषि उत्सव है जिसे 'नुआखाई पर्व' (Nuakhai Parab) या 'नुआखाई भेटघाट' (Nuakhai Bhetghat) भी कहा जाता है।
- नुआखाई दो शब्दों (नुआ+खाई) से मिलकर बना है जो नए चावल खाने के महत्त्व को दर्शाता है। यहाँ 'नुआ' का अर्थ है नया और 'खाई' का अर्थ है खाना।
- यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिये पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्योहार है।
- यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है।
- इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। ओडिशा के संबलपुर ज़िले की प्रसिद्ध 'मातृ देवी' देवी समलेश्वरी (Goddess Samaleswari) को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में कुछ अन्न अर्पित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग इस दिन अपने-अपने ज़िलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे- लोकगीत एवं नृत्य का आयोजन करते हैं जो राज्य की स्थानीय संस्कृति एवं परंपरा को प्रदर्शित करते हैं।

ओपन एपीआई सर्विस Open API Service

हाल ही में आरोग्य सेतु एप में लोगों, व्यापार और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में वापस लाने हेतु मदद करने के लिये एक नई ओपन एपीआई सर्विस (Open API Service) की शुरुआत की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- आरोग्य सेतु एप की 'ओपन एपीआई सर्विस' का लाभ वे संगठन एवं व्यावसायिक संस्थान ले सकते हैं जो 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में पंजीकृत हैं और वे रियल टाइम में आरोग्य सेतु आवेदन के बारे में पता लगाने तथा अपने कर्मचारियों या आरोग्य सेतु के अन्य उपयोगकर्त्ताओं जिन्होंने संगठन के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिये अपनी सहमति प्रदान की है, की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करने के लिये 'ओपन एपीआई सर्विस' का उपयोग कर सकते हैं।
- ओपन एपीआई सर्विस केवल आरोग्य सेतु स्टेटस एवं आरोग्य सेतु उपयोगकर्त्ता का नाम (उपयोगकर्त्ता की सहमति से) प्रदान करेगा।
- 'ओपन एपीआई सर्विस' के माध्यम से कोई अन्य व्यक्तिगत डेटा प्रदान नहीं किया जाएगा।

नोट :

आरोग्य सेतु एप:

- COVID-19 महामारी से निपटने के लिये आरोग्य सेतु एप को 2 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- COVID-19 के मद्देनज़र यह अब तक 15 करोड़ से अधिक उपयोगकर्त्ताओं के साथ दुनिया में सबसे अधिक डाउनलोड किये जाने वाले तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का पता लगाने वाले एप के रूप में उभरा है।

बहरूपिया Behrupiya

बहरूपिया (Behrupiya) एक प्रकार के लोक कलाकार होते हैं जो पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं एवं पारंपरिक कहानियों का प्रदर्शन करने के लिये विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएँ धारण करते हैं।

प्रमुख बिंदु:

- 'बहरुपिया' शब्द संस्कृत के शब्द 'बाहु' (कई) और 'रोप' (रूप या प्रकटीकरण) से लिया गया है।
  - इन्हें 'नकल' (Naqal) या 'मसखरा' (Maskhara) कहा जाता है। 'मसखरा' (Maskhara) अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 'मजाकिया' (Jester) होता है।
- 'बहरुपिया' शादी या अन्य उत्सवों में एक नाटकीय प्रवेश करने के लिये पुलिस, पुजारी या अन्य किसी व्यक्ति का रूप धारण करता है और उन उत्सवों में उल्लास पैदा करता है।
  - उत्तर भारत में रामलीला की जीवंत परंपरा को इस प्रथा के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है जो आज भी जारी है।
- भटकाव एवं प्रतिरूपण की उनकी खास विशेषज्ञता के कारण मध्यकालीन भारतीय राजा इनका उपयोग जासूस के रूप में करते थे।
  - 16वीं शताब्दी में ये जयपुर रियासत के महाराजा सवाई माधोसिंह के सेवा कार्य से जुड़े थे।
- इन लोगों ने समाज में ज्ञान के विभिन्न रूपों को प्रचारित एवं प्रसारित करने में अहम भूमिका निभाई।
  - यह भी माना जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी।
- वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में अधिकतम संख्या में बहरूपिया निवास करते हैं।

इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स का एक नया आणविक संरक्षक
A New Molecular Guardian of Intestinal Stem Cells

'इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स' दो संभावित रूपों (शेष स्टेम कोशिकाएँ या आंत्र उपकला कोशिकाओं (Intestinal Epithelial Cells) के रूप में विकसित होने वाली कोशिकाएँ) के बीच एक अच्छा संतुलन रखती है।

- एक नए अध्ययन में 'टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी (Tokyo Medical and Dental University- TMDU) के शोधकर्त्ताओं ने एक आणविक तंत्र की खोज की जो इस संतुलन को नियंत्रित करता है और 'इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स' के स्टेमनेस (Stemness) को संरक्षित करता है।

स्टेमनेस (Stemness):

- स्टेमनेस (Stemness) का तात्पर्य सामान्य आणविक प्रक्रियाओं से है जो आत्म-नवीकरण के मूल स्टेम सेल गुणों और विभेदित संतति की पीढ़ी को अंतर्निहित करता है।

'आंत्र उपकला' (Intestinal Epithelial) कोशिकाएँ:

- आंतों की आंतरिक परत 'आंत्र उपकला' (Intestinal Epithelial) पोषक तत्वों के पर्याप्त पाचन एवं अवशोषण को सुनिश्चित करती है। यह कई अलग-अलग प्रकारों के सेल से निर्मित होता है ये सभी मिलकर एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं।
- आंत्र स्टेम सेल आंतों के समुचित कार्य को सुनिश्चित करते हैं जिसके लिये आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न आंत्र उपकला कोशिकाओं में से एक में विकसित करके युवा कोशिकाओं द्वारा पुरानी एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को लगातार बदलने की आवश्यकता होती है।
  - क्योंकि शारीरिक प्रक्रियाओं में नई कोशिकाओं की निरंतर ज़रूरत होती है। गौरतलब है कि 'इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स' में आत्म-नवीनीकरण की क्षमता होती है जिससे स्टेम सेल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

नोट :

- हालांकि उन तंत्रों के बारे में बहुत ज्ञात है जो स्व-नवीकरण एवं विभेद के बीच इस संतुलन (कोशिकाओं के दो संभावित रूपों के मध्य संतुलन) को विनियमित करते हैं।

इंटरफेरॉन (Interferon):

- इंटरफेरॉन ऐसे अणु होते हैं जो विशेष रूप से वायरल एवं जीवाणु संक्रमण के दौरान उत्पन्न होते हैं, किंतु हाल ही में यह भी पाया गया कि ये विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये संक्रमण की अनुपस्थिति में भी मौजूद होते हैं।
  - कुछ मामलों में, इंटरफेरॉन कुछ जीनों की अभिव्यक्ति (Expression of Certain Genes) को प्रेरित करते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रोटीन इंटरफेरॉन नियामक कारक-2 (Interferon Regulatory Factor 2- IRF2) द्वारा विनियमित होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इंटरफेरॉन के कार्य संतुलित हैं।

इंटरफेरॉन नियामक कारक 2 (Interferon Regulatory Factor 2- IRF2):

- इंटरफेरॉन नियामक कारक 2 (IRF2) एक प्रोटीन है जो मनुष्य में IRF2 जीन द्वारा सांकेतिक तरीके से परिवर्तित किया जाता है।
- वर्तमान अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने पाया कि IRF2 पूरी आंत्र उपकला में निर्मित होता है और IRF2 की कमी वाले चूहों में होमोस्टैसिस (संक्रमण या किसी अन्य विपरीत कारक की अनुपस्थिति) के दौरान सामान्य शारीरिक संरचना थी।
  - हालाँकि 5-फ्लूरोरासिल (5-fluorouracil) जिसे आंत्र उपकला को नुकसान पहुँचाने के लिये जाना जाता है, की उपस्थिति में सामान्य चूहे स्वयं को पूरी तरह से पुनर्गठित करने में सक्षम थे।
  - किंतु जिन चूहों में इंटरफेरॉन नियामक कारक 2 (IRF2) की कमी थी उनमें एक पुनर्योजी प्रतिक्रिया दिखाई दी जो यह दर्शाता है कि 'इंटेस्टाइनल स्टेम सेल्स' IRF2 की अनुपस्थिति में ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थीं।
  - दिलचस्प बात यह है कि अपरिपक्व पैनेथ कोशिकाएँ (Immature Paneth Cells) जो विशेष स्रावी कोशिकाएँ हैं, IRF2 की कमी वाले चूहों में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में मौजूद थीं।

बोंडा जनजाति Bonda Tribe

हाल ही में ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले की पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाले बोंडा जनजाति (Bonda Tribe) के लोग COVID-19 से संक्रमित पाए गए।

बोंडा जनजाति:

- बोंडा, मुंडा नृजातीय समूह (Munda Ethnic Group) से संबंधित एक जनजाति है जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के जंक्शन (तीन राज्यों की आपस में मिलने वाली सीमा) के पास दक्षिण-पश्चिम ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं।
- यह जनजाति ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में खैरापुट ब्लॉक (Khairaput Block) की पहाड़ियों में छोटी-छोटी झोंपड़ियों वाली बस्तियों में निवास करती है।
- ये भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और रेमो (Remo) के नाम से भी जाने जाते हैं। बोंडा भाषा में 'रेमो' का मतलब 'लोग' होता है।
- इन्हें भारत के विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूह (Particularly Vulnerable Tribal Group- PVTG) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 7000 है।
- ये अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं के लिये जाने जाते हैं। बोंडा को दो समूहों में विभाजित किया गया है:
  - लोअर बोंडा (Lower Bonda): ये आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे दक्षिण ओडिशा के मलकानगिरी ज़िले में रहते हैं।
  - अपर बोंडा (Upper Bonda): ये मलकानगिरी ज़िले के सुदूर गाँवों के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं।

नोट :

गुफाम (Gufam):

- भारत में बंधुआ मज़दूर (Unfree Labour) या गोटी प्रणाली (Goti System) को बोंडा लोगों द्वारा गुफाम (Gufam) के रूप में जाना जाता है।

ओडिशा में जनजातियाँ और COVID-19 महामारी:

- ओडिशा 62 जनजातीय समुदायों (भारत में जनजातीय आबादी का सबसे बड़ा विविध समूह) का निवास स्थान है।
  - इनमें से 13 जनजातियाँ PVTGs के अंतर्गत आती हैं।
  - ओडिशा में लगभग 20 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ 13 PVTGs की बड़ी आबादी निवास करती है। गौरतलब है कि इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में COVID-19 से संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं।
- ओडिशा में संपूर्ण जनजातीय आबादी 7 ज़िलों कंधमाल, मयूरभंज, सुंदरगढ़, नबरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी एवं रायगडा तथा 6 अन्य ज़िलों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- ओडिशा सरकार ने 10 जनजातीय भाषाओं में COVID-19 जागरूकता पत्रक का अनुवाद किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोग इसके दिशा-निर्देशों का गाँवों में प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

रोपवे Ropeway

24 अगस्त, 2020 को असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भारत के सबसे लंबे यात्री रोपवे (Ropeway) का गुवाहाटी (असम) में अनावरण किया।

प्रमुख बिंदु:

- 1.82 किलोमीटर लंबा बाई-केबल जिग-बैक रोपवे (Bi-cable Jig-back Ropeway) ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर गुवाहाटी शहर में कामरूप (मेट्रो) के उपायुक्त कार्यालय के पास एक वन परिसर को उत्तरी गुवाहाटी में डौल गोविंदा मंदिर (Doul Govinda temple) के पीछे एक पहाड़ी से जोड़ता है।
- यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित पीकॉक द्वीप (Peacock Island) के ऊपर से गुजरता है जिसमें एक मध्यकालीन शिव मंदिर उमानंद (Umananda) स्थित है।

शिव मंदिर उमानंद (Umananda):

- उमानंद देवलोई (Umananda Devaloi) गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप (पीकॉक द्वीप) पर स्थित एक शिव मंदिर है।
  - यह (पीकॉक द्वीप) दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है।
- इस मंदिर में पत्थर की मूर्तियाँ एवं नक्काशियाँ मौजूद हैं जो शुरुआती मध्यकाल से संबंधित हैं।
- ईंटों से निर्मित इस उमानंद मंदिर का निर्माण वर्ष 1694 में 'बार फुकन गढ़गान्या हांडिक' (Bar Phukan Garhganya Handique) द्वारा राजा गदाधर सिंह (King Gadadhar Singha) के आदेश से कराया गया था जो अहोम साम्राज्य के सबसे मज़बूत शासकों में से एक थे।

- 56.08 करोड़ रुपए की इस रोपवे परियोजना को वर्ष 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (Guwahati Metropolitan Development Authority- GMDA) को सौंपा गया था। दिसंबर 2009 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी।

महत्त्व:

- समय की बचत: असम की राजधानी गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी शहर के बीच जहाँ IIT गुवाहाटी स्थित है, के बीच प्रत्येक दिन हज़ारों लोग आवागमन करते हैं। इस रोपवे के निर्माण से एक किनारे से दूसरे किनारे तक मात्र 8 मिनट में पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में लगने वाला यह समय फेरी सर्विस के माध्यम से 30 मिनट तथा सड़क द्वारा 1 घंटा है।
- पर्यटन: यात्रा के समय में कमी करने के अलावा यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के मनमोहक दृश्य देखने के अवसर प्रदान करेगा और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा।

नोट :

सूक्ष्म शैवाल से कम लागत वाला बायोडीज़ल
Low-Cost Biodiesel From Microalgae

इंसपायर फैकल्टी फेलोशिप (INSPIRE Faculty Fellowship) प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक सूक्ष्म शैवाल (Microalgae) से कम लागत वाले बायोडीज़ल का विकास कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु:

- तेज़ी से कम हो रहे पेट्रोलियम आधारित ईंधन को देखते हुए तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (National Institute of Technology) के शोधकर्त्ताओं ने नवीकरणीय एवं सतत् स्रोतों से वैकल्पिक ईंधन की खोज शुरू की है।
  - इसके लिये जैव ईंधन के उत्पादन के लिये सूक्ष्म शैवाल के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- आर्थिक तौर पर बायोडीज़ल उत्पादन के लिये समुद्री सूक्ष्म शैवाल में ट्राईसिलग्लिसरॉल (Triacylglycerol) सामग्री को बढ़ाने की तकनीकों पर ज़ोर देने के लिये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित 'इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंसपायर्ड रिसर्च' (INSPIRE) फैकल्टी फेलोशिप प्राप्तकर्त्ताओं को चुना गया है।
- शोधकर्त्ताओं ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से समुद्री सूक्ष्म शैवाल से विभिन्न प्रजातियों [जैसे- पिकोक्लोरम एसपी (Picochlorum sp), स्केनडेसमस एसपी (Scenedesmus sp), क्लोरैला एसपी (Chlorella sp) आदि] को अलग किया है।
  - बायोडीज़ल उत्पादन के लिये कुल जैव कार्बन सामग्री एवं ट्राईसिलेग्लिसराइड्स (Triacylglycerides) सामग्री के संदर्भ में उनकी क्षमता के लिये इन प्रजातियों को अलग किया गया है।
- शोधकर्त्ता अब अपनी कई जैव-प्रौद्योगिकीय क्षमताओं एवं 'स्विचेबल पोलरिटी साल्वेंट' (Switchable Polarity Solvent-SPS) प्रणाली आधारित लिपिड निष्कर्षण (Lipid Extraction) के लिये अन्य सूक्ष्मजीवों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

स्विचेबल पोलरिटी साल्वेंट (Switchable Polarity Solvent- SPS):

- SPS एक ऊर्जा-कुशल स्विचेबल विलायक है जिसे थर्मल प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है और पर्यावरण पर बिना किसी प्रभाव के शैवाल लिपिड निष्कर्षण के लिये हरे रंग के विलायक के रूप में इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- बायोडीज़ल उत्पादन बढ़ाने में सहायक ट्राईसिलेग्लिसराइड्स संचय को बढ़ाने के लिये मेटाबोलिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोणों (Metabolic Engineering Approaches) का उपयोग किया जा सकता है और चुंबकीय नैनोकंपोज़िट (Magnetic Nanocomposite) का उपयोग शैवाल से पानी की मात्रा को अलग करने के विभिन्न चक्रों के लिये किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म शैवाल से कम लागत वाले बायोडीज़ल के निर्माण से संबंधित शोध को 'केमोस्फियर' (Chemosphere) नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है।

एयूडीएफएस01 AUDFs01

हाल ही में 'इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिज़िक्स' (Inter University Centre for Astronomy and Astrophysics- IUCAA) के वैज्ञानिकों के नेतृत्त्व में एक वैश्विक टीम ने तीव्र पराबैंगनी प्रकाश में एक आकाशगंगा 'एयूडीएफएस01' (AUDFs01) की खोज की है।

प्रमुख बिंदु:

- पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर 'एयूडीएफएस01' (AUDFs01) नामक एक आकाशगंगा से आते हुए तीव्र पराबैंगनी प्रकाश का पता एस्ट्रोसैट (AstroSat) नामक उपग्रह ने लगाया है।
  - एस्ट्रोसैट (AstroSat) भारत का पहला बहु तरंग दैर्ध्य वाला उपग्रह है जिसमें पाँच अद्वितीय एक्स-रे एवं पराबैंगनी दूरबीन कार्य कर रही हैं।

नोट :

- यह खोज IUCAA में खगोल विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. कनक साहा के नेतृत्त्व में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा की गई थी और इससे संबंधित शोध को 24 अगस्त, 2020 को नेचर एस्ट्रोनॉमी (Nature Astronomy) द्वारा प्रकाशित किया गया था।
  - अंतर्राष्ट्रीय टीम में भारत, स्विट्ज़रलैंड, फ्राँस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं नीदरलैंड के वैज्ञानिक शामिल हैं।

इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिक्स (IUCAA):

- IUCAA भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में सक्रिय समूहों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) द्वारा स्थापित किया गया एक स्वायत्त संस्थान है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी।
- IUCAA पुणे यूनिवर्सिटी के परिसर में अवस्थित है।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार
The Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration

भारत सरकार ने वर्ष 2006 में केंद्र एवं राज्य सरकारों के ज़िलों/संगठनों द्वारा किये गए असाधारण एवं अभिनव कार्यों को स्वीकार करने, उन्हें पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिये 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार' (The Prime Minister's Awards for Excellence in Public Administration) नाम की एक योजना शुरू की।

प्रमुख बिंदु:

- प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, नवाचार एवं महत्त्वाकांक्षी ज़िलों में ज़िला कलेक्टरों के कार्य को पहचानने के लिये वर्ष 2014 में इस योजना का पुनर्गठन किया गया था।
- ज़िले के आर्थिक विकास की दिशा में ज़िला कलेक्टरों के कामकाज को पहचानने के लिये वर्ष 2020 में पुन: नये तरीके से योजना बनाई गई है।
  - पुनर्गठित योजना के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 31 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- इस पुनर्गठित योजना के तहत निम्नलिखित तीन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है:
  - प्राथमिकता वाले क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो के माध्यम से समावेशी विकास
  - जन-जागरूकता को बढ़ावा देना- ज़िले में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी एवं ग्रामीण) के माध्यम से 'जनभागीदारी'
  - लोक प्रशासन के साथ बेहतर संपर्क और जन शिकायतों का निवारण
- इसके अलावा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार में नमामि गंगे कार्यक्रम में ज़िला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचाना जाएगा।
- नवाचारों की श्रेणी में परंपरागत रूप से सबसे अधिक नामांकन प्राप्त हुए हैं। 3 अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय/राज्य/ज़िला स्तर पर नवाचारों को मान्यता देने के लिये यह योजना व्यापक आधार प्रदान करती है।

पीएम अवार्ड्स पोर्टल:

- पीएम अवार्ड्स पोर्टल (PMs Awards Portal) की शुरूआत 17 जुलाई, 2020 को की गई थी।
- इस पोर्टल के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस, कॉल सेंटर एवं संचार के माध्यम से सचिवों से लेकर सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/ प्रशासकों की गतिविधियों तक पहुँच बनाई है।

नोट :

क्षुद्रग्रह 2018VP1 Asteroid 2018VP1

नासा (NASA) की 'जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी' (Jet Propulsion Laboratory) में सेंटर फॉर नियर ऑब्जेक्ट स्टडीज़ (Center for Near Objects Studies) के अनुसार, 2 नवंबर, 2020 को एक क्षुद्रग्रह 2018VP1 (Asteroid 2018VP1) पृथ्वी के पास से गुजरेगा।

प्रमुख बिंदु:

- यह क्षुद्रग्रह 2018VP1 बहुत छोटा है और इसका व्यास लगभग 6.5 फीट है।
- 2018VP1 नामक क्षुद्रग्रह को दो वर्ष पहले कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी (San Diego County) में पालोमर वेधशाला (Palomar Observatory) में खोजा गया था।
  - दो वर्ष पहले जब इसकी खोज की गई तो यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 2,80,000 मील दूर था किंतु नासा ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष यह क्षुद्रग्रह 4700 मील के करीब हो सकता है।
- नासा के अनुसार, इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने की मात्र 0.41% संभावना है। यदि यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो 2 नवंबर, 2020 को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।
- 'द प्लैनेटरी सोसाइटी' (The Planetary Society) के अनुसार, अंतरिक्ष में लगभग 1 बिलियन क्षुद्रग्रह होने का अनुमान है जिनका व्यास 1 मीटर से अधिक है।
  - 30 मीटर से अधिक व्यास वाले क्षुद्रग्रह पृथ्वी को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

चिक्सुलुब इम्पैक्टर (Chicxulub Impactor):

- यह एक क्षुद्रग्रह है, माना जाता है कि 66 मिलियन वर्ष पहले इस क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर की प्रजातियाँ अचानक विलुप्त हो गई थी। इसका व्यास 10 किलोमीटर से अधिक था।
- क्षुद्रग्रह 2018VP1 अत्यंत छोटे आकार का है और इसका व्यास लगभग 2 मीटर है और संभवत: पृथ्वी पर पहुँचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण आग का एक पिंड बन जाएगा और नष्ट हो जाएगा।
  - नासा के अनुसार, ऐसी घटनाएँ प्रत्येक वर्ष में लगभग एक बार होती हैं।

क्षुद्रग्रह प्रभाव एवं विक्षेपण आकलन (Asteroid Impact and Deflection Assessment- AIDA):

- इस मिशन के अंतर्गत नासा के 'डबल एस्टेराइड रीडायरेक्शन टेस्ट' (Double Asteroid Redirection Test- DART) मिशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) का 'हेरा' (Hera) मिशन शामिल है।
  - 'डबल एस्टेराइड रीडायरेक्शन टेस्ट' (Double Asteroid Redirection Test- DART) को लगभग 6 किमी. प्रति सेकंड की गति से डिडायमोस प्रणाली के छोटे क्षुद्रग्रहों के टकराव का अध्ययन करने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में लॉन्च किया जाएगा।
  - यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) के 'हेरा' (Hera) मिशन को वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा, यह वर्ष 2027 में डिडायमोस (Didymos) प्रणाली में पहुँचेगा। यह DART टकराव से निर्मित गड्ढों को मापने एवं क्षुद्रग्रह के कक्षीय प्रक्षेपवक्र में परिवर्तन का अध्ययन करेगा।
- इस मिशन का लक्ष्य डिडायमोस (Didymos) जो एक बाइनरी नियर-अर्थ एस्टेराइड (Binary Near-Earth Asteroid) है, का अध्ययन करना है। माना जाता है कि यह क्षुद्रग्रह अपने बड़े आकार के कारण पृथ्वी के लिये सबसे अधिक संभावित खतरा उत्पन्न कर सकता है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम National Clean Air Programme

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF-CC) के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) पर दी गई रिपोर्ट को नकार दिया है जिसमें वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण में 20-30% कमी का प्रस्ताव दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस रिपोर्ट को जमा करने से मना कर दिया है जिसमें एक समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि NCAP के तहत वायु प्रदूषण में 20-30% की कमी यथार्थवादी है।
  - NGT ने कहा कि MoEFCC का दृष्टिकोण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक जनादेश के खिलाफ था।

अनुच्छेद 21

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि "किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है"।
- केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को बताया कि वायु गुणवत्ता के स्तर पर तकनीकी एवं नीतिगत हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिये आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से एक मध्यावधि राष्ट्रव्यापी समीक्षा की जा सकती है और यदि आवश्यक हो तो लक्ष्य को अद्यतन किया जा सकता है।

जीवन का अधिकार (Right to Life):

- NGT ने कहा कि स्वच्छ वायु के अधिकार (Right to Clean Air) को जीवन के अधिकार (Right to Life) के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है वायु प्रदूषण में कमी करने में विफलता, जीवन के अधिकार से वंचित करती है।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme):

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी, 2019 को की गई थी। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया पाँच वर्षीय कार्यक्रम है।
- इसका प्रमुख लक्ष्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिये काम करना है।
  - देश के ज्यादातर शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिये इस देशव्यापी योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके तहत 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स को 20 से 30 फीसदी तक कम करने का 'अनुमानित राष्ट्रीय लक्ष्य' रखा गया है।

वारली पेंटिंग Warli Painting

भारतीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (National Fertilizers Limited- NFL) ने नोएडा में अपने कॉर्पोरेट कार्यालय की बाहरी दीवारों पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारली पेंटिंग (Warli Painting) प्रदर्शित की है।

प्रमुख बिंदु:

- वारली पेंटिंग (Warli Painting) की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई है, यह उत्तरी सह्याद्री में व्यापक रूप से वारली जनजाति द्वारा बनाई जाती है।

वारली पेंटिंग की विशेषताएँ:

- प्राकृतिक तत्त्व वारली पेंटिंग में मुख्य आकर्षक होते हैं, इस पेंटिंग में चावल का पेस्ट, गोंद एवं जल का मिश्रण चित्रों को सजाने के लिये उपयोग किया जाता है। बाँस की छड़ी का उपयोग ब्रश के रूप में किया जाता है।
- इस पेंटिंग में ज्यामितीय आकृतियों जैसे- वृत्त, त्रिकोण और वर्ग आदि का उपयोग किया जाता है साथ ही इस पेंटिंग में जीवन के विभिन्न पहलुओं एवं मान्यताओं को दर्शाते हुए कई आकृतियाँ बनाई जाती हैं।
- वारली चित्रकारी मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है।

नोट :

रागोत्सव II Raagotsav II

26 अगस्त, 2020 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदुस्तानी संगीत के प्रणेता पंडित जसराज एवं अन्य संगीतज्ञों को श्रद्धांजलि देने के लिये एक ऑनलाइन उत्सव 'रागोत्सव II' (Raagotsav II) का आयोजन किया गया। यह ऑनलाइन उत्सव 28 अगस्त, 2020 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक डाक्युमेन्ट्री 'रागोत्सव: सेलिब्रेशन ऑफ मॉनसून' (RAAGOTSAV: Celebration of Monsoon) का ऑनलाइन प्रसारण एफडी वेबसाइट (FD Website) और यू-ट्यूब चैनल केमाध्यम से किया गया है।
- यह उत्सव भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं एवं प्रसिद्ध संगीत घरानों के संगीतज्ञों के जीवन एवं कार्यों पर आधारित एक संगीतमय यात्रा से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है।
  - मेवाती घराने (Mewati Gharana) के प्रमुख गायक और समतावादी दर्शन (Egalitarian Philosophy) के अनुयायी पं. जसराज ने पारंपरिक शास्त्रीय शैली के साथ भक्ति संगीत का एक आदर्श मिश्रण पेश किया है।

ख्याल (Khayal) पर एक वृत्तचित्र :

- वृत्तचित्र 'ख्याल' (Documentary 'Khayal'): इस वृत्तचित्र के माध्यम से जयपुर, ग्वालियर, मेवाती एवं किराना जैसे विभिन्न घरानों की विशेषताओं और ख्याल गायकी के लिये संगीतज्ञों द्वारा किये गए योगदान को समझा जा सकता है।

फिल्म 'आमिर खान' (Film 'Amir Khan'):

- फिल्म 'आमिर खान' इंदौर घराने के संस्थापक 'उस्ताद आमिर खान' के जीवन और कार्यों को चित्रित करती है जो संगीत हेतु अपने बौद्धिक दृष्टिकोण के लिये जाने जाते हैं और अपने समय के सबसे प्रशंसित गायकों में से एक हैं जो रागों के सभीभावनात्मक पहलुओं को सामने ला सके।

एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी (M S Subbulakshmi) पर एक बायोपिक:

- इस बायोपिक में भारत रत्न एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी का संगीत के क्षेत्र में योगदान तथा कर्नाटक संगीत की प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा में उनके अपार योगदान को दर्शाया गया है।

पं. भीमसेन जोशी पर एक वृत्तचित्र:

- भारत रत्न भीमसेन जोशी किराना घराने के हिंदुस्तानी संगीत प्रतिपादक और ख्याल गायकी के विशेषज्ञ थे।

सेमांगुड़ी श्रीनिवास अय्यर (Semmangudi Sreenivasa Iyer) पर एक बायोपिक:

- इन्हें आधुनिक कर्नाटक संगीत के 'पितामह' के रूप में जाना जाता है।

गिरिजा देवी (Girija Devi) पर एक वृत्तचित्र:

- इसमें सेनिया (Seniya) और बनारस घराने की एक कलाकार तथा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन एवं कार्यों को दिखाया गया है।
- इन्हें ठुमरी गायकी के स्तर को ऊँचा करने का श्रेय दिया जाता है और इनके प्रदर्शनों की सूची में कज़री, चैती, होरी जैसी कई तरह की अर्द्ध-शास्त्रीय शैलियों को शामिल किया गया।

गंगूबाई हंगल (Gangubai Hangal) पर एक फिल्म:

- किराना घराने से संबंधित और अपनी गहरी एवं शक्तिशाली आवाज़ के लिये जानी जाने वाली गंगूबाई हंगल (Gangubai Hangal) महान उस्ताद सवाई गंधर्व (Sawai Gandharwa) की शिष्या थीं।
- इस फिल्म में उनके ख्याल गायन एवं दर्शन पर प्रकाश डाला गया है।

नोट :

सिद्धेश्वरी (Siddheswari) पर एक फिल्म:

- यह फिल्म हिंदुस्तानी गायिका, सिद्धेश्वरी देवी के जीवन एवं उनकी संगीत यात्रा को समर्पित है।
- यह फिल्म शास्त्रीय संगीत की दुनिया में उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करती है।

हंस अकेला (Hans Akela):

- 'हंस अकेला' एक पोते की अपने दादा के जीवन एवं कार्यों में खोज पर आधारित फिल्म है। यह खोज सिर्फ एक गायन किंवदंती के रूप में नहीं है बल्कि एक संगीतज्ञ के रूप में भी है।

द मेलोडी मैन: डॉ बालमुरली कृष्ण (The Melody Man -Dr. Balamurali Krishna):

- यह फिल्म कर्नाटक संगीत के महान प्रतिपादक 'डॉ. बालमुरली कृष्ण' के जीवन पर आधारित है जो एक गायक, बहु-वादक, संगीतकार एवं अभिनेता थे।
- इसके अतिरिक्त तराना, ध्रुपद जैसे संगीत पर भी वृत्तचित्र एवं फिल्म का चित्रांकन किया गया।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021
Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar-2021

हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने बच्चों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार-2021 (Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar-2021) के लिये नामांकन आमंत्रित किया है।

प्रमुख बिंदु:

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिये की गई थी।
- ये पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं: 1. बाल शक्ति पुरस्कार 2. बाल कल्याण पुरस्कार।
  - बाल शक्ति पुरस्कार के विजेता, नई दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में भी हिस्सा लेते हैं।
- बाल शक्ति पुरस्कार का उद्देश्य नवाचार, शैक्षणिक, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान करना है।
- बाल कल्याण पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये दिया जाता है जिन्होंने बच्चों की सेवा करने के लिये बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है।
- इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले सप्ताह में प्रदान किया जाता है।

एएसआई के सात नए प्रशासनिक सर्कल Seven New Administrative Circles of ASI

हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) के सात नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु:

- इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण एवं पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है।
- ये नए सर्कल जबलपुर (मध्य प्रदेश), त्रिची (तमिलनाडु), झांसी एवं मेरठ (उत्तर प्रदेश), हम्पी (कर्नाटक), रायगंज (पश्चिम बंगाल) और राजकोट (गुजरात) में बनाए गए हैं।
  - हम्पी मिनी सर्कल को एक नए सर्कल में अपग्रेड किया गया है और दिल्ली मिनी सर्कल को दिल्ली सर्कल के साथ मिला दिया गया है।
- तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में जहाँ हज़ारों मंदिर हैं और चोल साम्राज्य का महान इतिहास मौजूद है, चेन्नई सर्कल के साथ त्रिची (Trichy) को एक नया सर्कल बना दिया गया है।

नोट :

- कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का स्थान है इसलिये हम्पी उप-सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है।
- पश्चिम बंगाल में रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है जो पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में भौगोलिक असुविधा को समाप्त करेगा।
- गुजरात में राजकोट को वडोदरा के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है।
- जबलपुर को मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल एवं सागर संभागों के स्मारक शामिल होंगे।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ और बुंदेलखंड में झांसी को उत्तर प्रदेश में लखनऊ एवं आगरा के साथ दो नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है।
- गौरतलब है कि इससे पहले देश भर में 29 ASI सर्कल थे।

पुलिक्कली Pulikkali

पुलिक्कली (Pulikkali) या टाइगर डांस (Tiger Dance) केरल के त्रिशूर (Thrissur) में मनाये जाने वाले ओणम (Onam) उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु:

- पुलिक्कली (Pulikkali) में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग से शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूज़िक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं।
  - COVID-19 के मद्देनज़र इस बार ये उत्सव ऑनलाइन आयोजित किये जाएंगे।
  - इस बार ओणम (Onam) उत्सव पर अय्यानथोल देशम पुलिक्कली (Ayyanthole Desham Pulikkali) टीम ऑनलाइन पुलिक्कली का आयोजन करेगी।

शक्थान थम्पूरन (Shakthan Thampuran):

- शक्थान थम्पूरन (Shakthan Thampuran) ने दो सदी पहले एक 'स्ट्रीट आर्ट' (Street Art) के रूप में पुलिक्कली से लोगों को परिचित कराया था।
  - राम वर्मा IX जिन्हें शक्थान थम्पूरन के रूप में जाना जाता है, कोचीन साम्राज्य के शासक थे।
  - शक्थान थम्पूरन को केरल के त्रिशूर शहर का वास्तुकार माना जाता है। माना जाता है कि त्रिशूर पूरम (Thrissur Pooram) त्योहार को सबसे पहले उनके द्वारा शुरू किया गया था।
- त्रिशूर शहर को कई पारंपरिक त्योहारों एवं ऐतिहासिक मंदिरों के कारण केरल की सांस्कृतिक राजधानी (Cultural Capital of Kerala) के रूप में जाना जाता है।

ओणम (Onam):

- दक्षिण भारत, विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्राय: सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है।
- यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं।
- ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने 'चिंगम' से शुरू होता है, इसलिये इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है।
- लगभग 10-12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्त्वपूर्ण होता है।
- यह त्यौहार असुर राजा महाबलि के पुन: घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खास तरीके व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली कहते हैं और यह ओणम का सबसे महत्त्वपूर्ण आयोजन होता है।

नोट :

विश्व उर्दू सम्मेलन World Urdu Conference

27 अगस्त, 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आभासी तरीके से राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (National Council for Promotion of Urdu Language- NCPUL) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन (World Urdu Conference) के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु:

- इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष से 'राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद' द्वारा उर्दू लेखकों एवं साहित्यकारों को उर्दू को प्रोत्साहित करने के लिये अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, आगा हशर, राम बाबू सक्सेना एवं दया शंकर नसीम जैसी उर्दू की महत्त्वपूर्ण हस्तियों के नाम पर पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।

उर्दू भाषा:

- उर्दू को लश्करी (Lashkari) के रूप में भी जाना जाता है जिसे अक्सर हिंदुस्तानी भाषा के फारसी संस्करण के रूप में वर्णित किया जाता है।
- भारत में उर्दू संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है।

भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची:

- संविधान की आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है।
- इस सूची में मूल रूप से 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था परंतु 8 अन्य भाषाओं को बाद में इस सूची में जोड़ा गया।
- इस सूची में सिंधी भाषा को वर्ष 1967 में संविधान के 21वें संशोधन अधिनियम और कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को वर्ष 1992 में 71वें संशोधन; जबकि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के 92वें संशोधन से इस सूची में जोड़ा गया।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद (NCPUL):

- NCPUL भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग (Department of Secondary and Higher Education) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- उर्दू भाषा को बढ़ावा देने, विकसित करने एवं उसका प्रचार करने के लिये गठित NCPUL ने 1 अप्रैल, 1996 को दिल्ली में अपना संचालन शुरू किया।
- NCPUL उर्दू भाषा के प्रचार के लिये राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में तथा उर्दू भाषा एवं उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख समन्वय एवं निगरानी प्राधिकरण है।

हरिकेन लौरा Hurricane Laura

27 अगस्त, 2020 को तूफान की श्रेणी 4 (Category 4) के अंतर्गत आने वाले हरिकेन लौरा (Hurricane Laura) जिसकी गति 150 मील प्रति घंटा है, के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी-पश्चिमी लुसियाना (Louisiana) में भूस्खलन हुआ।

प्रमुख बिंदु:

- हरिकेन लौरा के मद्देनज़र संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र (National Hurricane Center- NHC) ने 'जीवन के लिये खतरनाक स्थिति' (Life-threatening Conditions) की चेतावनी दी है।
- हरिकेन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात (Tropical cyclone) को सैफिर-सिंपसन विंड स्केल (Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जिसमें हवा की गति के आधार पर 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाती है।
- श्रेणी 3 या इससे ऊपर की श्रेणी के हरिकेन को संपत्ति एवं जीवन को विनाशकारी नुकसान पहुँचाने की उनकी क्षमता के कारण प्रमुख हरिकेन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

नोट :

तूफान की श्रेणी 4:

- हरिकेन लौरा श्रेणी 4 का तूफान है जिसका अर्थ है कि अच्छी तरह से निर्मित घरों की छत एवं बाहरी दीवारों के नुकसान के साथ गंभीर क्षति हो सकती है।
- श्रेणी 4 के तूफान में हवा की गति 130-156 मील प्रति घंटे के बीच होती है, यह पेड़ों को उखाड़ सकती है और बिजली की लाइनों को प्रभावित कर सकती है।

हरिकेन हान्ना (Hurricane Hanna):

- हरिकेन हान्ना जिसके कारण जुलाई, 2020 में टेक्सास तट पर भूस्खलन हुआ था, इसकी गति 90 मील प्रति घंटे तक पहुँच गई थी और इसे तूफान की श्रेणी 1 में सूचीबद्ध किया गया था।
- यह वर्ष 2020 के अटलांटिक हरिकेन मौसम (Atlantic Hurricane Season) का पहला हरिकेन था।
  - अटलांटिक हरिकेन मौसम की अवधि 1 जून से 30 नवंबर के मध्य होती है और 'नेशनल ओशनिक एंड एटमास्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन' (National Oceanic and Atmospheric Administration- NOAA) के अनुसार, एक औसत हरिकेन मौसम में लगभग 12 हरिकेन आते हैं जिनमें से तीन प्रमुख हरिकेन के साथ छह सामान्य हरिकेन बन जाते हैं।
  - जबकि पूर्वी प्रशांत तट पर हरिकेन मौसम की अवधि 15 मई से 30 नवंबर के मध्य होती है।

ग्रेट अंडमानी जनजाति Great Andamanese Tribe

केंद्रशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी जनजाति (Great Andamanese Tribe) के नौ लोग COVID-19 से संक्रमित पाए गए।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि अंडमान एवं निकोबार में अब तक COVID-19 के 2985 मामले दर्ज किये गए हैं जिनमें से 676 सक्रिय हैं और अब तक 41 की मौत हो चुकी है।
  - ग्रेट अंडमानी जनजाति COVID-19 से प्रभावित होने वाली दुर्लभ जनजातियों में से पहली है।
  - विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) के अंतर्गत आने वाली ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या मात्र 59 है।
- हाल ही में स्ट्रेट आईलैंड (Strait Island) में COVID-19 से संबंधित ग्रेट अंडमानी जनजाति के चार नए मामले दर्ज किये गए हैं। उल्लेखनीय है कि ग्रेट अंडमानी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्ट्रेट आईलैंड पर निवास करती है।

स्ट्रेट आईलैंड (Strait Island):

- स्ट्रेट आईलैंड अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है।
- यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक ज़िले के अंतर्गत आता है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है।
- यह द्वीप एक प्रकार का 'जनजातीय आरक्षित क्षेत्र' है।
- यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 63 किमी. उत्तर में अवस्थित है।
- अंडमान एवं निकोबार छह जनजातियों [सेंटिनली (Sentinelese), जारवा (Jarawa), ग्रेट अंडमानी (Great Andamanese), ओंगे (Onge), शोम्पेन (Shompen) एवं निकोबारी (Nicobarese) का निवास स्थान है।

ग्रेट अंडमानी (Great Andamanese):

- स्ट्रेट आइलैंड उत्तर एवं मध्य अंडमान ज़िले का हिस्सा है जो ग्रेट अंडमानी जनजाति का निवास स्थान है।

जारवा (Jarawa):

- दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह, जारवा जनजाति का निवास स्थान है।

नोट :

ओंगे (Onge):

- लिटिल अंडमान द्वीप (Little Andaman Island), ओंगे जनजाति का निवास स्थान है।

शोम्पेन (Shompen):

- शोम्पेन, ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक क्षेत्र में निवास करने वाले देशज लोग हैं।

अंडमान एवं निकोबार की जनजाति की विशेषताएँ:

- अंडमान जनजातियाँ नीग्रेटो (Negrito) समूह के अंतर्गत आती हैं जबकि निकोबार जनजातियाँ मंगोलोइड समूह के अंतर्गत आती हैं।
- ये जनजातियाँ 'द्वीपीय प्रभाव' (Island Effect) के कारण छोटे कद की हैं।
- नौकायान, शिकार, वन निवास आदि इन जनजातियों के प्रमुख व्यवसाय हैं। पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश जनजातियों ने शिकार करना छोड़ दिया है और पूरी तरह से सरकारी मदद पर निर्भर हैं।

उड़ान 4.0 UDAN 4.0

हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज़ के इलाकों एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिये क्षेत्रीय संपर्क योजना: उड़े देश का आम नागरिक [Regional Connectivity Schemee—Ude Desh Ka Aam Nagarik (UDAN)] योजना के चौथे दौर के तहत 78 नये मार्गों को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

- उड़ान योजना के चौथे दौर के तहत उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को नए मार्गों के लिये अनुमोदन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी गई है।
- उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्ग स्वीकृत किये गए हैं।
- उड़ान (UDAN) योजना के इस चौथे दौर की शुरुआत दिसंबर, 2019 में हुई थी।
- उड़ान 4.0 (UDAN 4.0) के तहत इन 78 मार्गों को मंज़ूरी देना केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के अनुरूप है।
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहले से ही विकसित किये गए हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding- VGF) हेतु उच्च प्राथमिकता दी गई है।

वायबिलिटी गैप फंडिंग (Viability Gap Funding):

- VGF एक प्रकार का अनुदान है जिसे बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिये प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हैं किंतु वित्तीय व्यवहार्यता से पर्याप्त नहीं है।
- UDAN 4.0 के तहत हेलीकॉप्टर और सीप्लेन (SeaPlane) के संचालन को भी शामिल किया गया है।

जारवा जनजाति Jarawa Tribal

हाल ही में ग्रेट अंडमानी जनजाति के नौ लोगों के COVID-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने जारवा जनजाति (Jarawa Tribal) के लोगों के लिये COVID-19 परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु:

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 6 अधिसूचित अनुसूचित जनजातियाँ (Scheduled Tribes) हैं।
  - निकोबारी जनजाति के अलावा पाँच अन्य जनजातियों (जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, शोम्पेन एवं सेंटीनली) को विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में सूचीबद्ध किया गया है।

नोट :

- पाँच PVTGs में से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने चार जनजातियों (जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी एवं शोम्पेन) से संपर्क किया है किंतु सेंटीनली जनजाति अपने क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन पर आक्रामक हो जाती है।
  - नवंबर 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 27 वर्षीय जॉन एलेन चाउ (John Allen Chau) को सेंटीनली जनजाति के लोगों ने मार डाला जब उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की।
- वर्तमान में जारवा रिज़र्व (Jarawa Reserve) के पश्चिम तट में जारवा जनजाति समूह के लगभग 500 सदस्य निवास करते हैं।
  - COVID-19 के मद्देनज़र प्रशासन ने ग्रेट अंडमानी और जारवा जनजाति को क्रमश: जारवा रिज़र्व के स्ट्रेट आईलैंड (Strait Island) और वेस्ट कोस्ट (West Coast) में स्थानांतरित कर दिया ताकि उनको बाहरी लोगों के साथ किसी भी संपर्क से बचा जा सके।
- जारवा जनजाति को COVID-19 के किसी भी संभावित प्रसार से बचने के लिये छोटे समूहों में रहने की सलाह दी गई है।

जारवा जनजाति:

- दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह, जारवा जनजाति का निवास स्थान है।
- वर्तमान में खानाबदोश जारवा जनजाति के लगभग 500 सदस्य 40-50 लोगों के समूहों में चड्ढा (Chaddha) में रहते हैं जिसको वे अपना घर कहते हैं।
- व्यावसायिक गतिविधियाँ: सूअर, कछुआ, मछली, केकड़ा आदि का शिकार करना, फल, जंगली जड़ें, कंद और शहद संग्रहित करना।
  - जारवा जनजाति को इन सबको संग्रहित करने के लिये अक्सर बारातांग द्वीप (Baratang Island) पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

बारातांग द्वीप (Baratang Island):

- बारातांग द्वीप अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है।
- यह उत्तर एवं मध्य अंडमान प्रशासनिक ज़िले के अंतर्गत आता है जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है।
- इसे रांचीवालस द्वीप (Ranchiwalas Island) के नाम से भी जाना जाता है।
- बारातांग द्वीप, भारत में पंक ज्वालामुखियों (Mud Volcanoes) का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। इन पंक ज्वालामुखियों में छिटपुट तरीके से विस्फोट होता रहता है, वर्ष 2005 में हुए ज्वालामुखी विस्फोटों का विश्लेषण करने पर अनुमान लगाया गया कि ये विस्फोट वर्ष 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप से संबंधित थे।
- एक पंक ज्वालामुखी या पंक गुंबद, मिट्टी, पानी एवं गैसों के विस्फोट से निर्मित एक भू-आकृति है।
- जारवा पुरुष एवं महिला दोनों पेड़ों से जंगली शहद संग्रहित करते हैं। शहद संग्रह के दौरान समूह के सदस्य अपनी खुशी व्यक्त करने के लिये गाना गाते हैं।
- जारवा लोग शहद संग्रहण के दौरान मधुमक्खी भगाने वाले पौधे [जैसे- ऑयेकवलिन (Ooyekwalin)] की पत्तियों को चबाते हैं।

एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ ऑफ स्टेट्स
Association of Renewable Energy Agencies of States

27 अगस्त, 2020 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ ऑफ स्टेट्स (Association of Renewable Energy Agencies of States- AREAS) के पदेन संरक्षक आर. के. सिंह ने ऑनलाइन मंच के माध्यम से एआरईएएस (AREAS) के 6वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु:

- इस समारोह के दौरान AREAS की वेबसाइट www.areas.org.in लॉन्च की और AREAS की टेलीफोन निर्देशिका भी जारी की गई।
- इस समारोह में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा के लिये नवीकरणीय खरीद दायित्त्व (Renewable Purchase Obligation- RPO) तंत्र का प्रस्ताव किया है जो देश में बिजली भंडारण को बढ़ावा देगा।

नोट :

- RPO के अनुसार सभी विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा में खरीद या उत्पादन करना चाहिये।
- यह भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (Indian Electricity Act, 2003) के अनुसार है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissions) राज्य के लिये न्यूनतम RPO तय करते हैं।

एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज़ ऑफ स्टेट्स (AREAS):

- AREAS का गठन केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल पर आपस में बातचीत करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिये किया गया है।
- इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों एवं योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में अपनी सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों एवं ज्ञान साझा करना भी है।
- AREAS का पंजीकरण 27 अगस्त, 2014 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 (Society Registration Act-1860) के तहत किया गया था।
- AREAS के संरक्षक केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा इसके पदेन अध्यक्ष केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव होते हैं।
- सभी राज्य नोडल एजेंसियाँ इस एसोसिएशन की सदस्य हैं।

कोरल ऑस्टियोपोरोसिस Coral Osteoporosis

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में पता चला कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनज़र महासागरों के अम्लीय होने के कारण कोरल 'ऑस्टियोपोरोसिस' (Osteoporosis) विकसित होता है।

प्रमुख बिंदु:

- 27 अगस्त, 2020 को जर्नल 'जियोफिज़िकल रिसर्च लेटर्स' (Geophysical Research Letters) में प्रकाशित एक पेपर में शोधकर्त्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef) के साथ-साथ दक्षिण चीन सागर में दो प्रवाल भित्तियों पर कोरल कंकाल घनत्व में उल्लेखनीय कमी देखी है। यह कमी वर्ष 1950 के बाद से इन प्रवाल भित्तियों के आसपास जल में बढ़ती अम्लीयता से संबंधित है।
- अध्ययन में बताया गया कि 20वीं सदी के समुद्री अम्लीकरण का ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण चीन सागर में की-स्टोन रीफ-बिल्डिंग कोरल प्रजातियों के विकास पर औसत दर्जे का प्रभाव था। किंतु अगले कई दशकों में समुद्री अम्लीकरण के बढ़ने से इन प्रभावों में तेज़ी आएगी।
- सामान्य तौर पर वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का एक तिहाई हिस्सा समुद्र द्वारा अवशोषित होता है जिससे पूर्व-औद्योगिक युग के बाद से समुद्री जल के पीएच (pH) में औसत 0.1 यूनिट की गिरावट हुई है। समुद्री अम्लीकरण के रूप में जानी जाने वाली इस घटना से समुद्री जल में कार्बोनेट आयनों की सांद्रता में 20% की कमी आई है।
  - परिणामत: कोरल जैसे जीव जो अपना कंकाल बनाने के लिये कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर रहते हैं, वे जोखिम की स्थिति से गुजर रहे हैं क्योंकि महासागरीय पीएच (pH) में लगातार गिरावट जारी है।
- महासागरीय अम्लीकरण, कोरल द्वारा निर्मित कंकाल घनत्व को लक्षित करता है और धीरे-धीरे प्रवाल की क्षमता को कमज़ोर करता है जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मनुष्यों में हड्डियों को कमज़ोर करता है।
- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि वर्ष 1950 के आसपास शुरू हुआ महासागरीय अम्लीकरण ग्रेट बैरियर रीफ (13%) और दक्षिण चीन सागर (7%) में कंकाल घनत्व में महत्त्वपूर्ण गिरावट का कारण है। इसके विपरीत उन्होंने फीनिक्स द्वीप (Phoenix Islands) और मध्य प्रशांत में एक ही प्रकार के कोरल पर समुद्री अम्लीकरण का कोई प्रभाव नहीं मिला जहाँ संरक्षित रीफ प्रदूषण, अत्यधिक मत्स्यन आदि से प्रभावित नहीं होती हैं।

फीनिक्स द्वीप (Phoenix Islands):

- फीनिक्स द्वीप समूह आठ एटॉल (Atolls) और दो जलमग्न प्रवाल भित्तियों का एक समूह है जो मध्य प्रशांत महासागर में गिल्बर्ट द्वीप (Gilbert Islands) समूह के पूर्व में और लाइन द्वीप (Line Islands) के पश्चिम में अवस्थित है।

नोट :

- वर्ष 2008 में स्थापित 'फीनिक्स द्वीप संरक्षित क्षेत्र' (Phoenix Islands Protected Area) दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है और लगभग 120 प्रवाल प्रजातियों एवं 500 से अधिक मछली प्रजातियों का निवास स्थान है।
- ये द्वीप समूह किरिबाती गणराज्य (Republic of Kiribati) का हिस्सा हैं।
- हालाँकि वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन महासागरीय अम्लीकरण का सबसे बड़ा कारक है किंतु सीवेज एवं
- अन्य अपवाह तंत्र भी महासागरीय अम्लीकरण के प्रभाव को तेज़ कर सकते हैं जिससे आस-पास की भित्तियों पर समुद्री जल pH में और भी कमी आ सकती है।
- शोधकर्त्ताओं ने महासागरीय अम्लीकरण एवं अपवाह के संयुक्त प्रभावों को ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिणी चीन सागर में कोरल के घटते कंकाल घनत्व के लिये ज़िम्मेदार माना है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के 'वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन' (Woods Hole Oceanographic Institution) में शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित एक अभिनव संख्यात्मक मॉडल प्रवाल विकास पर महासागरीय अम्लीकरण (समुद्री तापन से अलग) के अलग-अलग प्रभावों को दर्शाता है।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा Andromeda Galaxy

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने नासा (NASA) के 'हबल स्पेस टेलीस्कोप' (Hubble Space Telescope) का उपयोग करके एंड्रोमेडा आकाशगंगा (Andromeda Galaxy) के आसपास एक गैसीय आवरण जिसे प्रभामंडल (Halo) कहा जाता है, का मानचित्रण किया है।

प्रमुख बिंदु:

- वैज्ञानिकों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि विस्तृत प्लाज़्मा का लगभग अदृश्य प्रभामंडल एंड्रोमेडा आकाशगंगा से 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष (हमारी आकाशगंगा के लगभग आधे तक) दूर तक फैला हुआ है और कुछ दिशाओं में यह 2 मिलियन प्रकाश-वर्ष दूर तक भी फैला हुआ है।
  - इसका मतलब है कि एंड्रोमेडा का प्रभामंडल पहले से ही हमारी अपनी आकाशगंगा के प्रभामंडल में टकरा रहा है।
  - वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि प्रभामंडल में एक स्तरित संरचना (Layered Structure) है जिसमें गैस के दो मुख्य नेस्टेड (Nested) और अलग-अलग चक्राकार छल्ले हैं।
  - यह एक आकाशगंगा के आसपास के प्रभामंडल का सबसे व्यापक अध्ययन है।

महत्त्व:

- गैस के इस भंडार (प्रभामंडल) में आकाशगंगा के भीतर भविष्य में तारों के गठन के लिये ऊष्मा होती है साथ ही सुपरनोवा जैसी घटनाएँ भी घटित होती है। इस प्रभामंडल के द्वारा आकाशगंगा के अतीत एवं भविष्य के विकास के बारे में जानकारी जुटाई जा सकती है।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा (Andromeda Galaxy):

- एंड्रोमेडा आकाशगंगा जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 1 ट्रिलियन तारों का एक प्रभावशाली सर्पिल है और हमारी आकाशगंगा के आकार में तुलनीय है।
- 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतनी करीब है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएँ के आकार के रूप में दिखाई देती है।

प्रोजेक्ट एमिगा (AMIGA):

- प्रोजेक्ट एमिगा (Absorption Map of Ionized Gas in Andromeda-एंड्रोमेडा में आयनित गैस का समावेशी मानचित्र) नामक एक कार्यक्रम के तहत एंड्रोमेडा से दूर स्थित 43 क्वासरों (Quasars) से आने वाले प्रकाश का अध्ययन किया गया।
  - क्वासर (Quasars): ये ब्लैक होल द्वारा संचालित सक्रिय आकाशगंगाओं के चमकदार कोर होते हैं।

नोट :

अफ्रीकन बाओबाब African Baobab

हाल ही में 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' (Scientific Reports) जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया गया है कि अफ्रीकन बाओबाब (African Baobab) नामक वृक्ष में 168 गुणसूत्र (Chromosomes) होते हैं जो आने वाले समय में आनुवंशिक अध्ययन, संरक्षण एवं कृषि उद्देश्यों के लिये महत्त्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं।

- गौरतलब है कि इससे पहले किये गए अध्ययनों में अफ्रीकन बाओबाब में 96 से 166 के बीच गुणसूत्र होने की जानकारी दी गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- शोधकर्त्ताओं ने वृक्ष की कोशिकाओं (जो गहने की तरह चमकती हैं) के भीतर व्यक्तिगत गुणसूत्रों (Individual Chromosomes) के आनुवंशिक घटकों को देखने के लिये फ्लोरोसेंट जाँच (Fluorescent Probes) का उपयोग किया।
- अध्ययन के विश्लेषण से यह भी पता चला कि पेड़ में एक बड़े पैमाने पर 'न्यूक्लिओलस आर्गेनाइज़र रीजन' (Nucleolus Organizer Region- NOR) है। मुख्य गुणसूत्र निकाय के सापेक्ष यह क्षेत्र किसी भी अन्य पौधों की प्रजातियों की तुलना में बड़ा दिखाई देता है।
  - कोशिका चक्र के कुछ चरणों के दौरान 'न्यूक्लिओलस आर्गेनाइज़र रीजन' (NORs) पर न्यूक्लिओली (Nucleoli) का गठन होता है।
  - न्यूक्लिओली, यूकैरियोट्स (Eukaryotes) में राइबोसोम के गठन एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिये आवश्यक हैं और यह (न्यूक्लिओली) एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स (Prokaryotes) से अलग करती है।

महत्त्व:

- अफ्रीकन बाओबाब के ये आनुवंशिक निष्कर्ष मूलभूत हैं, इन निष्कर्षों के माध्यम से इसके आनुवंशिक संरक्षण को अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।
- यह अनुसंधान, वृक्ष प्रजनन कार्यक्रमों (Tree Breeding Programs) के लिये एक मार्गदर्शक भी है जहाँ सिल्वीकल्चरल (Silvicultural) अनुप्रयोगों के लिये बाओबाब में सुधार करने की मांग की जा रही है।

अफ्रीकन बाओबाब (African Baobab):

- अफ्रीकन बाओबाब [वैज्ञानिक नाम- एडानसोनिया डिजीटाटा (Adansonia Digitata)] को 'ट्री ऑफ लाइफ' (Tree Of Life) भी कहा जाता है।
- बाओबाब वृक्ष एक हज़ार से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है और यह भोजन, पशुओं के लिये चारा, औषधीय यौगिक एवं कच्चा माल प्रदान करता है।

अफ्रीकन बाओबाब की विशेषता:

- अफ्रीका में, विशेष रूप से सवाना क्षेत्र में जहाँ मौसम शुष्क एवं गंभीर रूप से जलवायु परिवर्तन की स्थिति से प्रभावित होता है वहाँ कई पेड़ों का जीवित रह पाना मुश्किल हो जाता है किंतु इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बाओबाब वृक्ष वर्ष भर जीवित रहता है और कई जीवों के लिये जीवन ऊर्जा का स्रोत भी होता है।
- इसके बड़े तनों में वर्षा जल को अवशोषित करने एवं संग्रहीत करने की क्षमता होती है और यह सूखे मौसम के दौरान पोषक तत्वों से युक्त फलों के साथ-साथ मनुष्यों एवं जानवरों के लिये भोजन, जल एवं आश्रय प्रदान करता है।
- बाओबाब वृक्ष अविश्वसनीय रूप से महत्त्वपूर्ण हैं किंतु इसके संरक्षण से संबंधित कई चुनौतियाँ हैं और अब तक इसके बारे में आनुवंशिक जानकारी की कमी भी है।

गुणसूत्र (Chromosomes):

- गुणसूत्र पशुओं एवं पौधों की कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर स्थित धागे जैसी संरचनाएँ हैं।
- प्रत्येक गुणसूत्र प्रोटीन एवं 'डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड' (डीएनए) के एक एकल अणु से मिलकर बना होता है।

नोट :

सिल्वीकल्चरल (Silvicultural):

- यह मूल्यों एवं ज़रूरतों विशेष रूप से लकड़ी के उत्पादन एवं माँग को पूरा करने के लिये वनों की वृद्धि, संगठन/संरचना एवं गुणवत्ता को नियंत्रित करने का अभ्यास है।
- वानिकी (Forestry) और सिल्वीकल्चर के बीच अंतर यह है कि फॉरेस्ट स्टैंड लेवल (Forest Stand Level) पर सिल्विकल्चर को अपनाया जाता है जबकि वानिकी (Forestry) एक व्यापक अवधारणा है।
  - 'फॉरेस्ट स्टैंड' वृक्षों का एक सन्निहित समुदाय है जिसमें वृक्षों के संगठन, संरचना, आयु, आकार, वर्ग, वितरण, स्थानिक व्यवस्था, स्थान की गुणवत्ता, स्थिति आदि के संदर्भ में एकरूपता होती है और यह आसन्न समुदायों से भिन्न होता है।

राष्ट्रीय खेल दिवस-2020 National Sports Day-2020

प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यान चंद (Major Dhyan Chand) की जयंती को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस (National Sports Day) के तौर पर मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- दूसरे विश्व युद्ध से पहले मेजर ध्यान चंद ने वर्ष 1928 (एम्सटर्डम), वर्ष 1932 (लॉस एंजेलस) और वर्ष 1936 (बर्लिन) में लगातार तीन ओलंपिक खेलों में हॉकी के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया था।
  - वर्ष 1956 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि मेजर ध्यान चंद की जयंती के दिन ही खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। इसके तहत भारतीय खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान चंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कारों के अलावा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
  - वर्ष 2020 के लिये भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान 'राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' (Rajiv Gandhi Khel Ratna Award) से रोहित शर्मा (क्रिकेट), मनिका बत्रा (टेबल टेनिस), विनेश फोगाट (रेसलिंग), रानी रामपाल (हॉकी), मरियप्पन थंगावेलू (पैरा-एथलीट) को सम्मानित किया गया है।
- गौरतलब है कि हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार की राशि बढ़ा दी है।
- राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 25 लाख रूपए कर दी गई है।
  - राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991–92 में हुई थी। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रूपए से बढ़ाकर 15-15 लाख रूपए कर दी गई है।
- द्रोणाचार्य नियमित और ध्यान चंद पुरस्कार की राशि भी 5-5 लाख रूपए से बढ़ाकर 10-10 लाख रूपए कर दी गई है।

प्रमुख राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार-2020:

राष्ट्रीय खेल एवं साहस पुरस्कार-2020	प्राप्तकर्त्ता
1. द्रोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन)	धर्मेंद्र तिवारी (तीरंदाजी), पुरुषोत्तम राय (एथलेटिक्स), शिव सिंह (मुक्केबाज़ी), रोमेश पठानिया (हॉकी), कृष्ण कुमार हुड्डा (कबड्डी), विजय भालचंद्र मुनीश्वर (पैरा पावरलिफ्टिंग), नरेश कुमार (टेनिस), ओम प्रकाश दहिया (कुश्ती)

नोट :

2. द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित)	जूड फेलिक्स (हॉकी), योगेश मालवीय (मल्लखंब), जसपाल राणा (निशानेबाजी), कुलदीप कुमार हांडू (वुशु), गौरव खन्ना (पैरा बैडमिंटन)
3. ध्यान चंद पुरस्कार	कुलदीप सिंह भुल्लर (एथलेटिक्स), जिंसी फिलिप्स (एथलेटिक्स), प्रदीप श्रीकृष्ण गांधे (बैडमिंटन), तृप्ति मुर्गंडे (बैडमिंटन), एन उषा (मुक्केबाजी), लाखा सिंह (मुक्केबाजी), सुखविंदर सिंह संधू (फुटबॉल), अजीत सिंह (हॉकी) आदि
4. अर्जुन पुरस्कार	अटानु दास (तीरंदाजी), दुती चंद (एथलेटिक्स), सात्विक साईराज रनकिरेड्डी (बैडमिंटन), चिराग चंद्रशेखर शेट्टी (बैडमिंटन), विशेष भृगुवंशी (बास्केटबॉल), मनीष कौशिक (बॉक्सिंग) आदि
5. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी	पंजाब विश्वविद्यालय (चंडीगढ़)
6. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार	लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) लिमिटेड, वायु सेना का खेल नियंत्रण बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रबंधन संस्थान (IISM)

ओणम Onam

भारतीय उपराष्ट्रपति ने ओणम (Onam) की पूर्व संध्या पर एक संदेश के माध्यम से देशवासियों को बधाई दी।

प्रमुख बिंदु:

- केरल के महान शासक राजा महाबली (King Mahabali) की स्मृति के सम्मान में ओणम (Onam) का त्योहार मनाया जाता है।
- केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्राय: सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं।
- ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने 'चिंगम' से शुरू होता है, इसलिये इसे मलयाली हिंदुओं का नववर्ष भी कहा जाता है।
- लगभग 10-12 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्त्वपूर्ण होता है।
- यह त्यौहार असुर राजा महाबलि के पुन: घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या (Sadya) को केले के पत्ते पर खास तरीके व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली कहते हैं तथा इस भव्य महाभोज को 'ओणासद्या' (Onasadya) कहा जाता है। यह ओणम का सबसे महत्त्वपूर्ण आयोजन होता है।
- ओणम के दिन पारंपरिक खेलों, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है।

पुलिक्कली (Pulikkali):

- पुलिक्कली (Pulikkali) या टाइगर डांस (Tiger Dance) केरल के त्रिशूर (Thrissur) में मनाये जाने वाले ओणम (Onam) उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है।
- पुलिक्कली (Pulikkali) में कुछ विशेष लोग अपने शरीर पर चमकीले पीले एवं काले रंग से शेर की आकृति को चित्रित करके ड्रम एवं तीव्र म्यूज़िक के साथ शहर के चारों ओर घूमते हैं।

अरनमुला नौका दौड़:

- अरनमुला नौका दौड़ केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ प्रतियोगिता है, जिसे ओणम (अगस्त-सितंबर) के दौरान आयोजित किया जाता है।
- यह केरल के पथनमथित्ता (Pathanamthitta) ज़िले में पंपा (Pampa) नदी में श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित पार्थसारथी नामक हिंदू मंदिर के समीप मनाया जाता है।
- इस त्योहार में गायन करते हुए और दर्शकों के शोर-शराबे के बीच साँप की आकृति वाली नौकाओं को जोड़े में दौड़ाया जाता है।

नोट :

शेतुरुंजी और भादर बांध Shetrunji and Bhadar Dam

30 अगस्त, 2020 को गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग ने अत्यधिक वर्षा के कारण सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित शेतरुंजी (Shetrunji) और भादर (Bhadar) बांधों से अत्यधिक मात्रा में जल का निर्वहन किया।

प्रमुख बिंदु:

- पिछले पाँच वर्षों में यह पहली बार हुआ है कि इन दोनों बांधों के पीछे निर्मित जलाशय एक साथ ओवरफ्लो हुए हैं।
- गुजरात के भावनगर ज़िले के पालिताना (Palitana) तालुका में राजस्थली गाँव में स्थित शेतरुंजी बांध (Shetrunji Dam) में 308.68 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) की सकल भंडारण क्षमता है जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा जलाशय है।
- राजकोट ज़िले के गोंडल (Gondal) तालुका के लिलाखा (Lilakha) गाँव में स्थित भादर बांध (Bhadar Dam) की सकल भंडारण क्षमता 188.14 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) है जो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है।
  - इन दोनों बांधों की एक साथ जल संचयी संग्रहण क्षमता लगभग 497 MCM है जो सौराष्ट्र के कुल 140 प्रमुख बांधों की कुल जल संचयी संग्रहण क्षमता (2540 MCM) का लगभग 20% है।

शेतरुंजी एवं भादर नदियाँ:

- दोनों बांध शेतरुंजी एवं भादर नदियों पर अवस्थित हैं। ये नदियाँ विपरीत दिशाओं में बहती हैं और दोनों बांधों का अलग-अलग जलग्रहण क्षेत्र है।
- हालाँकि भादर नदी का उद्गम राजकोट ज़िले के जसदान तालुका से हुआ है जबकि शेतरुंजी नदी का उद्गम राजकोट के पड़ोसी ज़िले अमरेली से हुआ है।
  - गुजरात के अमरेली ज़िले के कुछ भाग भी भादर नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा संकेतक:

- ये बांध दो अलग-अलग नदी घाटियों में अवस्थित हैं किंतु वे (शेतरुंजी एवं भादर बांध) एक साथ तभी ओवरफ्लो होते हैं जब सौराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्र में काफी व्यापक वर्षा होती है।
- सौराष्ट्र क्षेत्र में इस वर्ष औसतन 100% से अधिक बारिश हुई है जबकि विश्लेषक बताते हैं कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में लगभग प्रत्येक चौथी मानसून अवधि, वर्षा की कमी को दर्शाती है।

नोट :

विविध

नवरोज़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नव वर्ष, नवरोज़ पर बधाई देते हुए कहा कि भारत, पारसी समुदाय के असाधारण योगदान की सराहना करता है, जिन्होंने व्यापक क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। फारसी में 'नव' का अर्थ 'नया' होता है और 'रोज़' का अर्थ 'दिन' से होता है। ध्यातव्य है कि पूरी दुनिया का पारसी समुदाय नवरोज़ त्योहार को मार्च माह के आस-पास मनाता है, जबकि भारत और पाकिस्तान के पारसी समुदाय से संबंधित लोग इस त्योहार को अगस्त के माह में मानते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत में रहने वाला पारसी समुदाय 'शहंशाही कैलेंडर' (Shahenshahi Calendar) को मानता है, जबकि शेष विश्व का पारसी समुदाय 'ईरानी कैलेंडर' को मानता है। शहंशाही कैलेंडर में लीप इयर को नहीं माना जाता, जिसके कारण इसमें ईरानी कैलेंडर की अपेक्षा नवरोज़ त्योहार लगभग 200 दिन बाद आता है। 'शहंशाही कैलेंडर' के निर्माण का श्रेय फारसी राजा जमशेद को दिया जाता है, जिसके कारण नवरोज़ त्योहार को जमशेद-ए-नवरोज़ के नाम से भी जाना जाता है। भारत में नवरोज़ त्योहार सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता हैं, क्योंकि भारत में इन क्षेत्रों में पारसियों की सबसे अधिक आबादी पाई जाती है।

अटल बिहारी वाजपेयी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत की प्रगति की दिशा में उनकी असाधारण सेवा और प्रयासों को देश हमेशा याद रखेगा।' भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। जनता के बीच खासे लोकप्रिय अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिये जाने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रवादी राजनीति में तब सामने आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। वह राजनीति विज्ञान और विधि के छात्र थे और कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों में काफी अधिक थी, यही कारण है कि बाद में उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्त्व कर अपने कौशल का परिचय दिया। वर्ष 1947 में वाजपेयी जी ने एक पत्रकार के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की और वर्ष 1951 में वे भारतीय जन संघ (Bharatiya Jana Sangh) में शामिल हो गए। चुनावी राजनीति में उनकी यात्रा वर्ष 1957 में शुरू हुई, जब उन्होंने तीन सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के बाद वर्ष 1968 में वाजपेयी जी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 3 कार्यकाल मिले, वर्ष 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, जिसके बाद वर्ष 1998 से वर्ष 1999 तक वह 13 महीने के लिये प्रधानमंत्री पद पर रहे और अंत में वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पाँच वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

सलाइवाडायरेक्ट परीक्षण

संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (Food and Drug Administration- FDA) ने COVID-19 के लिये एक नए लार-आधारित प्रयोगशाला परीक्षण के आपातकालीन उपयोग को अधिकृत कर दिया है। अमेरिका में इस COVID-19 परीक्षण को सलाइवाडायरेक्ट (SalivaDirect) के नाम से जाना जा रहा है। यह कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के लिये एक नया रैपिड डायग्नोस्टिक परीक्षण है, जो मुख्य तौर पर लार (Saliva) के नमूनों का उपयोग करता है। यह नया परीक्षण COVID-19 संक्रमण का पता लगाने के लिये उपयोग की जाने वाले पारंपरिक विधियों की अपेक्षा अधिक सरल और अधिक मितव्ययी है। इस परीक्षण की संवेदनशीलता (Sensitivity) लगभग 93 प्रतिशत है, जब लार के नमूने में वायरस की प्रतियाँ 6-12 प्रति माइक्रोलीटर तक भी है, तो भी यह परीक्षण व्यक्ति में संक्रमण का पता लगा सकता है।

महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना

भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 7 जुलाई, 1981 को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी को विश्व क्रिकेट के इतिहास में सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में पहचाना जाता है, उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर की शुरुआत वर्ष 2004 में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए की थी, हालाँकि धोनी इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे।

नोट :

महेंद्र सिंह धोनी ने अपने लगभग 16 वर्ष के लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 90 टेस्ट मैच, 350 एकदिवसीय मैच और 98 T-20 मैच खेले, इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 4876 रन, एकदिवसीय प्रारूप में 10773 रन और T20 में कुल 1617 बनाए। वहीं 27 नवंबर, 1986 को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में जन्मे सुरेश रैना ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत वर्ष 2005 में श्रीलंका के विरुद्ध खेलते हुए की थी, सुरेश रैना ने अपने लगभग 15 वर्ष के लंबे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कुल 18 टेस्ट मैच, 226 एकदिवसीय मैच और 78 T20 मैच खेले, इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 768 रन, एकदिवसीय प्रारूप में 5615 रन और T20 में कुल 1604 बनाए। सुरेश रैना एक अच्छे बल्लेबाज़ के साथ एक गेंदबाज़ भी हैं।

सत्यपाल मलिक

गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को 18 अगस्त, 2020 से मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनके स्थानांतरण के बाद, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यों का निर्वहन करेंगे। मलिक ने वर्ष 2018-19 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान ही अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के संवैधानिक निर्णय को लागू किया गया था। सत्यपाल मलिक ने वर्ष 2017-18 में बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 2018 में उन्हें ओडिशा के राज्यपाल के रूप में कार्य करने के लिये अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इससे पूर्व मलिक को वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्हें वर्ष 1980-86 के दौरान राज्यसभा सदस्य के रूप में भी चुना गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ और उनके कार्यालय की चर्चा की जाती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा 18 अगस्त 2020 को नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements-ARIIA) 2020 जारी की गई है। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष दस संस्थानों की घोषणा की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। रैंकिंग के प्रमुख संकेतकों में संस्थान के प्रशासन में नवाचार, नवीन शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण, उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों का अटल रैंकिंग, 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। यह प्रयोग उस समय किया गया जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का अनावरण किया।

विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर, 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ता बनाने तथा चुनौतियों का समाधान करने के लिये दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। यह उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा में विश्व सौर बैंक का विचार प्रस्तुत किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों में इस बैंक का आकर 15 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर होगा। यह शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर नवंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP-21 के दौरान की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान में स्थित है।

CAMPA फंड

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 18 अगस्त, 2020 को 24 राज्यों के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान, मंत्री ने घोषणा की कि CAMPA फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिये किया जाएगा। इसके साथ ही, वन-आधारित विचलन निधि को 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा। इस बैठक के दौरान वृक्षारोपण पहल, नगर वन योजना के तहत शहरी वानिकी को बढ़ावा देना, 13 प्रमुख नदियों का उपचार, पतित वन क्षेत्रों का LIDAR आधारित सर्वेक्षण, वन उपज के आवागमन की सुविधा के लिये राष्ट्रीय पारगमन पोर्टल पर विमर्श किया गया है। राज्यों में क्षतिपूरक वनीकरण के लिये एकत्र धनराशि का राज्यों द्वारा अल्प उपयोग किये जाने संबंधी शुरूआती अनुभव के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2001 में क्षतिपूरक वनीकरण कोष एवं क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund and Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority-CAMPA) की स्थापना का आदेश दिया।

नोट :

इंडो-यूएस वर्चुअल नेटवर्क

भारत और अमेरिका के शोधकर्त्ताओं वाली कुल आठ टीमों को COVID-19 के रोगजनन और रोग प्रबंधन में अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने हेतु पुरस्कार मिले हैं। अब ये आठ समूह अत्याधुनिक अनुसंधान एंटीवायरल कोटिंग्स, इम्यून मॉडयूलेशन और अपशिष्ट जल में वायरस की ट्रैकिंग जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान का कार्यान्वयन करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी COVID-19 तथा अन्य उभरती वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंडो-यू.एस. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) ने अप्रैल, 2020 में इंडो-यूएस वर्चुअल नेटवर्क (Indo-US Virtual Networks) की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारत तथा अमेरिका के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदायों की संयुक्त विशेषज्ञता का दोहन करने के साथ-साथ भारत और अमेरिका की टीमों के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाना था। वैज्ञानिक समुदायों और भौगोलिक सीमाओं के पार विशेषज्ञता साझा करने के माध्यम से, इंडो-यूएस वर्चुअल नेटवर्क मौजूदा महामारी का मुकाबला करने के लिये अभिनव और परिवर्तनकारी समाधानों का विकास होगा। इंडो-यू.एस. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम (IUSSTF) की स्थापना मार्च 2000 में भारत और अमेरिका दोनों देशों की सरकारों के बीच हुए समझौते के तहत हुई थी। दोनों देशों की सरकारों द्वारा वित्तपोषित यह एक स्वायत्त द्विपक्षीय संगठन है, जो कि सरकार, शिक्षा और उद्योग के बीच महत्त्वपूर्ण संपर्क स्थापित कर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और नवाचार को बढ़ावा देता है।

पंडित जसराज

हाल ही में विश्व के सबसे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज (Pandit Jasraj) का निधन हो गया है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी, 1930 को हरियाणा के हिसार (Hissar) में संगीतकार के एक परिवार में हुआ था, वे मेवाती घराने (Mewati Gharana) के विशिष्ट संगीतज्ञ थे। पंडित जसराज ने संगीत के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत एक तबलावादक के रूप में की थी, किंतु जल्द ही उन्होंने कुछ व्यक्तिगत कारणों से तबला छोड़ दिया और वे शास्त्रीय संगीत गायन की ओर मुड़ गए। पंडित जसराज को भक्ति रस के तत्त्वों के साथ ख्याल (khayal) के मिश्रण के लिये जाना जाता है, ख्याल (khayal) राग के विस्तार पर आधारित शास्त्रीय संगीत का वह रूप है, जिसमें दो छंदों से युक्त गेय रचना शामिल होती है। उन्होंने जसरंगी (Jasrangi) नामक जुगलबंदी का एक अनूठा रूप विकसित किया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला गायक अपने व्यक्तिगत प्रदर्शनों को एक एकीकृत प्रदर्शन में विलय करने के लिये अपने-अपने पैमानों में अलग-अलग राग गाते हैं। अपने 80 वर्ष से भी अधिक लंबे करियर में पंडित जसराज को पद्म श्री (वर्ष 1975), पद्म भूषण (वर्ष 1990) और पद्म विभूषण (वर्ष 2000) समेत विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

राकेश अस्थाना

हाल ही में IPS अधिकार राकेश अस्थाना ने सीमा सुरक्षा बल (Border Security Force- BSF) के महानिदेशक (Director General) का कार्यभार संभल लिया है। ध्यातव्य है कि राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल (BSF) के 27वें महानिदेशक बने हैं और अनुमान के अनुसार वे अगले वर्ष अपने सेवानिवृत्त होने की तिथि तक इस पद पर बने रहेंगे। राकेश अस्थाना वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक के रूप में सेवारत थे। इसके अलावा वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau-NCB) के महानिदेशक के तौर पर भी कार्य कर रहे थे। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी हैं। आधिकारिक सूचना के अनुसार, राकेश अस्थाना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के महानिदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे। घुसपैठ, तस्करी और सैन्य हमलों के खिलाफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनज़र वर्ष 1965 में BSF की स्थापना की गई थी। BSF भारत का सबसे प्रमुख अर्द्धसैनिक बल है। इस समय BSF में लगभग 2.57 लाख से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश की 6,385 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना हैं।

विश्व मानवतावादी दिवस

प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में विश्व मानवतावादी दिवस या विश्व मानवता दिवस (World Humanitarian Day) के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वास्तविक जीवन के उन नायकों को याद करना है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद मानवता की सेवा को चुना। यह दिवस उन लोगों को धन्यवाद देता है, जिन्होंने संकट की घड़ी में भी ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने और उनके जीवन की रक्षा करने में या तो अपनी जान गंवा दी या फिर घायल हो गए। 17 वर्ष पूर्व 19 अगस्त, 2003 को इराक की राजधानी बगदाद में एक बम हमले में कुल 22 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के पश्चात् वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। यह दिवस विश्व भर में मानवीय ज़रूरतों पर ध्यान आकर्षित करते हुए इन्हें पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्त्व को दर्शाता है।

नोट :

शंकर दयाल शर्मा

19 अगस्त, 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त, 1918 को हुआ था। शंकर दयाल शर्मा ने अपनी उच्च शिक्षा आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों में प्राप्त की और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge) से कानून में पीएचडी (PhD) की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने वर्ष 1940 में लखनऊ में वकील के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर दी, इसके कुछ समय पश्चात् वे भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress) में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे लगभग आठ महीनों तक जेल में रहे। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शंकर दयाल शर्मा स्वतंत्र भारत के राजनीतिक वातावरण में सक्रिय हो गए और उन्होंने राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा ने वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक देश के नौवें राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया, उन्हें वर्ष 1984 में आंध्रप्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री और अकाली दल के अध्यक्ष के बीच लोंगोवाल-राजीव समझौते के मद्देनज़र शंकर दयाल शर्मा को वर्ष 1985 में पंजाब का राज्यपाल बनाया गया था। इसके बाद वे 3 सितंबर, 1987 से भारत के आठवें उप-राष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति बने, इसके बाद उन्होंने वर्ष 1992 में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। शंकर दयाल शर्मा का 26 दिसंबर, 1999 को नई दिल्ली में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020

आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय (MoUHA) द्वारा आयोजित स्वच्छ महोत्सव में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा घोषित 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2020' (Swachh Survekshan 2020) में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) शहर को मिला है। इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। इस श्रेणी में गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान, जबकि महाराष्ट्र स्थित नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के लिये पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला और झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला। जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया। चालीस लाख से अधिक आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों में गुजरात का अहमदाबाद शीर्ष पर रहा। यह देश के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण का पांचवाँ संस्करण है। वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण, एक अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण है जो भारत के शहरों, कस्बों और राज्यों को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकित करता है। केंद्र सरकार ने देश में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत व्यापक पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी और देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की थी।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने के उद्देश्य से एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का अनावरण किया। राज्य सरकार की इस नीति का लक्ष्य आगामी पाँच वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और चार लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करना है। इस नई नीति के तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना वाले निवेशकों को भूमि सब्सिडी की दोगुनी दर प्रदान की गई है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2017 को काफी अच्छी सफलता मिली और इसने तीसरे वर्ष में ही निवेश और रोज़गार सृजन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे क्षेत्रों को विश्व में उभरते मोबाइल विनिर्माण केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित किया गया है, जिन्होंने कई देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आकर्षित किया है। आँकड़ों के अनुसार, भारत में निर्मित होने कुल मोबाइल फोनों में से 60 प्रतिशत से अधिक का निर्माण केवल उत्तर प्रदेश में किया जाता है।

जी.पी. गर्ग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में जी.पी. गर्ग (G.P. Garg) को अपना नया कार्यकारी निदेशक (Executive Director) चुना है। इस संबंध में SEBI द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, जी.पी. गर्ग अपनी पदोन्नति से पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (Chief General Manager) के रूप में कार्य कर रहे थे। जनवरी 1994 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) में शामिल होने के बाद से वे SEBI में कई महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। जी.पी. गर्ग ने देश में वित्तीय साक्षरता और निवेश शिक्षा पर सेबी (SEBI) की पहल में भी निकटता से शामिल रहे थे। जी.पी. गर्ग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स (NISM) की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें महाराष्ट्र के पातालगंगा में एक अत्याधुनिक कैंपस की स्थापना भी शामिल है। भारतीय प्रतिभूति और

नोट :

विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सेबी का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों (Securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना है। साथ ही यह प्रतिभूति बाज़ार (Securities Market) के विकास का उन्नयन करने, उसे विनियमित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करने का कार्य भी करता है।

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

देश की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिये जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिये ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने तथा मज़बूत एवं अखंड भारत के मूल्यों को स्थापित करने के संबंध में प्रदान किया जाता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, आयु या व्यवसाय से इतर सभी नागरिक और संस्थान/संगठन इस पुरस्कार के लिये पात्र हैं। इस पुरस्कार के तहत एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान/संगठन पुरस्कार के लिये किसी को भी नामित कर सकता है। साथ ही भारतीय नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी इस पुरस्कार के लिये नामांकन भेज सकते हैं।

महाराष्ट्र में सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट

हाल ही में महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर (Gram Panchayat Property Tax) से छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक सार्वजनिक प्रस्ताव भी जारी किया है। महाराष्ट्र में मौजूद नियमों के अनुसार, अब तक रक्षा वीरता पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं और उनके आश्रितों को एक आवासीय भवन के लिये ग्राम पंचायत संपत्ति कर से छूट प्रदान की गई थी। अब राज्य में इस नियम के दायरे को विस्तृत कर दिया गया है, जिससे राज्य के सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में घोषणा करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि यह निर्णय मुख्य तौर पर उन सैनिकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से लिया गया है, जो दिन-रात देश की रक्षा करते हैं।

सद्भावना दिवस

प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस (Sadbhavana Diwas) के रूप में मनाई जाती है। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवत: दुनिया के उन युवा राजनीतिज्ञों में से एक हैं जिन्होंने किसी देश की सरकार का नेतृत्त्व किया है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बंबई में हुआ था। भारत से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजीव गांधी लंदन के इम्पीरियल कॉलेज (Imperial College) चले गए, जहाँ उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वर्ष 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मृत्यु हो गई, और राजीव गांधी पर राजनीति में आने का दबाव बनाया जाने लगा। ध्यातव्य है कि उन्हें राजनीति से अधिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी। 31 अक्तूबर, 1984 को उनकी माँ इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजीव गांधी कॉन्ग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने। 21 मई, 1991 को चेन्नई से लगभग 50 किलोमीटर दूर श्रीपेरंबदूर (Sriperambudur) नामक गांव में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी।

शास्त्रीय और लोक कला अकादमी- IIT खड़गपुर

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- खड़गपुर (IIT-Kharagpur) ने नई शिक्षा नीति, 2020 (New Education Policy) के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। गौरतलब है कि यह अकादमी संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इस संबंध में आधिकारिक सूचना देते हुए संस्थान की प्रवक्ता ने कहा कि यह अकादमी युवाओं में प्रयोग एवं नवाचार के गुण विकसित करेगी। ध्यातव्य है कि बीते माह केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020' (National Education Policy- 2020) को मंज़ूरी दी थी। इस नई शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। इसी से प्रेरणा लेते हुए IIT-खड़गपुर ने अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नोट :

राजीव कुमार

पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। निवर्तमान निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। श्री कुमार को कई क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 30 वर्ष का अनुभव है। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन से संबंधित योजनाएँ जैसे मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना पर विशेष रूप से कार्य किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लेख है। एक चुनाव आयुक्त को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे केवल उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है, जिस प्रकार कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। अर्थात संसद के दोनों सदनों को अक्षमता के आधार पर प्रस्ताव पारित करना होगा। निर्वाचन आयोग संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है।

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी

अगस्त, 2020 के दूसरे सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.939 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 535.252 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है, इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। इसे फ़ॉरेक्स रिज़र्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियाँ' कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं। इसमें केवल विदेशी रुपये, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेशी ट्रेज़री बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिये परंतु इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है।

हरित पथ मोबाइल एप्लिकेशन

21 अगस्त, 2020 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'हरित पथ' नामक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। एप्लीकेशन ने विशेषज्ञों के लिये उपयोगकर्ता आईडी बनाना शुरू कर दिया है। अब तक 7,800 पौधों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जियो-टैग किया गया है। विकसित किया गया एप्लीकेशन विकास, स्थान, प्रजातियों के विवरण की निगरानी करेगा और व्यक्तिगत वृक्षारोपण परियोजनाओं द्वारा किए गए लक्ष्यों, उपलब्धियों को बनाए रखेगा। इस एप्लीकेशन को बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म- 'डेटा लेक' पर लॉन्च किया गया है। डेटा लेक कच्चे प्रारूप में संग्रहीत डेटा का भंडार है। इसमें संरचित डेटा और परिवर्तित डेटा शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से रिपोर्टिंग और मशीन लर्निंग भी शामिल है। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 'हरित भारत संकल्प' नामक देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। यह पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये शुरू किया गया है।

रमेश चंद कार्यदल

नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अगुवाई वाले कार्यदल ने गन्ने की कीमतों को चीनी दरों से जोड़ने की सिफारिश की है। कार्यदल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि है उद्योग को एक अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य में रखना आवश्यक है। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम चीनी की कीमत में 33 रुपये प्रति किलोग्राम की एकमुश्त बढ़ोतरी की सिफारिश की है। कार्यदल की इस रिपोर्ट को मार्च 2020 में अंतिम रूप दिया गया और इसे 20 अगस्त, 2020 को प्रकाशित किया गया। कार्यदल ने सुझाव दिया है कि किसानों को कम पानी वाली सघन फसलों के लिये प्रोत्साहन राशि लगभग 6,000 रुपये प्रति हेक्टेयर होना चाहिये। किसानों को उनके गन्ना उत्पादन के उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करने के लिये रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला (RSF) शुरू किया जाना चाहये। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है, जिसका गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं।

अर्थ ओवरशूट डे

वर्ष 2020 में अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त को मनाया गया है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ष जब संसार प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के संदर्भ में पर्यावरणीय दृष्टि से ऋणात्मक स्थिति में आ जाता है, तब 'अर्थ ओवरशूट डे' मनाया जाता है। इसका संदर्भ इस बात से है कि पर्यावरणीय दृष्टि से एवं प्राकृतिक संसाधनों की पहुँच की दृष्टि से जितनी मात्रा में मानव को इनका इस्तेमाल करना चाहिये, वस्तुतः मनुष्य उस सीमा को प्राप्त कर चुका है। इसके बाद हम जितनी मात्रा में इन संसाधनों का उपभोग करेंगे, उतना हमारे भविष्य के लिये निर्धारित वार्षिक कोटे से अतिरिक्त का उपभोग होगा। अर्थ ओवरशूट डे को निर्धारित करने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े शोधकर्त्ताओं के द्वारा किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस वर्ष यह दिन पिछले वर्ष के मुकाबले 24 दिनों की देरी से आया है। पिछले वर्ष अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया था। यह दुर्लभ संयोग कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन का परिणाम है, जिससे मानवीय गतिविधियाँ सीमित हुई और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर रोक लगी।

नोट :

गजानंद यादव

विंग कमांडर गजानंद यादव ने एयर एडवेंचर श्रेणी में 'तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019' जीता है। भारतीय वायु सेना ने ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से यह विशेष पुरस्कार जीतने के लिये यादव को बधाई दी है। गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं। वे भारतीय वायु सेना की स्काइडाइविंग टीम 'आकाश गंगा' के सदस्य भी हैं। उन्होंने अब तक 2900 से अधिक बार छलांग लगाई हैं। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों को साहसिक खेलों के लिये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। इन पुरस्कारों को अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। साहस के क्षेत्र में लोगों की उपलब्धियों को पहचानने के लिये प्रतिवर्ष ये पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। इन पुरस्कारों को चार श्रेणियों यथा- वायु में साहस, भूमि पर साहस, जल में साहस और जीवन भर की उपलब्धि के लिये दिया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य साहसिक गतिविधियों के लिए युवा लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर सम्मान देना है। राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

हाल ही में, कमर्चारी राज्य बीमा निगम (Employee's State Insurance Corporation- ESIC) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत पात्रता मानदंड में छूट एवं बेरोजगारी लाभ के भुगतान में वृद्धि की गयी है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, वर्ष 2018 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) द्वारा शुरू की गयी थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी रोज़गार के बदलते स्वरूप के कारण किसी भी वजह से नौकरी चली गयी है अथवा बेरोज़गार हो गए हैं। योजना को प्रारंभ में दो वर्ष के लिये पायलट आधार पर शुरू किया गया था। अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये, योजना के तहत भुगतान राशि को औसत मज़दूरी के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

हनी मिशन योजना

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम हनी मिशन योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिये स्थानीय स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्यमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सहारनपुर में 70 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी पालन के लिये सात सौ बक्से वितरित किये। ये प्रवासी मज़दूर वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण हुए लॉकडाउन से कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में फंस गये थे और हाल ही में अपने गृह राज्य लौटे हैं। ग्रामोद्योग आयोग ने इन श्रमिकों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया है और इसके लिये सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराये हैं। श्री सारंगी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश में शहद का उत्पादन बढ़ेगा। प्रवासी मज़दूरों को उनके मूल स्थान में रोज़गार मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। विदित है कि ग्रामोद्योग आयोग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा को मधुमक्खी पालन में प्रयोग होने वाले एक लाख 35 हजार बक्से वितरित कर चुका है।

माई आईएएफ एप

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आज डिजिटल इंडिया पहल के तहत नई दिल्ली में वायु सेना मुख्यालय वायु भवन में माई-आईएएफ मोबाइल एप का शुभारंभ किया। उन्नत गणना विकास केंद्र सी-डैक के सहयोग से विकसित यह एप वायु सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी और विवरण उपलब्ध कराता है। इस एप को इस्तेमाल करना आसान है। यह वायु सेना में चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा अधिकारियों और सैनिकों के वेतन और भत्तों सहित सभी तरह की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराता है। यह एंड्रॉयड फोन के लिये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे वायु सेना के सोशल मीडिया प्लेटफार्म और गेम्स से भी जोड़ा गया है। इस एप पर वायु सेना के इतिहास और उसकी शौर्य गाथाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराई गई हैं।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार

प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2020 के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभावी रूप से करने और जनशिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। कार्मिक, लोकशिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कहा है कि इस पुरस्कार का दायरा बढ़ाया गया है ताकि जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में परिणामोन्मुखी कार्य निष्पादन की पहचान की जा सके। जिले में स्वच्छ भारत मिशन के ज़रिए जन आंदोलनों को बढ़ावा देने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को समावेशी ऋण प्रवाह के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण योगदान करने वाले जिला कलेक्टरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार नमामि गंगे कार्यक्रम में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जिला स्तरीय अधिकारियों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा।

नोट :

फास्टैग

सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाज़ा पर किसी भी छूट के लिये फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वत: मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिये पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। फास्ट टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) कार्ड होता है जिसे वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है। वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग (Radio Frequency Tag) जारी किया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाज़ा पर एक RFID रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जाँच करता है। यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान स्वत: ही कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर बिना रुके वहाँ से गुज़र जाता है।

मुक्त बाज़ार परिचालन

भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाज़ार परिचालन (Open Market Operations-OMO) के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ-साथ खरीद-बिक्री करेगा। OMO का परिचालन दो चरण में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। RBI 27 अगस्त को आयोजित किये जाने वाले OMO के अंतर्गत वर्ष 2024 से वर्ष 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। वहीं केंद्रीय बैंक इस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में परिपक्व हो रही प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि वह तरलता और बाजार स्थितियों पर लगातार नज़र बनाए रखेगा और पूँजी बाजार के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये उचित उपाय भी करेगा। सरकारी प्रतिभूतियों की एक ही समय खरीद-बिक्री कार्यक्रम में लंबी परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और समान मूल्य वाली लघु-अवधि की प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी।

अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) ने बताया है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त देश घोषित होने के बाद 25 अगस्त 2020 को पूरा अफ्रीका महाद्वीप वाइल्ड पोलियो से मुक्त हो गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस शेष था। पिछले चार वर्षों से यहाँ पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है। WHO ने वर्ष 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी, तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया से पोलियो को खत्म किया जा चुका है। अफ्रीका में आखिरी बार पोलियो का मामला वर्ष 2016 में नाइजीरिया में आया था। अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किये जाने के बाद केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे देश होंगे जहाँ पोलियो वायरस सक्रिय अवस्था में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि यह दूसरी बार है जब अफ्रीका में किसी वायरस को खत्म किया गया है। चार दशक पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में चेचक को पूरी तरह से समाप्त किया गया था।

अफ्स्पा

गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (Armed Forces Special Powers Act-AFSPA) की धारा 3 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए छह माह की अवधि के लिये असम को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। यह अवधि 28 अगस्त से प्रभावी होगी। सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था तथा तीन माह के भीतर ही इसे कानूनी जामा पहना दिया गया था। वर्ष 1958 और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत: भारत में संविधान लागू होने के बाद से ही पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिये मणिपुर और असम में 1958 में AFSPA लागू किया गया था। इसे 1972 में कुछ संशोधनों के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया था। AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है।

नोट :

उड़ान योजना

सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान के अंतर्गत 78 नए मार्गों को मंज़ूरी दे दी है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने कहा है कि इन नये मार्गों में पूर्वोत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्राथमिकता दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इन मार्गों के लिये 29 चालू, 8 बंद पड़े और दो बहुत कम इस्तेमाल किये जाने वाले हवाई अड्डों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना के तहत अब तक कुल 766 मार्गों को मंज़ूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक उसने 274 उड़ान मार्गों को चालू किया है, जिसमें 45 हवाई अड्डे और तीन हेलीपोर्ट जुड़े हैं। उड़ान देश में क्षेत्रीय विमानन बाज़ार को विकसित करने की दिशा में एक नवोन्मेषी कदम है। क्षेत्रीय संयोजकता योजना 'उड़ान' 15 जून, 2016 को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति (National Civil Aviation Policy- NCAP) का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य एवं लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देती है ताकि आम आदमी वहनीय कीमत पर हवाई यात्रा कर सके।

मानसिक स्वास्थ्य हेतु हेल्पलाइन नंबर

केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिये 'किरण' हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। देशभर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है, 'किरण' हेल्पलाइन के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक फ्री हेल्पलाइन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का उद्देश्य प्राथमिक जाँच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। मानसिक स्वास्थ्य पुर्नसुधार संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिस्ऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिस्ऑर्डर, सब्सटेंस एब्यूज, सुसाइडल थॉट्स, महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

सीरो-सर्वेक्षण

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने लोगों में कोरोना वायरस एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिये सीरो-सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है। महानगरों में किये गए इस तरह के सर्वेक्षण कोरोना वायरस की गतिविधियों और उसकी संरचना को समझने के लिये लाभदायक साबित हुए हैं। सीरो-सर्वेक्षण अध्ययनों में लोगों के ब्लड सीरम की जाँच करके किसी आबादी या समुदाय में ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, जिनमें किसी संक्रामक रोग के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती हैं। सीरो-निगरानी सर्वेक्षण इसलिये किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दिल्ली की कुल आबादी में से कितने अनुपात में लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं और प्रत्येक ज़िले से लिये गए नमूनों की संख्या उस क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में थी। यह शरीर में सक्रिय संक्रमण का पता लगाने में काम नहीं आता है बल्कि यह पूर्व में हुए संक्रमण (जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर वार करता है) को इंगित करता है।

शिंजो आबे

जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे (Shinzo Abe) ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने 28 अगस्त को इसका औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे हैं और इस दौरान उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। आबे जापान के सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए थे। आबे देश की सत्ता पर 2803 दिनों तक पदासीन रहे हैं। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड उनके चाचा और देश के पूर्व प्रधानमंत्री इसाकु सैतो के नाम था। शिंजो आबे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी के सदस्य हैं। देश में जारी वैश्विक महामारी COVID-19 के बाद से मांग हो रही थी कि आबे नागरिकों को इससे निपटने को लेकर किये गए कामों के बारे में बताएँ। ध्यातव्य है कि आबे ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का वादा किया था। चीन के खतरे को देखते हुए आबे जापानी सेना को भी मज़बूत करने में जुटे हुए थे।

भारत-बांग्लादेश व्यापार संपर्क मार्ग

भारत और बांग्लादेश सरकार ने 3 सितंबर, 2020 से एक नया व्यापार संपर्क मार्ग खोलने का निर्णय किया है, ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन तंत्र के दायरे का विस्तार करके क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके और इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिल सके। त्रिपुरा के सोनामुरा को जिस मार्ग पर बांग्लादेश के दाउदकंडी से जोड़ा जाएगा, उस मार्ग का परिचालन नदी के व्यापार को बढ़ावा देने के लिये मई, 2020 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते के तहत किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच यह नया मार्ग व्यापार समुदाय के लिये बेहतर विश्वसनीयता और लागत

नोट :

प्रभावशीलता के साथ द्विपक्षीय व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। मई, 2020 में भारत और बांग्लादेश के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे ताकि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से संपर्क में सुधार करने के साथ-साथ परिवहन लागत को कम करने के लिये दो नए मार्गों और पांच और बंदरगाहों को जोड़कर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।

छठी अनुसूची

अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची के अधीन लाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। अरूणाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य के जनजातीय समुदाय की पहचान बचाए रखने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में जरूरी संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री बमांग फेलिक्स द्वारा सदन में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा है वह ऐतिहासिक है। संविधान की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 244 के अनुरूप व्यवहार करती है। राज्यपाल को ज़िले के क्षेत्रों को बढ़ाने या घटाने अथवा स्वायत्त ज़िलों के नाम में परिवर्तन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। यद्यपि संघ कार्यकारी का शक्तियाँ पाँचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के प्रशासन तक विस्तारित हैं, लेकिन छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

संत अय्यंकाली

प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के महान समाज सुधारक महात्मा अय्यंकाली की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा अय्यंकाली जैसे महापुरुषों का हमेशा ऋणी रहेगा। भारत को आधुनिक बनाने, दलितों और पिछड़ों में आत्म सम्मान की भावना पैदा करने और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने में महात्मा अय्यंकालि की भूमिका ठीक वैसी ही थी, जैसी ज्योतिबा फुले, डॉ. भीमराव आंबेडकर और रामास्वामी पेरियार की थी। दलित महिलाओं की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिये उनके योगदान को आज भी याद किया जाता था। उनके आंदोलन की वजह से दलित महिलाओं को केरल में अपना स्तन ढंकने का अधिकार मिला। अय्यंकालि का जन्म तिरुवनंतपुरम् के वेंगनूर गाँव में 28 अगस्त 1863 को हुआ था। उनकी जाति पुलायार (पुलाया) थी, जो वहाँ अछूत जातियों में भी सबसे निम्न मानी जाती थी।

खेल पुरस्कारों की राशि में वृद्धि

राष्ट्रीय खेल और साहसिक कार्य पुरस्कार की 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों में पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि साढ़े सात लाख रूपए से बढ़ाकर 25 लाख रूपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य आजीवन पुरस्कार की राशि 5-5 लाख रूपए से बढ़ाकर 15-15 लाख रूपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी पांच-पांच लाख रूपए से बढ़ाकर दस-दस लाख रूपए कर दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न जिसे आधिकारिक तौर पर 'स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार' के रूप में जाना जाता है, भारत गणराज्य का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991–92 में हुई थी। यह पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविदयालय

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, देश तथा विश्व में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है। प्रधानमंत्री के अनुसार, जब किसान और कृषि, उद्योग का रूप लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से गाँवों में रोज़गार और स्व-रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसे भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में वर्ष 2014 में स्थापित किया गया है। । विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में स्थित है। विश्वविद्यालय को कृषि, अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सीधे वित्त पोषित किया जाता है।

नोट :

भारत-सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता

भारत और सिंगापुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है। सम्मेलन की अध्यक्षता रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और उनके सिंगापुर में समकक्ष चैन हेंग के द्वारा की गई। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करते हुए दोनों अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के अंत में दोनों देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance & Disaster Relief-HADR) पर पारस्परिक कार्यान्वयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रक्षा सहयोग के साथ रणनीतिक मुद्दों और भू राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिये एक नियमित मंच प्रदान करना है। इस बैठक में आतंकवाद का मुकाबला करने और एक-दूसरे की नौसेना को सुविधा और रसद सहायता प्रदान करने पर भी चर्चा हुई है।

स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता 'चुनौती'

देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ((Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) ने एक नया कदम उठाया है। मंत्रालय ने 'चुनौती' नामक नई पीढ़ी की एक स्टार्टअप प्रतियोगिता लॉन्च की है। इसका उद्देश्य देश के टियर-2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक वक्तव्य के अनुसार, इस कार्यक्रम के लिये सरकार ने तीन वर्ष में 95.03 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपये तक की शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

नोट :